सत्यमेव जयते
नीति आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

सत्यमेव जयते

नीति आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

विषय-वस्तु

खंड-I

नीति आयोग: संरचना 1

- गठन 3
- उद्देश्य और विशेषताएं 6
- नीति आयोग की शासी परिषद 8

खंड-II

नीति और कार्यक्रम 11

- परिचय 13
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम 14
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण 17
- स्वास्थ्य और पोषण 19
- उद्योग सुधार 21
- महिला एवं बाल विकास 23
- शहरी विकास 24
- आजादी का अमृत महोत्सव 26

खंड-III

निगरानी एवं मूल्यांकन 27

- प्रस्तावना 29
- विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय 30
- निष्पादन डैशबोर्ड 36
- प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सूचकांक 42

खंड-IV
सहकारी संघवाद 47

- प्रस्तावना 49
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विकास सहायता सेवाएं 50
- द्वीपों का समग्र विकास 50
- पूर्वोत्तर के लिए नीति मंच 52
- परियोजना साथ-ई 54
- एसडीजी का स्थानीयकरण 58
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र में संधारणीय विकास 61
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ काम करना 62

खंड-V
थिंक टैंक गतिविधियां 67

- प्रस्तावना 69
- लोकोन्मुख प्रौद्योगिकी 70
- सीमांत प्रौद्योगिकियां 72
- राष्ट्रीय परिवर्तनकारी गतिशीलता एवं बैटरी भंडारण मिशन 74
- मेथनॉल अर्थव्यवस्था 76
- हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था 78
- थिंक टैंक के साथ सहयोग 78
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 80
- ऑनलाइन विवाद समाधान 86
- राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान 87

खंड-VI
अटल नवोन्मेष मिशन 91

- प्रस्तावना 93
- अटल टिंकरिंग लैब 94
- अटल इंक्यूबेशन सेंटर 95
- अटल सामुदायिक नवोन्मेष केंद्र 97
- अटल न्यू इंडिया चैलेंज 99
- लघु उद्यमों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवाचार—अटल न्यू इंडिया चैलेंज 100
- भारत–ऑस्ट्रेलिया वृत्तीय अर्थव्यवस्था (आई-एसीई) हैकाथॉन 100
- एआईएम पारिस्थितिकी तंत्र विकास दल (एईडीटी) 101
- साझेदारियां 101
- सामरिक कार्यक्रम 101

खंड-VII

कोविड-19 प्रबंधन 105

- भूमिका 107
- विहंगावलोकन 108
- सशक्त समूहों का योगदान 108

खंड-VIII

कार्यक्षेत्र की उपलब्धियां 115

- प्रस्तावना 117
- कृषि 118
- डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषण और सीमांत प्रौद्योगिकी 120
- अर्थ और वित्त प्रकोष्ठ 122
- शिक्षा 125
- ऊर्जा 127
- शासन और अनुसंधान 128
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 129
- उद्योग-I 131
- उद्योग-II 134
- अवसंरचना–कनेक्टिविटी 136
- शहरीकरण का प्रबंधन 139
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) 141
- प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण 143
- परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग 144
- सार्वजनिक–निजी भागीदारी 147
- ग्रामीण विकास 150
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 150
- कौशल विकास, श्रम और रोजगार 152
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 154
- राज्य वित्त एवं समन्वय 156
- सतत विकास लक्ष्य 158
- पर्यटन एवं संस्कृति 164
- स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ 165
- भूमि और जल संसाधन 166
- महिला एवं बाल विकास 167

खंड-IX

प्रशासन और सहायक इकाइयाँ 171

- प्रस्तावना 173
- टीम नीति के लिए वैभवशाली प्रतिभा को आकर्षित करना 174
- संचार और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ 175
- शासी परिषद् सचिवालय 176
- हिंदी अनुभाग 176
- पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र 178
- ओएमएंडसी अनुभाग 178
- आरटीआई सेल 179
- सतर्कता अनुभाग 179

खंड-X

रिपोर्टें और प्रकाशन 181

अनुलग्नक 189

खंड-I

नीति आयोग: संरचना

नीति आयोग: संरचना

गठन

केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से 01 जनवरी, 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यह भारत सरकार का अग्रणी नीति थिंक टैंक है, जो निर्देशनात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के अलावा, नीति आयोग केंद्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त कार्यनीतिक एवं तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय हित में साथ मिलकर कार्य करने के लिए राज्यों को एक मंच पर लाने के लिए नीति आयोग भारत सरकार के लिए सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 18 सितंबर, 2021 को नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की।

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी
अध्यक्ष

डॉ. राजीव कुमार
उपाध्यक्ष

पूर्णकालिक सदस्य

डॉ. वी के सारस्वत

प्रो. रमेश चंद

डॉ. वी के पॉल

श्री अमिताभ कांत
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पदेन सदस्य

श्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री

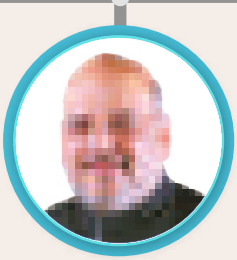

श्री अमित शाह
गृह मंत्री और
सहकारिता मंत्री

श्रीमती निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री

श्री नरेंद्र सिंह तोमर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

विशेष आमंत्रितगण

श्री नितिन जयराम गडकरी
सड़क परिवहन और
राजमार्ग मंत्री

श्री पीयूष गोयल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री,
उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
और कपड़ा मंत्री

श्री अश्विनी वैष्णव
रेल मंत्री, संचार मंत्री और
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

श्री राव इंद्रजीत सिंह
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार),
योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री

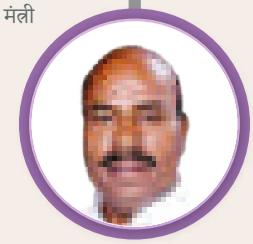

डॉ. वीरेंद्र कुमार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

उद्देश्य और विशेषताएं

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों के एक साझा विज़न का विकास करना।
- यह स्वीकार करते हुए कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए तंत्रों का विकास करना और इनको उत्तरोतर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर पर एकत्र करना।
- यह सुनिश्चित करना कि जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित किया गया है।
- हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना, जिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो सकता है।
- कार्यनीतिक और दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और प्रभाव की निगरानी करना। निगरानी और फीडबैक के माध्यम से सीखे गए सबक का प्रयोग आवश्यक मध्यावधि संशोधन सहित नवोन्मेषी सुधार करने के लिए किया जाएगा।
- महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं को सलाह देना और उनके बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृत्तिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवोन्मेष और उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर्क्षेत्रक और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करना।
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का अनुरक्षण करना, सतत और न्यायसंगत विकास में सुशासन तथा सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर अनुसंधान का भण्डार बनना और साथ ही उसे हितधारकों तक पहुंचाने में भी मदद करना।
- आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रियता से निगरानी और मूल्यांकन, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं और उनके दायरे को सुदृढ़ किया जा सके।
- कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना।
- ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने और उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

नीति आयोग स्वयं को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है जो इसे तेजी से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीति विज़न प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में समर्थ बनाएगा। इसे दो संबद्ध कार्यालयों - अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) - और एक स्वायत्त निकाय अर्थात राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निर्लड) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

नीति आयोग के समस्त कार्यकलापों को चार मुख्य शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है :

1. नीति और कार्यक्रम ढांचा
2. सहकारी संघवाद

3. अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन
4. थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवाचर केन्द्र

नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकल, प्रकोष्ठ, संबद्ध कार्यालय और स्वायत्त निकाय इसके अधिदेश को पूरा करने के लिए आवश्यक समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं। वर्टिकलों और प्रकोष्ठों की सूची नीचे दी गई है :

वर्टिकल/प्रकोष्ठ

प्रशासन और सहायक इकाईयाँ

कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र

आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रकोष्ठ

संचार और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ

डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषण और सीमान्त प्रौद्योगिकी

अर्थ एवं वित्त प्रकोष्ठ

शिक्षा

शासन और अनुसंधान

शासी परिषद सचिवालय और समन्वय

उद्योग-I

उद्योग-II

अवसंरचना - कनेक्टिविटी

अवसंरचना - ऊर्जा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण और द्वीप विकास

परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग

सार्वजनिक निजी साझेदारी

ग्रामीण विकास

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ

सामाजिक क्षेत्र-I (कौशल विकास, श्रम और रोजगार एवं शहरी विकास)

सामाजिक क्षेत्र-II (स्वास्थ्य और पोषण एवं महिला और बाल विकास)

राज्य वित्त एवं समन्वय

सतत विकास लक्ष्य

जल और भूमि संसाधन

नीति आयोग की शासी परिषद

नीति आयोग की शासी परिषद, जिसमें सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल शामिल हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से 16 फरवरी, 2015 को प्रभाव में आई। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से शासी परिषद का पुनर्गठन किया गया।

शासी परिषद प्रमुख निकाय है जिसे विकास की गाथा को आकार देने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों का एक साझा विज़न विकसित करने का काम सौंपा गया है। शासी परिषद, जो सहकारी संघवाद के उद्देश्यों का प्रतीक है, राष्ट्रीय विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रक, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रस्तुत करती है।

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों और शासी परिषद के अन्य सदस्यों के साथ अब तक शासी परिषद की छह बैठकें हो चुकी हैं।

शासी परिषद की छठवीं बैठक

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीति आयोग की शासी परिषद की छठवीं बैठक 20 फरवरी, 2021 को हुई थी। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, जो पदेन सदस्य हैं, और विशेष आमंत्रित सदस्यों के अलावा 26 मुख्यमंत्रियों, 3 उप राज्यपालों और 2 प्रशासकों ने भाग लिया। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और सीईओ; प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और पीएमओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों; मंत्रिमंडल सचिव; और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बैठक का संचालन किया।

माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सहकारी संघवाद भारत की प्रगति की नींव है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को और अधिक प्रभावी बनाकर जिला स्तर पर ले जाना चाहिए। देश कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का प्रबंधन करने में केवल इसलिए सफल हुआ है कि केंद्र और राज्यों ने साझेदारी की भावना से मिलकर काम किया है।

माननीय प्रधानमंत्री ने सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद पर मंथन करने तथा इसे और मजबूत करने का अवसर प्रदान करने में शासी परिषद की बैठक के महत्व पर जोर दिया।

छठवीं बैठक से पहले 6 फरवरी, 2021 को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत हुई थी, जिसके फीडबैक को बैठक की कार्यसूची को तैयार करते समय विधिवत रूप से शामिल किया गया था। कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल थीं :

1. भारत को विनिर्माण महाशक्ति बनाना
2. कृषि की पुनर्कल्पना
3. भौतिक अवसंरचना में सुधार लाना
4. मानव संसाधन विकास में तेजी लाना
5. जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार लाना
6. स्वास्थ्य और पोषण

परिषद ने भारत को विनिर्माण महाशक्ति बनाने के लिए कई कदमों पर विचार किया, जैसे कि अनुपालन बोझ को कम करना, राज्य स्तर पर सुधार शुरू करना, लॉजिस्टिक्स में सुधार करना, जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पानी की उपलब्धता में सुधार, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति, इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए टिकाऊ कृषि प्रथाओं की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने भविष्य के तकनीक और समावेशी शासन मॉडल के निर्माण के अलावा, एक उन्नत विनिर्माण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए उपयुक्त सुधारों को लागू करने का भी उल्लेख किया, जिससे एक जिला एक उत्पाद पहल के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्रियों ने पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से 'पूरब में काम करो' नीति पर अधिक जोर देने के साथ-साथ पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी सहित भौतिक अवसंरचना के विकास में उल्लेखनीय सुधार का भी उल्लेख किया।

भारत जैसे युवा देश की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने आधुनिक अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और शिक्षा एवं कौशल विकास के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अधिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

शासी परिषद की बैठक हर राज्य की शक्ति पर आधारित होने का प्रयास करती है ताकि हर कोई एक-दूसरे की सर्वोत्तम पद्धतियों से सीख सके। परिषद के सदस्यों ने कार्यबल की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए संस्थाओं को मजबूत करने पर

विचार-विमर्श किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल अवसरंचना का सुनिश्चय करके, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी में सुधार पर भी बल दिया गया।

माननीय प्रधानमंत्री ने नीतिगत रूपरेखा और केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने परिषद के सदस्यों द्वारा समृद्ध चर्चा और रचनात्मक सुझावों का स्वागत किया।

शासी परिषद की बैठक ने एजेंडा मदों में पर्याप्त सहयोग और साझेदारी के साथ सरकार के सभी स्तरों पर तालमेल का मार्ग प्रशस्त किया। बैठक ने आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय कल्याण को आगे बढ़ाने के उद्देश्यों पर विचार करने का अवसर प्रदान किया।

खंड-II

नीति और कार्यक्रम

नीति और कार्यक्रम

परिचय

नीति आयोग राज्यों, नागरिक समाज और अन्य थिंक टैंक की सक्रिय भागीदारी के साथ मानव और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों के साझा विज़न में एक एकीकृत भूमिका निभाता है।

नीति आयोग का एक मुख्य उद्देश्य कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे और पहलों की रूपरेखा तैयार करना और उनकी प्रगति और प्रभावकारिता की निगरानी करना है। 2021-22 में नीति आयोग ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी, उद्यम और कुशल प्रबंधन को एक साथ लाकर क्षेत्रीय लक्ष्यों के निर्धारण और नवाचार और सहयोग के माहौल को बढ़ावा देने में अगुवाई की।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

जनवरी 2022 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के कार्यान्वयन के चार वर्ष पूरे हो गए, और उनमें से लगभग दो वर्षों के दौरान कोविड-19 महामारी का व्यापक असर रहा। इस तरह से यह कार्यक्रम जिलों के लिए अभूतपूर्व अवधि का हिस्सा रहा है और जो स्थिति उभरी है वह आशाजनक है।

इसकी शुरूआत के बाद से, कार्यक्रम अपने तीन दृष्टिकोण: जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर की पहल के अभिसरण को सक्षम बनाने के तरीकों का अध्ययन; एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में नागरिक समाज संगठनों, समुदायों और जिला प्रशासन के बीच सहयोग को सुगम बनाना और जिलों के कार्य-निष्पादन के आधार पर मासिक रैंक जारी करके प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना को बढ़ावा देने इत्यादि के आधार पर जिलों के साथ काम करने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है।

दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित होने के बावजूद, जिलों ने बुनियादी सेवाओं के वितरण पर अपना ध्यान बनाए रखने में उल्लेखनीय कार्य किया है। पात्र आबादी को टीका लगाने का दुरूह कार्य जो इस वर्ष जिलों के लिए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है, के बावजूद जिले कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रमुख संकेतकों पर प्रदर्शन में सुधार करने में कामयाब रहे हैं।

'स्वास्थ्य और पोषण', 'शिक्षा', 'कृषि और जल संसाधन', 'कौशल विकास, वित्तीय समावेशन' और 'बुनियादी ढांचे' की पांच विषयक श्रेणियों के तहत प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर सभी 112 आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन पर नजर रखने वाले चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड का अपग्रेडेड वर्ज़न इसके अलावा उन्नत डेटा एनालिटिक्स को सुकर बनाता है और जिलों को मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट और डेटा गुणवत्ता रिपोर्ट प्रदान करता है।

कार्यक्रम की शुरुआत से सभी आकांक्षी जिलों के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में समग्र रूप से और क्षेत्रवार सुधार देखा गया है जिसकी व्याख्या नीचे की गई है:

समग्र

स्वास्थ्य एवं पोषण

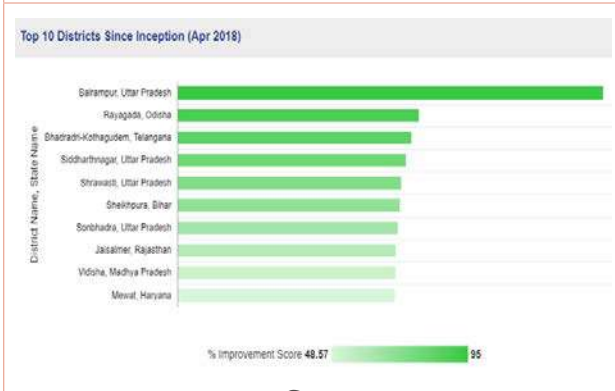

शिक्षा

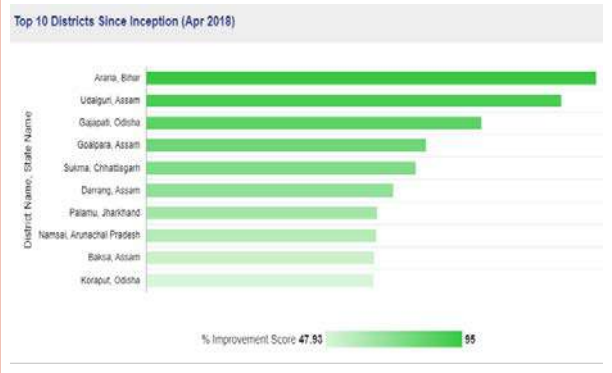

कृषि एवं जल संसाधन

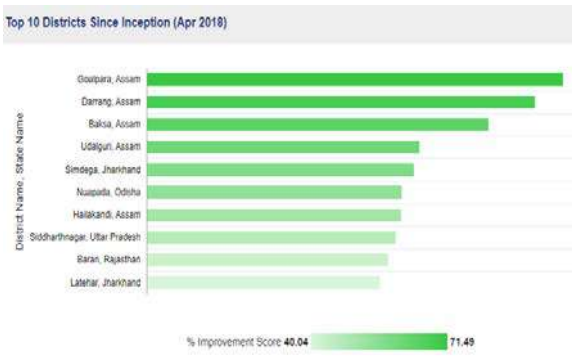

वित्तीय समावेशन तथा कौशल विकास

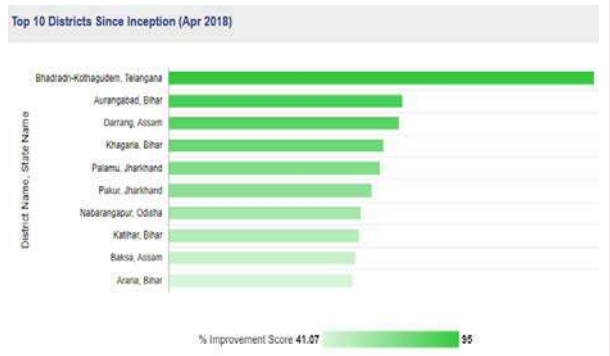

मूल अवसंरचना

यह कार्यक्रम (एडीपी) सभी जिलों में असमान विकास को पाटने की दिशा में प्रयासरत रहा है। परिणामस्वरूप यह कार्यक्रम जिला विशिष्ट मुद्दों को हल करने के लिए नागरिक समाज संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और विकास भागीदारों सहित समुदाय के सहयोग के लिए एक मंच के रूप में उभरा है। चाहे वह मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुधार हो, या स्वास्थ्य और पोषण परिणामों में सुधार हो, आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने लंबे समय तक चले विकास लक्ष्यों की दिशा में केंद्रित प्रयासों को सक्षम बनाया है। संकेतकों के एक प्रमुख सेट की पहचान से सरकार के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों की प्राथमिकताओं के संरेखण में मदद मिली है। विशेष रूप से, विकास भागीदार के रूप में, पीरामल फाउंडेशन ने सभी 112 आकांक्षी जिलों में काम करने के लिए सहयोग किया है।

यह भावी कार्य का हिस्सा है, और इस कार्यक्रम का अभिलेख अपने आप तैयार होता जा रहा है। विशेष रूप से, यह कार्यक्रम इन जिलों में परिवर्तन लाने में आउटरीच गतिविधियों और समुदायों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण विषयों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए हाइपर स्थानीय योगदानकर्ताओं और सामुदायिक हितधारकों को शामिल करके आकांक्षी जिला सहयोग (एडीसी) का निर्माण हुआ है। इस पहल में गहन सामुदायिक ज्ञान का लाभ उठाने और सामुदायिक स्तर पर सामाजिक व्यवहार परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए स्थानीय संस्थागत संचालकों (जैसे स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, कॉलेजों, मीडिया, महिला स्वयं सहायता समूहों, पंचायत समितियों और विश्वास नेताओं) के साथ सहयोग करना शामिल है।

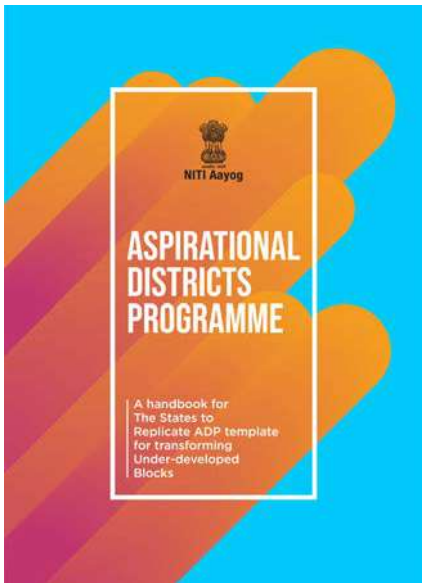

अब तक इस कार्यक्रम में 914 गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है ताकि उनके प्रयासों को जिलों की उभरती जरूरतों की ओर मोड़ा जा सके और प्रयासों का दोहराव न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

एक अन्य दिशा जिसमें यह कार्यक्रम अपने प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करता रहेगा, वह सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में ब्लॉक स्तर पर एडीपी टेम्पलेट को दोहराने में मार्गदर्शन कर रहा है। इन जिलों के तेजी से और सतत परिवर्तन के लिए ब्लॉक स्तर पर विकास को मुख्य रूप से केन्द्रित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन टिकाऊ तरीके से। हालांकि ब्लॉक स्तरीय शासन दशकों से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन कुछ अति पिछड़े जिलों में इस कार्यक्रम का ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ तकनीकी क्षमता के माध्यम से जिलों को सक्षम बनाने की अपार संभावनाएं हैं। नीति आयोग ने अल्पविकसित ब्लॉकों के परिवर्तन के लिए एक पुस्तिका बनाई है, जिसे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों/कलेक्टरों के साथ साझा किया गया है।

सितंबर 2020 में इस कार्यक्रम का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा अलग से मूल्यांकन किया गया था, जिसने जून 2021 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी। मूल्यांकन काफी हद तक सकारात्मक था और अपनाई गई कई प्रमुख कार्यनीतियों की पुष्टि की गई। यूएनडीपी ने कहा कि यह कार्यक्रम "स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक सफल मॉडल साबित हो रहा है" और और साथ ही एकसमान सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में जमीनी स्तर पर इस मॉडल को दोहराने की सिफारिश की। रिपोर्ट के मूल्यांकन में यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि इस कार्यक्रम की शुरूआत से ही आकांक्षी जिले औसतन ऊपर की ओर अग्रसर हैं और उन्होंने अन्य जिलों से बेहतर प्रदर्शन किया है। जबकि जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण और आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार, को अधिक काम की जरूरत वाले क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया गया है। परिणामस्वरूप, नीति आयोग कार्यक्रम के अगले चरण में इनसे निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है।

22 जनवरी, 2022 को माननीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों, जिला उपायुक्तों के साथ बातचीत में आकांक्षी जिलों को शामिल करते हुए, समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम की सराहना की।

माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिले देश की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर कर रहे हैं। वे बाधा की बजाय गति वर्धक बनते जा रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने नोट किया कि आकांक्षी जिलों में अभिसरण देश की सफलता का एक प्रमुख कारण है। सभी संसाधन समान हैं सरकारी मशीनरी भी वही है, अधिकारी भी वही है, लेकिन परिणाम भिन्न हैं।

उन्होंने नोट किया कि पिछले चार वर्षों के दौरान, लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने आगे कहा कि आकांक्षी जिलों में ज्यादा मेहनती एवं साहसी लोग हैं, जो जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, एवं इस ताकत को पहचाना एवं दोहराया जाना चाहिए।

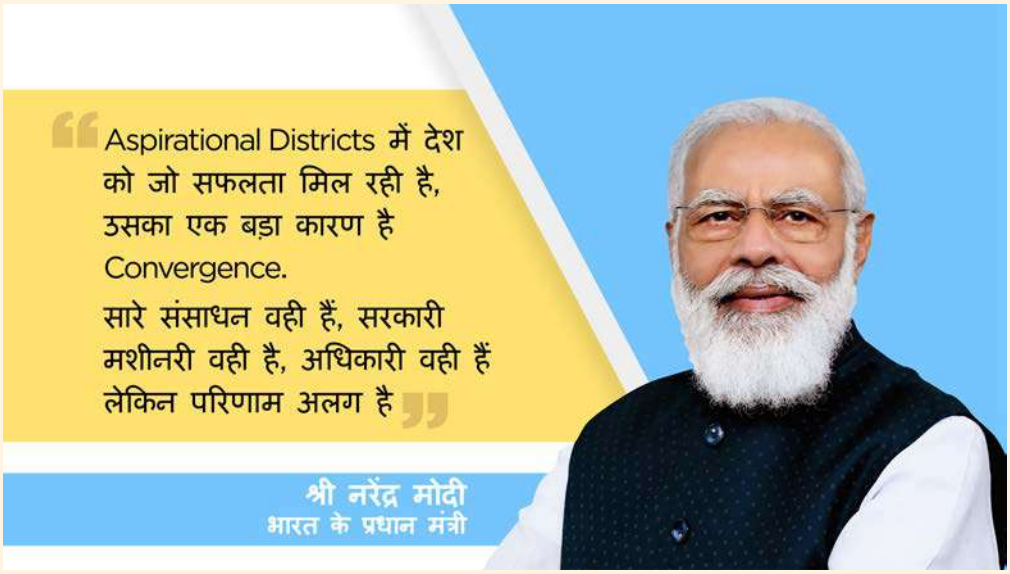

परिसंपत्ति मुद्रीकरण

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

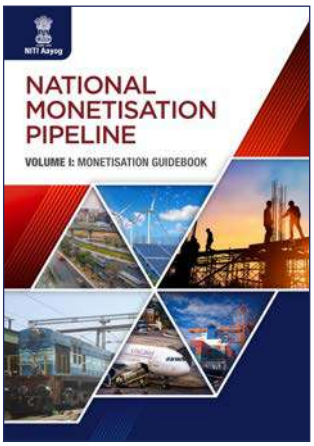

केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई घोषणा के अनुसार, नीति आयोग ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन ("एनएमपी") को बुनियादी ढांचे के लाइन मंत्रालयों से परामर्श और उपलब्ध समग्र परिसंपत्ति आधार के आकलन के आधार पर तैयार किया है।

एनएमपी विभिन्न बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के तहत सूचीबद्ध "मुद्रीकरण तैयार" परिसंपत्तियों के लिए एक रोडमैप के साथ एक मध्यम अवधि की पाइपलाइन स्थापित करने के लिए एक अग्रणी पहल है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-25 की 4 वर्ष की एक समयावधि में मुद्रीकृत किया जाएगा।

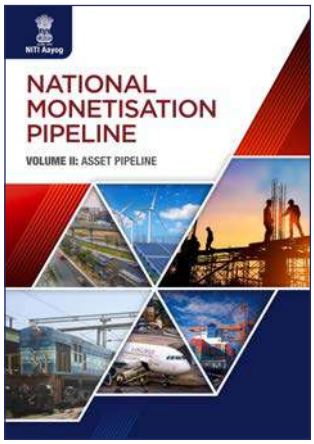

एनएमपी का केंद्र सरकार की प्रमुख परिसंपत्तियों के जरिए कुल 6 लाख करोड़ रुपये हासिल करने की योजना है। एनएमपी के तहत ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स से वैल्यू अनलॉक किया जाएगा और सड़क, रेलवे, एविएशन, पावर, ऑयल

और गैस और वेयरहाउसिंग सहित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में संभावित मुद्रीकरण के लिए तैयार परियोजनाओं की पहचान करने के लिए मध्यावधि रोडमैप के रूप में काम किया जाएगा।

एनएमपी पर रिपोर्ट दो खंडों में तैयार की गई है। खंड I में एक मार्गदर्शन पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है, जो परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए वैचारिक दृष्टिकोण और संभावित मॉडलों का ब्यौरा देता है। खंड II मुद्रीकरण के लिए वास्तविक रोडमैप है, जिसमें केंद्र सरकार के तहत मुख्य बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों की पाइपलाइन शामिल है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण सिर्फ एक वित्तपोषण तंत्र नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र की संसाधन क्षमता और विकसित वैश्विक और आर्थिक वास्तविकता के लिए गतिशील रूप से अनुकूल होने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के संचालन, वृद्धि और रखरखाव में समग्र आमूल-चूल परिवर्तन है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनवीआईटी) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) जैसे नए मॉडलों से भी आम लोग इस परिसंपत्ति वर्ग में भाग लेने में सक्षम बनेंगे जिससे निवेश के लिए नए रास्ते खुलेंगे।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला

नीति आयोग विभिन्न क्षेत्रों के लिए इनविट/आरईआईटी/प्रतिभूतिकरण जैसी नवीन संरचनाओं के माध्यम से और लेनदेन सलाहकारों की नियुक्ति के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रहा है।

वर्ष 2021 में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता माननीय वित्त मंत्री ने की और इसमें विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों और विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय कार्यशाला में बुनियादी ढांचे के विकास और कार्यनीतियों का साझा विज़न तैयार करने के साथ-साथ परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों से सहयोगात्मक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके लिए, व्यवहार्यता अध्ययन और लेन-देन करने में लेन-देन सलाहकारों/परामर्शदाताओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी के संग्रह और मिलान के लिए कोर समूहों का सृजन/नोडल अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक समझी गई। इस संबंध में 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है और कुछ राज्यों ने प्रारंभिक परिसंपत्ति सूची भी उपलब्ध करा दी है।

नीति आयोग ने बाद में परिसंपत्ति पहचान और पाइपलाइन को अंतिम रूप देने के मार्गदर्शन के लिए राज्य बुनियादी ढांचा विभागों के साथ कई वेबिनार का भी आयोजन किया। अब तक पंजाब और गोवा राज्यों के लिए भी वेबिनारों का यह आयोजन किया गया है और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी इनका आयोजन किया जाएगा।

वित्त वर्ष 21-22 के दौरान उल्लेखनीय लेनदेन

एनएमपी के तहत चिन्हित परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण दो श्रेणियों के मॉडलों के माध्यम से किया जाएगा, (i) ब्राउनफील्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) रियायतें (जैसे ऑपरेट, मैनेज एंड डेवलप, टोल ऑपरेट ट्रांसफर और अन्य) और (ii) पूंजी बाजार साधन (जैसे InvITs, REITs आदि)। कुछ लाइन मंत्रालयों द्वारा शुरू में चिन्हित परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

वित्त वर्ष 2022 के लिए चिह्न्ति परिसंपत्तियों में से, भारत की सेन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, पावरग्रिड ने अपना पहला सार्वजनिक क्षेत्र इनविट लॉन्च किया। सरकार के प्रमुख राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हाल ही में टोल सड़कों के लिए अपना इनविट प्रस्तुत किया है और 3 (टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) के लिए बोली चल रही है। अन्य क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों आदि में लेन-देन अनुमोदन या बोली के अंतिम चरण में हैं।

एनएमपी का सफल कार्यान्वयन, प्रगति की वास्तविक समय निगरानी के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स के साथ एक प्रभावी शासन ढांचे पर टिका है। कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड सहित बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र की परिकल्पना की गई है। एनएमपी जारी करने के साथ ही और मंत्रालयवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और वित्त वर्ष 22 के लिए उनकी संबंधित चिन्हित परिसंपत्तियों और संबंधित लेनदेन को मैप किया गया है।

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों के एक कोर समूह (सीगैम) का गठन परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र के हिस्से के रूप में कैबिनेट की मंजूरी से किया गया था। वर्ष के दौरान, पर सीगैम द्वारा 3 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं ताकि लेन-देन की प्रगति पर नजर रखी जा सके और संरचनात्मक मुद्दों,यदि कोई हो का समाधान किया जा सके। नीति आयोग का पीपीपी वर्टिकल मुख्य परिसंपत्तियों के लिए सीजीए की बैठकों में एजेंडा, की गई कारवाई रिपोर्ट (एटीआर) और प्रस्तुति को तैयार करता है और विचार-विमर्श के लिए विलंब और मुद्दों, यदि कोई हो, की पहचान करता है और उन्हें नोट करता है।

स्वास्थ्य और पोषण

भारत में वरिष्ठों की देखभाल को बढ़ावा देना एवं सुधारना

भारत वर्तमान में एक युवा जनसांख्यिकी का आनंद ले रहा है। हालांकि 2050 तक, वृद्ध जनसंख्या (60 वर्ष से अधिक) कुल जनसंख्या का 19% या 330 मिलियन होगी।

वर्तमान में, बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसआरसी) ने मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ-साथ बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल के लिए नीति गवर्नेंस फ्रेमवर्क और कार्य दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

चूंकि यह बाजार विकासशील है, जिसके लिए एक नियामक ढांचा आवश्यक है, जिसमें मान्यता मानकों, लाइसेंसिंग आवश्यकताओं प्रदाताओं को नीति समर्थन और नैदानिक दिशानिर्देश शामिल है। इसके अलावा यह देखते हुए कि इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में वर्तमान प्रयास विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, नीति आयोग ने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया और इन सुधारों को उत्प्रेरित करने हेतु प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की।

फार्मा और मेड-टेक सेक्टर में आरएंडडी और इनोवेशन

मई 2020 में उद्योगपतियों के साथ नीति आयोग, और केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति का उद्देश्य भेषज उद्योग और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार संबंधी नीति को अंतिम रूप देना था। नीति आयोग ने मसौदा नीति रिपोर्ट में तीन खंडों जैसे उद्योग-शिक्षा लिंकेज, नियामक सक्षमता और शासन और बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान दिया। सिफारिशों को आगे ले जाने के लिए भेषज विभाग द्वारा प्रक्रिया की जा रही है।

इंटीग्रेटिव मेडिसिन

नीति आयोग को इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर पॉलिसी पेपर तैयार करने का अधिदेश हुआ। इस संबंध में एक एकीकृत स्वास्थ्य नीति विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। अब तक इस समिति की सात बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने शिक्षा, अनुसंधान, नैदानिक प्रैक्टिस और जन स्वास्थ्य और प्रशासन के क्षेत्रों में गहरी अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करने के लिए देश भर के 50 से अधिक विशेषज्ञों को समूहों के चार कार्य समूहों का गठन किया। सभी चार समूहों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्टों की सिफारिशों को संकलित करने और मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए कार्य प्रगति पर है।

चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने पर श्वेत पत्र

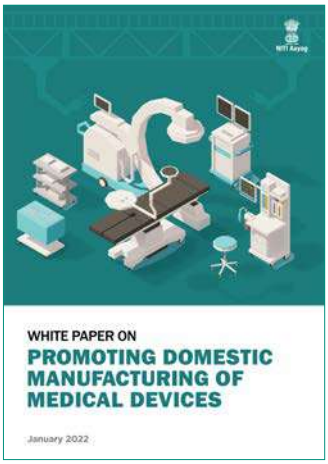

श्वेत पत्र में विभिन्न चिकित्सा प्रौद्योगिकियों की विनिर्माण क्षमता के लिए विभिन्न परिदृश्यों और प्रत्येक परिदृश्य के भीतर उत्पादन को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए संभावित सिफारिशों का विश्लेषण किया गया है।

पत्र में व्यापक नियामक ओवरहाल, मौजूदा कराधान ढांचे की समीक्षा, अंशांकित सीमा शुल्क, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तारित कवरेज, अनुसंधान और नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने, जैसे कुछ उपायों की सिफारिश की गई है जो संभावित रूप से चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। रिपोर्ट को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

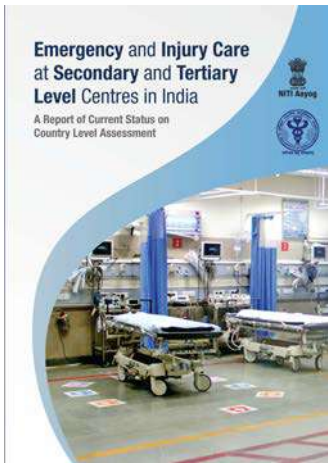

भारत में माध्यमिक और तृतीयक स्तर के केंद्रों और जिला अस्पतालों में आपातकालीन और चोट देखभाल

नीति आयोग ने जेपीएनएटीसी के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग, एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से देश में इमरजेंसी और इंजरी केयर की स्थिति पर अध्ययन किया। परिणामी रिपोर्ट में 34 जिला अस्पतालों के अलावा भारत के 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी और निजी अस्पतालों में 100 आपातकालीन और चोट देखभाल केंद्रों की मौजूदा स्थिति का आकलन किया गया है। यह रिपोर्ट आपातकालीन मामलों के स्पेक्ट्रम और भार को उजागर करती हैं, और इष्टतम देखभाल के प्रावधान में एम्बुलेंस सेवाओं, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और उपकरणों में मौजूदा कमियों को सामने लाती हैं। इस अध्ययन के परिणामों से भारत में सभी टियरों के स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों में इमरजेंसी देखभाल सेवाओं में सुधार लाने और सुदृढ़ बनाने हेतु नीतिगत इनपुट प्राप्त होंगे।

भारत में लाभ न कमाने वाले अस्पताल मॉडल पर अध्ययन

इस तरह के संस्थानों पर सूचना के अंतराल को दूर करने और इस क्षेत्र में मजबूत नीति निर्माण में सहायता प्रदान करने की दिशा में एक कदम के रूप में देश में लाभ न कमाने वाले अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन लाभ न कमाने वाले अस्पतालों के संचालन मॉडल की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह इस सेक्टर पर शोध आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जो न केवल उपचारात्मक बल्कि निवारक स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करता है। यह

सेक्टर स्वास्थ्य सेवा को सामाजिक सुधार, सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा से जोड़ता है। यह लाभ की चिंता किए बिना लोगों को लागत प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकारी संसाधनों और अनुदानों का प्रयोग करता है। निष्कर्षों को संकलित किया गया और जून 2021 में एक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसरों का मानचित्रण करने के लिए एक अध्ययन किया गया। संविदा पर विनिर्माण और अनुसंधान, ओवर द काउंटर दवाएं और वैक्सीन, आदि जैसे सेगमेंट में निवेश के अवसर प्रदान करने के अलावा भारत के पास हाल ही में पीएलआई योजनाओं द्वारा समर्थित फार्मास्यूटिकल्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का अवसर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वियरेबल्स और अन्य मोबाइल प्रौद्योगिकियां भी निवेश के असंख्य अवसर प्रदान करती हैं।

'भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर' नामक रिपोर्ट भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न सेगमेंट में ऐसे अवसरों की सीमा को रेखांकित करती है, जिसमें अस्पताल, चिकित्सा उपकरण और उपकरण, स्वास्थ्य बीमा, टेलीमेडिसिन, घरेलू स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा मूल्य यात्रा शामिल हैं।

उद्योग सुधार

विदेश व्यापार नीति

भारत की विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) भारत के निर्यात और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। कोविड-19 की पृष्ठभूमि में भारत की नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) तैयार की जा रही है, जिसका असर महामारी के कम होने के बाद भी महसूस किया जाएगा।

पिछली विदेश व्यापार नीति (2015-20) में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के शामिल होने और कई प्रक्रियाओं को सरल बनाने के बावजूद, जैसे कि एमईआईएस (भारत से माल का निर्यात) और एसईआईएस (भारत से सेवा निर्यात), यह पूरी दुनिया में व्यापार में सामान्य मंदी के दौरान लागू हुई थी। भारत का वस्तु निर्यात 2013 में 336.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2016 में 260.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। एफटीपी 2015-2020 के पहले दो वर्षों में, भारत का वस्तु निर्यात क्रमशः 264.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 260.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2017 के बाद से, माल का निर्यात बढ़ा और अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान यह 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 48.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

उद्योग-I वर्टिकल ने नए एफटीपी के लिए सिफारिशों का एक सेट प्रदान किया। सुझावों में फोकस क्षेत्र के रूप में हाई-टेक निर्यात को बढ़ावा देना, प्रमुख निर्यातों के लिए सेक्टर विशिष्ट कार्य योजनाओं का विकास, न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ इसे और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एक्जिम नीति का मूल्यांकन शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि भारतीय उद्योग की ऐसे कच्चे माल और मध्यवर्ती सामग्रियों तक पहुंच है जो देश में उपलब्ध नहीं है, और अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का इरादा रखने वाली फर्मों से निवेश आकर्षित करने में मदद मिले।

संविदा के प्रवर्तन पर कार्यबल

जिन अर्थव्यवस्थाओं में अदालतें संविदात्मक दायित्वों को प्रभावी ढंग से लागू करती हैं और वाणिज्यिक विवादों को तेजी से हल करती हैं, उनके पास अधिक विकसित वित्तीय/क्रेडिट बाजार हैं और वे समग्र विकास के उच्च स्तर का प्रदर्शन करती हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार, संविदा प्रवर्तन संकेतक पर मूल्यांकन की गई 190 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 163वें स्थान पर है। 100 के स्केल पर, भारत का स्कोर 41.2 था, जबकि मेक्सिको का स्कोर 67 और चीन का स्कोर 80.9 था।

भारत के प्रदर्शन में सुधार के लिए, सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 पेश किया। हालांकि, अभी भी जमीन पर काम करने की आवश्यकता है और कार्यान्वयन में अंतराल को पाटना होगा।

इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और उपचारात्मक उपायों आदि का सुझाव देने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है। यह कार्यबल क्रॉस-फंक्शनल है, जिसमें प्रमुख मंत्रालय और चयनित राज्य शामिल हैं। अब तक इसने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है।

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना

भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करने और देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, संबंधित मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से उद्योग-I वर्टिकल ने पांच साल के लिए दस प्रमुख क्षेत्रों (पहले स्वीकृत किए गए तीन क्षेत्रों के अलावा) में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरु करने में धुरी का काम किया। 11 नवंबर 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा योजना को मंजूरी प्रदान की गई।

पीएलआई योजना को चयनित क्षेत्रों में सीमित संख्या में पात्र एंकर संस्थाओं के लिए वृद्धिशील उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन संस्थाओं को प्रौद्योगिकी, संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना होता है। इस योजना के तहत स्थापित एंकर यूनिटों के लिए एक विस्तृत आपूर्तिकर्ता आधार का निर्माण करके योजना में लाभकारी स्पिलओवर प्रभाव भी होंगे। एंकर यूनिटों के साथ मिलकर आपूर्तिकर्ता यूनिटें काफी संख्या में प्राथमिक और गौण रोजगार के अवसरों का सृजन करने में मदद करेंगी। पीएलआई योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि इसे निवेश को आकर्षित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के कुछ सेगमेंट में रणनीतिक रूप से प्रवेश करने के लिए लक्षित तरीके से लागू किया जा सकता है।

माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 के अपने भाषण में कहा कि पीएलआई योजना को उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है। इसमें 60 लाख नई जॉब और अगले पांच वर्षों में 30 लाख करोड़ रु. का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है।

क्षेत्रों, लागू करने वाले मंत्रालयों/विभागों और क्षेत्रवार अनुमोदित परिव्यय की सूची नीचे दी गई है:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	निम्न के लिए पीएलआई स्कीम	परिव्यय (करोड़ में)	उत्पाद
1	औषध विभाग	प्रमुख प्राथमिक सामग्री (केएसएम), ड्रग इंटरमीडिएट (डीआई) तथा सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई)	6,940	41 उत्पाद (केएसएम), (डीआई) और (एपीआई)
2		औषध	15,000	उच्च मूल्य औषध उतपाद
3		चिकित्सा उपकरण	3,420	4 लक्षित खंडों में चिकित्सा उपकरण
4	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	आईटी हार्डवेयर	40,951	लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर
5		बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण	5,000	मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण (आईटी हार्डवेयर)
6	दूरसंचार विभाग	दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद	12,195	कोर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, 4जी/5जी, एंटरप्राइज इक्विपमेंट, राउटर्स
7	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	10,900	पकाने/खाने के लिए तैयार; फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद, मोजारेला चीज़

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	निम्न के लिए पीएलआई स्कीम	परिव्यय (करोड़ में)	उत्पाद
8	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	वाइट गुडस	6,238	एसी और एल ई डी
9	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल	4,500	सौर पीवी मॉड्यूल
10	भारी उद्योग विभाग	ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल उपकरण	57,042	इलेक्ट्रिक वाहन और उपकरण
11		एसीसी बैटरी	18,100	एसीसी बैटरी
12	नागरिक विमानन मंत्रालय	ड्रोन और ड्रोन उपकरण	120	ड्रोन और ड्रोन उपकरण
13	इस्पात मंत्रालय	स्पेशलिटी स्टील्स	6,322	स्पेशलिटी स्टील्स
14	वस्त्र मंत्रालय	वस्त्र और परिधान	10,683	एमएमएफ वस्त्र और परिधान

वर्तमान में सभी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। नीति आयोग सभी तेरह योजनाओं की निगरानी के लिए एक पीएलआई डैशबोर्ड का भी विकास कर रहा है

महिला एवं बाल विकास

पोषण अभियान

पोषण अभियान पर 'महामारी के समय में भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण' नामक चौथी प्रगति निगरानी रिपोर्ट अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट ने पोषण अभियान के तहत शुरू किए गए सभी हस्तक्षेपों में प्रगति की जांच की है। यह कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में पोषण एजेंडे के महत्व पर प्रकाश डालती है और भारत के पोषण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करती है।

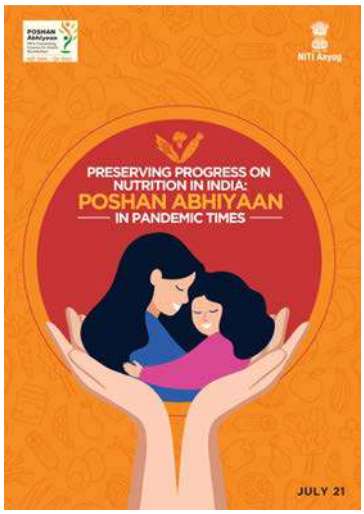

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

योजना की उपलब्धियों और सीमाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर एक व्यापक निगरानी रिपोर्ट तैयार की गई और मई 2021 में पीएमओ को प्रस्तुत की गई। योजना की शुरुआत के बाद से नीति आयोग हर तिमाही इसकी निगरानी कर रहा है और पीएमओ को दस तिमाही रिपोर्ट और एक अंतिम व्यापक रिपोर्ट सौंप चुका है।

चावल का फोर्टिफिकेशन

माननीय उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में चावल के फोर्टिफिकेशन पर अन्य हितधारकों के साथ-साथ नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) और सीईओ के साथ एक बैठक आयोजित की गई। नीति आयोग के सीईओ ने जैविक फोर्टिफिकेशन और बिना पॉलिश किए चावल जैसे अन्य उपलब्ध विकल्पों की तुलना में चावल के फोर्टिफिकेशन के महत्व पर बात की। इसके बाद, 15 अगस्त 2021 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 2023 तक सामाजिक सुरक्षा जाल की योजनाओं में चावल के फोर्टिफिकेशन के सार्वभौमिकरण की घोषणा की। नीति आयोग को चावल के फोर्टिफिकेशन के पारिस्थितिकी तंत्र की तैयारियों पर एक ऑडिट अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। यह अध्ययन नीति आयोग के महिला एवं बाल विकास वर्टिकल के सहयोग से विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

शहरी विकास

शहरी नियोजन क्षमता में सुधार

भारत में कुल वैश्विक शहरी आबादी में से 11 प्रतिशत आबादी रहती है। 2027 तक भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। हालांकि, अनियोजित शहरीकरण हमारे शहरों पर बहुत अधिक दबाव डालता है। कोविड-19 महामारी ने हमारे शहरों की योजना और प्रबंधन की सख्त आवश्यकता को उजागर किया है।

आने वाले वर्षों में, शहरी भारत हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को संचालित करेगा। हमारे देश में नगर नियोजन सहित शहरी चुनौतियों पर नीतिगत रूप में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

शहरी नियोजन शहरों, नागरिकों और पर्यावरण के एकीकृत विकास की नींव है। दुर्भाग्य से, अब तक इस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। मौजूदा शहरी नियोजन और शासन ढांचा जटिल है, जो अक्सर अस्पष्टता और जवाबदेही की कमी की ओर ले जाता है।

देश में शहरी नियोजन क्षमता की कमियों को दूर करने की सख्त जरूरत है। अन्यथा तीव्र, सतत और समान विकास के एक बड़े को अवसर को चूक जाने का जोखिम उत्पन्न हो जाएगा।

'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' रिपोर्ट का विमोचन

शहरीकरण की अनुमानित प्रवृत्ति, शहरों में पेश आ रही कई चुनौतियों, और वैश्विक एजेंडा के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग ने अक्टूबर 2020 में 'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' पर एक सलाहकार समिति का गठन किया।

नौ महीनों में, व्यापक विचार-विमर्श किया गया और समिति की अंतिम रिपोर्ट 16 सितंबर 2021 को जारी की गई।

इस रिपोर्ट में शिक्षा, मानव संसाधन की मांग एवं आपूर्ति और शासन जैसे शहरी नियोजन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें शामिल हैं। प्रमुख हस्तक्षेपों में शामिल हैं :

- पांच साल के लिए '500 स्वस्थ शहर कार्यक्रम' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसमें राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिकता वाले शहरों और कस्बों का चयन किया जाएगा।
- शहरी भूमि (या योजना क्षेत्र) की दक्षता को अधिकतम करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर विकास को नियंत्रित करने के नियमों को मजबूत किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, रिपोर्ट 'विकास को नियंत्रित करने के विनियमों की तैयारी/संशोधन' नामक एक उप योजना की सिफारिश करती है।

- नगर नियोजकों के रिक्त पदों को भरा जाए; इसके अतिरिक्त, न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए नगर नियोजकों के लगभग 8000 पद पार्श्व प्रवेश पद के रूप में स्वीकृत किए जाने चाहिए।
- योग्य उम्मीदवारों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए नगर नियोजकों के भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।
- देश में नियोजन की समग्र क्षमता में सुधार के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए। इसमें तकनीकी परामर्श सेवाओं की खरीद के लिए उचित प्रक्रियाओं का अपनाया जाना, सार्वजनिक क्षेत्र में परियोजना संरचना और प्रबंधन कौशल को मजबूत करना और निजी क्षेत्र की परामर्श एजेंसियों का पैनल बनाना शामिल होना चाहिए।

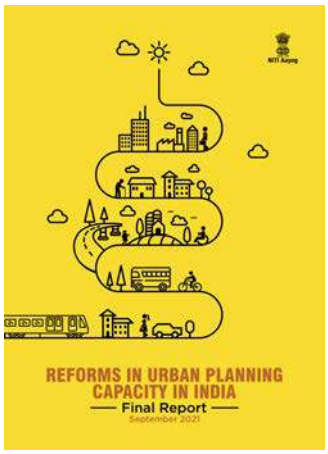

- शहरी नियोजन अभिशासन संरचना के पुनर्निर्माण हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन।
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पदाधिकारियों के कौशल एवं विशेषज्ञता के नियमित रूप से सृजन हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करना। केंद्रीय/राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों की पथ-प्रदर्शक के रूप में पहचान करना और उनका सुदृढ़ीकरण करना।
- भारत सरकार के सांविधिक निकाय के रूप में नगर एवं देश के योजनाकारों की एक राष्ट्रीय परिषद का गठन करना।
- नगर तथा देश के योजनाकारों के राष्ट्रीय डिजिटल मंच की स्थापना करना ताकि सभी नियोजक स्वयं-पंजीकरण हेतु सक्षम बन सकें एवं संभावित नियोक्ताओं और शहरी नियोजकों के लिए यह राष्ट्रीय डिजिटल मंच मार्केट प्लेस के रूप में विकसित हो सके।

अग्रेतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, नीति आयोग के विशेष सचिव डॉ. के राजेश्वर राव ने जीआईजेड-इंडिया और सीईपीटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन (सीआरडीएफ) द्वारा 29 सितंबर 2021 को आयोजित 'प्लान ओके प्लीज' नामक एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के पेशेवर योजनाकारों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के साथ व्यापक रूप से बातचीत की। इसके बाद दो रोड शो आयोजित किए गए, एक 11 अक्टूबर 2021 को एसपीए नई दिल्ली में और दूसरा 19 अक्टूबर 2021 को आईटीपीआई में। 1000 से अधिक हितधारकों की भागीदारी के साथ तीनों आयोजनों को जबरदस्त रिस्पांस मिला। पदाधिकारियों के साथ रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और उनके अल्पकालिक के साथ-साथ दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा की गई।

सुझाए गए सुधारों पर पुन: चर्चा करने और उत्पादक शहरीकरण की योजना पर वार्ता को सक्षम बनाने के लिए नीति आयोग जल्द ही एमओएचयूए, एमओपीआर और एमओई के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।

एसपीए नई दिल्ली में रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए संगोष्ठी

आजादी का अमृत महोत्सव

प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है।

यह महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है, जिन्होंने देश को अपनी विकासवादी यात्रा को यहां तक लाने में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि जिनमें आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित होकर भारत 2.0 को उत्प्रेरित करने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की शक्ति और क्षमता भी है।

अमृत महोत्सव के अवसर पर नीति आयोग नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक पांच प्रमुख विषयों- आकांक्षी जिला कार्यक्रम, अटल नवाचार मिशन, महिला उद्यमिता मंच, अभिनव कृषि और ई-मोबिलिटी के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। फाइनल कार्यक्रम 25-29 अप्रैल 2022 के दौरान आयोजित किए जाने हैं।

नवंबर 2021 में, कृषि वर्टिकल, नीति आयोग द्वारा प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

दिसंबर 2021 में, अटल इनोवेशन मिशन ने नवाचार की भावना और उत्साह से भरपूर उत्सव मनाने के लिए जल नवाचार चुनौतियों, एक वर्नाक्यूलर इनोवेशन कार्यक्रम और दिव्यांगजनों के लिए नवाचारों की शुरुआत करने जैसे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की।

खंड-III

निगरानी एवं मूल्यांकन

निगरानी एवं मूल्यांकन

प्रस्तावना

साक्ष्य पर आधारित नीति निर्माण नए भारत की समग्र शासन संरचना का अभिन्न अंग है। इसे प्राप्त करने के लिए निष्पादन की जानकारी प्राप्त करना, यह समझने के लिए परिणामों का निर्धारण करना कि कोई योजना कैसा निष्पादन कर रही है, खराब निष्पादन के कारणों का विश्लेषण करने में मदद करना और योजना के कार्यान्वयन के दौरान सुधारों की सिफारिश करने में समर्थ होना महत्वपूर्ण है। इसके लिए न केवल डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है अपितु मापने योग्य मापदंडों के साथ समुचित रूपरेखा स्थापित करने की भी आवश्यकता होती है ताकि सीमित सरकारी संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को सुदृढ करने में सहायता प्रदान की जा सके और योजना का गहन एवं विस्तृत प्रभाव हासिल किया जा सके।

विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) जो नीति आयोग की एक संबद्ध यूनिट है, अन्य वर्टिकल के साथ मिलकर समुचित निगरानी एवं मूल्यांकन के माध्यम से शासन में जवाबदेही ला रहा है।

इसके अलावा, नीति आयोग ने डेटा विश्लेषण के आधार पर प्रभावी प्रबंधन एवं बेहतर परिणामों पर ध्यान देते हुए अनेक सूचकांकों एवं डैशबोर्डों का भी विकास किया है।

विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय

विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) भारत सरकार का सर्वोच्च अनुवीक्षण और मूल्यांकन (एमएंडई) कार्यालय है। इसके कार्य क्षेत्र में नीति आयोग के सहयोगी एवं प्रतियोगी संघवाद के अधिदेश के तहत राज्यों को तकनीकी सलाह प्रदान करना भी शामिल है।

डीएमईओ की भूमिका इस प्रकार है : (i) आवश्यक मध्यावधि संशोधनों सहित उनके सुधारों को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतिक एवं दीर्घावधिक नीति एवं कार्यक्रम रूपरेखा तथा पहलों की प्रगति एवं प्रभाव की निगरानी करना; और (ii) सफलता की संभावना तथा प्रदायगी के कार्यक्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन का सक्रियता से अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन करना।

2021-22 में डीएमईओ की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं :

1. उत्पाद - परिणाम निगरानी रूपरेखा
2. डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक
3. वैश्विक सुधार और विकास सूचकांक
4. अवसंरचना क्षेत्र की समीक्षा
5. मूल्यांकन को संस्थागत बनाना और बढ़ावा देना
6. राज्यों के साथ वचनबद्धता
7. शैक्षिक संस्थाओं के साथ साझेदारी (खंड IV: सहयोगी संघवाद)
8. क्षमता निर्माण
9. संस्थानिक सुदृढ़ीकरण के लिए अन्य गतिविधियां

उत्पाद - परिणाम निगरानी रूपरेखा

डीएमईओ 2018 से उत्पाद - परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) संकलित करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया संचालित कर रहा है। इस रूपरेखा में लगभग 500 केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस), जो लाभार्थियों को सरकारी सेवा वितरण का प्राथमिक तरीका हैं, के लिए लगभग 5000 उत्पाद और परिणाम संकेतक हैं।

ओओएमएफ प्रयोग में सीएस और सीएसएस के तहत 2021-22 में 34 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल केंद्रीय बजट में से 12 लाख करोड़ रुपये को कवर किया गया है। योजना के निष्पादन के मात्रात्मक माप के साथ इस वित्तीय परिव्यय को जोड़कर, सार्वजनिक व्यय के लिए अधिक विवेकपूर्ण प्रयोग और अधिक जवाबदेही का इरादा है।

डीएमईओ ने उत्पाद और परिणाम के मापन योग्य संकेतकों के लिए मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करने में 67 मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर काम किया है, डैशबोर्डों की मदद से तिमाही प्रगति पर नज़र रखी है, वित्त वर्ष 2020, वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 के लिए योजना निष्पादन डेटा एकत्र किया है और समीक्षा बैठकों को सुगम बनाया है।

योजनाओं की परिणाम आधारित समीक्षा

2020-21 में मंत्रालयों/विभागों के साथ अड़तीस समीक्षा बैठकें पूरी की गईं। 2021-22 के लिए ओओएमएफ पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए, चौवन बैठकों का प्रस्ताव किया गया था, जिनमें से पंद्रह बैठकें पूरी हो चुकी हैं (20 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार)।

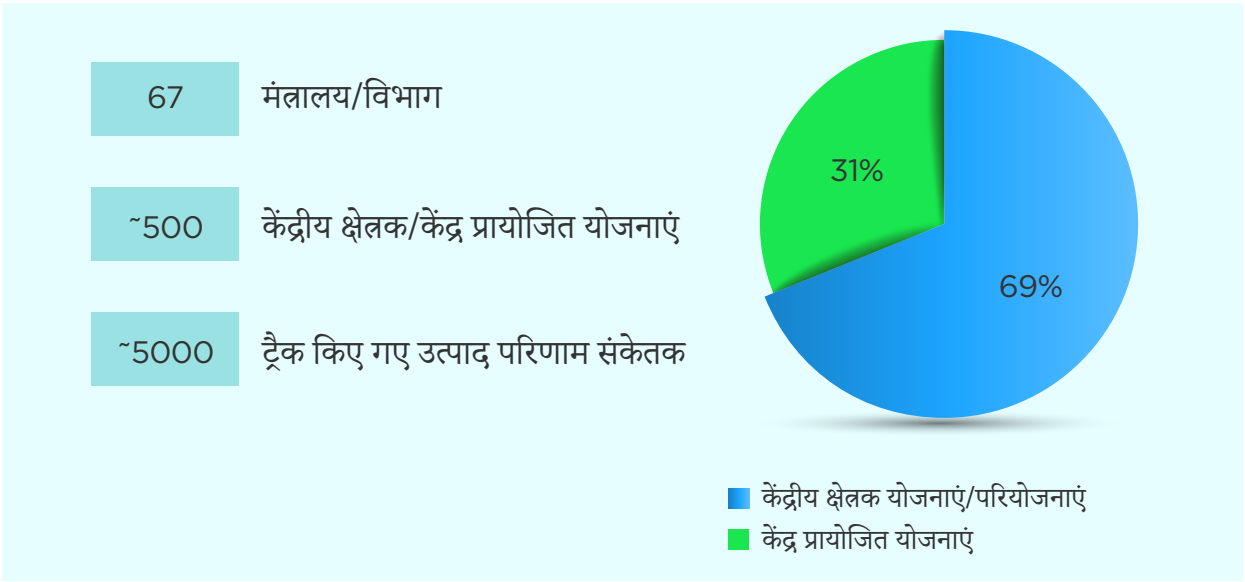

ओओएमएफ 2021-22 के तहत कवरेज

व्यय वित्त समिति (ईएफसी)/स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) के लिए संशोधित टेम्प्लेट

ईएफसी/एसएफसी टेम्प्लेट के विभिन्न खंडों की विस्तृत समीक्षा करने के लिए सचिव, व्यय विभाग (डीओई) द्वारा एक समिति का गठन किया गया था ताकि इसकी सटीकता और प्रासंगिकता में सुधार किया जा सके और सूचना की सुसंगतता को बढ़ाया जा सके।

डीएमईओ के उप महानिदेशक इस समिति के अध्यक्ष थे और इसमें डीएमईओ, डीओई और नीति आयोग के परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाग के सदस्य शामिल थे। समिति द्वारा कई सिफारिशें की गईं, जिनमें से सबसे सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश तार्किक ढांचे के दृष्टिकोण को शामिल करना है, जो किसी योजना की डिजाइन के साथ-साथ उसकी निगरानी और मूल्यांकन के घटकों को रेखांकित करने के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत सर्वोत्तम पद्धति है। सचिव, डीओई द्वारा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और संशोधित ईएफसी/एसएफसी टेम्प्लेट 01 सितंबर, 2021 को प्रभावी हुआ।

डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक

एक मानकीकृत रूपरेखा का उपयोग करके मंत्रालयों और विभागों की डेटा तत्परता का आकलन करने के लिए डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई) तैयार करने का कार्य मई 2020 में शुरू किया गया था। मई 2020 से फरवरी 2021 के बीच संचालित किए गए डीजीक्यूआई 1.0 ने पैंसठ मंत्रालयों और विभागों के लगभग 250 सीएस/सीएसएस के लिए डेटा प्रणालियों के आकलन पर ध्यान केंद्रित किया। इस आकलन के आधार पर सुधार के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया। इस योजना के निर्माण और कार्यान्वयन को मार्ग दिखाने के लिए डेटा और रणनीति यूनिट (डीएसयू) की स्थापना के साथ-साथ सीमांत डीजीक्यूआई स्कोर प्राप्त करने के लिए मंत्रालयों और विभागों को एक कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी गई।

इसके बाद, डेटा तत्परता के स्तर को मापने के साथ-साथ दिसंबर 2022 तक मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक सुधार कार्यों की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए डीजीक्यूआई एक नियमित प्रयोग बन गया। डीजीक्यूआई 2.0 प्रयोग में अधिकांश सीएस/सीएसएस के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों के गैर योजनाबद्ध हस्तक्षेप शामिल हैं।

संसाधनों के लिए वेबिनार, आमने-सामने की बैठकों और प्रशिक्षण के माध्यम से डीएमईओ ने सीमांत डीजीक्यूआई स्कोर प्राप्त करने में मंत्रालयों और विभागों की मदद करने के लिए उनको नियमित रूप से सहयोग प्रदान किया है। मंत्रालय/विभाग स्तर की कार्य योजना की एक सांकेतिक रूपरेखा के साथ-साथ डीएसयू की स्थापना के लिए एक विस्तृत विचारार्थ विषय (टीओआर) को भी साझा किया गया है।

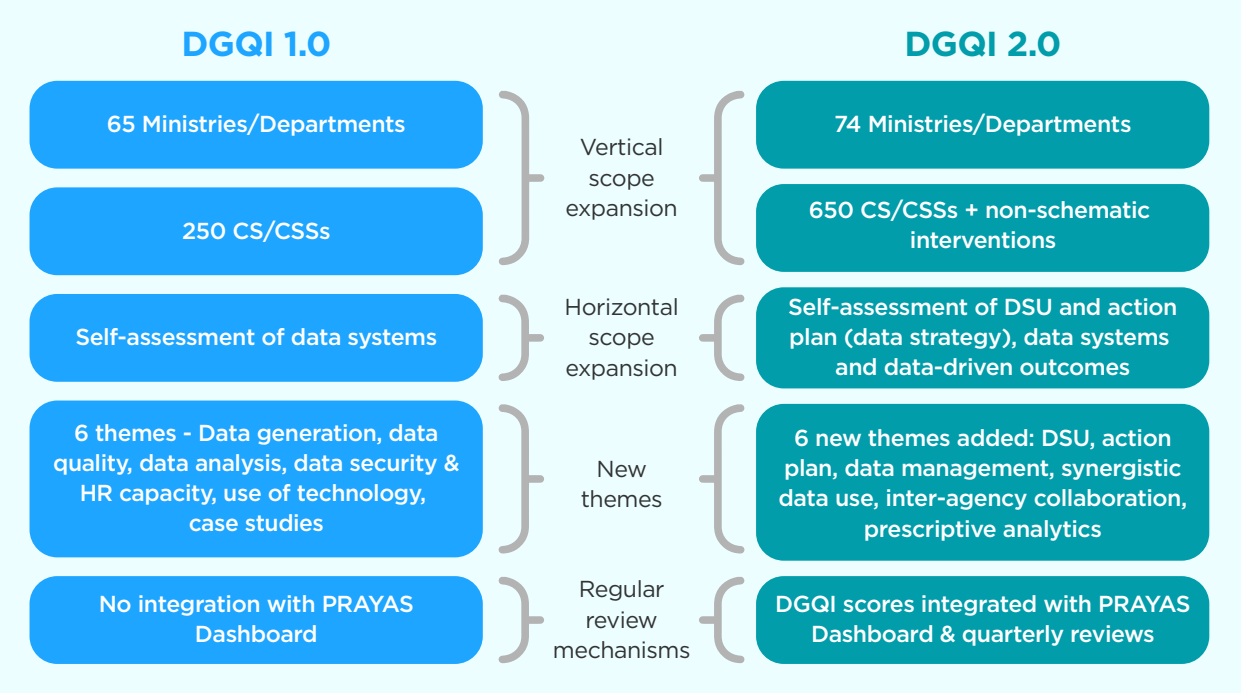

डीजीक्यूआई 1.0 की तुलना में डीजीक्यूआई 2.0 प्रयोग का परिष्कृत विस्तार

सेक्टर समीक्षा

डीएमईओ 'सेक्टर समीक्षा' नामक अपनी पहल के तहत 2017 से प्रमुख अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों की नियमित निगरानी और समीक्षा में मदद कर रहा है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के समन्वय में आयोजित इन समीक्षाओं ने नीति वार्ता को व्यापक बनाने, तदनुकूल नीतियों का विकास करने, महत्वपूर्ण सुधारों को सुगम बनाने और अंतर-मंत्रालयी मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन समीक्षाओं के अंग के रूप में, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रमुख निष्पादन मेट्रिक्स को परिभाषित किया गया है और वार्षिक लक्ष्यों पर सहमति हुई है। डीएमईओ द्वारा अनुरक्षित वेब आधारित अन्योन्यक्रियात्मक सेक्टर समीक्षा डैशबोर्ड के माध्यम से इन मेट्रिक्स पर प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जून-जुलाई 2021 में, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बिजली और ऊर्जा, 'परिवहन' और 'दूरसंचार' जैसे क्षेत्रों की समीक्षा की गई। 2021-22 के लिए सेक्टर निष्पादन नोट भी तैयार किए गए हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, व्यय विभाग एवं आर्थिक कार्य विभाग के साथ साझा किए गए हैं।

मूल्यांकन को संस्थागत बनाना और बढ़ावा देना

विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति का गठन

30 जून, 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) का पुनर्गठन किया गया। समिति के सदस्यों में नीति आयोग के सीईओ; वित्त सचिव, व्यय सचिव और ग्रामीण विकास सचिव; राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के निदेशक; डीएमईओ के महानिदेशक और दो विशेषज्ञ शामिल हैं।

डीईएसी सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन को संस्थागत बनाने; मूल्यांकन संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने; योजना के कार्यान्वयन के दौरान सुधार और उसे युक्तिसंगत बनाने के लिए मूल्यांकन अध्ययन के संचालन; और मूल्यांकन के लिए राज्यों में क्षमता निर्माण का मार्गदर्शन करने के लिए नेतृत्व प्रदान करेगी। 28 जुलाई, 2021 को आयोजित बैठक में, डीईएसी ने सभी सीएस योजनाओं को शामिल करते हुए 2021 से 2024 के बीच तीन वर्षीय मूल्यांकन योजना को मंजूरी प्रदान की (तालिका 1), जिसके बाद 2024 से 2026 के बीच सभी सीएसएस का मूल्यांकन किया जाएगा।

तालिका 1 : डीएमईओ की मूल्यांकन योजना (2021-26)

वर्ष	केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत नीतियां/योजनाएं
वर्ष 1: 2021–22	क. सभी सब्सिडी ख. ऐसी विशिष्ट योजनाएं जिनके लिए व्यय विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है ग. बीआईएस, भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना, स्वास्थ्य एवं आरोग्यता केंद्रों घ. सामाजिक अवसंरचना (शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, जल और स्वच्छता)
वर्ष 2: 2022-23	क. कनेक्टिविटी ख. ऊर्जा ग. शहरी और ग्रामीण विकास घ. संचार और डिजिटल अवसंरचना ङ. सुरक्षा (जो संवेदनशील नहीं हैं, और आंतरिक मंजूरी के अधीन हैं)
वर्ष 3: 2023-24	क. आजीविका का शेष भाग ख. सामाजिक न्याय ग. ज्ञान और प्रौद्योगिकी घ. स्थायी विकास ङ. क्षेत्रीय संतुलन च. आर्थिक विकास छ. बाह्य इंटरफ़ेस ज. शासन झ. वित्तीय समावेशन

प्रमुख योजनाओं का मूल्यांकन

डीएमईओ उर्वरक, पेट्रोलियम, कृषि ऋण के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सरकार के विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर रहा है। ये मूल्यांकन विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि सरकार के बजटीय आवंटन का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी कार्यक्रमों पर व्यय हो जाता है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और खेल के क्षेत्रों में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

ऐसे मूल्यांकन जिनके लिए व्यय विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है

इकतीस योजनाओं का मूल्यांकन/आद्योपांत आकलन करने के लिए व्यय विभाग के अनुरोध के आधार पर, डीएमईओ ने मूल्यांकन की प्रकृति (डेस्क आधारित, मेल की गई प्रश्नावली, पैनल में शामिल संस्थाओं के बीच जारी की गई निविदा या खुली निविदा के माध्यम से चुनी गई एजेंसियों द्वारा संचालित नमूना सर्वेक्षण) का निर्धारण करने के लिए एक डेस्क स्तरीय विश्लेषण किया जो उनमें से प्रत्येक के लिए सबसे उपयुक्त होगी।

इन मूल्यांकनों/आकलनों के लिए टीओआर तैयार करने के लिए डीएमईओ ने संबंधित मंत्रालयों, नीति आयोग के वर्टिकल और आंतरिक तकनीकी कार्यप्रणाली समिति के साथ व्यापक परामर्श बैठकों का आयोजन किया है। व्यय विभाग की चयनित योजनाओं के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन दिशानिर्देश के अनुसार पैनलबद्ध संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए रुचि की अभिव्यक्तियां भी जारी की गई हैं। व्यय विभाग की आठ योजनाओं के लिए टीओआर को इच्छुक संस्थाओं के साथ साझा किया गया है। सर्वेक्षण फर्मों को जनवरी 2022 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

अम्ब्रेला केंद्र प्रायोजित योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन

15वें वित्त आयोग के दौरान अम्ब्रेला केंद्र प्रायोजित योजनाओं (यूसीएसएस) को जारी रखने पर विचार करने के लिए, डीएमईओ ने अठाईस यूसीएसएस के तहत 125 योजनाओं का मूल्यांकन किया। ये एक क्षेत्रगत दृष्टिकोण के माध्यम से किए गए थे: (i) कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन, (ii) महिला एवं बाल विकास, (iii) मानव संसाधन विकास, (iv) शहरी परिवर्तन, (v) ग्रामीण विकास, (vi) पेयजल एवं स्वच्छता, (vii) स्वास्थ्य, (viii) नौकरियां एवं कौशल, (ix) जल संसाधन, पर्यावरण एवं वन, और (x) सामाजिक समावेश, कानून और व्यवस्था एवं न्याय दिलाना।

खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से परामर्शदाता फर्मों की तैनाती की गई। योजनाओं का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आरईईएसआई रूपरेखा (प्रासंगिकता, दक्षता, कारगरता, स्थिरता और प्रभाव) के आधार पर किया गया। हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप इक्विटी (आरईईएसआई+ई) को शामिल करने के लिए रूपरेखा को प्रासंगिक बनाया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इसे व्यय विभाग और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किया गया है। इन अध्ययनों से उभरने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के संग्रह को भी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ साझा किया गया है।

शैक्षिक संस्थानों के साथ भागीदारी

डीएमईओ ने प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान, भारत का मूल्यांकन समुदाय (ईसीओआई), बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), एशिया-पेसिफिक मूल्यांकन संस्था, सुशासन एवं नीति विश्लेषण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान, ग्रासरूट्स रिसर्च एंड ऐड्वकसी मूवमेंट (ग्रासरूट्स अनुसंधान और अधिवक्ता आंदोलन) (जीआरएएएम), टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस, और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद सहित विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के साथ आशय विवरणों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से प्रत्येक साझेदारी में विशेष ध्यानकेंद्रित करने वाले क्षेत्र हैं, जैसे व्यावहारिक निगरानी एवं मूल्यांकन संसाधनों का निर्माण; निगरानी एवं मूल्यांकन पाठ्यक्रम का विकास और संवर्धन; संयुक्त पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, मंच और संगोष्ठियां आयोजित करना ; मूल्यांकन अध्ययनों का संचालन करना; और आउटसोर्स किए गए मूल्यांकनों के प्रबंधन में सहायता करना।

क्षमता-निर्माण

निगरानी एवं मूल्यांकन दक्षता रूपरेखा और पाठ्यचर्या

डीएमईओ ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पीएएल), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), संबोधि, भारतीय मूल्यांकन समुदाय (ईसीओआई) और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (मोहाली) जैसे प्रमुख ज्ञान भागीदारों के परामर्श से सरकारी अधिकारियों के लिए एक समर्पित निगरानी एवं मूल्यांकन दक्षता रूपरेखा और पाठ्यचर्या का मसौदा तैयार किया है। अंतिम रूप दिए जाने पर, इस पाठ्यक्रम और दक्षता रूपरेखा को केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (सीटीआई/एटीआई) में पाठ्यक्रमों, ऑनलाइन और कक्षा में सीखने के सत्रों के साथ-साथ आईजीओटी के मिशन कर्मयोगी मंच के माध्यम से व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) के माध्यम से संस्थागत रूप दिया जाएगा।

निगरानी, मूल्यांकन और अधिगम पर राष्ट्रीय सम्मेलन

डीएमईओ ने कई भागीदार एजेंसियों के सहयोग से 18-19 मार्च 2021 को एक राष्ट्रीय निगरानी एवं मूल्यांकन सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का विषय 'सतत प्रभाव के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन की प्रथाओं को संस्थागत बनाना' था। सम्मेलन में 47 से अधिक देशों के 1028 मूल्यांकनकर्ताओं, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंक और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

डीएमईओ की वार्तालाप श्रृंखला

डीएमईओ ने 2020 में एक वार्तालाप श्रृंखला शुरू की जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के सिद्धांतों एवं उभरती प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए विकास क्षेत्र से निगरानी एवं मूल्यांकन के अग्रणी प्रैक्टिशनर को एक मंच पर लाना है। अगस्त 2021 तक, वार्तालाप श्रृंखला

के अंग के रूप में चार सत्रों का आयोजन किया गया। चौथा सत्र 'सरकारों की मूल्यांकन रणनीतियों की डिजाइनिंग : प्रमुख विचारार्थ पहलू' पर केंद्रित था। यह जे-पीएएल द्वारा आयोजित किया गया और इसमें सरकारी कार्यक्रमों की कारगरता में सुधार के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की आकस्मिक आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया।

बाहरी विशेषज्ञों एवं भागीदारों के साथ वेबिनार और प्रशिक्षण सत्र

जून 2021 में डीएमईओ ने सीएलईएआर पहल द्वारा आयोजित और विश्व बैंक द्वारा समर्थित तीन वेबिनारों के माध्यम से वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन सप्ताह के दूसरे संस्करण में भाग लिया। तीन वेबिनारों में से प्रत्येक में दुनिया भर के 200 से अधिक मूल्यांकन प्रैक्टिशनर्स और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। निगरानी एवं मूल्यांकन की प्रमुख अवधारणाओं पर डीएमईओ और नीति आयोग के अंदर क्षमता के निर्माण के लिए जे-पीएएल, 3आईई और प्रतियोगिता संस्थान जैसे संगठनों के बाहरी विशेषज्ञों के साथ ब्राउन बैग सत्र आयोजित किए गए।

निगरानी एवं मूल्यांकन ज्ञान संसाधन

डीएमईओ निगरानी एवं मूल्यांकन के प्रैक्टिशनर्स की सहायता के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के प्रमुख संसाधनों के भंडार का निर्माण कर रहा है। निगरानी एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में उपकरणों और ज्ञान तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिशनर्स, सरकारी अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के लिए विभिन्न दिशानिर्देशों तथा टूल किट का विकास किया गया है तथा डीएमईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

डीएमईओ ने मार्च 2021 में डीजीक्यूआई पर एक टूलकिट जारी किया ताकि केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी एजेंसियां कार्यक्रम के रूप में अपने हस्तक्षेपों के डेटा तत्परता के स्तर का विस्तृत स्व-मूल्यांकन करने और उन्हें वस्तुनिष्ठ स्कोर प्रदान करने में समर्थ हो सकें। इसके अलावा, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए तकनीकी सलाहकारों को नियुक्त करने में सरकारी एजेंसियों की सहायता के लिए एक प्रापण टूलकिट विकसित किया गया है और डीएमईओ की वेबसाइट पर साझा किया गया है। यह टूलकिट, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, प्रापण के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए निजी क्षेत्र के संगठनों को अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है।

संस्थानिक सुदृढ़ीकरण के लिए अन्य गतिविधियां

अनुसंधान और विश्लेषण कार्य

डीएमईओ ने 2021 में अपनी 'अनुसंधान और विश्लेषण कार्य (आरएडब्ल्यू)' पहल शुरू की। डीएमईओ इस पहल के माध्यम से अपने कर्मचारियों को अनुसंधान के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके अनुसंधान के मजबूत माहौल को पोषित करने का प्रयास करता है। अक्तूबर 2021 तक, डीएमईओ के 51 स्टाफ सदस्यों ने आरएडब्ल्यू के अपने प्रस्तावों को विकसित और प्रस्तुत किया था। प्रेरणा के लिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के विद्वानों को प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित किया जाता है। अक्तूबर 2021 तक आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा सामाजिक और आर्थिक नीति के विभिन्न मुद्दों पर पंद्रह ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

मूल्यांकन

कोई नई योजना शुरू करने या मौजूदा योजना को जारी रखने के लिए मंत्रालय/विभाग से ईएफसी/एसएफसी/पीआईबी मूल्यांकन के रूप में प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। डीएमईओ उनके उत्पादों, परिणामों एवं मापेय संकेतकों को रेखांकित करता है जिससे मंत्रालयों को यह स्थापित करने में मदद मिलती है कि योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए उनको किसका मापन करना चाहिए। योजना के लिए तार्किक श्रृंखला को शामिल करने के साथ-साथ मध्यावधि और समाप्ति पर मूल्यांकन के लिए अलग से निर्धारित बजट के साथ प्रावधान करने के संबंध में भी सिफारिशें की जाती हैं। डीएमईओ ने 2020 में 179 प्रस्तावों और 2021 में अक्तूबर तक 321 प्रस्तावों के लिए इनपुट प्रदान किए।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के लिए निगरानी रूपरेखा

डीएमईओ ने जेम और व्यय विभाग के परामर्श से जेम पोर्टल के लिए एक निगरानी रूपरेखा विकसित किया है।

कोविड-19 से संबंधित कार्रवाइयां/पहलें

कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना करने के लिए, भारत सरकार ने विदेशों से प्राप्त कोविड सहायता सामग्री की प्राप्ति और वितरण में समन्वय स्थापित करने के लिए 'कोविड सहायता: समन्वय प्रकोष्ठ' की स्थापना की थी। डीएमईओ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, एचएलएल (लॉजिस्टिक्स पार्टनर) और नीति आयोग के प्रतिनिधियों ये युक्त बहु-विभागीय टीम को निगरानी सहायता प्रदान की।

निष्पादन डैशबोर्ड

परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड

परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र के अंग के रूप में, रीयल टाइम डेटा इनपुट को सुगम बनाने और व्यक्तिगत लेनदेन की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है।

मुद्रीकृत की जाने वाली परिसंपत्तियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और नीति आयोग प्रशिक्षण सत्रों और कॉलों के माध्यम से परिसंपत्तियों को डैशबोर्ड पर अपलोड करने में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई की सहायता कर रहा है।

यह पोर्टल काम कर रहा है और मंत्रालयों ने जनता के लिए जल्द ही शुरू की जाने वाली परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी अपलोड करना शुरू कर दिया है।

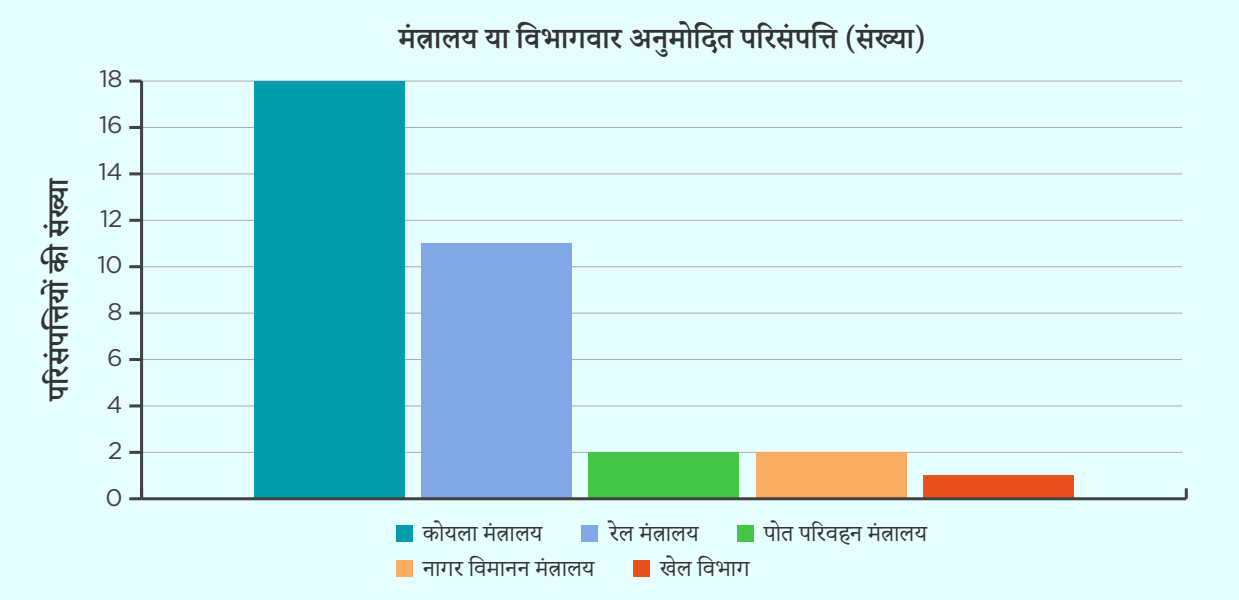

अटल टिंकरिंग लैब

अटल नवाचार मिशन के अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) का डैशबोर्ड 'माईएटीएल' एकल स्नैपशॉट में पूरे देश की ऐसी प्रयोगशालाओं का स्टेटस प्रस्तुत करता है। यह डैशबोर्ड किसी खास राज्य के जिलों में एटीएल के वितरण का विवरण प्रस्तुत करता है। कई प्रकार के विवरण के साथ किसी खास जिले के स्कूल की सूचना उपलब्ध है, जैसे कि स्कूल किस बोर्ड से संबद्ध है, उसके सहयोगी साझेदार कौन हैं, सोशल मीडिया हैंडल क्या हैं आदि। ऐसी परिकल्पना है कि एटीएल स्कूल माईएटीएल डैशबोर्ड पर अपनी मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे, जिससे अटल नवाचार मिशन को उनकी सक्रिय भागीदारी, नवाचार यात्रा, उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने तथा अनुदान की परवर्ती खेपों के संवितरण के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने का अवसर प्राप्त होगा।

स्कूलों द्वारा डैशबोर्ड को नियमित रूप से अपडेट किए जाने से एआईएम शीर्ष निष्पादनकर्ताओं की पहचान करने में भी समर्थ होता है। सिर्फ अधिक संख्या दर्ज करने की बजाय अधिगम की गुणवत्ता पर बल दिया जाता है।

विभिन्न मापदंडों के आधार पर निरंतर शीर्ष निष्पादन करने वाले स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाती है और पुरस्कृत किया जाता है जिससे वे बेहतर निष्पादन करने के लिए और प्रोत्साहित होते हैं।

एटीएल स्कूलों ने अपनी उपस्थिति शिक्षा मंत्रालय के जीआईएस पोर्टल पर भी दर्ज की है। एटीएल स्कूलों के जियो टैग किए गए मैप से जिले के सभी क्लस्टरों को समझने में मदद मिलती है और साथ ही ऐसे क्षेत्रों की आसानी से पहचान करने में भी मदद मिलती है जहां और स्कूलों की आवश्यकता है ताकि कार्यक्रम की कारगरता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

चैंपियंस ऑफ चेंज

चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड 1 अप्रैल 2018 को लोगों के अवलोकन हेतु प्रारम्भ किया गया है। इस डैशबोर्ड का नाम जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों और उनकी टीमों द्वारा जिलों की प्रगति में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए रखा गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नियमित रैंकिंग के माध्यम से 112 जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए है तथा गत्यात्मकता से परिपूर्ण है और प्रति माह किए गए वृद्धिशील (डेल्टा) सुधार को दर्शाता है। डैशबोर्ड पर अद्यतन डेटा दर्ज करने के लिए जिलों को अपने डेटा संग्रह तथा रखरखाव तंत्र में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल (सीओसी 2.0) को डेटा-संचालित शासन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की दिशा में जिला प्रशासन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अपग्रेड किया गया है। चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल 2.0 कई नई सुविधाओं जैसे कि नागरिक रिपोर्ट और प्रतिक्रिया, उन्नत विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन, भू-स्थानिक मैप तथा अन्य एआई/एमएल का समाधान उपलब्ध कराता है।

चैंपियंस ऑफ चेंज डेटा के विश्लेषण के आधार पर नागरिक रिपोर्ट में तीन डैशबोर्ड शामिल हैं:

1. स्थापना के बाद से आकांक्षी जिलों का प्रदर्शन
2. प्रति माह जारी होने वाले जिलों की डेल्टा रैंकिंग
3. 112 जिलों के लिए सभी विषयों में संकेतक-स्तर की प्रगति

इन रिपोर्टों के अलावा, जिला प्रशासन के पास चैंपियंस ऑफ चेंज डेटा का उपयोग करके अपने प्रदर्शन के विश्लेषण हेतु उन्नत विश्लेषण के निष्पादन के लिए डेटा दृष्टि उपकरण तक पहुंच भी उपलब्ध है।

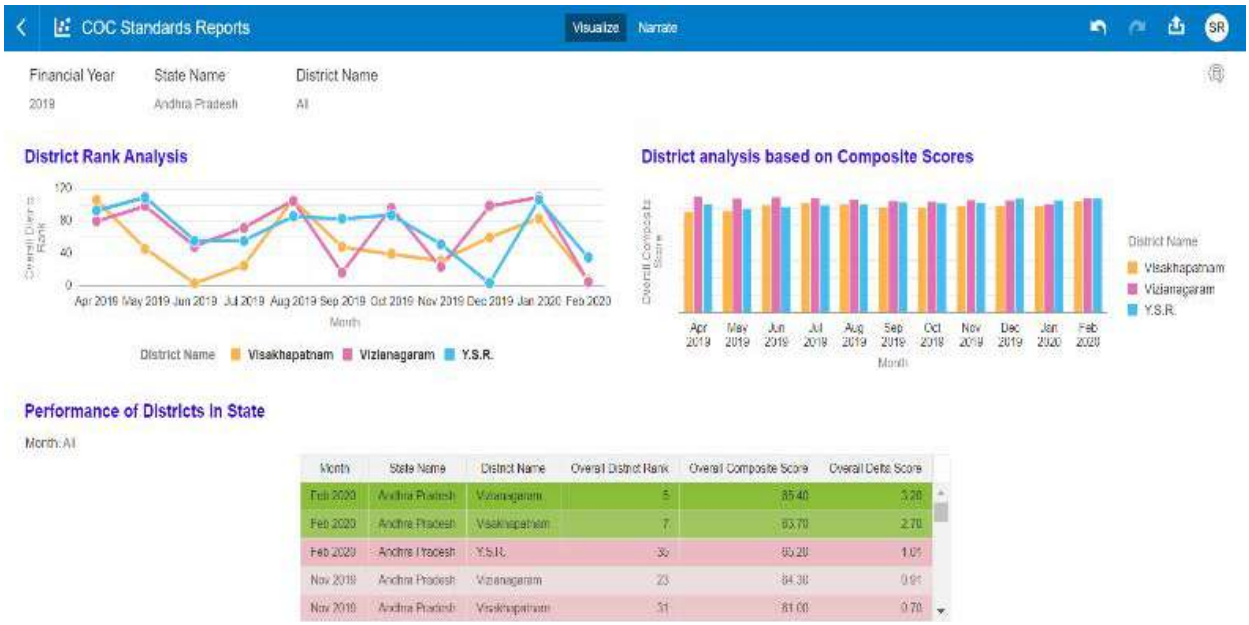

ये जिले राज्य में अन्य जिलों के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं या सभी आकांक्षी जिलों के बीच अन्य डेटा स्रोतों; जैसे कि एनएचएफएस, जनगणना और तीसरे पक्ष के सर्वेक्षण डेटा के साथ अपने विश्लेषण को त्रिकोणीय कर सकते हैं; तथा विश्लेषण के लिए ब्लॉक-स्तरीय या ग्राम पंचायत-स्तरीय डेटा अपलोड करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं।

सीओसी 2.0 में पूर्णतया डिजिटल परियोजना प्रबंधन कार्यप्रवाह की भी सुविधा उपलब्ध है। जिला प्राधिकारी नीति आयोग के बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रम (ईएपी-एसडीजी) के तहत और सीपीएसई के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। उन्नत परियोजना प्रबंधन प्रणाली जिलों को ऐसी संगत परियोजनाओं की तैयारी में सहायता करती है जो इन जिलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकती हैं। परियोजना प्रबंधन कार्यप्रवाह में कम से कम कागज़ी कार्रवाई के साथ जिलों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित निधि प्रवाह की निगरानी करने का भी प्रावधान है। निगरानी फ्रेमवर्क के भाग के रूप में परियोजना के पूरा होने और प्रभाव का समर्थन करने के लिए जिलों में साक्ष्य के रूप में फोटो अपलोड करने का प्रावधान है।

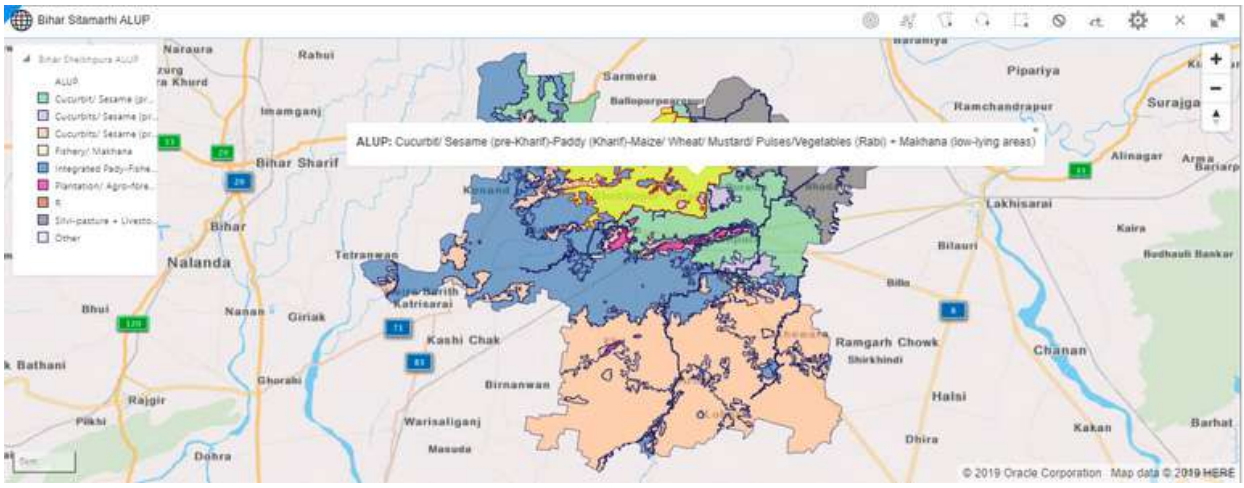

किसानों की आय में सुधार लाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए, नीति आयोग ने राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के सहयोग से टिकाऊ खेती और कृषि में प्रशासन को समर्थन देने के लिए आकांक्षी जिलों की मैपिंग की है। भू-स्थानिक विश्लेषिकी मंच (i) किसानों की आय में सुधार लाने, फसलों में विविधता लाने और जिलों में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए वैकल्पिक भूमि उपयोग योजना की मैपिंग उपलब्ध कराता है, और (ii) मृदा क्षरण तथा प्रदूषण को कम करने के लिए मृदा और जल संरक्षण विभाग, सिंचाई सुविधाओं में सुधार तथा संभावित चेक डैम अवस्थिति प्रदान करता है।

इस नए प्लेटफ़ॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक डेटा गुणवत्ता और मासिक प्रदर्शन पर स्वचालित प्रणाली-जनित मेलर्स है। स्वचालित मेलर्स को प्रणाली में प्री-कॉन्फिगर्ड लॉज़िक पर आधारित उनके द्वारा दर्ज डेटा में दर्शाई गई कोई भी विसंगति जिलों को भेज दी जाती है। इससे कार्यक्रम की समग्र डेटा गुणवत्ता में वृद्धि और इसके बाद जिलों के निष्पादन के विश्लेषण में सहायता प्राप्त हुई है। प्रणाली-जनित मासिक निष्पादन रिपोर्टें भी जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों, केन्द्रीय प्रभारी अधिकारियों/राज्य प्रभारी अधिकारियों और राज्य के मुख्य सचिवों को भेजी जाती हैं, जिनमें विभिन्न संकेतकों पर उनके कार्य-निष्पादन का ब्यौरा दिया जाता है।

भारत ऊर्जा डैशबोर्ड

भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का उद्देश्य देश में ऊर्जा डेटा तक एकल खिड़की पहुंच (सिंगल विंडो अक्सेस) प्रदान करना है। यह भारत के लिए एक व्यापक, खुला और स्वतंत्र रूप से सुलभ ऊर्जा डेटा पोर्टल का निर्माण करने की दिशा में एक कदम है।

डैशबोर्डों का पहला संस्करण 2017 में और दूसरा संस्करण अप्रैल 2021 में लांच किया गया।

उन्नत संस्करण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

1. वित्त वर्ष 2005-06 से वित्त वर्ष 2019-20 तक समय श्रृंखला के डेटा का प्रावधान
2. डेटा का आसानी से डाउनलोड होना
3. उप-वार्षिक आवृत्तियों पर डेटा की उपलब्धता।

नीति आयोग का ऊर्जा वर्टिकल ऊर्जा डेटा प्रबंधन पर उप समूहों की रिपोर्टों के आधार पर मांग पक्ष डेटा को डैशबोर्ड में एकीकृत करने की प्रक्रिया में है (इस पर खंड छ : कार्यक्षेत्र के उद्देश्य और उपलब्धियां में चर्चा की गई है)। आपूर्ति पक्ष डेटा अंतराल को पाटने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

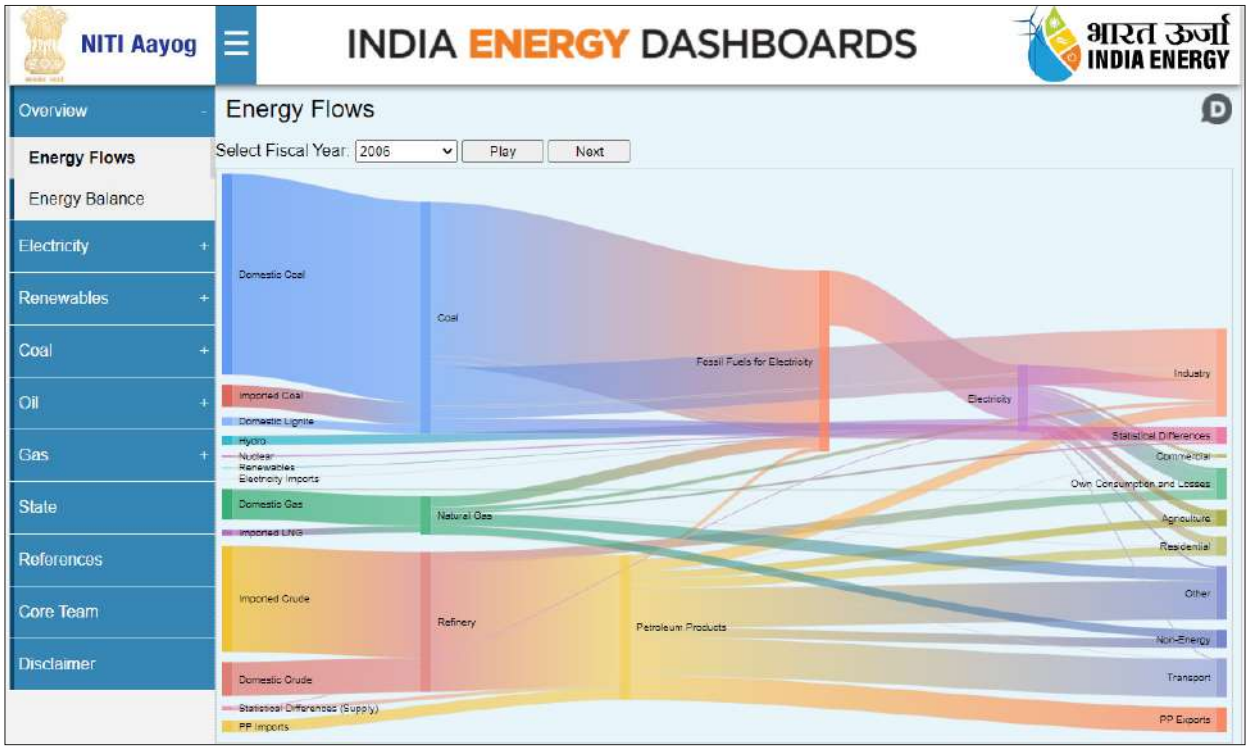

सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक

डीएमईओ 30 वैश्विक सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन की निगरानी में मंत्रिमंडल सचिवालय की मदद कर रहा है।

इस प्रयोग का लक्ष्य इन सूचकांकों को आत्म-सुधार के उपकरण के रूप में उपयोग करना और सरकारी योजनाओं के पूर्ण कार्यान्वयन में सुधार करते हुए नीतियों में सुधार लाना है।

भारत सरकार के 19 नोडल मंत्रालयों और विभागों को 30 वैश्विक सूचकांकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सभी सूचकांकों के लिए एक एकल, सूचनापरक डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह डैशबोर्ड आधिकारिक डेटा के साथ-साथ प्रकाशन एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त किए गए डेटा स्रोतों के अनुसार मापदंडों की निगरानी की अनुमति देता है।

अब तक, सुधार एवं विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (जीआईआरजी) डैशबोर्ड पर प्रशिक्षण वीडियो और मैनुअल को सभी नोडल मंत्रालयों और विभागों के साथ साझा किया गया था और जून 2021 में डैशबोर्ड के लैंडिंग पेज पर सार्वजनिक पहुंच के लिए उपलब्ध कराया गया। जुलाई-अगस्त 2021 के दौरान सभी नोडल मंत्रालयों के लिए जीआईआरजी डैशबोर्ड के लिए मॉड्यूल-वार प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र

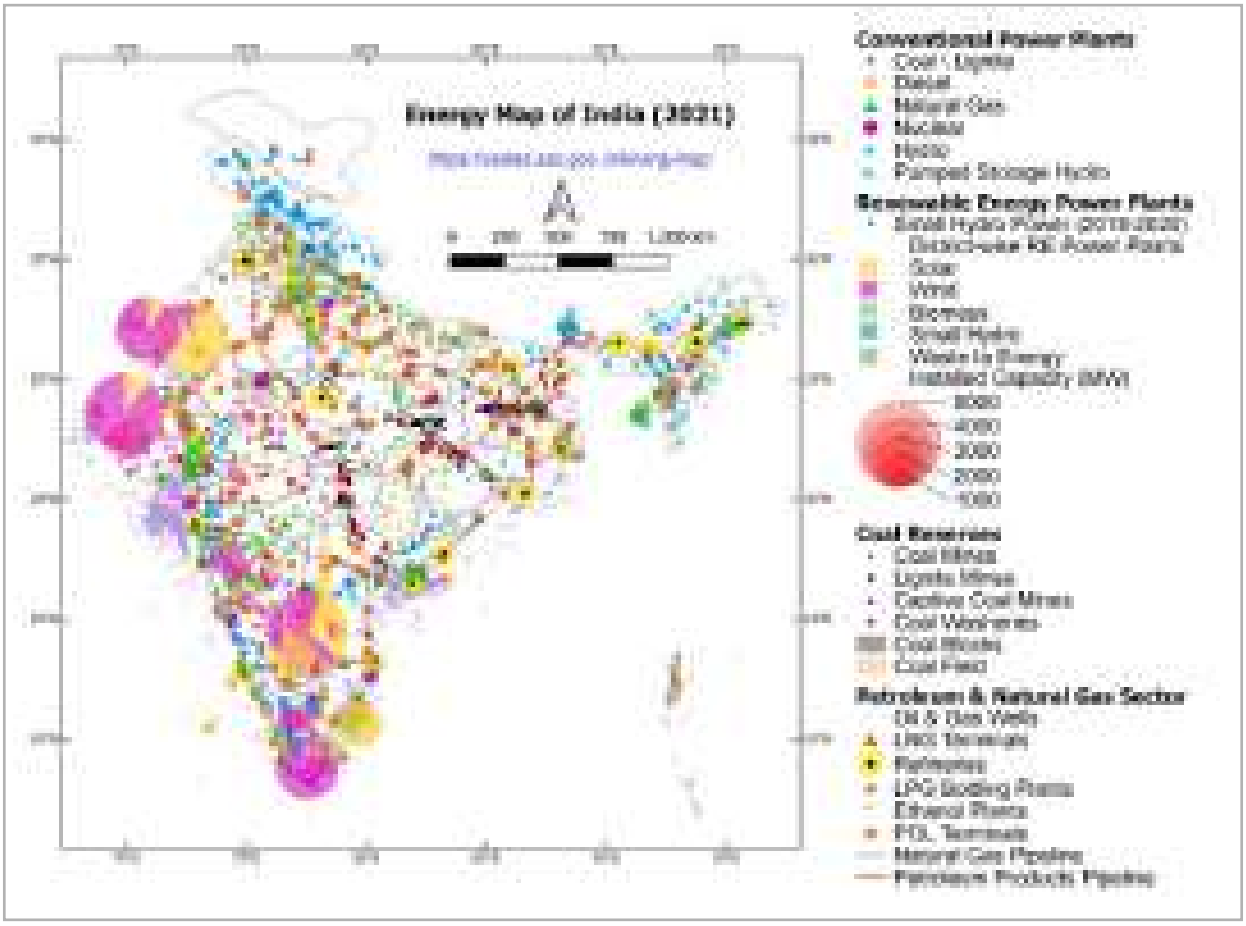

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ मिलकर नीति आयोग ने ऊर्जा मंत्रालयों के सहयोग से एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) भारत ऊर्जा मानचित्र का विकास किया है। यह जीआईएस मानचित्र 27 विषयगत परतों के माध्यम से देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है, जिससे विद्युत संयंत्रों जैसे प्रतिष्ठानों, तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला खदानों और कोयला ब्लॉक, अक्षय ऊर्जा के विद्युत संयंत्रों पर जिला-वार डेटा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

यह मानचित्र देश में ऊर्जा के उत्पादन और वितरण की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों और उनके परिवहन/पारेषण नेटवर्क की पहचान करने और उनका पता लगाने का प्रयास करता है। यह एक अनूठा प्रयास है जिसका उद्देश्य कई संगठनों में बिखरे ऊर्जा डेटा को एकीकृत करना और उसे समेकित एवं देखने में आकर्षक आरेखीय ढंग से प्रस्तुत करना है।

एसडीजी भारत सूचकांक डैशबोर्ड

एसडीजी भारत सूचकांक डैशबोर्ड उपयोगकर्ताओं को एसडीजी भारत सूचकांक की रिपोर्टों में डेटा को देखने और अन्वेषण करने की अनुमति देता है। इस डैशबोर्ड को सालाना-हर बार जब सूचकांक का कोई नया संस्करण लॉन्च होता है, अपडेट किया जाता है और इसमें नीति निर्माताओं, नगारिक समाज, व्यवसाय और शैक्षिक संस्थाओं के लिए क्रास सेक्टोरल प्रासंगिकता है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और शहरी एसडीजी सूचकांक के लिए दो अन्योन्यक्रियात्मक डैशबोर्डों का भी विकास किया गया है।

प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सूचकांक

मिश्रित जल प्रबंधन सूचकांक

मिश्रित जल प्रबंधन सूचकांक जल प्रबंधन की पहलों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए वृद्धिशील सुधार का आकलन करता है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में इस कार्य में देरी हुई थी। 2021 में, वर्ष 2018-19 और 2019–20 के लिए आकलन किया गया और रिपोर्ट 2022 में जारी की जाएगी।

जेंडर सूचकांक

नीति आयोग एक राष्ट्रीय जेंडर सूचकांक विकसित करने की प्रक्रिया में है। जेंडर सूचकांक सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए लैंगिक समानता में हुई प्रगति को मापने और निरंतर अंतराल की पहचान करने का प्रयास करता है। यह परिभाषित जेंडर मैट्रिक्स पर भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति को मानचित्रित करने और सकारात्मक बदलाव की नींव रखने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा। यह सूचकांक जेंडर संबंधी नीतिगत कार्रवाई और हिमायत का समर्थन करेगा और इसे सतत विकास लक्ष्यों के ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा।

वैश्विक नवाचार सूचकांक

नीति आयोग वैश्विक नवाचार सूचकांक सहित वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंकिंग में सुधार करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल नीति आयोग में नोडल प्रभाग है। यह वर्टिकल विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता में अंतरालों को दूर करने के लिए प्रकाशन एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तथा

संबद्ध मंत्रालयों के संपर्क में है। नीति आयोग ऐसे नीतिगत हस्तक्षेप लाने की दिशा में सक्रियता से काम कर रहा है जो भारत की अंतर्निहित क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। नीति आयोग के निरंतर प्रयासों के कारण भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में एक बढ़ते प्रक्षेपवक्र पर आगे बढ़ रहा है जो इस तथ्य से विदित होता है कि भारत 2015 में 81वें स्थान पर था परंतु 2021 में 46वें स्थान पर पहुंच गया। नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति का गठन किया गया है जो भारत की रैंक में सुधार के लिए सुधारों का सुझाव देती है। इस सूचकांक में भारत की रैंक में सुधार के लिए नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में अंतर्मंत्रालयी समन्वय समिति की दो बैठकों का क्रमश: 11 जनवरी 2021 और 8 जून 2021 को आयोजन किया गया।

भारत नवाचार सूचकांक

नीति आयोग और प्रतियोगिता संस्थान द्वारा हर साल भारत नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में नवाचार के वातावरण का निरंतर मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा का निर्माण करने का प्रयास करता है। नीति आयोग ने सूचकांक का दूसरा संस्करण 20 जनवरी, 2021 को जारी किया था। नीति आयोग इस सूचकांक में उनकी रैंक को बेहतर बनाने में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की मदद कर रहा है, जो तदनंतर वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार में परिणत होगा। अगले संस्करण के लिए संकेतकों की संख्या 36 से बढ़ाकर 89 कर दी गई है ताकि यह यथा संभव वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के 80 संकेतकों के अनुरूप हो सके।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक

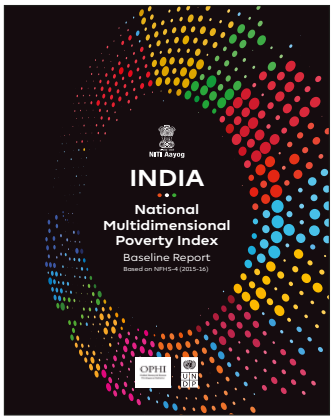

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) गैर मौद्रिक गरीबी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हाई रिजोल्यूशन परिवार स्तरीय मापदंड है जिसके तहत 100 से अधिक विकासशील देश शामिल किए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिव की वैश्विक सुधार एवं विकास सूचकांक (जीआईआरजी) पहल के तहत नीति आयोग एमपीआई के लिए नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय एमपीआई परियोजना का उद्देश्य वैश्विक एमपीआई को विखंडित करना और वैश्विक एमपीआई रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के बड़े लक्ष्य के साथ व्यापक सुधार कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए वैश्विक स्तर पर संरेखित किंतु अनुकूलित भारतीय एमपीआई का निर्माण करना है। राष्ट्रीय एमपीआई बेसलाइन रिपोर्ट एनएफएचएस-4 (2015-16) पर आधारित है और यह बेसलाइन पर अर्थात आवास, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने का ईंधन, पोषण आदि पर राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योजनाओं के आरंभ होने से पूर्व स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोगी स्रोत के रूप में काम करती है। यह एनएफएचएस-5 (2019–20) से तुलना करने पर समय के साथ परिवर्तनों का आकलन करने में मदद करेगी।

स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक

स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अधिदेश के अनुरूप, यह सूचकांक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच ज्ञान और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने में सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। नीति आयोग ने सितंबर 2019 में पहला संस्करण सफलतापूर्वक जारी किया। अब, विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, एसईक्यूआई संकेतकों पर फिर से विचार किया जा रहा है/उनमें संशोधन किया जा रहा है और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 के जारी होने के बाद अगला संस्करण लॉन्च किया जाएगा।

राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक

नीति आयोग ने डिस्कॉम की लाभप्रदता एवं प्रतियोगिता; ऊर्जा तक पहुंच, उसकी वहनीयता और विश्वसनीयता; स्वच्छ ऊर्जा पहल; ऊर्जा दक्षता; उत्पादन क्षमता; और पर्यावरणीय स्थिरता और नई पहल जैसे संकेतकों पर राज्यों के निष्पादन का आकलन करने के लिए एक मसौदा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक विकसित किया है। यह सूचकांक अपने ऊर्जा संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और लोगों को बेहतर ढंग से ऊर्जा प्रदान करने में राज्यों की मदद करेगा।

सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक

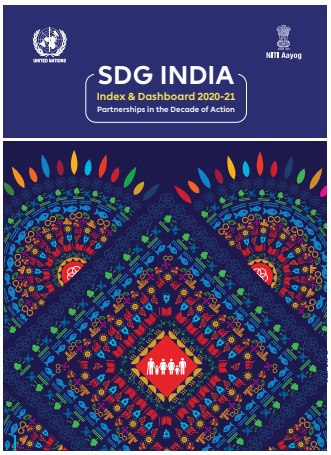

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति का व्यापक दस्तावेजीकरण और रैंकिंग कर रहा है। तीसरा संस्करण जून 2021 में जारी किया गया था। लक्ष्यों और संकेतकों के व्यापक कवरेज के कारण एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 पिछले संस्करणों की तुलना में अधिक मजबूत है। लक्ष्य 17 पर गुणात्मक मूल्यांकन के साथ 115 संकेतक 17 एसडीजी में से 16 को शामिल करते हैं, और 70 एसडीजी लक्ष्यों को कवर करते हैं। यह सूचकांक 2018-19 और 2019–20 के संस्करणों की तुलना में एक सुधार है, जिनमें क्रमश: 39 लक्ष्यों और 13 लक्ष्यों में 62 संकेतकों और 54 लक्ष्यों और 16 लक्ष्यों में 100 संकेतकों का उपयोग किया गया था।

सतत विकास लक्ष्य पूर्वोत्तर भारत सूचकांक

नीति आयोग ने अगस्त 2021 में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जिला एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया जो इस तरह का पहला सूचकांक है। एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित है, जो देश के विकास पथ के लिए काफी महत्व रखता है। यह सूचकांक पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों को रैंक प्रदान करता है जो सतत विकास लक्ष्यों और उनके तदनुरूप टार्गेट पर उनके सापेक्षिक प्रदर्शन पर आधारित होता है। (अधिक जानकारी के लिए खंड VII : कार्यक्षेत्र की उपलब्धियां पढ़ें)।

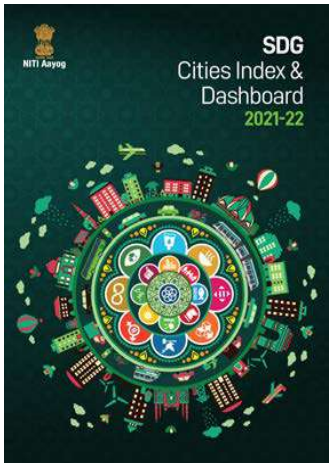

सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक

एसडीजी शहरी सूचकांक भारत-जर्मन विकास सहयोग की छत्रछाया में भारतीय शहरों में एसडीजी के स्थानीयकरण का मार्ग प्रशस्त करने पर केंद्रित नीति आयोग-जीआईजेड और बीएमजेड सहयोग का परिणाम है। यह सूचकांक एसडीजी रूपरेखा के 46 लक्ष्यों में 77 एसडीजी संकेतकों पर 56 शहरी क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। घोषित किए गए शीर्ष तीन शहरों में क्रमशः शिमला, कोयम्बटूर और चण्डीगढ़ तथा तिरुवनन्तपुरम (तीसरे स्थान पर स्थित) हैं। इन संकेतकों पर डेटा आधिकारिक डेटा स्रोतों जैसे कि एनएफएचएस, एनसीआरबी, यू-डीआईएसई, और विभिन्न मंत्रालयों के डेटा पोर्टल और अन्य सरकारी डेटा स्रोतों से प्राप्त किया गया है। इस सूचकांक और डैशबोर्ड का उद्देश्य एसडीजी के स्थानीयकरण को सुदृढ़ करना और शहर के स्तर पर मजबूत एसडीजी निगरानी शुरू करना है। यह यूएलबी स्तरीय डेटा, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणालियों की अच्छाइयों एवं कमियों का उजागर करता है।

राज्य स्वास्थ्य सूचकांक

राज्य स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन का आकलन करने का एक वार्षिक उपकरण है। यह 'स्वास्थ्य परिणाम', 'शासन और सूचना' और 'प्रमुख इनपुट/प्रक्रियाएं' के डोमेन के अंतर्गत वर्गीकृत 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित समग्र सूचकांक है।

यह सूचकांक 2017 से संकलित और प्रकाशित किया जा रहा है। इन रिपोर्टों का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रेरित करना है। इस सूचकांक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोत्साहन से जोड़ने के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्णय द्वारा इस वार्षिक उपकरण के महत्व पर फिर से बल दिया गया है। यह बजट खर्च करने और इनपुट प्रदान करने के बजाय आउटपुट और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक रहा है।

वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में 'बड़े राज्यों में' उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना शीर्ष तीन रैंकिंग वाले राज्य थे।

खंड-IV

सहकारी संघवाद

सहकारी संघवाद

प्रस्तावना

नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में सुशासन को सक्षम बनाने के लिए किया गया है। मजबूत राज्यों से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है की अवधारणा पर नीति आयोग राज्यों को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के लिए काम करने हेतु 'टीम इंडिया' के रूप में कार्य करने के उद्देश्य में भारत सरकार के लिए एक सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है।

नीति आयोग ने अवसंरचना के विकास के लिए तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी स्थापित करने के लिए मॉडल एवं कार्यक्रम जैसे कि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विकास सहायता सेवा तथा मानव पूंजी में बदलाव के लिए संधारणीय कार्रवाई भी स्थापित की है।

इसके अलावा, विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष कदम उठाए हैं जिनके लिए विशेष ध्यान एवं सहायता की आवश्यकता है, जैसे कि पूर्वोत्तर के राज्य, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह एवं हिमालयन राज्य। नीति आयोग ने इन क्षेत्रों की विशेष बाधाओं की पहचान करने तथा इन क्षेत्रों में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए संधारणीय विकास का सुनिश्चय करने के लिए विशेष नीतियां तैयार करने हेतु विशेष मंचों का गठन किया है।

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विकास सहायता सेवाएं

राज्यों के लिए विकास सहायता सेवाएँ (डीएसएसएस) नीति आयोग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं के परिवर्तनकारी और निरंतर सुपुर्दगी को प्राप्त करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी की सफल कहानियों का सृजन करना और अवसंरचना परियोजनाओं के प्रदायगी मॉडलों को फिर से शुरू करना है ताकि स्थायी अवसंरचना सृजन चक्र स्थापित किया जा सके।

नीति आयोग बाहरी परामर्शदाताओं की सहायता से प्रबंध संरचना, कार्यनीति तथा बोली प्रक्रिया प्रबंधन में इस पहल के तहत परियोजनाओं की मदद करता है।

वर्तमान में, चार परियोजनाएं चल रही हैं :

1. लद्दाख के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार किया गया और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र में विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान की जा रही है।
2. लद्दाख में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एक व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट तैयार और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृत की गई। विकासकों को रिपोर्ट के निष्कर्ष प्रस्तुत करने और परियोजना में भाग लेने के लिए उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं को समझने के लिए कारगिल में एक बैठक भी आयोजित की गई।
3. उत्तराखंड के रुड़की क्लस्टर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य सरकार को एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और एक परियोजना संरचना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
4. उत्तराखंड में एक कन्वेंशन सेंटर पर राज्य सरकार को व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

द्वीपों का समग्र विकास

भारत में 1382 द्वीप हैं जो नौ राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। समुद्री व्यापार, नौवहन, मत्स्य पालन, परिस्थितिकी पर्यटन, समुद्र के नीचे खनन आदि के लिए चिन्हित द्वीपों का विकास किया जा सकता है।

भारत के द्वीप रणनीतिक रूप से भारतीय समुद्री क्षेत्र में स्थित हैं और देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी सिरे से केवल 90 किमी दूर है, जो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग है। इसी तरह, लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप नाइन डिग्री चैनल के पास स्थित है जो सबसे व्यस्त नौवहन मार्गों में से एक है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो सुरक्षा जोखिम हो सकते हैं, जैसे कि तस्करी की घटनाएं, आपराधिक गतिविधियां आदि।

इसलिए, इन द्वीपों के विकास और संरक्षण के लिए एक समग्र रणनीति की आवश्यकता महसूस की गई। नतीजतन, नीति आयोग को इस क्षेत्र में चिन्हित किए गए द्वीपों के सतत विकास की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

प्रक्रिया के पहले चरण में, पैकेज I (अंडमान और निकोबार के लॉन्ग, एवेस, स्मिथ और रॉस द्वीप समूह) और पैकेज III (लक्षद्वीप के मिनिकॉय, बंगाराम, थिन्नाकारा, चेरियम और सुहेली द्वीप समूह) के तहत चिन्हित किए गए द्वीपों के लिए अवधारणा और विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक सलाहकार की सेवाएं ली गईं। तदनुसार, इन नौ द्वीपों के लिए अंतिम मास्टर और अवसंरचना योजनाएं तैयार की गईं।

द्वीपों की वहन क्षमता का आकलन

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी द्वीप की वहन क्षमता पर्यटकों की अधिकतम संख्या है जिसका द्वीप अपने पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़े बिना भरण-पोषण कर सकता है।

तदनुसार, नीति आयोग द्वारा एक प्रतिष्ठित सलाहकार के माध्यम से नौ द्वीपों की वहन क्षमता का मूल्यांकन किया गया और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय क्षेत्रीकरण किया गया।

मास्टर प्लान

नौ द्वीपों के लिए विकास योजनाओं में पर्यटन, समुद्री खाद्य पदार्थों और नारियल उत्पादों के निर्यात, उच्च मूल्य वाली फसलों की जैविक खेती आदि को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त रणनीतियां शामिल हैं। योजनाओं में क्षेत्र की पारिस्थितिकीय स्थिरता को बनाए रखते हुए रोजगार के अवसर पैदा करने और द्वीपवासियों को अतिरिक्त आय प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

चिन्हित की गई पर्यटन परियोजनाएं

व्यवस्थित विश्लेषण के बाद, निजी क्षेत्र की भागीदारी और द्वीपवासियों की सहायता से सात पर्यटन परियोजनाओं (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चार और लक्षद्वीप में तीन) की योजना बनाई गई।

लक्षद्वीप समूह के लिए, भूमि आधारित परियोजनाओं के अलावा, जल विला की भी योजना बनाई गई, जो एसडब्ल्यूओसी विश्लेषण द्वारा समर्थित है। लक्षद्वीप में 4000 वर्ग किमी का एक बड़ा लैगून क्षेत्र है। तदनुसार इस द्वीप समूह के तीन द्वीपों कदमत, सुहेली और मिनिकॉय में जल विला के विकास के लिए एक रणनीति तैयार की गई।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जल विला के प्रस्ताव पर प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन के लिए सहमति व्यक्त की गई। एसएफसी/पीपीएसी के अनुमोदन के बाद ही लक्षद्वीप की परियोजनाओं में वाटर विला शामिल किए गए।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परियोजनाएं भूमि आधारित हैं। लॉन्ग द्वीप, एवेस द्वीप, स्मिथ द्वीप और शहीद द्वीप में पारिस्थितिकी टूरिज्म रिसॉर्ट स्थापित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

समग्र विकास के लिए पहलें

पहले चरण में चिन्हित किए गए द्वीपों के विकास के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन

इस क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में पर्याप्त विस्तार करने वाली नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 01 जनवरी, 2019 को लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक विकास योजना (एलएएनआईडीएस) 2018 अधिसूचित की गई।

वेब कनेक्टिविटी

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वेब कनेक्टिविटी में सुधार के लिए उपग्रह बैंडविड्थ को 1.118 जीबीपीएस से बढ़ाकर 3.49 जीबीपीएस किया गया। रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, पोर्ट ब्लेयर, शहीद द्वीप, लिटिल अंडमान, कमोर्टा और कैंपबेल खण्ड में भौतिक वीसैट स्थापित करने का काम पूरा हो गया। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 200 जीबीपीएस तथा पोर्ट ब्लेयर और अन्य खंडों के बीच 100 जीबीपीएस की प्रारंभिक क्षमता के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल की स्थापना का काम भी पूरा हो गया। लक्षद्वीप समूह में, दूरसंचार आयोग द्वारा बैंडविड्थ की क्षमता को 318 एमबीपीएस से बढ़ाकर 1.71 जीबीपीएस करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

हवाई संपर्क

शिबपुर हवाई अड्डे पर नागरिक उड़ान संचालन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार है। चिन्हित स्थलों पर विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए भूमि संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर कानूनी प्रावधानों में संशोधन किया गया है। मिनिकॉय द्वीप में दोहरे उद्देश्य वाले एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के परामर्श से रक्षा मंत्रालय (एमओडी) एक रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है। एएआई अगत्ती हवाई अड्डे के रनवे को 1206 मीटर से बढ़ाकर 2300 मीटर करने के लिए संभाव्यहता पूर्व अध्ययन कर रहा है, जिससे अगत्ती द्वीप पर बड़े ऑटोमैटिक ट्रे रिटर्न सिस्टम (एटीआरएस) को संचालित करना संभव हो जाएगा।

सड़क संपर्क

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव/उन्नयन के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी प्रदान की गई है। अंडमान ट्रंक रोड (एनएच 4) को चौड़ा किया जा रहा है और अंडमान द्वीप समूह में बेहतर अंतर-द्वीप कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए हम्फ्री और मिडिल स्ट्रेट के पुलों को जल्दी पूरा किया जा रहा है।

विद्युत उत्पादन

भारतीय सौर ऊर्जा निगम को अक्तूबर 2022 तक कलपोंग, डिगलीपुर में 1 मेगावाट प्रति घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 4 मेगावाट प्रति घंटा के एक फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने का काम सौंपा गया है।

पैकेज IV और V

चरण-1 की परियोजनाओं की सफलता को दोहराने के लिए, पैकेज IV (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 11 साइट) और पैकेज V (लक्षद्वीप समूह में अगत्ती, बित्रा, कदमत, चेतलाट और कल्पेनी) के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में सलाहकारों की सेवाएं ली गईं। तदनुसार, उन्होंने स्थापना रिपोर्ट, मसौदा और अंतिम साइट विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नीति मंच

इस क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों से निपटने तथा स्थायी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए फरवरी 2018 में पूर्वोत्तर के लिए नीति मंच स्थापित किया गया। इस मंच का नेतृत्व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार द्वारा किया जा रहा है। पहली बैठक 10 अप्रैल 2018 को अगरतला, त्रिपुरा में हुई थी।

दूसरी बैठक दिसंबर 2018 में गुवाहाटी, असम में हुई थी। चिन्हित किए गए फोकस क्षेत्र थे:

1. बांस
2. डेयरी
3. मत्स्य पालन
4. चाय
5. पर्यटन

इन पर पांच समानांतर सत्रों में चर्चा हुई जिनमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के विशेषज्ञ, शैक्षणिक समुदाय और उद्योग ने भाग लिया। मंच द्वारा चिह्नित पांच क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा कार्य बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा संबद्ध मंत्रालयों से विशिष्ट बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा गया। सभी संबंधित मंत्रालयों को दूसरी बैठक में सामने आई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया। इनकी निगरानी की जा रही है।

इसके अलावा, फोरम की सिफारिशों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए विशेष सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में सितंबर 2020 में नीति आयोग द्वारा एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया। 18 सितंबर 2020 को आयोजित समूह की पहली बैठक के दौरान संबद्ध मंत्रालयों से सिफारिशों के अनुसार पांच फोकस क्षेत्रों के विकास एवं संवर्धन के लिए और प्रयास करने का अनुरोध किया गया।

पूर्वोत्तर राज्यों में अनुपालन बोझ को कम करना

पूर्वोत्तर राज्यों में अनुपालन बोझ को कम करना निजी निवेश, आजीविका सृजन और आर्थिक विकास को सुगम बनाने की दिशा में एक कदम है।

अब तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यों के मुख्य सचिवों और सचिवों और पांच सम्बद्ध मंत्रालयों के बीच तीन बैठकें हो चुकी हैं।

परियोजना साथ-ई

स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए तीन 'रोल मॉडल' राज्यों की पहचान और निर्माण करने के लिए 2017 में प्रोजेक्ट साथ-ई, 'मानव पूंजी में बदलाव के लिए संधारणीय कार्रवाई - शिक्षा' शुरू किया गया। चयन की विस्तृत प्रक्रिया के बाद झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश का चयन किया गया।

साथ-ई का पहला चरण मार्च 2020 में पूरा हुआ; इस परियोजना ने 2.3 करोड़ छात्रों, 4.5 लाख शिक्षकों और 2.3 लाख सरकारी स्कूलों को प्रभावित किया।

अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल न जाने वाले और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों; सीखने के परिणामों में सुधार; शासन सुधार में सरलीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण, भर्ती, मूल्यांकन, जवाबदेही, और स्कूलों की आईटी समर्थित निगरानी पर विशेष ध्यान के साथ शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

प्रमुख हस्तक्षेप

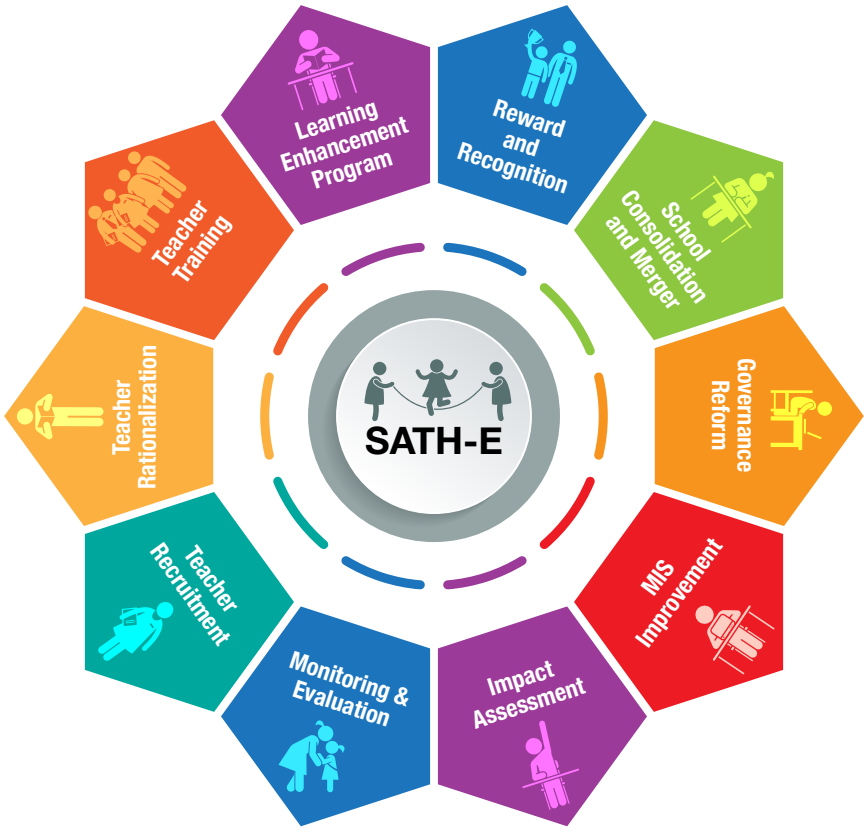

तीनों राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, नीति आयोग द्वारा अक्तूबर 2020 से 2 वर्षों के लिए परियोजना का दूसरा चरण यानी साथ-ई 2.0 शुरू किया गया।

साथ-ई 2.0 का रोड मैप

साथ-ई 2.0 की प्रगति पर विचार-विमर्श करने के लिए, राष्ट्रीय संचालन समूह ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में 12 अक्तूबर, 2021 को छठी बार बैठक की।

नीति आयोग ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सभी राज्यों के लिए सात प्रमुख प्राथमिकताएँ निर्धारित की, जो इस प्रकार हैं:

1. बच्चों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2. सीखने के नुकसान को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की योजना बनाना।
3. आधारभूत शिक्षण डेटा एकत्र करना और ट्रैक करना।
4. आधारभूत डेटा के अनुसार पाठ्यक्रम और डिजाइन हस्तक्षेपों की जांच करना, जो विभिन्न जिलों और स्कूलों के लिए भिन्न हो सकते हैं।
5. डिजिटल आदतों और संपत्तियों का निर्माण करना।
6. स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, विशेषकर लड़कियों की स्कूल में वापसी सुनिश्चित करना।
7. बेहतर शिक्षण परिणाम देने के लिए शिक्षकों को तैयार करना।

इस बैठक के दौरान झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के लिए साथ-ई 2.0 के रोड मैप भी जारी किए गए।

साथ-ई अनुभव रिपोर्ट

16 नवंबर 2021 को, नीति आयोग ने 'साथ-ई अनुभव' जारी किया, जो तीन साथ-ई राज्यों और चार अन्य राज्यों अर्थात राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अनुभवों और सीखों के आधार पर भारत में स्कूली शिक्षा, विशेष रूप से सीखने के परिणाम में सुधार के लिए मूलभूत उपायों की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य (शिक्षा), सीईओ, और सलाहकार (शिक्षा) की उपस्थिति में एक राष्ट्रीय वेबिनार में जारी की गई। रिपोर्ट के दो भाग हैं : (i) स्कूली शिक्षा में प्रणालीगत बदलाव के लिए सिद्धांत और हस्तक्षेप (ii) 12 कार्यान्वयन टूलकिट।

रिपोर्ट में भारतीय संदर्भ में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने से संबंधित चुनौतियों का उल्लेख किया गया है और इसमें इन चुनौतियों से निजात पाने के लिए साथ-ई और भागीदार राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए साहसी और पथ भंजक सुधारों को साझा किया गया है।

यह रिपोर्ट एक व्यापक संग्रह के रूप में है जो उनके शिक्षा परिदृश्य को बदलने वाली उनकी अनूठी यात्रा पर इन राज्यों की सीखों को प्रलेखित, समेकित और प्रदर्शित करता है।

यदि इसे दूसरे राज्यों में दोहराया जाता है, तो ये सुधार सतत विकास लक्ष्य 4 को प्राप्त करने में सहायक होंगे।

राष्ट्रीय वेबिनार, परियोजना साथ-ई

कैसे साथ-ई ने कोविड-19 के दौरान निर्बाध शिक्षण सुनिश्चित किया

झारखंड

1. छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण सत्रों के मिश्रण का प्रयोग किया गया
2. वाट्सएप ग्रुप के जरिए लगभग 14 लाख स्कूली बच्चे जुड़े
3. टीवी और रेडियो के माध्यम से तीन घंटे से अधिक समय तक सीखने/सिखाने का कार्य नियमित रूप से किया गया
4. सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए ज्ञान सेतु पुस्तकों का वितरण किया गया
5. दीक्षा मंच पर प्रारंभिक विद्यालयों के 95,000 से अधिक शिक्षकों को 42 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया
6. स्थिति अनुकूल होने पर मोहल्ला कक्षाओं का आयोजन किया गया
7. झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पुनर्गठन और भर्ती के साथ-साथ प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की लगभग 60,000 रिक्तियों को भरा गया

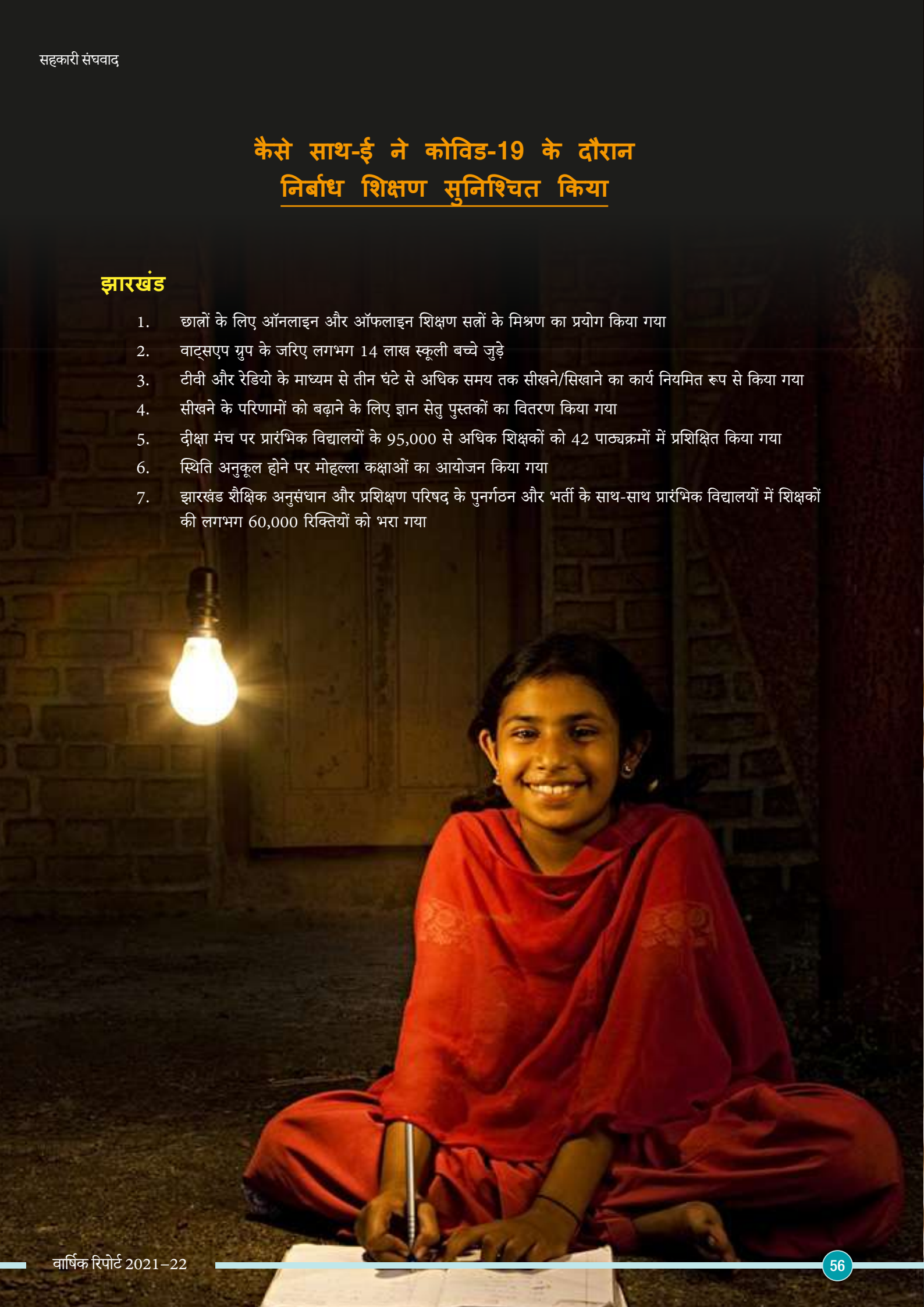

मध्य प्रदेश

1. हमारा घर हमारा विद्यालय 2.0 लॉन्च किया गया
2. व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कक्षा I और II के स्कूली बच्चों के 21 लाख माता-पिता जुड़े
3. शिक्षकों को घर आधारित शिक्षण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया
4. राज्य के 67 प्रतिशत छात्रों को लर्निंग प्लानर/किट वितरित किए गए
5. फोन कॉल के माध्यम से शिक्षक और छात्र नियमित रूप से जुड़े रहे
6. व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई
7. स्थिति अनुकूल होने पर मोहल्ला कक्षाओं का आयोजन किया गया
8. 9200 सीएम राइज स्कूलों की योजना बनाई गई
9. स्कूलों को कोविड सुरक्षित बनाया गया

ओडिशा

1. सभी ग्रेडों के लिए यूट्यूब का सीधा प्रसारण किया गया
2. माध्यमिक ग्रेड के लिए टीवी शो के साथ प्रारंभिक ग्रेड के लिए रेडियो पाठशाला शुरू की गई
3. शिक्षक और छात्र फोन कॉल के माध्यम से जुड़े हुए थे
4. उपचार पाठ्यपुस्तकें/शिक्षण सामग्री वितरित की गई
5. स्वयं प्रभा के माध्यम से एक समर्पित टीवी चैनल की योजना बनाई गई है
6. स्थिति अनुकूल होने पर सामुदायिक कक्षाओं का आयोजन किया गया
7. आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल के लिए राज्य परियोजना निगरानी यूनिट की स्थापना की गई

एसडीजी का स्थानीयकरण

ऐसी किसी रणनीति के लिए सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण महत्वपूर्ण है जिसका उद्देश्य एजेंडा 2030 को प्राप्त करना है। अनिवार्य रूप से, एसडीजी के स्थानीयकरण में संगत संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय से स्थानीय स्तरों तक एसडीजी को समझना, अनुकूलित करना, योजना बनाना, लागू करना तथा निगरानी करना शामिल होता है।

इसकी शुरुआत एजेंडा 2030 के राष्ट्रीय एवं उप राष्ट्रीय संदर्भ को निर्धारित करने तथा लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को अनुकूलित करने के लिए आगे बढ़ने, संकेतकों की पहचान करने, कार्यान्वयन के स्थानीय साधनों एवं संरचनाओं को अभिकल्पित करने तथा राष्ट्रीय से स्थानीय स्तरों तक निगरानी रूपरेखाओं के सृजन के साथ होती है। संस्थाओं के साथ भागीदारी एवं सहयोग के संदर्भ में, यह अहम है कि राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी को प्राप्त करने के लिए केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय शासन किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं और किस तरह एसडीजी स्थानीय स्तरों पर एसडीजी के लक्ष्यों को साकार करने के लिए उप राष्ट्रीय एवं स्थानीय नीति, आयोजना, एवं कार्रवाई के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं।

सातवीं अनुसूची के तहत, राज्य सूची 61 मदों के संबंध में राज्यों को लगभग अनन्य शक्ति प्रदान करती है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल, परिवहन और संचार, कानून व्यवस्था और स्थानीय शासन शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि लगभग सभी एसडीजी और उनसे जुड़े लक्ष्यों के संबंध में नीतियां निर्धारित करने और निष्पादित करने के लिए राज्यों के पास शक्ति और कार्य हैं। वे एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रक्रिया में राज्य मुख्य कर्ता हैं तथा केन्द्र सरकार तथा संबद्ध संस्थाएं सुगम बनाने की भूमिका निभाती हैं।

सर्वोत्कृष्ट संघीय संस्था के रूप में नीति आयोग ने एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए प्रगतिशील ढंग से रणनीति तैयार की, जो प्रतिभागी एवं बॉटमअप दृष्टिकोण तथा एसडीजी के वृद्धिमूलक स्थानीयकरण में दृढ़ता के साथ छिपी है।

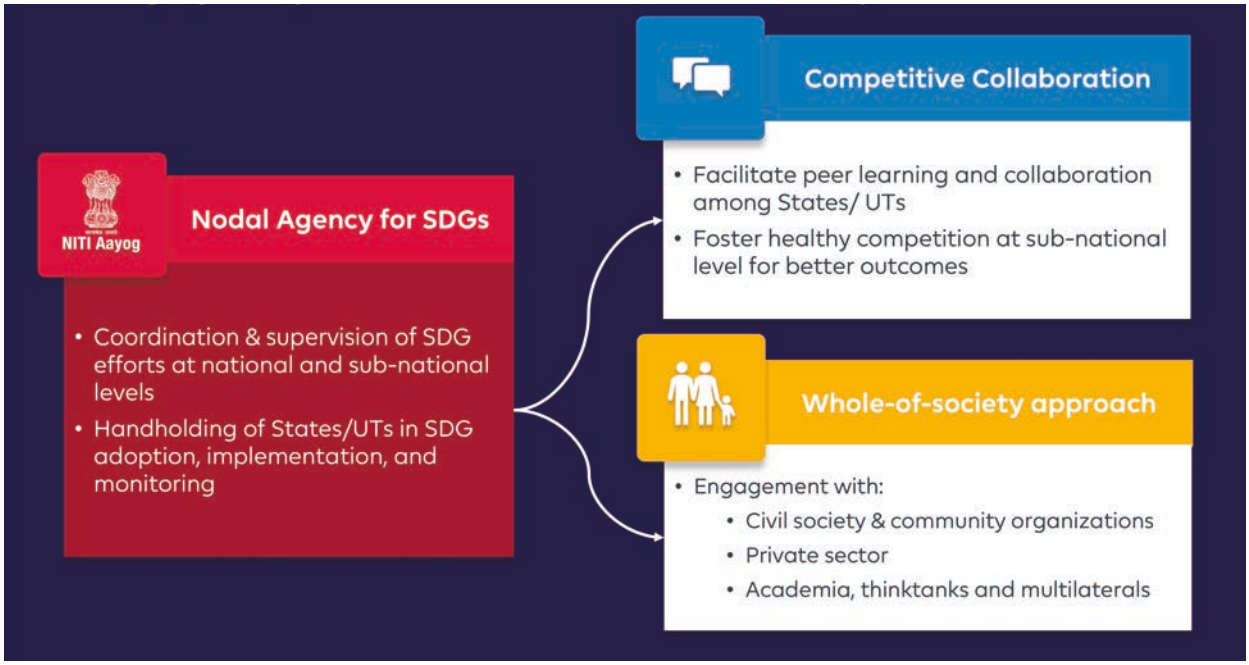

एसडीजी के स्थानीयकरण के प्रति नीति आयोग का दृष्टिकोण

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभागों की पहचान की है और उन्हें कार्य सौंपा है। नियोजन एवं वित्त का काम देखने वाले विभागों को यह जिम्मेदारी दी गई है। अनेक राज्यों ने समन्वय, अभिसरण तथा डेटा प्रबंधन को अधिक सटीक एवं अनुमेय बनाने के लिए प्रत्येक विभाग के अंदर तथा जिला स्तरों पर भी नोडल तंत्रों का सृजन किया है।

एसडीजी के स्थानीयकरण के चरण

एसडीजी पर समन्वित कार्रवाई का सुनिश्चय करने के लिए सतत मार्गदर्शन प्रदान करने, कार्यान्वयन एवं निगरानी पर नजर रखने तथा तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समितियां स्थापित की गई हैं। सामान्यतया इन समितियों के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं तथा सभी विभागों के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। कुछ मामलों में, राज्यों में भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ऐसी समितियों का गठन किया गया है जिसकी वजह से एसडीजी की समीक्षाओं पर अधिक बल दिया जाता है। इन उच्च स्तरीय समितियों की बैठकें अधिक बारंबारता पर होती हैं (प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक) जिससे प्रेरक की इसकी दक्षता और सुदृढ़ होती है। यह तथ्य कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस तरह की संरचना को उत्तरोत्तर अपना रहे हैं, इसकी कारगरता को प्रमाणित करता है।

स्थानीयकरण और संवेदीकरण कार्यशालाएं

2021-22 में, एसडीजी वर्टिकल ने प्रगति की निगरानी, कार्यों के मूल्यांकन और एसडीजी की प्राप्ति की प्रगति में तेजी लाने के लिए लक्षित सुधारों के कार्यान्वयन पर 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों के साथ उच्च स्तरीय परामर्शों और कार्यशालाओं का आयोजन किया।

दो दिवसीय कार्यशालाओं की अध्यक्षता आमतौर पर राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है और इसकी मेजबानी राज्य नियोजन विभाग या राज्य के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा की जाती है। वे राज्य के भीतर अंतर-विभागीय सहयोग को मजबूत करने के मंच के रूप में और केंद्र एवं राज्य के बीच संवाद के लिए एक बड़े राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करते हैं। तकनीकी, डेटा संचालित दृष्टिकोण के साथ मिलकर कार्यशालाओं की उच्च-स्तरीय प्रकृति डेटा अंतराल के साइट पर पहचान और समाधान और सुधारों एवं लिंकेज की पहचान को सक्षम बनाती है।

इन कार्यशालाओं में, नीति आयोग का प्रमुख एसडीजी भारत सूचकांक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख निगरानी और मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है।

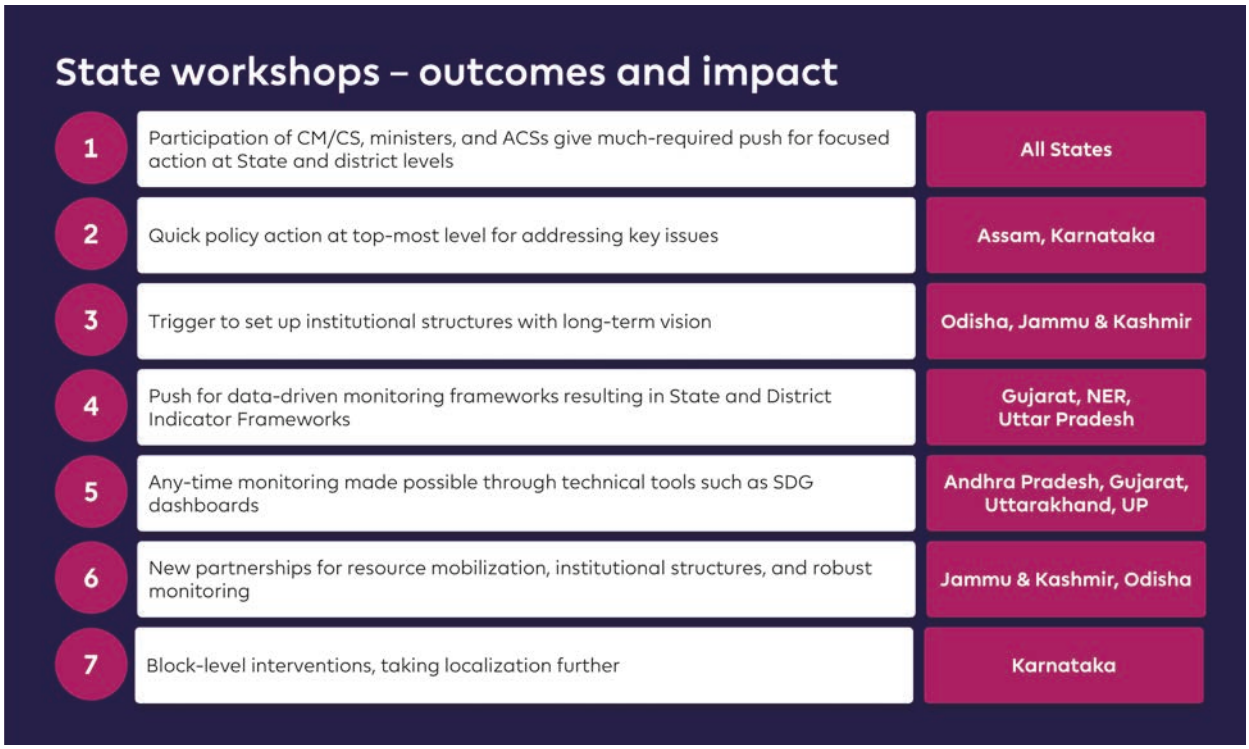

क्षेत्रीय परामर्श: पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक के लिए क्षेत्रीय परामर्श अप्रैल 2021 में शिलांग में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए जिला स्तरीय उपकरण का विकास करना था। सभी आठ राज्यों के प्रतिनिधियों ने तीन दिवसीय परामर्श में भाग लिया, जिसमें उन्होंने अपने डेटा सिस्टम, नीतिगत प्राथमिकताओं और क्षेत्र अनुभव के बारे में व्यापक अंतर्दृष्टि साझा की। इस परामर्श ने ज्ञान के अंतर-राज्यीय आदान-प्रदान, साझेदारी को मजबूत करने के लिए भी मंच प्रदान किया और इससे भावी समर्थन और सहयोग के लिए रास्ते खुले।

परामर्श के दौरान अत्यधिक स्थानीय अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और इसके साथ-साथ परामर्श के बाद समीक्षा बैठकों में राज्यों की सक्रिय भागीदारी भारत के पहले क्षेत्रीय जिला स्तरीय एसडीजी निगरानी उपकरण के विकास में महत्वपूर्ण थी।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में संधारणीय विकास

भारतीय हिमालयी क्षेत्र 13 भारतीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (अर्थात जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल) में फैला हुआ है, जिसका फैलाव 2500 किमी तक है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 50 मिलियन है, जहां विविध जनसांख्यिकीय और बहुमुखी आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियां पाई जाती हैं।

कृषि पारिस्थितिकी और बाजार विकास पर वेबिनार

भारतीय हिमालयन केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसंघ (आईएचसीयूसी) के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कृषि पारिस्थितिकी और बाजार विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित वेबिनार में अन्य के अलावा 13 केंद्रीय हिमालयी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, राज्य विभागों के अधिकारियों, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के सदस्यों और टीम समन्वयकों ने भाग लिया।

स्प्रिंगशेड प्रबंधन पर संसाधन पुस्तक

नीति आयोग ने स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान के साथ मिलकर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्प्रिंग शेड प्रबंधन पर एक पुस्तक संकलित की है। इस पुस्तक में झरनों के पुनरुद्धार पर काम कर रहे नीति निर्माताओं और विकास प्रैक्टिशनर्स के लिए दिशानिर्देश हैं।

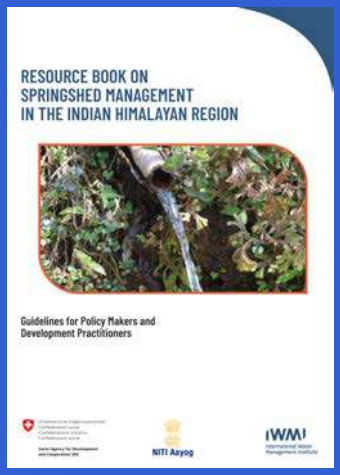

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ काम करना

2021-22 के दौरान, नीति आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच संबध को सुदृढ़ करने और विभिन्न सेक्टरों में विभिन्न चुनौतियों के समाधान में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया।

विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ राज्य सरकारों और राज्य सरकारों के साथ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी मंच प्रदान करने के उद्देश्य से और राज्यों को विकास के रास्तों का विकास करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इसने प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के साथ द्विवार्षिक बैठकों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के साथ इन बैठकों का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष/सीईओ/सदस्यों द्वारा किया जा रहा है।

अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया। ये चर्चाएं विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ राज्य सरकारों के कई लंबित मुद्दों का समाधान करने या समाधान तलाशने में और विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मुद्दों को उठाने में भी सहायक साबित हो रही हैं, जैसे कि अटकी हुई अवसंरचना परियोजनाएं, योजनाओं का कुशल कार्यान्वयन, नीतिगत बाधाओं को दूर करना आदि।

ये बैठकें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने और कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी काम करती हैं और विशिष्ट सेक्टोरल इनपुट प्रदान करती हैं।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल ने 15 सितंबर 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्टिकल के साथ रांची का दौरा किया और झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

डॉ. वी. के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग 12 अक्तूबर, 2021 को अवसंरचना विकास, कृषि, नगर विमानन तथा राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री से मिले

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने राज्य के लिए कार्ययोजना पर 20 और 21 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की।

15 दिसंबर, 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने यह बताया कि राज्य ने समष्टि अर्थशास्त्र तथा सामाजिक-आर्थिक सूचकों के पिछले दो दशकों में पर्याप्त सुधार किया है।

नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चन्द और वरिष्ठ अधिकारियों ने 6 अगस्त, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के साथ बैठक की।

विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय

उत्पाद एवं परिणाम निगरानी और मूल्यांकन के क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए डीएमईओ ने राज्यों के साथ साझेदारी की। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के नीति आयोग के अधिदेश के अनुरूप, डीएमईओ क्षमता निर्माण की गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना विभागों के साथ काम कर रहा है और मूल्यांकन अध्ययनों पर दिशानिर्देश और टूलकिट साझा कर रहा है। इसके लिए राज्य सिविल सर्वेंट प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर काम करना भी आवश्यक है।

मेघालय, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ आशय विवरण

मार्च 2021 में, डीएमईओ ने एक मजबूत एमएंडई प्रणाली के निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मेघालय घाटी विकास प्राधिकरण, मेघालय सरकार के साथ राज्य में एक आशय विवरण (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए। यह वक्तव्य मेघालय में ब्लॉक स्तरीय निगरानी प्रणाली को संस्थागत बनाने, राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों से अंतर्दृष्टि साझा करने पर केंद्रित है। जुलाई 2021 में, डीएमईओ ने राज्य में निगरानी एवं मूल्यांकन के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु सरकार के योजना विभाग के साथ एक और एसओआई पर हस्ताक्षर किए। डीएमईओ ने दिसम्बर, 2021 में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एसओआई पर भी हस्ताक्षर किए थे ताकि प्रदर्शन के आधार पर विभाग के तहत योजनाओं और संस्थाओं का तर्कसंगत बनाया जा सके और कार्य के अन्य क्षेत्रों के बीच तकनीकी परामर्श के प्रापण के लिए दिशानिर्देशों को लागू किया जा सके।

संस्थागत मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन नैदानिक उपकरण

राज्यों में मूल्यांकन प्रणालियों की क्षमता का आकलन करने के लिए, डीएमईओ ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), डब्ल्यूएफपी, जे-पीएएल और यूनिसेफ के मूल्यांकन विशेषज्ञों के परामर्श से एक नैदानिक उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण विभिन्न आयामों को शामिल करता है जैसे कि (i) राज्य में मूल्यांकन के लिए ढांचा (ii) मूल्यांकन कार्य की संरचना (iii) मूल्यांकन की योजना बनाने के लिए प्रणाली (iv) राज्य में मूल्यांकन की मांग (v) राज्य में व्यक्तिगत और प्रणालीगत क्षमताओं का आकलन, और (vi) मूल्यांकन अंतर्दृष्टि का प्रसार।

नैदानिक उपकरण से डेटा राज्यों में मूल्यांकन करने की मौजूदा क्षमता के बारे में हमारी समझ को गहन करेगा और साथ ही उन्हें बेहतर प्रदर्शन की ओर प्रेरित करेगा।

क्षमता निर्माण पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वेबिनार और प्रशिक्षण सत्र

जनवरी 2022 तक, डीएमईओ ने शहरी, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों पर डीएमईओ के मूल्यांकन अध्ययनों से अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पांच वेबिनार आयोजित किए। इसके अलावा, मूल्यांकन नैदानिक उपकरण पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक वेबिनार आयोजित किया गया। देश भर में निगरानी और मूल्यांकन की क्षमताओं के निर्माण के महत्व को उजागर करने और डीएमईओ की प्रमुख पहलों का अवलोकन प्रदान करने के लिए, 22 राज्यों और सात संघ राज्य क्षेत्रों के 500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक ज्ञान साझाकरण सत्र भी आयोजित किया गया।

डीएमईओ ने राज्य में निगरानी और मूल्यांकन की क्षमता को मजबूत करने के लिए डब्ल्यूएफपी के सहयोग से योजना विभाग, राजस्थान सरकार के लिए 28 सितंबर 2021 को एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया।

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के योजना विभाग के पदधारियों के लिए 15 नवंबर, 2021 को उत्पाद और परिणाम विषय पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया। जम्मू और कश्मीर के सरकारी पदधारियों की क्षमता निर्माण के लिए 22 दिसम्बर, 2021 को ओओएमएफ पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का भी आयोजन किया गया।

खंड-V

थिंक-टैंक की गतिविधियां

थिंक-टैंक की गतिविधियां

प्रस्तावना

2021-22 में, नीति आयोग ने सरकार के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अनेक आर्थिक एवं सामाजिक क्षमता का पता लगाना जारी रखने के अलावा कोविड-19 महामारी के आलोक में गंभीर चुनौतियों से निपटने में देश की मदद करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रियता से सहयोग किया।

इस वर्ष, भारत ने यूके के ग्लासगो में सीओपी26 शिखर सम्मेलन में 2070 तक अपने उत्सर्जन को निवल शून्य करने का संकल्प लिया। नीति आयोग ने देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि फेम I और II योजनाएं, मेथनॉल और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्थाएं, परिवहन को कार्बन मुक्त करने की पहल, आदि।

2021-22 में, नीति आयोग ने पुरानी साझेदारियों को जारी रखा और ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण करने के लिए विभिन्न देशों, थिंक टैंकों, और शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्थानों के साथ नई साझेदारियों का निर्माण किया।

अंत में, देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में नीति आयोग के योगदान पर कोई भी चर्चा अटल नवाचार मिशन और एनआईएलईआरडी के उल्लेख के बिना अधूरी है।

लोकोन्मुख प्रौद्योगिकी

माननीय प्रधानमंत्री ने मई, 2020 में नीति आयोग, को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ काम करने की जिम्मेदारी सौंपी जो भारत को पोस्ट-कोविड युग में आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा। इन उत्पादों के 'लोकोन्मुख प्रौद्योगिकी' के सिद्धांतों पर आधारित किया जाना था, जिनके नाम हैं:

क. स्पष्ट संरचना, मॉड्यूलर डिजाइन एवं अंतर सक्रियता
ख. आसानी से पहुंच के साथ सुरक्षित एवं पारदर्शिता
ग. बहुभाषीय: भारत के लिए निर्मित
घ. त्वरित, गतिमान एवं कुशल।

कई निजी क्षेत्र की कंपनियां (टाटा, रिलायंस, महिंद्रा खान एकेडमी, आईबीएम, फोन पे, अमूल, बिग बॉस्केट, अमेजन वेब सर्विस, अपोलो अस्पताल इत्यादि) एवं सरकारी निकाय (राष्ट्रीय औद्योगिकी गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी), नागर विमानन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारत का गुणवत्ता नियंत्रण, बैंक ऑफ बडौदा, एसबीआई) ऐसे सात उत्पादों को विकसित करने हेतु एक साथ आगे आए।

एकीकृत लॉजिक्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म

भारत की आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटाइज करने के उद्देश्य से, एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) को एक एकीकृत, विक्रेता-एगनॉस्टिक प्लेटफार्म प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है जिसका उपयोग कई मंत्रालयों, उद्यमों और संघों में फैले विभिन्न लॉजिस्टिक हितधारकों को जोड़ने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यूलिप, प्रधानमंत्री गतिशक्ति के दृष्टिकोण को व्यवहार में लाता है, जो कि निम्नलिखित को प्राप्त करने हेतु एक विस्तृत स्रोत मोबिलिटी स्टैक के रूप में बनाया गया है:

क. माल की कुशल आवाजाही के लिए शुरू से अंत तक दृश्यता (विज़िबिलिटी) के लिए एक राष्ट्रव्यापी विंडो लॉजिस्टिक प्लेटफार्म हेतु।
ख. पूरी लॉजिस्टिक आपूर्ति मूल्य श्रृंखला में सरकारी एजेंसियों में एकीकृत सूचना का लॉजिस्टिक गेटवे।
ग. सरकारी और निजी संस्थाओं के मध्य एक सुरक्षित डेटा आदान-प्रदान।
घ. वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक में टर्बोचार्ज इंडिया का प्रदर्शन।

वर्तमान में यूलिप का नीति आयोग के साथ परामर्श से एनआईसीडीसी द्वारा नेतृत्व एवं इसे विकसित किया जा रहा है।

अब तक, छह मंत्रालयों/विभागों की 24 लॉजिस्टिक प्रणालियों को 78 एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 1454 क्षेत्र शामिल हैं; और बाकी क्षेत्र प्रक्रिया में है। इकोसिस्टम को अधिक मजबूत बनाने

और इस प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल करने के लिए नीति आयोग अटल नवाचार मिशन, एनआईसीडीसी और एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सर्विसेज लिमिटेड (एनएलडीएसएल) के सहयोग से, विचारों को जनता से एकत्रित करने हेतु एक हैकाथॉन का आयोजन कर रहा है जो लॉजिस्टिक्स उद्योग को लाभान्वित करेगा। श्रेष्ठ समाधानों को न केवल पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि प्रधानमंत्री की गतिशक्ति को आगे बढ़ाने हेतु समाधान का हिस्सा बनने का अवसर भी दिया जाएगा।

समशिक्षा

समशिक्षा भारत का पहला वर्चुअल विश्वविद्यालय है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले, कम लागत वाले, लचीले, परिणाम-संचालित डिग्री प्रदान करने के साथ यूजीसी पाठ्यक्रम के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रमों की एक संशोधित सूची है।

चूंकि इसका बीटा संस्करण फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, इसलिए प्लेटफ़ॉर्म ने 70% छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रासंगिक 1200+ मुफ्त पाठ्यक्रमों को सूचीबद्ध किया है; छह पाठ्यक्रमों में से 22 विषयों को कॉलेज पाठ्यक्रम के लिए मैप किया गया और तीन शिक्षण पद्धतियां (निर्देशित पुस्तकालय, समग्र विकास और शिक्षक विकास) सृजित की गई।

उन्नति

22 करोड़ ब्लू और ग्रे कॉलर श्रमिकों के लिए आजीविका पहुंच को डिजिटल रूप से सक्षम करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच निर्बाध, उन्नति, मल्टी-चैनल है और रोजगार चाहने वालों के साथ रोजगार प्रदाताओं के बीच संपर्क के लिए एआई बैकएंड का उपयोग करती है। 'भारत के प्रत्येक श्रमिक' को कुशल बनाने के मद्देनजर, उन्नति का उद्देश्य राष्ट्रीय कैरियर सेवा 2.0 बनना है - देश के राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और आईटीआई के एकीकरण के माध्यम से रोजगार चाहने वालों के लिए भावीसूचक बुद्धिमत्ता-आधारित कौशल सुझाव प्रदान करना। 10,000 से अधिक रोजगार चाहने वालों और 150 से अधिक नियोक्ताओं ने उत्पाद का पता लगाया है और इसके लिए एक सुदृढ़ समानता व्यक्त की गई है।

केवाईसी सेतु

यह एक त्वरित, लागत प्रभावी और पूरी तरह से डिजिटल समाधान है जो यूपीआई को एक अंतर संचालित अवसंरचना पटल के रूप में उपयोग करके केवाईसी को सक्षम करता है। यह यूपीआई डिजिटल भुगतान करने की तरह सरल, एक आसान प्लग-एंड-प्ले उपयोगिता है जिसके लिए एनपीसीआई, बैंकों और फिनटेक द्वारा न्यूनतम काम की आवश्यकता होती है और फिर भी किसी भी

मोबाइल फोन पर त्वरित, सुरक्षित और पूरी तरह से डिजिटल ई-केवाईसी प्लेटफॉर्म की अनुमति देता है। उत्पाद ने पहले से ही एक पायलट परियोजना के माध्यम से अपनी क्षमताओं को स्थापित किया है जिसने एसबीआई कार्ड और फोन पे के साथ 5 मिलियन से अधिक लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एपीआई के एक सेट द्वारा संचालित उत्पाद, एनपीसीआई में रियल है और इसमें एक समर्पित टीम काम कर रही है।

काशी

काशी निम्न-मध्यम आय वर्ग के लिए एक कम जोखिम वाला उधार देने वाला उत्पाद है जो अंडरराइटिंग के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आय का लाभ उठाता है। वर्तमान में डीएफएस और नीति आयोग के नेतृत्व में यह उत्पाद विभिन्न संस्थाओं और प्रणालियों जैसे बैंकों, यूआईडीएआई, एनएसडीएल आदि के साथ विकास और एकीकरण के अंतिम चरण में है।

स्वस्थ

स्वस्थ समझौता का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य देखभाल समावेशन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है। स्वस्थ के पास एक मजबूत मुख्य टीम, 200 से अधिक स्वयंसेवक और क्रिस गोपालकृष्णन के नेतृत्व में एक स्वतंत्र बोर्ड है।

कृषि नीव

कृषि नीव ने कृषि में प्रौद्योगिकी अंत:क्षेप को बढ़ावा देने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच के उपयोग के मामलों की पहचान करने में मदद की। हालांकि, यह एक वास्तविक सामान्य मंच की अवधारणा में बदलाव नहीं कर सका। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वर्तमान में एक कृषि-स्टैक पर काम कर रहा है, जो अनिवार्य रूप से एक डेटा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है।

सीमांत प्रौद्योगिकियां

जिम्मेदार एआई

1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएआई), जो 2018 में जारी की गई, ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की आर्थिक और सामाजिक क्षमता पर प्रकाश डाला। एआई से 2035 तक भारत की वार्षिक विकास दर में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि करने की उम्मीद है और इसमें 'सभी के लिए एआई' की दिशा में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अपनाने की क्षमता है। एआई का विकास चुनौतियों के बगैर नहीं रहा है। पक्षपात, स्पष्टीकरण के अभाव तथा निजता के उल्लंघन के उदाहरणों से पूरे विश्व में सरोकार उत्पन्न हुए हैं और ये भारत में एआई के अंगीकरण एवं विकास में बाधक बने हैं।
2. डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषण, और सीमांत प्रौद्योगिकी वर्टिकल ने भारत में एआई के जिम्मेदार प्रबंधन के लिए कार्यनीति की पहचान करने के लिए डब्ल्यूईएफ के समर्थन से एक परामर्श श्रृंखला का आयोजन किया। सिद्धांतों पर केंद्रित दो भागों वाले कार्यनीति दस्तावेज़ का भाग 1, फरवरी 2021 में जारी किया गया, जबकि भाग 2, अगस्त 2021 में जारी किया गया जिसमें प्रस्तावित प्रवर्तन तंत्र को कवर किया गया है।
3. वर्तमान में जिम्मेदार एआई के लिए विशिष्ट क्षेत्रगत दृष्टिकोण की दिशा में भावी चर्चा प्रगति पर है।

उभरती प्रौद्योगिकियां

उपरोक्त के अलावा, यह वर्टिकल वर्तमान में विभिन्न अन्य क्षेत्रों पर नीति दस्तावेजों पर काम कर रहा है, जिसमें एक्सआर रणनीति, शिक्षा प्रौद्योगिकी और विधिक प्रौद्योगिकी को सहज तरीके से बढ़ावा देना, बायो बैंक का निर्माण करना आदि शामिल हैं।

प्रायोगिक परियोजनाएं

1. **नैदानिक निर्णय सहायता प्रणालियां :** लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एल्सेवियर रिलिक्स और पीरामल स्वास्थ्य के सहयोग से मातृत्व और बाल स्वास्थ्य यात्रा के लिए एआई आधारित घोषणात्मक नैदानिक निर्णय सहायता प्रणाली और मार्ग प्रौद्योगिकी के उपयोग की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया गया। यह परियोजना बहराइच, उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी; मई 2021 में समाप्त हुई थी तथा परियोजना रिपोर्ट बाद में जारी की गई।
2. **एआई एंथ्रोपोमेट्री :** समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए एआई समर्थित और स्मार्टफोन आधारित एंथ्रोपोमेट्री का उपयोग करके जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं की पहचान की गई। वाधवानी एआई, पीरामल स्वास्थ्य और पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के सहयोग से बलरामपुर, उत्तर प्रदेश और बारां, राजस्थान के आकांक्षी जिलों में इस पर शोध अध्ययन किया जा रहा है।
3. **डायबीटिक रेटिनोपैथी :** एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेटिंग में गैर संचारी रोगों की शीघ्र पहचान और जांच के लिए एआई प्लेटफॉर्मों के उपयोग और अपनाने का अध्ययन करने के लिए पंजाब के मोगा नामक आकांक्षी जिले में यह प्रायोगिक परियोजना लागू की जा रही है।
4. **व्यापार वित्त के लिए ब्लॉक चेन :** यह वर्टिकल व्यापार वित्त में ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी की कारगरता का परीक्षण करने और शासन से संबंधित चुनौतियों को समझने के लिए पोर्ट ऑफ रॉटरडैम, आईसीआईसीआई बैंक और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ काम कर रहा है।
5. **परिवर्धित रियलिटी शिक्षा :** कम पीटीआर (छात्र और शिक्षक अनुपात) वाले स्कूलों में स्वयं सुकर शिक्षण उपकरण के रूप में परिवर्धित रियलिटी शिक्षा की कारगरता और मापनीयता का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी, जिससे एसटीईएम विषयों की सीखने और बेहतर समझ दोनों में निरंतरता बनी रहे।

आकाश से दवाएं

नीति आयोग ने तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के सहयोग से दूरस्थ क्षेत्रों में टीकों की डिलीवरी के लिए मानव रहित हवाई प्रणालियों का प्रयोग शुरू करने पर 'मेडिसीन फ्रॉम द स्काई' परियोजना शुरू की। ये ड्रोन परीक्षण ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के लिए जमीनी कार्य तैयार करने पर केंद्रित हैं जिससे दूरस्थ और कमजोर समुदायों के लिए स्वास्थ्य देखरेख की महत्वपूर्ण आपूर्ति तक पहुंच में सुधार होगा। इसके दायरे में एमएमआर (मातृत्व मृत्यु दर), फ्लू और कोविड-19 के टीके की डिलीवरी शामिल है।

सितंबर 2021 में, विकाराबाद जिले में बियॉन्ड द विज़ुअल लाइन ऑफ़ साइट (बीवीएलओएस) ड्रोन का उपयोग करके तेलंगाना टीके की डिलीवरी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। आठ प्रतिभागी परिसंघों ने बीवीएलओएस ड्रोन का उपयोग करके वैक्सीन का वितरण किया। प्रयोग के लिए सोलह कोरिडोर के एयर एनवेलोप निर्धारित किए गए थे। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पीएचएफआई), नीति आयोग और तेलंगाना सरकार के साथ इंडस्ट्री कोर ग्रुप स्थापित किया गया। निर्णयों और सुधार के लिए व्यापक डेटा प्राप्त किया गया। 300 ट्यूबरवैक खुराक की डिलीवरी के लिए 26 किमी का एक रिकॉर्ड मार्ग कवर किया गया, जिससे डिलीवरी के समय में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई। वर्तमान में, इन गलियारों के स्थायी संचालन पर चर्चा चल रही है।

इसी तरह का एक परियोजना प्रस्ताव पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के साथ विचाराधीन है।

डिजिटल बैंकिंग

हितधारक परामर्श के लिए 'भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव : लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था' पर एक चर्चा दस्तावेज जारी किया गया है। यह दस्तावेज भारत में डिजिटल बैंकों की लाइसेंसिंग और नियामक ढांचे के लिए एक टेम्पलेट और रोड मैप का प्रस्ताव करता है।

कृषि प्रौद्योगिकी

चुनौतियों की पहचान करने और देश में कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आगे का रास्ता प्रस्तावित करने के लिए नीति आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय परिवर्तनकारी गतिशीलता एवं बैटरी भंडारण मिशन

भारत में स्वच्छ, कनेक्टेड, साझा, टिकाऊ और समग्र गतिशीलता पहल को आगे बढ़ाने के लिए मार्च 2019 में नीति आयोग में राष्ट्रीय परिवर्तनकारी गतिशीलता एवं बैटरी भंडारण मिशन की स्थापना की गई।

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माण और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन की त्वरित अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना (फेम) का दूसरा चरण शुरू किया गया।

इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम करने के लिए कदम

फेम II के तहत, दुपहिया और तिपहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों की लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. दोपहिया वाहनों के लिए अग्रिम प्रोत्साहन बढ़ा दिया गया है
2. तिपहिया वाहनों के लिए एग्रीगेशन मॉडल अपनाया गया है
3. इलेक्ट्रिक बसों के लिए ओपेक्स मॉडल और लाइटहाउस सिटीज का दृष्टिकोण अपनाया गया है

एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई

सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल के निर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दे दी है। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की लागत में कमी आएगी। इस कार्यक्रम को 18,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पांच साल के लिए मंजूरी दी गई थी, और पांच साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए 25,938 करोड़ रुपये के पीएलआई को मंजूरी दी गई थी।

साथ ही, अधिकांश राज्यों ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की है और नीति आयोग इसके विकास के लिए अन्य राज्यों की मदद कर रहा है।

फोटो कॉपीराइट © क्रार्देज इंडिया

शून्य अभियान

नीति आयोग ने सितंबर 2021 में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के सहयोग से शून्य अभियान शुरू किया जो उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य प्रदूषण छोड़ने वाले वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है। इस अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण छोड़ने के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करना है।

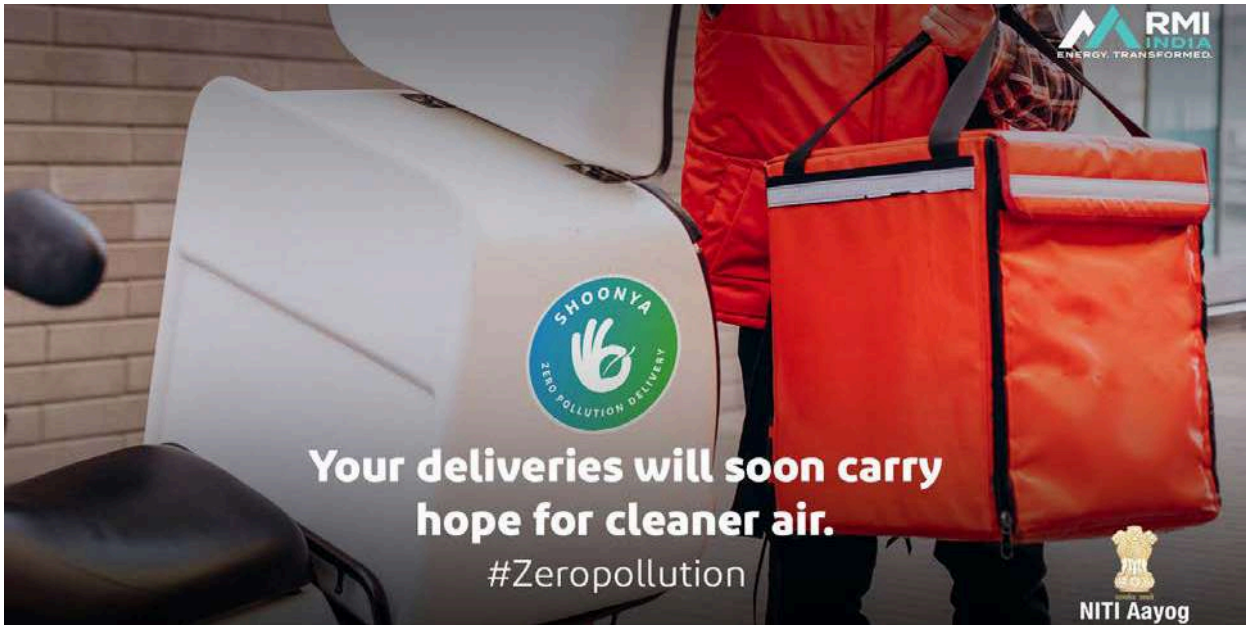

ई-अमृत पोर्टल

भारत ने नवंबर 2021 में यूके के ग्लासगो में सीओपी 26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल 'ई-अमृत' लॉन्च किया। ई-अमृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सभी सूचनाओं जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, उनकी खरीद, निवेश के अवसरों, नीतियों, सब्सिडी आदि के बारे में वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इस पोर्टल को यूके सरकार के साथ एक सहयोगी ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित यूके–भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के अंग के रूप में नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। ई-अमृत का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर जागरूकता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लाभों पर उपभोक्ताओं को संवेदनशील बनाने पर सरकार की पहलों का पूरक बनना है।

आईआईटी के साथ सहयोग

नीति आयोग परिवर्तनकारी गतिशीलता में अनुसंधान और नवाचार के लिए विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए पाठ्यक्रम और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम विकसित करने के लिए अब तक नौ आईआईटी आगे आए हैं।

एशियाई विकास बैंक के साथ सहयोग

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) तकनीकी सहायता के माध्यम से कई उच्च स्तरीय पहलों पर मिलकर काम कर रहे हैं। इस सहयोग के तहत महत्वपूर्ण गतिविधियों में से कुछ इस प्रकार हैं : मूल्य श्रृंखला में विभिन्न ईवी फ्लीट ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों के लिए ऋण की वृद्धि, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का मूल्यांकन और भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना घटक का निर्माण।

अन्य कदम

1. वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का मानचित्रण
2. देश में ईवी स्टार्ट-अप के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना
3. टियर 1 के शहरों के लिए व्यापक ई-मोबिलिटी योजना विकसित करना
4. इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए उद्योग, शैक्षणिक संस्थाओं और थिंक टैंक के साथ निरंतर जुड़ाव और परामर्श।

मेथनॉल अर्थव्यवस्था

भारत वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ऐसी संभावना है कि यह 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में 25 प्रतिशत वृद्धि के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी उम्मीद है कि 2040 तक हमारे देश की ऊर्जा मांग में 3.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि होगी। हालांकि, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता 2005-06 में 73 प्रतिशत और 17 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में क्रमशः 81 प्रतिशत और 40 प्रतिशत हो गई है।

मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (डीएमई) बढ़ते आयात को कम करने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत में मेथनॉल का उत्पादन और उपयोग प्रारंभिक चरण में है; हालांकि, मेथनॉल के व्यापक अनुप्रयोगों के कारण, विकास की जबरदस्त गुंजाइश है। नीति आयोग भारत में मेथनॉल अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप में अपनाने की दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों को प्रेरित कर रहा है।

नीति आयोग ने गैसोलीन में 15 प्रतिशत मेथनॉल के सम्मिश्रण पर एक श्वेतपत्र तैयार किया था और इसे पीएमओ के साथ साझा किया था, जिसमें जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन रणनीति के अंग के रूप में एम 15 मिश्रण को शामिल करने के लिए सभी हितधारकों को नीतिगत निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके अधिक राख वाले कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए हैदराबाद में भारत का पहला संयंत्र शुरू किया। भेल ने सिनगैस का उत्पादन करने और सिनगैस को 99 प्रतिशत शुद्धता के साथ मेथनॉल में बदलने के लिए एक द्रवीकृत बेड गैसीकरण तकनीक विकसित की है जो अधिक राख वाले भारतीय कोयले के लिए उपयुक्त है। प्रतिदिन 0.25 मीट्रिक टन की मेथनॉल उत्पादन क्षमता वाली यह प्रायोगिक परियोजना नीति आयोग द्वारा शुरू की गई है और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वित्त पोषित है।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत ने पेट्रोल में मिश्रित 15 प्रतिशत मेथनॉल वाले वाहनों के परीक्षण के स्टेटस और एम 15 पर सहनशक्ति अध्ययन के लिए प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, महिंद्रा एंड

महिंद्रा लिमिटेड, हीरो मोटो कॉर्प्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

नीति आयोग के प्रयास से, आईओसीएल और एआरएआई ने दो और चार पहिया वाहनों में एम 15 मिश्रण के साथ उत्सर्जन के साथ-साथ सामग्री संगतता परीक्षण किए हैं।

एआरएआई द्वारा डीएसटी के वित्त पोषण से विभिन्न अन्य परीक्षण, विशेष रूप से सुगमता और स्थायित्व पर, किए जा रहे हैं। एआरएआई ने 4 अक्टूबर 2021 को एम 15 ईंधन के साथ दो और चार पहिया वाहनों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक फ्लैग-ऑफ इवेंट का आयोजन किया।

एआरएआई ने ई10 (90 प्रतिशत) + एम15 (10 प्रतिशत), ई10 (50 प्रतिशत) + एम15 (50 प्रतिशत), ई10 (10 प्रतिशत) + एम15 (90 प्रतिशत) जैसे मिश्रणों के लिए उत्सर्जन परीक्षण के परिणामों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन मिश्रणों के साथ विशेष रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में कमी के मामले में परिणाम बहुत उत्साहजनक पाए गए। शेष परीक्षणों के पूरा हो जाने के बाद, पूर्वोत्तर क्षेत्र में एम 15 कार्यक्रम शुरू किया जाना है।

आईओसीएल ने प्रथम एम15 वितरण स्टेशन के लिए असम के तिनसुकिया जिले में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। ये स्टेशन जनवरी 2022 तक चालू हो जाएंगे। आईओसीएल ने गैसोलीन के साथ मिलाने के लिए 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन (38 किलो लीटर प्रतिदिन) मेथनॉल प्राप्त करने के लिए असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मेथनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए, असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने मेथनॉल उत्पादन की अपनी क्षमता को बढ़ाकर 600 टन प्रतिदिन कर दिया है और इसका 50 प्रतिशत एम 15 कार्यक्रम को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

खाना पकाने के ईंधन के रूप में मेथनॉल का प्रयोग करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने घरेलू मेथनॉल कुकस्टोव - कनस्तर पर एक प्रारंभिक मसौदा तैयार किया है। जब भारतीय मानक ब्यूरो को सभी हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त हो जाएंगी तब अंतिम मसौदे को सार्वजनिक किया जाएगा।

हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था

पीएमओ के निर्देश के अनुसार, नीति आयोग भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में प्रयास कर रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नीति आयोग ने संबंधित हितधारकों के साथ इस पर कई विचार-मंथन सत्र आयोजित किए हैं। 22 अप्रैल 2021 को इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था पर एक प्रस्तुति दी गई। उनके सुझावों के आधार पर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल और अटल नवाचार मिशन ने पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों और नवप्रवर्तकों को सक्षम करने के लिए संयुक्त रूप से एक रूपरेखा तैयार की है।

थिंक टैंक के साथ सहयोग

शासन और अनुसंधान

अग्रणी थिंक टैंकों के साथ चर्चा

नीति आयोग ने देश के प्रमुख थिंक टैंकों के साथ बातचीत की एक श्रृंखला शुरू की है। इन बैठकों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करना है।

इस तरह की पहली बैठक फरवरी 2021 में, दूसरी मई में और तीसरी अगस्त में हुई थी। नवंबर में हुई चौथी बैठक में 73 प्रमुख थिंक टैंकों को आमंत्रित किया गया था।

इस तरह की बातचीत सभी सेक्टरों और भौगोलिक क्षेत्रों से नीति निर्माण के लिए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य लाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं प्रबंधन पर विशेषज्ञ समूह के साथ परामर्श

नीति आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में 13 जुलाई 2021 को खाद्य सुरक्षा एवं प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 20 प्रमुख थिंक टैंकों के विशेषज्ञों के साथ एक परामर्श का आयोजन किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खरीद, वितरण, चीनी क्षेत्र के मुद्दे और उर्वरक में डीबीटी आदि पर चर्चा शामिल थी।

अर्थ और वित्त

आर्थिक संभावनाओं पर चर्चा

18 मई 2021 को 35 थिंक टैंकों और संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ 'महामारी के बीच परिप्रेक्ष्य' पर एक बैठक आयोजित की गई। 17 नवंबर 2021 को 73 थिंक टैंकों और संस्थानों के साथ 'भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर एक और बैठक हुई।

स्वास्थ्य और पोषण

भारत में कोविड-19 पश्चात स्वास्थ्य प्रणाली पर चर्चा

भारत के लिए कोविड के बाद एक लचीली स्वास्थ्य प्रणाली का प्रस्ताव करने के लिए सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र के 28 विशेषज्ञों के साथ एक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया जो कोविड-19 जैसी महामारियों का सामना कर सके।

चर्चा के दौरान प्रमुखता के साथ उभरकर सामने आने वाले विचार इस प्रकार थे :

1. खर्च करने की क्षमता और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के लिए अधिक व्यय की आवश्यकता और आर्थिक संकुचन
2. स्थानीय सरकारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के स्टार्ट-अप का सहयोग
3. आयुष प्रणाली की उच्च क्षमता का दोहन
4. 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के तहत एक प्रणाली का निर्माण
5. रिपोर्टिंग के बोझ को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग
6. इस संबंध में रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता है कि कैसे कम से अधिक कुशल खर्च की ओर बढ़ना है, जिससे रोगियों के जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके
7. कोविड-19 से ठीक हुए लोगों का जोखिम स्तरीकरण
8. स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च के लिए सीएसआर वित्त पोषण और सामुदायिक वित्त पोषण का अनुकूलन
9. गैर गंभीर / परिहार्य बीमारियों के लिए बिस्तरों के अधिभोग से बचने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों के उन्नयन पर ध्यान देना
10. क्षेत्र विशिष्ट समाधानों को लागू करने के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर इस प्रकार की परामर्शी बैठकें आयोजित करना
11. स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और सरपंच नेटवर्क का लाभ उठाना

मानसिक स्वास्थ्य पर निमहंस और अन्य के साथ जुड़ाव

निमहंस के सहयोग से स्वास्थ्य और पोषण वर्टिकल व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की परिकल्पना कर रहा है। अब तक, नीति आयोग ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं :

1. भारत में मानसिक स्वास्थ्य के संपूर्ण परिदृश्य और सेवा मानचित्र का निर्माण करना
2. सामुदायिक मनोरोग प्रशिक्षण पर हितधारकों के साथ सहयोग
3. मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और पदार्थ दुरुपयोग के विकारों के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का एक नेटवर्क विकसित करना
4. गैर विशेषज्ञ संबद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेवा अंतराल का पता लगाना
5. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के अनुरूप सामुदायिक जागरूकता और अपनत्व को मजबूत करना

शहरीकरण का प्रबंधन

विशेषज्ञ समूह के साथ परामर्श

शहरी परिभाषाओं, महानगरीय शासन, स्थानीय स्वशासन मॉडल, शहरी प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रणालियों आदि से संबंधित नए विचारों और दृष्टिकोणों पर विचार-विमर्श करने के लिए नीति आयोग के विशेष सचिव ने 28 जून 2021 को अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं और थिंक टैंकों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

देशों के साथ सहयोग

ऑस्ट्रेलिया

आर्थिक नीति के प्रमुख प्रश्नों पर अंतर्दृष्टियों को साझा करने, परस्पर हित के विषयों पर संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने, आपसी समझ बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्मिकों के विनिमय दौरों का आयोजन करने तथा वार्षिक आर्थिक नीति संवाद का आयोजन करने के उद्देश्य से 14 जुलाई, 2017 को नीति आयोग और ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरी के बीच आशय विवरण (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए गए।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट एसी ने ऑस्ट्रेलिया–भारत व्यापक आर्थिक सहयोग करार को गति प्रदान करने के लिए 5 अगस्त 2021 को नीति आयोग का दौरा किया। वर्तमान में, दोनों पक्ष अवसंरचना में दोतरफा निवेश को सुगम बनाने के लिए निवेशकों के साथ परियोजना के अवसरों का मिलान करने; नियामक अनुभव एवं विशेषज्ञता को साझा करने; और व्यापारिक संबंधों को बेहतर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया–भारत अवसंरचना मंच स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

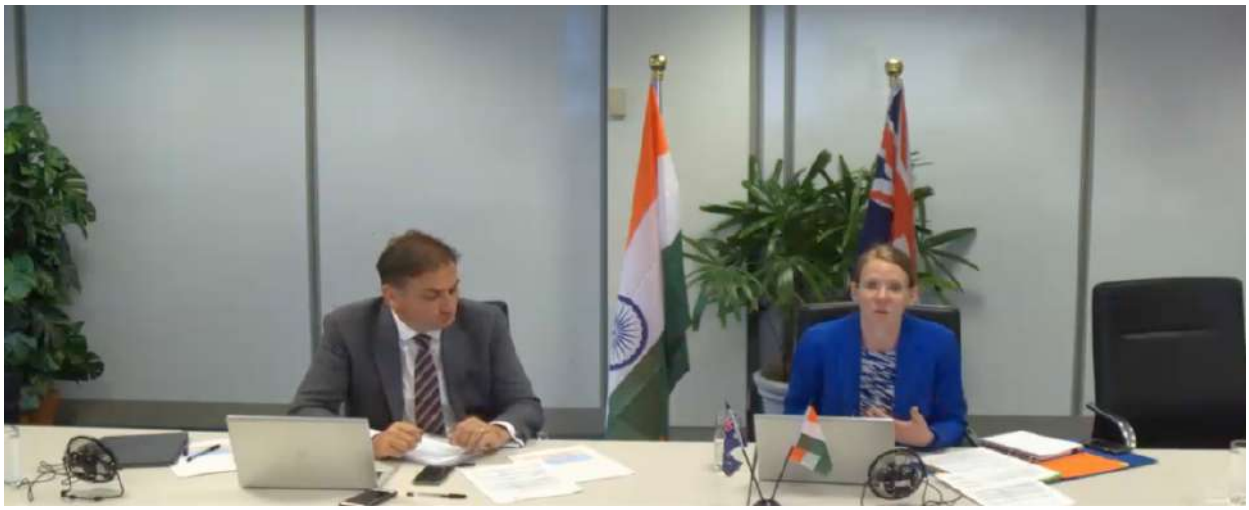

नीति आयोग और ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरी की दूसरी वार्ता का नेतृत्व सुश्री लीज़ा एलिस्टन ने किया, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थ और सुरक्षा प्रभाग, ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजरी की प्रमुख हैं।

रूस

भारत–रूस सामरिक आर्थिक वार्ता (आईआरएसईडी) : साझेदारियों को संभव बनाने के लिए मंच का सृजन करने, आर्थिक नीति के क्षेत्र में अनुभवों को साझा करने, रूसी परिसंघ तथा भारत गणराज्य के नागरिकों के बीच नियमित बातचीत के आयोजन एवं सहयोग के लिए 5 नवंबर, 2018 को नीति आयोग और आर्थिक विकास मंत्रालय, रूस के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

आईआरएसईडी की तीसरी बैठक 15 अप्रैल, 2021 को हुई थी। इस वार्ता के दौरान आईआरएसईडी के तहत गठित छह समन्वय समितियों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। प्राथमिकता देने के लिए सहयोग के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई :

1. **परिवहन अवसंरचना और प्रौद्योगिकियों का विकास :** अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कोरिडोर का संचालन करने के लिए।
2. **लघु और मध्यम व्यापार सहायता :** राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के एमएसएमई मार्ट को रूसी पक्ष के समान पोर्टल से जोड़ना।
3. **व्यापार, बैंकिंग, वित्त और उद्योग में सहयोग :** सम्मेलन और मान्यता एवं रिवार्ड प्लेटफार्मों का उपयोग करके निर्यातकों और आयातकों के बीच बातचीत को सुगम बनाना।

4. **डिजिटल परिवर्तन और सीमांत प्रौद्योगिकियां :** अन्य बातों के साथ-साथ, साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, बायोमेट्रिक्स और आईसीटी के लिए विश्वसनीय वातावरण को आगे बढ़ाने का सुनिश्चय करना।

नीति आयोग के विशेष सचिव के. राजेश्वर राव ने भारत की ओर से तीसरे आईआरएसईडी के लिए विवरण पर हस्ताक्षर किए

भारत–रूसी सुदूर पूर्व एवं आर्कटिक : इन दो क्षेत्रों में व्यापार, अर्थ एवं निवेश के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करके भारत और रूस के बीच सामरिक साझेदारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए नीति आयोग और रूसी सुदूर पूर्व एवं आर्कटिक विकास मंत्रालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू के अनुसार, दोनों पक्ष 2020-25 के लिए रूस के सुदूर पूर्व एवं आर्कटिक क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेंगे। यह कार्यक्रम निवेश परियोजनाओं के कार्यान्वयन में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा व्यापार में वृद्धि करने के लिए क्षेत्रों के बीच वार्ता का आधार होगा।

यूरोपीय संघ

जुलाई 2020 में 15वें भारत–यूरोपीय संघ (ईयू) शिखर सम्मेलन के दौरान एआई पर एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया। इस कार्यबल ने तैनाती और संभावित विस्तार के लिए एआई के पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रीय उपयोग के मामलों की पहचान करने और उन्हें लागू करने; बायोबैंक की इमेजिंग के लिए सहयोग करने; और एक कनेक्टेड एआई रिसर्च इकोसिस्टम का निर्माण करने का प्रयास किया। 24 जून 2021 को भारत–यूरोपीय संघ एआई की पहली बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार एना रॉय और डीजी कनेक्ट के निदेशक लुसिला सिओली ने संयुक्त रूप से की।

जर्मनी

कृषि विज्ञान, सीमांत प्रौद्योगिकियों, जलवायु और सतत विकास लक्ष्यों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 23 नवंबर, 2021 को नीति आयोग और जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

चीन

नीति आयोग–विकास अनुसंधान केन्द्र (डीआरसी) वार्ता : 15 मई 2015 को नीति आयोग तथा डीआरसी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए संयुक्त अनुसंधान और दौरों, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों के माध्यम से द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए संवाद स्थापित करना है। अब तक पांच संवाद का आयोजन हो चुका है तथा भारत में चीनी निवेश के लिए अवसरों की पहचान करने के लिए संयुक्त अध्ययन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

भारत–चीन सामरिक आर्थिक संवाद : दिसंबर 2010 में तत्कालीन योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग (एनडीआरसी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस एमओयू के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए भारत–चीन सामूहिक आर्थिक वार्ता (एसईडी) स्थापित की गई जो दोनों देशों की आर्थिक प्रगति के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब तक, 6 एसईडी का आयोजन हो चुका है।

डेनमार्क

भारत–डेनिश द्विपक्षीय हरित रणनीतिक साझेदारी के अंग के रूप में, अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और इनोवेशन सेंटर डेनमार्क (आईसीडीके) ने 'नेक्स्ट जेनरेशन वाटर एक्शन' के अंग के रूप में एक खुले इनोवेशन वॉटर चैलेंज की मेजबानी करने के लिए सहयोग किया है, जो डेनमार्क तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है।

मई 2021 में नेक्स्ट जेनरेशन वाटर एक्शन के फ़ाइनल में, एआईएम और आईसीडीके ने 400 आवेदकों में से दस टीमों का चयन किया, जिसमें छात्रों की छह और स्टार्ट-अप की चार टीमें शामिल थीं।

सऊदी अरब

सऊदी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप

आर्थिक क्षेत्रों पर रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए नीति आयोग और सऊदी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (एससीआईएसपी) को संबंधित देशों के नोडल विभागों के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत और एससीआईएसपी के बीच वरिष्ठ अधिकारियों की दूसरी बैठक 8 अप्रैल, 2021 को हुई और इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ और एससीआईएसपी के सीईओ ने की। दोनों देश प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश योग्य परियोजनाओं की पहचान करने के लिए निरंतर चर्चा में हैं।

यूएसए

भारत–यूएसए सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी

इस सहयोग के तहत, नीति आयोग और यूएसएआईडी 'सतत विकास' स्तंभ का नेतृत्व करते हैं। कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा डेटा प्रबंधन, और भारी उद्योगों का संक्रमण और विकार्बनीकरण जैसे क्षेत्रों में काम किया गया है।

भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम

यूएसएआईडी और नीति आयोग ने 2 जुलाई 2020 को संयुक्त रूप से भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम (आईईएमएफ) लांच किया। इस फोरम का उद्देश्य मॉडलिंग और दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन के कार्यों में हितधारकों को शामिल करना है। छह मॉडलिंग अध्ययनों के विषयों और कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप देने के लिए कई संचालन समिति और अंतर-मंत्रालयी बैठकों का आयोजन किया गया है।

सीओपी 26 की पंचामृत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, आईईएमएफ जलवायु और आर्थिक मॉडलिंग को शामिल करने के लिए अपनी गतिविधियों के दायरे का विस्तार कर रहा है और भारत को जलवायु एवं ऊर्जा मॉडलिंग फोरम के रूप में विकसित कर रहा है।

एजेंसियों के साथ सहयोग

एडोबी

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और एडोबी ने सभी अटल टिंकरिंग लैब्स को एडोब क्रिएटिव क्लाउड और स्पार्क सेवाओं की पेशकश की है–अब तक 100 से अधिक स्कूलों ने इनका उपयोग किया है। इस पर सात राज्यों में शिक्षक–प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। मेंटर के लिए एडोबी क्रिएटिव एजुकेटर सत्र भी आयोजित किए गए हैं।

ला फोंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स

ला फोंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स के सहयोग से एआईएम ने भारत में छात्र उद्यमिता कार्यक्रम की तीसरी श्रृंखला (एसईपी 3.0) शुरू की।

एसईपी 3.0 की थीम 'मेड इन 3डी: सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम' है, जिसकी अवधारणा 2017 में फ्रांस में पहले ला मेन आ ला पाटे फाउंडेशन और ला फोंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स यूरोप द्वारा तैयार की गई थी और शुरू किया गया था।

इस कार्यक्रम के अंग के रूप में, प्रत्येक एटीएल स्कूल की एक टीम को अपने स्टार्ट-अप का निर्माण करने, 3डी प्रिंटिंग का उपयोग करके अपने नवाचार को डिजाइन करने और प्रोटोटाइप बनाने, विपणन अभियान तैयार करने, उत्पाद मूल्य निर्धारण को परिभाषित करने और विस्तार रणनीति का निर्माण करने के लिए सीड फंडिंग आवंटित की जाएगी।

डेल

एआईएम ने एटीएल गेमिंग मॉड्यूल प्लेटफॉर्म का विकास करने में डेल के साथ सहयोग किया है जिसने ट्रैक्शन प्राप्त किया है और 13,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त किए हैं। अब तक 882 स्कूलों ने इसका प्रयोग किया है और 5000 से अधिक छात्रों और 300 शिक्षकों को इस पर प्रशिक्षण दिया गया है। इस साझेदारी ने कौशल विकास और अवसंरचना सहायता आदि के प्रावधान में मदद की है।

डेल स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम के अंग के रूप में शीकोड्स भी चलाता है। एटीएल मैराथन 2020 की शीर्ष 100 ऑल-गर्ल टीमें शीकोड्स प्रोग्राम कर रही हैं, जिसके तहत डेल के मेंटर्स उन्हें आवश्यक डिजिटल और सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं और साथ ही उनके प्रोटोटाइप को अगले चरण तक बढ़ाते हैं।

आईबीएम

एआईएम ने एटीएल शिक्षक और मेंटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आईबीएम के साथ सहयोग किया है। आईबीएम पिछले डेढ़ वर्षों में 2200 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक प्रणाली रहा है। एआईएम ने एलएलएफ और अन्य कार्यान्वयन भागीदारों के साथ अनबॉक्स टिंकरिंग का भी आयोजन किया है, जो एक शिक्षक प्रशिक्षण सत्र है।

आईबीएम ने स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम के संचालन के लिए एआईएम के साथ भी साझेदारी की है। 2021 में, आईबीएम इंडिया ने 23 स्कूलों के शीर्ष 200 एटीएल मैराथन विजेताओं में से 66 नए इनोवेटर को इंटर्नशिप देने की पेशकश की।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)

नीति आयोग ने आईईए के सहयोग से निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की हैं :

1. **भारत में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण पर रिपोर्ट :** 2018 में आयोजित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं के आधार पर और 2020 एवं 2021 के बीच महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में कार्यशालाओं की एक श्रृंखला के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा एकीकरण के लिए भारत की कम कार्बन संक्रमण रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह रिपोर्ट नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा प्रदान करती है और विद्युत प्रणाली के लचीलेपन के समाधानों की पूर्ण सूची पर प्रकाश डालती है।
2. **क्षमता निर्माण :** बेहतर ऊर्जा डेटा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नीति आयोग और आईईए राज्यों के साथ संयुक्त रूप से काम करते हैं।

आईएनक्यू

आईएनक्यू ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच स्टार्टअप और स्केलअप की मदद करने एवं समृद्ध करने के लिए चल रहे नवाचार एवं उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विनिमय कार्यक्रमों की श्रृंखला को क्यूरेट करने में नीति आयोग को सुगमता प्रदान कर रहा है और मदद कर रहा है। आईएनक्यू ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सॉफ्ट लैंडिंग और स्टार्टअप इनोवेशन लांच पैड के लिए कार्यक्रमों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की है।

एलईजीओ

एआईएम और एलईजीओ एजुकेशन ने 100 एटीएल को अपनाने और शिक्षक प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन के लिए सहयोग किया है।

मोनशाट

एआईएम और मोनशाट का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करना है। मोनशाट के साथ सहयोग व्यापार के अवसरों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान पर केंद्रित है और नवाचार, इनक्यूबेशन और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है।

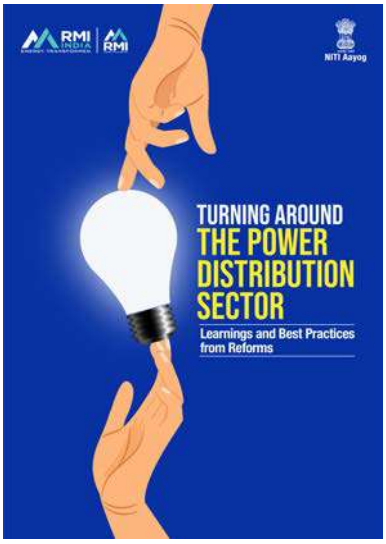

रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट

नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने 03 अगस्त, 2021 को 'टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर' नामक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट सुधारों का मार्ग प्रस्तुत करती है जो इस क्षेत्र में नीति निर्माण में सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में देश के बिजली वितरण क्षेत्र को बदल सकते हैं।

यूनीसेफ

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर नीति आयोग और यूनिसेफ का माइक्रोसिमुलेशन अध्ययन

नीति आयोग और यूनिसेफ देश में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माइक्रोसिमुलेशन के माध्यम से भारत के लिए एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ढांचा का निर्माण करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

इस संबंध में, संदर्भ और पद्धतिगत दृष्टिकोण से अध्ययन पर विशेषज्ञ और स्वतंत्र विचार प्रदान करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया गया।

अध्ययन के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सलाहकार (सामाजिक विकास प्रभाग) की अध्यक्षता में एक तकनीकी समूह का भी गठन किया गया।

19 जुलाई, 2021 को आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान और यूनिसेफ ने अध्ययन के दूसरे चरण पर वर्चुअल रूप में एक प्रस्तुति दी। अध्ययन के तीसरे चरण की प्रगति पर चर्चा करने के लिए 30 सितंबर, 2021 को यूनिसेफ के साथ एक और बैठक हुई।

एआईएम–यूनिसेफ

एआईएम और यूनिसेफ ने छात्रों और शिक्षकों को कुशल बनाने और आशाजनक नवाचारों की पहचान करने और उन्हें बढ़ाने में सहयोग किया है। अब तक, एआईएम और यूनिसेफ ने कई नवाचार कार्यक्रम और बूट कैंप जैसे कि गांधीवादी चैलेंज, एटीएल यंग चैंपियंस और 100 दिवसीय टिंकर फेस्ट की मेजबानी की है।

यूएनडीपी

नीति आयोग और यूएनडीपी ने 11 अक्टूबर, 2021 को स्थायी शहरी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर एक हैंडबुक जारी किया। यह हैंडबुक भारत और अन्य एशियाई देशों के 18 केस स्टडी / सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह है। पुस्तक में संपूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सेवा श्रृंखला के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी शामिल किया गया है। यह पुस्तक शहरी स्थानीय निकायों और इस क्षेत्र में शामिल अन्य हितधारकों को इस हैंडबुक के तहत शामिल सफल व्यवसाय और सेवा मॉडल से सीखने में सक्षम बनाएगी।

सर्वोत्तम प्रथाओं और मॉडलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग और यूएनडीपी ने क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं, एक मुम्बई में 22 नवम्बर, 2021 को और अन्य तिरूपति में 24 दिसंबर, 2021 को।

स्थायी शहरी प्लास्टिक प्रबंधन पर हैंडबुक का विमोचन

वीज़ा

एआईएम और वीज़ा ने स्टार्ट-अप को मेंटरशिप और समर्थन प्रदान करने के लिए सहयोग किया है। वीज़ा ने क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उभरते रुझानों और उत्पादों को उजागर करने के लिए एआईएम के स्टार्ट-अप के लिए एक फिनटेक कार्यशाला और एक फिनटेक रोड शो आयोजित करने की योजना बनाई है। यह रणनीतिक हित के क्षेत्रों पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए भारत सरकार के लिए प्रमुख फिनटेक हितधारकों के साथ वर्चुअल गोलमेज बैठकों का भी आयोजन करता है।

विश्व बैंक

तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत, विश्व बैंक बैटरी की मांग के मूल्यांकन पर रिपोर्ट तैयार करने में नीति आयोग की सहायता कर रहा है। इस रिपोर्ट में (i) ऊर्जा भंडारण मांग के लिए ग्रिड स्तरीय नीति और विनियम ढांचे की तैयारी पर एक अध्ययन (ii) आईएसटीएस (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली) के स्तर पर एक मांग अध्ययन, और (iii) ऊर्जा भंडारण की आवश्यकताओं के लिए वितरण स्तर (राज्यों में) पर दूसरा मांग अध्ययन, शामिल होंगे। अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

भारत में जलवायु लचीलापन और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए 20 दिसंबर, 2021 को विश्व खाद्य कार्यक्रम और नीति आयोग के बीच एक आशय विवरण पर हस्ताक्षर किए गए।

अगले तीन वर्षों में, दोनों संगठन बाजरे को मुख्यधारा में लाने के लिए अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे; राज्य सरकारों, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, और अन्य को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे; संबद्ध मंत्रालयों, संबंधित राज्य विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य के लिए राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन करेंगे; और विभिन्न ज्ञान प्लेटफार्मों के माध्यम से भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाएंगे।

ऑनलाइन विवाद समाधान

कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप समाज का एक बड़ा वर्ग न्याय तक समय पर पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ रहा। महामारी ने विवादों की भरमार को भी बढ़ावा दिया जिसने पहले से ही लंबी अदालती प्रक्रियाओं पर और बोझ डाल दिया। भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग ने उन लोगों को किफायती, प्रभावी और समय पर न्याय दिलाने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल की, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी।

ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) में अदालतों के बोझ को कम करने और कई श्रेणियों के मामलों को कुशलतापूर्वक हल करने में मदद करने की क्षमता है। इसे ई-लोक अदालतों के माध्यम से अदालत से जुड़े वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्रों में प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से न्यायपालिका की मदद करने के लिए भी एकीकृत किया जा सकता है, और आंतरिक विवादों को हल करने के लिए सरकारी विभागों के भीतर भी शुरू किया जा सकता है।

तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके सीकरी की अध्यक्षता में 2020 में नीति आयोग द्वारा कोविड संकट के पीक के दौरान ओडीआर पर एक समिति का गठन किया गया। समिति के घटक सदस्यों में नीति आयोग के सीईओ; विधायी कार्य विभाग के सचिव; न्याय विभाग के सचिव; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव; उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव; उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव और कॉर्पोरेट कार्य विभाग के सचिव शामिल थे।

नतीजतन, नीति आयोग ने विवाद से बचने, रोकथाम और समाधान को ऑनलाइन करने के लिए नवंबर 2021 में 'भारत के लिए ओडीआर नीति योजना' रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों को लागू करके भारत प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय तक प्रभावी पहुंच के लिए ओडीआर के माध्यम से प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने में विश्व में अग्रणी बन सकता है।

रिपोर्ट भारत में ओडीआर ढांचे को अपनाने में चुनौतियों से निपटने के लिए तीन स्तरों पर उपायों की सिफारिश करती है।

यह रिपोर्ट बड़े पैमाने पर ओडीआर लागू करने में भारत को वैश्विक लीडर बनाने की दीर्घकालिक योजना के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करती है। यह इस संबंध में रोड मैप निर्धारित करती है कि विवाद से बचने, रोकथाम और जब लागू हो जाए, तो समाधान के लिए ओडीआर को पहले संपर्क के बिंदु के रूप में कैसे बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निलर्ड), जो नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, श्रम और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है और वर्षों से दुनिया भर में अपनी पहचान प्राप्त की है।

निलर्ड के प्राथमिक उद्देश्यों में अनुसंधान, परामर्श, शिक्षा और प्रशिक्षण, और निगरानी एवं मूल्यांकन शामिल हैं। विकास के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दे केंद्रीय फोकस बन गए हैं जिनकी पृष्ठभूमि में समावेशी विकास और कल्याण पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाता है।

महापरिषद की बैठक

24 नवंबर, 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में निलर्ड की महापरिषद की 52वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। निर्लड के महानिदेशक ने परिषद के सदस्यों को 2021-22 में संस्थान द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया :

1. निलर्ड ने 3 करोड़ रुपये के आंतरिक राजस्व का सृजन करते हुए 15 शोध / मूल्यांकन अध्ययन पूरे किए हैं तथा इसके साथ ही नए अध्ययनों की शुरुआत की है / चल रहे अध्ययनों को जारी रखा है जिससे 1.28 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
2. संस्थान ने विदेश मंत्रालय की ई-आईटीईसी योजना के तहत ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं।

महापरिषद की 52वीं बैठक के दौरान कार्यवाही

कार्यकारी परिषद की बैठक

कार्यकारी परिषद की 101वीं बैठक के दौरान कार्यवाही

निलर्ड की कार्यकारी परिषद की 101वीं और 102वीं बैठकें क्रमशः 27 जुलाई और 27 अक्टूबर 2021 को नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में आयोजित की गईं।

वार्षिक रिपोर्ट

माननीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 20 दिसंबर 2021 को लोक सभा में और 21 दिसंबर 2021 को राज्य सभा में निलर्ड की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 और वार्षिक लेखा परीक्षित लेखा, 2020-21, जो महापरिषद द्वारा अनुमोदित है, प्रस्तुत किए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

2021-22 में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :

- अनुसंधान पद्धति और अनुसंधान में अर्थमिति के अनुप्रयोग पर दो सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 अगस्त से 3 सितंबर 2021 के बीच आयोजित किया गया जो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित किया गया था। कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- ई-आईटीईसी योजना के तहत 6 से 17 सितंबर 2021 तक निगरानी और मूल्यांकन पर एक दस दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 16 देशों के 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।
- 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2021 तक जनशक्ति सूचना प्रणाली पर एक और दस दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा यह भी ई-आईटीईसी योजना के तहत था। इस कार्यक्रम में 12 देशों के 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

संस्थान ने असम औद्योगिक विकास निगम, दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं।

अनुसंधान अध्ययन

1. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास और जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र नामक योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा एक अध्ययन प्रायोजित किया गया था। अध्ययन ने नौ मॉडल परियोजनाओं का आकलन किया, जैसे कि स्कूल-पूर्व और शुरुआती हस्तक्षेप और प्रशिक्षण, और विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल, आदि।

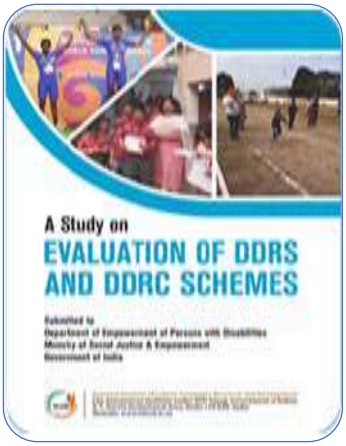

2. पहल के परिणाम और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटर (एसएसआईसी) योजना पर डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा एक अध्ययन प्रायोजित किया गया था।

3. भारत में विकलांगता समावेशी किसान उत्पादक संगठनों का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया गया जो सीबीएम ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित था। अध्ययन ने इन संगठनों की आर्थिक स्थिरता को समझने; कृषि पद्धतियों और आय पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने; विकलांग किसानों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में उनकी भूमिका का मूल्यांकन करने; और इस मॉडल की सोपानीयता और व्यापक रूप से अपनाने की गुंजाइश की जांच करने की कोशिश की।

4. कौशल विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास की अवसंरचना को बढ़ाने पर एक अध्ययन प्रायोजित किया, ताकि निष्पादन, लक्ष्यों की उपलब्धि, सेवाओं की गुणवत्ता और वितरण और क्षेत्र के समग्र कौशल विकास के संदर्भ में इसकी प्रभावशीलता की जांच की जा सके।

5. डीईपीडब्ल्यूडी ने भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर योजना के लिए सहायता के तृतीय पक्ष मूल्यांकन को प्रायोजित किया ताकि इसके परिणाम और प्रभाव का आकलन किया जा सके।

6. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की एक समकक्ष समीक्षा संस्थान द्वारा ही शुरू की गई। समीक्षा में यह आकलन करने की कोशिश की गई कि क्या आईआईपीए ने उन उद्देश्यों को प्राप्त किया है जिनके लिए इसे स्थापित किया गया था और यदि इसी तरह के कार्य अन्य संगठनों द्वारा भी किए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में, क्या संगठन के विलय या समापन की गुंजाइश है।

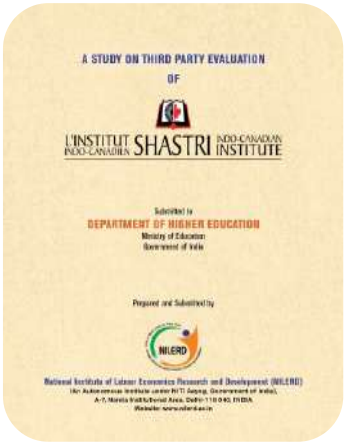

7. शास्त्री इंडो-कैनेडियन इंस्टीट्यूट का तृतीय पक्ष मूल्यांकन संस्थान द्वारा ही शुरू किया गया। इस अध्ययन का समग्र उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या संस्थान ने अपने मूल उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और साथ ही इसका उद्देश्य संस्थान की समग्र भौतिक, वित्तीय और मानव संसाधन प्रगति का आकलन करना था।

8. निलर्ड ने वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी पहलों के कार्यान्वयन से सीखने के सबक पर एक अध्ययन शुरू किया है जो नीति आयोग द्वारा सौंपा गया है। रबर बोर्ड और कॉफी बोर्ड के मूल्यांकन पर एक और अध्ययन किया जा रहा है जो डीएमईओ द्वारा प्रायोजित किया गया है।

खंड-VI

अटल नवोन्मेष मिशन

अटल नवोन्मेष मिशन

प्रस्तावना

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। एआईएम ने स्कूली बच्चों के बीच समस्या सुलझाने वाली अभिनव मानसिकता का पोषण करने और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और एमएसएमई में उद्यमशीलता का एक इकोसिस्टम बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है।

एआईएम की सभी पहलों की वर्तमान में निगरानी की जा रही है और इसे समयोचित एमआईएस प्रणाली का उपयोग करके और गतिशील डैशबोर्ड के माध्यम से व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किया जा रहा है। निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए, एआईएम के अपने कार्यक्रमों की नियमित रूप से तृतीय-पक्ष एजेंसियों द्वारा समीक्षा की जाती है।

अटल टिंकरिंग लैब

अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) हाई स्कूल के छात्रों में नवाचारी सोच को बढ़ावा देने के लिए एआईएम की एक प्रमुख पहल है। एटीएल छात्रों को परंपरा से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह कार्यक्रम छात्रों को डिजाइन के बारे में चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, संगणनात्मक चिंतन और डिजिटल निर्माण जैसे कौशलों से लैस करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। एटीएल योजना के तहत अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना के लिए चयनित स्कूलों को 20 लाख रुपये तक का सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

चयन करना

दिसंबर 2021 तक, सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में 9550 एटीएल मंजूर किए गए हैं, जिसमें 99 आकांक्षी जिलों सहित सभी जिलों में से 90 प्रतिशत से अधिक जिले शामिल हैं।

स्थापित करना

एआईएम ने अपने सहयोगियों के साथ 'अनबॉक्स टिंकरिंग' जैसे कई शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। अब तक 3800 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। ऐप विकास, एटीएल गेम विकास, नवाचार में नैतिकता और नेतृत्व, डिजाइन के बारे में चिंतन आदि पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए हैं।

सक्षम बनाना

2021-22 में, छात्रों के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी पर कई नए ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किए गए, जिनमें एटीएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल, एटीएल गेमिंग मॉड्यूल, एटीएल कोलाबकैड मॉड्यूल, एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल और एटीएल पायथॉन लर्निंग मॉड्यूल शामिल हैं। छात्रों और शिक्षकों के लिए 100 से अधिक वेबिनार आयोजित किए गए, और 10,000 से अधिक छात्रों और 3500 शिक्षकों को काम में लगाया गया। एआईएम ने एटीएल मैराथन, एटीएल टिंकरप्रेन्योर, एटीएल स्पेस चैलेंज और एटीएल कम्युनिटी डे जैसी अपनी प्रमुख प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों को भी जारी रखा।

प्रशंसा करना

एआईएम वॉल ऑफ फ़ेम, परिवर्तन के अनुकरणीय शिक्षक, माह के एटीएल, छात्र नवाचार कार्यक्रम, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम (एसईपी) जैसे कई प्लेटफार्मों और पहलों के माध्यम से सभी छात्रों, शिक्षकों और मेंटर को उनके प्रयासों और अच्छे काम के लिए पहचान प्रदान करता है और प्रोत्साहित करता है।

मेंटर इंडिया

विभिन्न हितधारकों के साथ निर्मित मजबूत भागीदारी एटीएल पहल के लिए महत्वपूर्ण है। संधारणीय संस्थानिक रूपरेखाएं जो विभिन्न साझेदारों की क्षमता, संसाधनों, तकनीकी ज्ञान पर आधारित हैं, कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने की कुंजी हैं। इसके अलावा, चूंकि संकल्पना के रूप में टिंकरिंग हमारे देश में अभी भी एक नई संकल्पना है, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट जगत, शैक्षिक संस्थाओं, उच्च शिक्षा संस्थाओं, सरकार आदि के मेंटरों द्वारा निरंतर सहयोग की आवश्यकता है। यह देखते हुए कि एटीएल गैर निर्देशात्मक प्रकृति का है, मेंटरों से अनुदेशक बनने की बजाय एनेबलर बनने की अपेक्षा है। तकनीकी ज्ञान, नवोन्मेष एवं डिजाइन, व्यवसाय एवं उद्यमिता आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मेंटरों द्वारा योगदान दिया जा सकता है।

2021-22 में, एआईएम ने 5179 मेंटरों और परिवर्तन के 90 क्षेत्रीय मेंटरों के साथ काम किया।

साझेदार इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करके और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके छात्रों के तकनीकी क्षितिज का विस्तार करने में भी सहायता करते हैं।

इस वर्ष, एआईएम ने मेंटर राउंडटेबल का आयोजन किया, जो शीर्ष मेंटरों को पहचान प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है और परिवर्तन के मेंटरों द्वारा किए गए असाधारण कार्यों को साझा करने और प्रशंसा करने के लिए जेम पुस्तक प्रकाशित की।

अटल इंक्यूबेशन सेंटर

अटल इंक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) का उद्देश्य भारत में स्टार्टअप एवं उद्यमियों के लिए सहायक ईकोसिस्टम का निर्माण करते हुए उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना है। एआईएम को विश्व स्तरीय इंक्यूबेटर की स्थापना करने और उनकी सहायता करने का कार्य सौंपा गया है।

इस पहल के तहत, एआईएम 59 ग्रीनफील्ड एआईसी और नौ स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर (ईआईसी) का समर्थन करता है।

अब तक का सफर

2021-22 में उन्नीस अनुवर्ती किश्तों को प्रोसेस किया गया है जिनका कुल परिव्यय 38.05 करोड़ रुपये है।

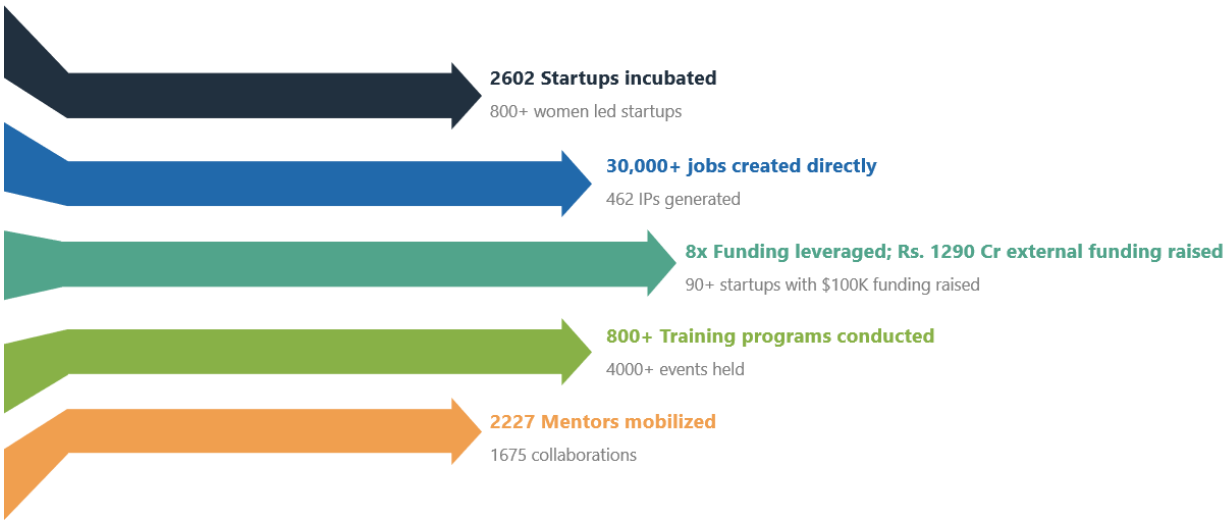

स्टार्टअप ईकोसिस्टम में उत्पन्न प्रभाव

विश्व स्तरीय इनक्यूबेशन इकोसिस्टम का निर्माण करना

अपने एआईसी और ईआईसी को विश्व स्तरीय इनक्यूबेटर बनाने के लिए, एआईएम एक संरचित दृष्टिकोण अपनाता है।

रियल टाइम निगरानी

एआईएम ने ऑनलाइन डैशबोर्ड का प्रयोग करके अपने इनक्यूबेटरों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए अपने डेटा और केपीआई द्वारा संचालित दृष्टिकोण को मजबूत करना जारी रखा है। यह डैशबोर्ड 10 से अधिक महत्वपूर्ण मापदंडों को कैप्चर करता है, जिससे एआईएम को समयबद्ध ढंग से सुधारात्मक कदम उठाने और एआईसी / ईआईसी की सहायता करने में मदद मिलती है।

क्षमता निर्माण

एआईएम टूल किट के साथ उनकी सहायता करने के लिए ईआईसी की कोर टीमों के साथ नियमित क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करता है। ये कार्यशालाएं उद्योग जगत के अग्रणी विचारकों और विशेषज्ञों द्वारा संचालित की जाती हैं। वे नई परियोजनाओं पर विचार करने और सहयोग करने के लिए एक मंच भी प्रस्तुत करती हैं।

एआईएम एक साप्ताहिक ज्ञान साझाकरण सत्र भी चलाता है जहां इनक्यूबेटर के सीईओ / प्रबंधकों और मेंटरों के साथ विशेषज्ञों और थॉट लीडर्स अपने अनुभव साझा करते हैं। 2021-22 में, एआईएम ने कई विषयों को कवर करते हुए 40 से अधिक सत्र आयोजित किए।

अंतर को पाटना

छात्रों की सर्वश्रेष्ठ टीमों को उद्यमशीलता की अपनी यात्रा में तेजी लाने का अवसर प्रदान करने के लिए एआईएम पिछले तीन वर्षों से अटल टिंकरिंग मैराथन चला रहा है।

पिछले दो वर्षों में स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम (एसआईपी) की सफलता के बाद, एआईएम ने 2021-22 में एसआईपी 3.0 लॉन्च किया। एसआईपी के तहत, एटीएल मैराथन की शीर्ष 100 टीमें एक कार्यसाधक प्रोटोटाइप बनाने के लिए एआईसी के साथ तीन महीने तक काम करती हैं।

सामरिक सहयोग और साझेदारियां

एआईएम ने मेंटरशिप और स्केल-अप के माध्यम से अपने स्टार्टअप्स की सहायता करने के लिए मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। एआईएम ने किसी लागत के बगैर मैटलैब / सिमुलिंक के लाइसेंस के लिए मैथवर्क्स के साथ भी भागीदारी की है ताकि स्टार्टअप्स के उत्पादों को अवधारणा से लेकर उत्पादन चरण तक बढ़ाया जा सके।

एआईएम ने गिवफंड्स सोशल वेंचर्स के साथ भागीदारी की है, जो भारत में छोटे से लेकर मध्यम आकार के सामाजिक उद्यमों का समर्थन करने वाला एक प्रभाव निवेश संगठन है, ताकि कम लागत वाली ऋण निधि के रूप में विकास या कार्यशील पूंजी तक पहुंच प्राप्त की जा सके। एआईएम,अमेजन और उलनसेट ने भी सर्वोत्तम संसाधनों, विशेषज्ञता और वित्त पोषण के साथ न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद चरण के पहले और इसके बाद एड-टेक स्टार्टअप की मदद करने के लिए हाथ मिलाया है।

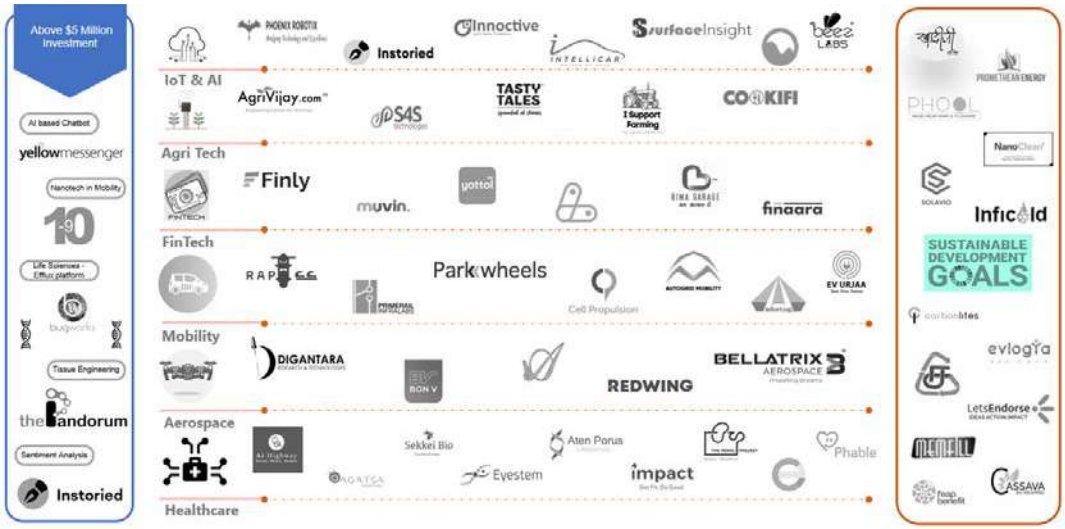

अब तक की सफलता की कहानियां

अटल सामुदायिक नवोन्मेष केंद्र

अटल सामुदायिक नवोन्मेष केंद्र (एसीआईसी) नवीन समाधानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में नवाचारों को प्रेरित करने का एक साधन है।

एसीआईसी निम्नलिखित के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों के लाभ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने का प्रयास करते हैं :

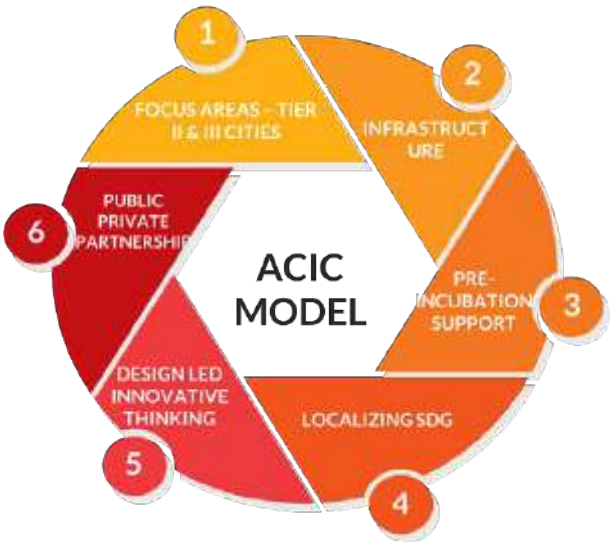

1. संचालन की सुविधाओं के लिए उपयुक्त अवसंरचना;
2. 2.5 करोड़ रुपये के एआईएम अनुदान सहायता कोष के माध्यम से वित्तीय सहायता, बशर्ते तुलनीय योगदान की पेशकश की जाती है;
3. ज्ञान और क्षमता संबधी सहायता (प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, विस्तृत संचालन मैनुअल, तथा नेटवर्किंग कनेक्शन); और
4. युवा केंद्रित सामुदायिक नवोन्मेषक फेलोशिप।

नियोजित हस्तक्षेप

सामुदायिक नवोन्मेषक फेलोशिप

साल भर चलने वाले सामुदायिक नवोन्मेषक फेलोशिप (सीआईएफ) कार्यक्रम का उद्देश्य ज्ञान के निर्माण में सुगमता प्रदान करना और इच्छुक नवोन्मेषकों को बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

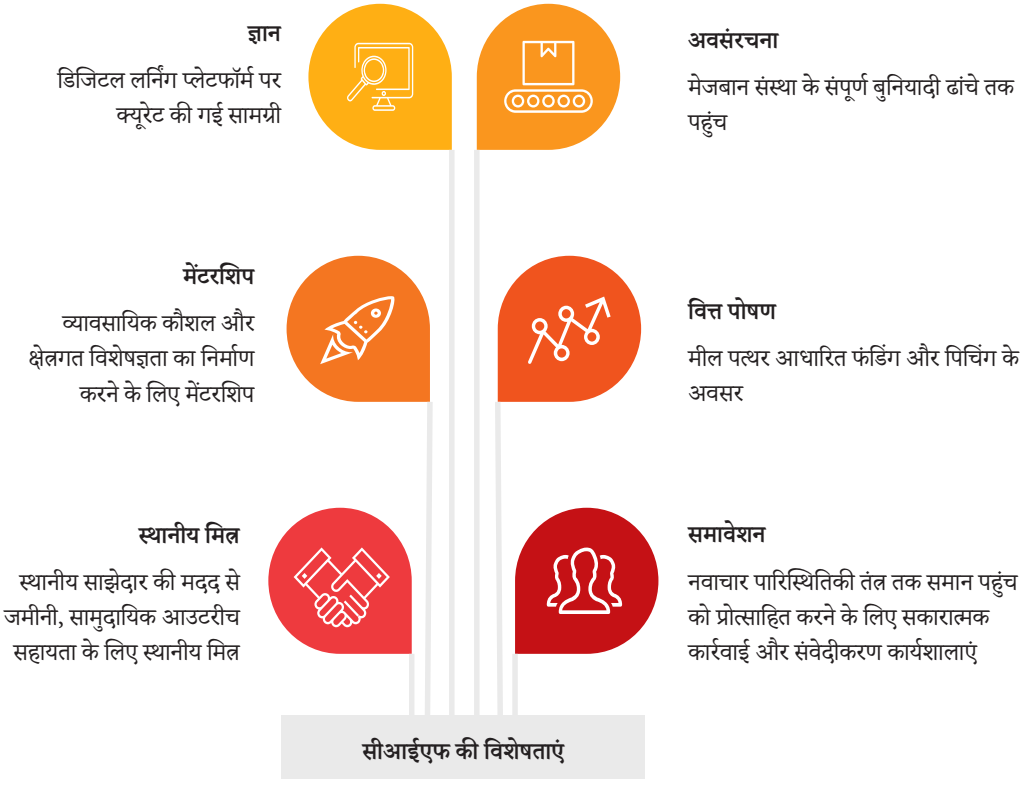

डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म

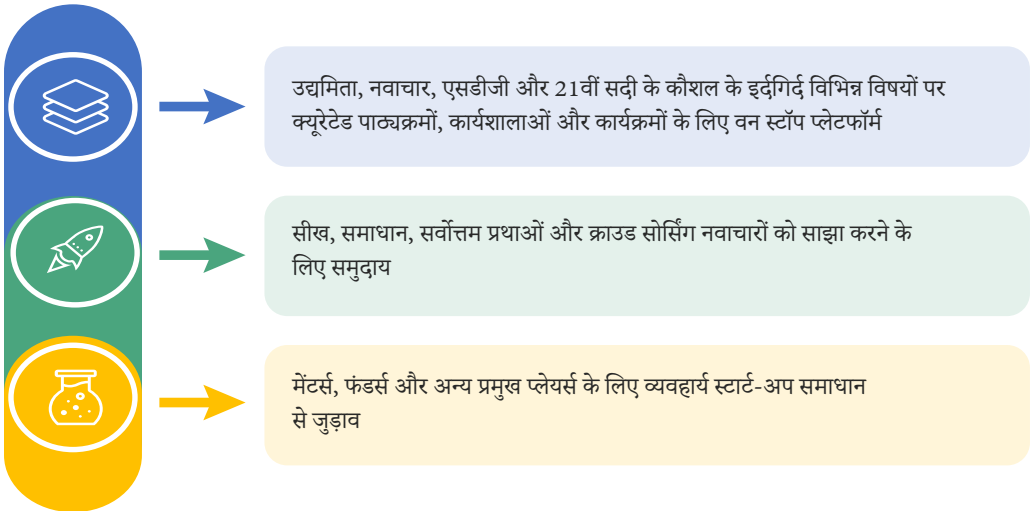

डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी) युवाओं के नेतृत्व वाले नवाचार और सामाजिक उद्यमिता के लिए प्रासंगिक विषयगत क्षेत्रों पर ज्ञान साझा करने के लिए एक इंटरफेस है। इसका उद्देश्य अनुभव के आधार पर ज्ञान साझा करने और ऑनलाइन सहयोग को सुगम बनाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के एनेबलर्स और प्रैक्टिशनर्स को एक मंच पर लाना है।

मुख्य हाइलाइट्स

1. अपने-अपने क्षेत्रों में एक एसीआईसी स्थापित करने के लिए पहले समूह में उन्नीस आवेदकों को छांटा गया है।
2. 10 राज्यों में बारह एसीआईसी चालू किए गए हैं, तथा आठ अनुपालन जांच के दौर से गुजर रहे हैं।
3. दूसरे समूह के लिए 2500 से अधिक पंजीकरण किए गए थे।
4. दूसरे समूह से छांटे गए अड़तालीस आवेदकों का स्क्रीनिंग सह चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
5. एआईएम 2022 के अंत तक 50 से अधिक एसीआईसी स्थापित करना चाहता है।

क्र. सं.	प्रचालनात्मक शैक्षिक मेजबान संस्था / संगठन का नाम	क्षेत्र
1	बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय	गुड़गांव, हरियाणा
2	चैतन्य भारती प्रौद्योगिकी संस्थान	रंगा रेड्डी, तेलंगाना
3	चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज	मोहाली, पंजाब
4	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद	धनबाद, झारखंड
5	कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन	विरुधनगर, तमिलनाडु
6	कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन	गुंटूर, आंध्र प्रदेश
7	मेरठ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ	मेरठ, उत्तर प्रदेश
8	विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी (बगरिया एजुकेशन ट्रस्ट की एक इकाई)	जयपुर, राजस्थान
9	जीआईईटी विश्वविद्यालय	रायगडा, ओडिशा
10	मार एप्रैम कॉलेज	कन्याकुमारी, तमिलनाडु
11	आदिशंकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी	नेल्लोर, आंध्र प्रदेश
12	जागृति सेवा संस्थान	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

परिचालित एसीआईसी से

अब तक पूरे भारत में परिचालित एसीआईसी को कुल 6.95 करोड़ रुपये का संवितरण किया जा चुका है	55 से अधिक स्टार्टअप की मदद की गई है, जिनमें से 10 महिलाओं के/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नेतृत्व में हैं	आउटरीच और धन जुटाने के लिए 122 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं	कॉरपोरेट्स के साथ-साथ शिक्षण संस्थाओं के साथ 22 साझेदारियां स्थापित की गई हैं।

एसीआईसी विशिष्ट कार्यक्रम

18 सितंबर 2021 को विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, जयपुर में पहला एसीआईसी शुरू किया गया।

ज्ञान एवं क्षमता निर्माण

ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए, अप्रैल 2020 से अब तक 35 से अधिक ज्ञान सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

युवाओं की आधारभूत साक्षरता और क्षमता बढ़ाने के लिए, 'प्रशिक्षकों' के प्रशिक्षण के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो एसीआईसी द्वारा समर्थित युवा नवोन्मेषकों / साथियों को ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे।

पीएफएमएस और उपयोग प्रमाण पत्र प्रशिक्षण

परिचालित एसीआईसी के लिए पीएफएमएस पोर्टल और उपयोग प्रमाण पत्र तैयार करने पर एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया ताकि उन्हें यह समझने में मदद मिल सके कि ब्याज वाले विवरण, किश्त विभाजन आदि कैसे जमा करना चाहिए।

एमएंडई डैशबोर्ड

एसीआईसी के फीडबैक को सक्षम करते हुए उनकी प्रगति को ट्रैक करने और मूल्यांकन करने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन डैशबोर्ड तैयार किया गया है।

फ्राइडे फ़ोरम

एसीआईसी और एआईसी के साथ मिलकर एआईएम 'फ्राइडे फ़ोरम' का आयोजन करता है जो साप्ताहिक वेबिनार की एक श्रृंखला है। आज तक, नवाचार और उद्यमिता में मुख्य दक्षताओं और विशेषज्ञता के निर्माण के लिए 21 फ्राइडे फ़ोरम आयोजित किए गए हैं।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज

अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों पर आधारित नवाचारों का चयन, समर्थन और पोषण करने की दिशा में एक पहल है। इसके तहत ऐसी बाधाओं को दूर किया जाता है जिसके कारण नवोन्मेषक प्रयोग, परीक्षण और बाजार निर्माण के लिए संसाधनों तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं।

फार्मेट

एएनआईसी खुले इनोवेशन चैलेंज फॉर्मेट का अनुसरण करता है।

प्राप्त आवेदन तीन दौर के मूल्यांकन से गुजरते हैं, जिसमें तकनीकी स्क्रीनिंग और चयन समिति के समक्ष छांटे गए आवेदकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतियां शामिल हैं।

विजेताओं को 1 करोड़ रुपये तक की किश्त आधारित अनुदान सहायता और एआईएम के नवाचार नेटवर्क के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

24 चुनौती क्षेत्रों में पांच मंत्रालयों के साथ साझेदारी में एएनआईसी का पहला समूह शुरू किया गया था।

चयन और अनुदान सहायता

यह अनुदान गहन प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पाद विकास और शुरुआती चरण के व्यावसायीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये तक के वित्त पोषण को आवश्यक बनाता है। प्रत्येक अनुवर्ती किश्त कार्यक्रम के स्थापित एसओपी के साथ-साथ लक्ष्यों और डिलिवरेबल्स की उपलब्धि और बजट के अनुपालन पर निर्भर है। प्रोटोटाइप को व्यावसायीकरण के चरण में ले जाने के उद्देश्य से सहायता 12 से 18 महीनों की अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

एआईएम से अंतिम सहायता अनुदान और संबद्ध सहायता के लिए कुल 30 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई थी।

2021 में, कुल 22.85 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था। अनुदानग्राहियों को 6.85 करोड़ रुपये की पहली किश्त, जो कुल राशि का 30 प्रतिशत है, संवितरित की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2021 में, दूसरी किश्त के संवितरण के लिए अनुपालन जांच और लक्ष्यों और डिलिवरेबल्स की समीक्षा की जा रही है। अब तक, केवल एक स्टार्ट-अप ने दूसरी किश्त के संवितरण के लिए सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त की है।

लघु उद्यमों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवाचार–अटल न्यू इंडिया चैलेंज

आत्मनिर्भर भारत एराइज–अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम अनुसंधान, नवोन्मेष को प्रेरित करने तथा सेक्टोरल समस्याओं के नवोन्मेषी समाधानों को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों एवं संबद्ध उद्योगों के साथ सक्रियता से सहयोग करने का प्रयास करता है।

इसका उद्देश्य नवोन्मेषी उत्पादों एवं समाधानों की एक निरंतर धारा भी प्रदान करना है जिसके लिए केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग संभावित प्रथम क्रेता बन सकते हैं।

एआईएम ने अब तक पांच मंत्रालयों / विभागों के साथ 15 महत्वपूर्ण चुनौती विवरणों की पहचान की है।

एराइज–एएनआईसी को 900 से अधिक पंजीकरण और 175 पूर्ण आवेदनों के साथ जबरदस्त रिस्पांस मिली है। 13 चुनौती क्षेत्रों के लिए लगभग 65 आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। एआईएम से अंतिम सहायता अनुदान और संबद्ध सहायता के लिए पच्चीस परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई थी। 2021 में, 18 शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को अपने प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान की गई; जिनमें से सात उचित अध्यवसाय की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं।

एआईएम ने विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारों और पहलों को पहचानने तथा आत्मानिर्भर भारत एराइज–एएनआईसी में आवेदन करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों के सहयोग से कई वेबिनार भी आयोजित किए हैं।

भारत-ऑस्ट्रेलिया वृत्तीय अर्थव्यवस्था (आई-एसीई) हैकाथॉन

आई-एसीई का विचार भारत और ऑस्ट्रेलिया में वृत्तीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नवाचारी तकनीकों और उपायों का पता लगाने के लिए 4 जून 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान उत्पन्न हुआ।

दोनों देशों से 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। एक अद्वितीय द्विपक्षीय हैकाथॉन के लिए आठ आवेदनों का चयन किया गया, जिसमें दोनों देशों के छात्रों और स्टार्ट-अप ने निम्नलिखित क्षेत्रों में एक साथ काम किया :

1. पैकेजिंग में नवाचार : पैकेजिंग के कचरे को कम करना
2. खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार : कचरे से बचना
3. प्लास्टिक कचरे में कमी के अवसर पैदा करना
4. महत्वपूर्ण ऊर्जा धातुओं और ई-कचरे का पुनर्चक्रण

उन्नीस छात्रों और 20 स्टार्ट-अप को शॉर्टलिस्ट किया गया; उन्होंने एक इंडो-ऑस्ट्रेलियाई जूरी के सामने प्रस्तुति दी। चार छात्र विजेताओं और चार स्टार्ट-अप विजेताओं, प्रत्येक चुनौती के लिए एक, का चयन किया गया।

विजेताओं को एआईएम और सीएसआईआरओ ऑस्ट्रेलिया दोनों के नवाचार और इनक्यूबेशन ईकोसिस्टम द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे उत्पादों में अपने समाधान विकसित कर सकें।

एआईएम पारिस्थितिकी तंत्र विकास दल (एईडीटी)

एईडीटी टीम संरचित कार्यक्रमों के ढांचे से परे एआईएम के लाभार्थियों को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करने के लिए प्रासंगिक हितधारकों के नेटवर्क का निर्माण करके नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करती है।

साझेदारियां

एआईएम ने विभिन्न कॉरपोरेट्स और फाउंडेशनों के साथ 50 से अधिक साझेदारियों का निर्माण किया है और ऐसे उद्योग लीडर्स और फैकल्टी के साथ जुड़ा हुआ है जो अवसंरचना और प्रौद्योगिकी, बाजार और निवेशकों तक पहुंच, मॉड्यूलों के निर्माण और एटीएल को अपनाने के माध्यम से एआईएम के लाभार्थियों की सहायता करते हैं। की गई साझेदारियों का परिणाम आधारित मानचित्रण नीचे दिया गया है।

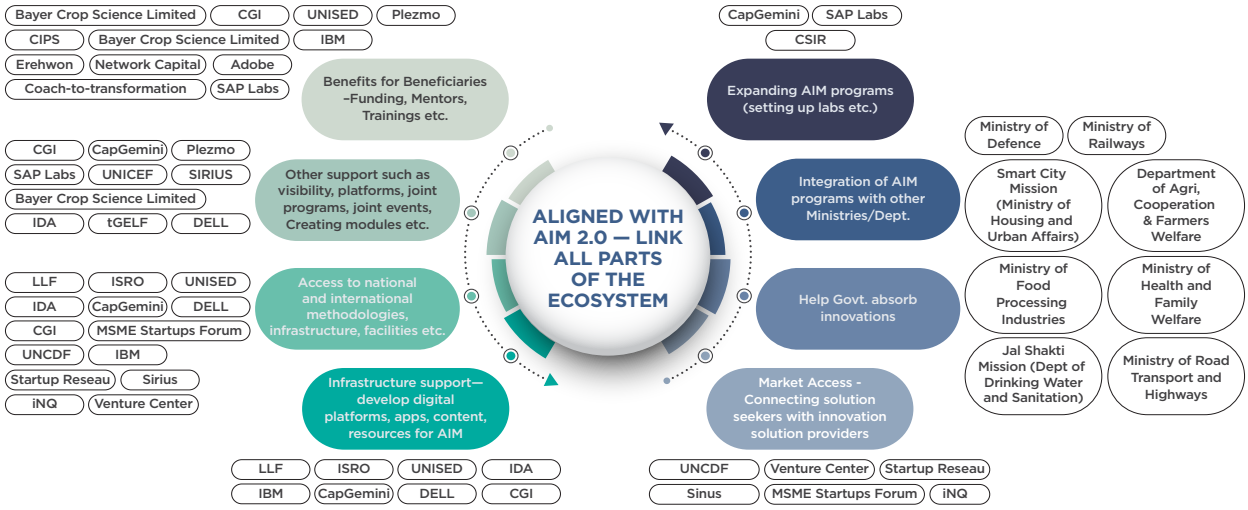

सामरिक कार्यक्रम

एआईएम-आईएलईएपी (उद्यमी चपलता और लाभप्रदता के लिए अभिनव नेतृत्व)

एआईएम–आईएलईएपी बाज़ार और निवेशकों तक पहुँच में आने वाली बाधाओं को दूर करने में स्टार्टअप्स की सहायता करने के लिए स्टार्टअप रेज़्यू के सहयोग से उद्यम और निवेशक डेमो डे की एक श्रृंखला है। एआईएम–आईएलईएपी को 2021 में लॉन्च किया गया था और अब तक इसके चार संस्करण पूरे हो चुके हैं।

33 स्टार्टअप ने भारतीय नौसेना, आवासन और शहरी मामले मंत्रालय, वीज़ा, पेटीएम, कोटक, निप्पॉन, यस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स, इंडियन एंजेल नेटवर्क्स, भारत इनोवेशन फंड, 9 यूनिकॉर्न, सेलेस्टा कैपिटल जैसे 70 से अधिक निवेशकों की सहायता की है।

सफलता की कहानियों में रक्षा बलों से परियोजनाएं, एनआईसी के साथ प्रोफ़ेज़ अनुदानित पीओसी और एनसीआईआईपीसी से कनेक्टेड, और शार्क टैंक द्वारा वित्त पोषित विवालिफ शामिल हैं।

एआईएम -आईसीआरईएसटी (सुदृढ़ इकोसिस्टम के लिए इंक्यूबेटर केपेबिलिटिज इनहैंसमेंट प्रोग्राम)

एआईएम-आईसीआरईएसटी जो 2021-22 में लांच हुआ था का डिजाइन एआईसी और ईआईसी ने किया तथा इसका समर्थन बीएमजीएफ ने किया एवं इसका कार्यान्वयन वधवानी फाउंडेशन ने किया।

एआईएम-प्राइम (नवाचार और उद्यमिता में शोधकर्ताओं के लिए कार्यक्रम)

एआईएम–प्राइम 'लैब टू लैंड' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विज्ञान आधारित गहन प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप की सहसयता करने का प्रयास करता है। अब तक 19 संभावित निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है।

ग्लोबल इनोवेशन प्लेटफॉर्म (जीआईपी)

ग्लोबल इनोवेशन प्लेटफॉर्म 22 जुलाई 2021 को यूएनसीडीएफ, सेंटर फॉर फाइनेंशियल हेल्थ, बीएमजीएफ, राबो फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और बायेर के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। यह प्लेटफॉर्म भारतीय स्टार्टअप को अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे वैश्विक भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश करने में मदद करने के लिए नवाचारों और निवेशों के सीमापारीय आदान-प्रदान को सक्षम बनाने का प्रयास करता है।

जीआईजेड के साथ हर एंड नाउ

एआईएम ने धृति फाउंडेशन के साथ हर एंड नाउ प्रोजेक्ट के तहत जीआईजेड के साथ सहयोग किया है और एआईएम के इन्क्यूबेटरों को जेंडर केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए विनक्यूबेट प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। दस एआईसी ने लेवल 1 और पांच ने लेवल 2 का प्रशिक्षण लिया है।

हेडस्टार्ट नेटवर्क

हेडस्टार्ट नेटवर्क ने सलाह संबंधी सहायता के माध्यम से एआईएम इन्क्यूबेटरों को मजबूत करने का प्रयास किया।

सूचना प्रौद्योगिकी में इंडिया-फ्रांस इनोवेशन

एआईएम ने भारत और फ्रांस / यूरोपीय संघ में डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप ईकोसिस्टम के क्षेत्रों में साझेदारियों का निर्माण करने के लिए 24 से 30 नवंबर 2021 के बीच आयोजित एक कार्यक्रम में फ्रांस में भारतीय दूतावास की मदद की। इस कार्यक्रम में पैनल चर्चा और सप्ताह भर चलने वाली स्टार्टअप प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया; इस कार्यक्रम में एआईएम के 70 से अधिक स्टार्टअप ने अपनी प्रदर्शनी लगाई।

खंड-VII

कोविड-19 प्रबंधन

कोविड-19 प्रबंधन

भूमिका

भारत ने नॉवल कोरोना वायरस के विरुद्ध अपनी लड़ाई तभी शुरू कर दी थी जब जनवरी 2020 में पहला मामला सूचित किया गया था। शीघ्र ही पूरा विश्व एक भयावह महामारी की गिरफ्त में आ गया। भारत में मामलों की संख्या मई 2021 में सबसे अधिक थी। पहला मामला सूचित किए जाने के बाद से जनवरी 2022 तक देश में मामलों की संचयी संख्या 38 लाख से अधिक थी।

जैसा कि देश इस वायरस और इसके विभिन्न रूपों के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है फिर भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को भी सरकार के साथ मिलकर कोविड़-19 को हराने की जरूरत है। इस वर्ष कई लक्ष्य प्राप्त किए गए लेकिन इन सबमें प्रमुख लक्ष्य अक्तूबर, 2021 तक 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रहा।

नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी ओर से विशेष रूप से अपने सदस्य (स्वास्थ्य) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में सशक्त ग्रुप के माध्यम से अहम भूमिका निभाई है।

विहंगावलोकन

आर्थिक गतिविधि के साथ-साथ मानव जीवन की क्षति की दृष्टि से कोविड का प्रभाव ज्यादातर विनाशकारी रहा है। अधिकांश सेक्टरों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के कारण 2020-21 के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों ने जीवन और जीविका की रक्षा करने, स्वास्थ्य देखदेख की सुविधाओं में सुधार करने, टीकाकरण तेज करने के लिए कई तरह के उपायों को लागू किया और सामाजिक संरक्षण के उपाय शुरू किए गए। अर्थव्यवस्था को तेजी से विकास पथ पर वापस लाने के लिए आर्थिक सुधार के पैकेजों की घोषणा की गई। परिणामत: 2021-22 में जीडीपी विकास दर 9.2 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद है।

नीति आयोग कोवएड पोर्टल की स्थापना करके और नागरिक समाज के संगठनों, निजी क्षेत्र और बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ साझेदारी के माध्यम से देश की तैयारी और प्रत्युत्तर की क्षमता बढ़ाने, तकनीकी मार्गदर्शन के साथ-साथ सक्रिय कार्रवाई सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस वायरस से लड़ने में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अपने सदस्य और सीईओ की अध्यक्षता में सशक्त समूहों के माध्यम से नीति आयोग का योगदान सराहनीय रहा है।

नीति आयोग की भागीदारी अनेक क्षेत्रों में रही है, जैसे कि सशक्त समूहों की बैठकों में भाग लेना और उनका नेतृत्व करना, सूचित नीति निर्माण के लिए महामारी की रुझानों के बारे में जानकारी प्रदान करना, स्वास्थ्य प्रणाली की तत्परता सुनिश्चित करना और टेस्टिंग एवं जेनोमिक निगरानी का प्रबंधन, स्कूलों को फिर से खोलने पर मार्गदर्शन प्रदान करना और अंतिम लाभार्थियों को सभी विदेशी मदद का पारदर्शी ढंग से और शीघ्रता से वितरण करने के लिए कोवएड नामक एक समर्पित पोर्टल की स्थापना।

नीति आयोग की अध्यक्षता में सशक्त समूह

सशक्त समूह 1: डॉ. वी.के. पाल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग की अध्यक्षता में चिकित्सा अवसंरचना तथा कोविड-प्रबंधन योजना।

सशक्त समूह 5: सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग की अध्यक्षता में टीकाकरण (प्रापण, विनिर्माण, आयात, लॉजिस्टिक, दैनिक आपूर्ति, उपयोग तथा अपशिष्ट निगरानी)।

सशक्त समूह 7: प्रत्युत्तर संबंधी क्रियाकलापों के लिए अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता में निजी क्षेत्रों, एनजीओ तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय।

सशक्त समूहों का योगदान

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी के पॉल आपातकालीन प्रबंधन योजना और टीकाकरण पर सशक्त समूहों और कोविड टीकाकरण प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) का नेतृत्व कर रहे हैं।

डॉ. पॉल के नेतृत्व में नीति आयोग ने कोविड-19 पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के क्रियाकलापों में भी भाग लिया। इसके अलावा, नीति आयोग के स्वास्थ्य वर्टिकल ने जनशक्ति (ईजी 3) और ऑक्सीजन (ईजी 4) के संवर्धन पर सशक्त समूहों की कार्यवाही में भी योगदान दिया।

सुविज्ञ नीति निर्माण के लिए कोविड रूझान

नीतियों को आकार देने के लिए उच्चतम कार्यालयों को सूचित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर महामारी के गतिशील रूझानों को आवश्यकता के अनुसार, अक्सर दैनिक/साप्ताहिक आधार पर प्रदान किया गया।

स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी

डॉ. पॉल की अध्यक्षता में अब तक सशक्त समूह 1 की 50 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों के दौरान संबंधित हितधारकों और विशेषज्ञों के परामर्श से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय अन्य सशक्त समूहों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में सिद्ध हुए।

पहली लहर से पहले महामारी के प्रारंभिक चरण में रूपरेखा दस्तावेज तैयार किए गए थे, जो योजना बनाने में सहायता करते थे। सशक्त समूह 1 द्वारा निम्नलिखित रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी:

- भारत में कोविड देखभाल केंद्रो के लिए आवश्यकताएं और मानदंड
- भारत में कोविड अस्पतालों की स्थापना
- भारत में लेवल-2 कोविड अस्पताल बेडों के लिए जनसंख्या और राज्यवार अनुमान
- कोविड-19 प्रकोप के प्रबंधन के लिए जिला-तत्परता मूल्यांकन उपकरण

टीकाकरण

अब तक सशक्त समूह 5 और 30 एनईजीवीएसी की बीस बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में वैक्सीन निर्माण, उपलब्धता, खरीद, आयात, रसद, उपयोग और आईटी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने से जुड़े प्रमुख निर्णय लिए गए थे।

टीकाकरण शुरू करने की योजना बनाने के लिए राज्य सरकारों और अन्य प्रमुख हितधारकों, जैसे कि टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) के साथ भी काम किया गया था। टीकाकरण अभियान के पहले चरण के दौरान टीकों की प्राथमिकता और चरणबद्धता पर एक मार्गदर्शन दस्तावेज तैयार किया गया था।

जिलों के संवेदनशीलता (वल्नरबिलिटी) मानदंड विकसित करना

नीति आयोग ने महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों की रणनीति तैयार कराने और मार्गदर्शन प्रदान करने में सशक्त समूह 1 की मदद के लिए जिलों की सुभेद्यता का आकलन करने के लिए मापदंडों का विकास किया। आसानी से उपलब्ध डेटा का प्रयोग करके और पूर्व में कोविड के मामलों और वैक्सीन की दोनों खुराकों के कवरेज को ध्यान में रखते हुए, जिलों को चार श्रेणियों में बांटा गया।

विशेष फोकस	धारणाएं	जिलों की संख्या
श्रेणी 1	पूर्व में कोविड के 0.5 प्रतिशत से कम कनफर्म्ड मामले और 50 प्रतिशत से कम टीकाकरण	99
श्रेणी 2	पूर्व में कोविड के 0.5 से 2.5 प्रतिशत के बीच कनफर्म्ड मामले और 50 प्रतिशत से कम टीकाकरण अथवा पूर्व में कोविड के 0.5 प्रतिशत से कम मामले और 50 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण	212
श्रेणी 3	पूर्व में कोविड के 2.5 प्रतिशत से अधिक मामले और 50 प्रतिशत से कम टीकाकरण अथवा पूर्व में कोविड के 0.5 से 2.5 प्रतिशत के बीच मामले और 50 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण	299
श्रेणी 4	पूर्व में कोविड के 2.5 प्रतिशत से अधिक मामले और 50 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण	212

टिप्पणी : *30 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, पूर्व में कोविड के मामलों के लिए राष्ट्रीय औसत 2.5 प्रतिशत है और कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक का राष्ट्रीय औसत 50 प्रतिशत है।*

श्रेणी 1 और 2 के जिले ओमिक्रॉन वैरियंट के प्रति उच्च खतरा को दर्शाते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चहुंमुखी स्वास्थ्य तैयारी (बेड, आईसीयू), टेस्टिंग, ऑक्सीजन, दवा, होम केयर सपोर्ट आदि के अलावा श्रेणी 1 और 2 के जिलों में तेजी से वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने का सुनिश्चय करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इन मापदंडों को साझा किया।

स्वास्थ्य संसाधनों में वृद्धि

नीति आयोग ने मानव संसाधन (एचआर) पर सशक्त समूह 3 की आठ बैठकों और चर्चाओं में भाग लिया और अपना योगदान दिया। भारत में कोविड अस्पतालों की स्थानीय पर रूपरेखा दस्तावेज, जिसमें मानव संसाधन की जरूरतों का भी उल्लेख किया गया है, को योजना बनाने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

नीति आयोग द्वारा स्वैच्छिक चिकित्सकों के पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल भी तैयार किया गया था। इस पोर्टल पर लगभग 40,000 स्वैच्छिक चिकित्सकों ने पंजीकरण कराया। इष्टतम तैनाती के लिए डेटा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एचआर बढ़ाने पर सशक्त समूह 3 के साथ साझा किया गया था।

इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत विकल्प तैयार किए गए थे। इन पर व्यापक रूप से चर्चा की गई, और अंतिम निर्णयों में अपने संकाय की देखरेख में कोविड प्रबंधन कर्त्तव्यों के लिए मेडिकल इंटर्न की तैनाती की अनुमति देना एमबीबीएस और पीजी के अंतिम वर्ष के छात्रों की सेवाओं का उपयोग करना, टेलीपरामर्श और हल्के कोविड मामलों की जांच हेतु बीएससी/जीएनएम की योग्य नर्सों को नियुक्त करना एवं परास्नातकों एवं रेजीडेंट डॉक्टरों द्वारा कोविड ड्यूटी को अभिज्ञात और प्रोत्साहित करना शामिल था। ऐसे सभी पेशेवर जो ऐसे कार्य में लगे हुए थे वे कोविड का मुकाबला करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों हेतु सरकार की बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए थे। प्रधानमंत्री द्वारा इन उपायों की घोषणा 3 मई, 2021 को की गई थी।

परीक्षण और जीनोमिक निगरानी

सशक्त समूह 1 ने एक वैज्ञानिक दस्तावेज तैयार किए गए जिससे भारतीय सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। नीति आयोग ने 'कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान के लिए जैव नमूनों और डेटा का आदान-प्रदान' पर दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे विविध अनेक कोविड-19 बायो रिपॉजिटरी को स्थापित करने और इसके बाद आईएनएसीओजी के निर्माण में मदद मिली।

क्षमता बढ़ाने की योजना बनाने के लिए महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं का मानचित्रण भी किया गया था।

ऑक्सीजन योजना

नीति आयोग ने ऑक्सीजन योजना पर सशक्त समूह 4 की तीन बैठकों और चर्चाओं में भाग लिया और अपना योगदान दिया।

नीति आयोग द्वारा डीपीआईआईटी, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से 'भविष्य में कोविड-19 मामलों की संभावित वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने की तैयारी' नामक एक मार्गदर्शन दस्तावेज भी तैयार किया गया।

महत्वपूर्ण उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता को सक्षम करना

नीति आयोग ने लॉकडाउन के दौरान दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कोविड से संबंधित आपातकालीन आपूर्ति जैसी अनिवार्य वस्तुओं के अंतर-राज्यीय परिवहन और वितरण के समन्वय के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सहयोग किया।

छात्रावासों में अस्थाई स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना

दूसरी लहर के दौरान, स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यधिक मांग का सामना करते हुए होटल उद्योग ने एकांतवास (सेल्फ-आइसोलेश्न) के लिए बिस्तर, स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए आवास और अस्थाई उपचार केंद्रों के लिए इकाइयों/यूनिटों की पेशकश करके कोविड रोगियों की मदद करने की पेशकश की। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिक एडवाइजरी के साथ होटलों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के प्रकारों पर एक नोट तैयार किया। इसके अलावा नीति आयोग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और कोविड रोगियों को आवास प्रदान करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में होटलों के साथ साझेदारी का पता लगाने का अनुरोध किया।

नवाचार का समर्थन

सत्यापन प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कम करने और बाजार में अभिनव नैदानिक उत्पादों की मंजूरी और उपलब्धता में तेजी लाने के उद्देश्य से जांच उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, दवाओं और उपकरणों को अनुमोदित करने के लिए व्यापक आधार वाली प्रयोगशालाएं भी शुरू की गई थीं।

फिर से स्कूल खोलने पर मार्गदर्शन

नीति आयोग ने कोविड के दौरान स्कूलों को फिर से खोलने का मार्गदर्शन करने के लिए साक्ष्य आधारित प्रोटोकॉल विकसित किया। इस पर शिक्षा मंत्रालय के साथ चर्चा की गई और स्कूलों को फिर से खोलने के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया।

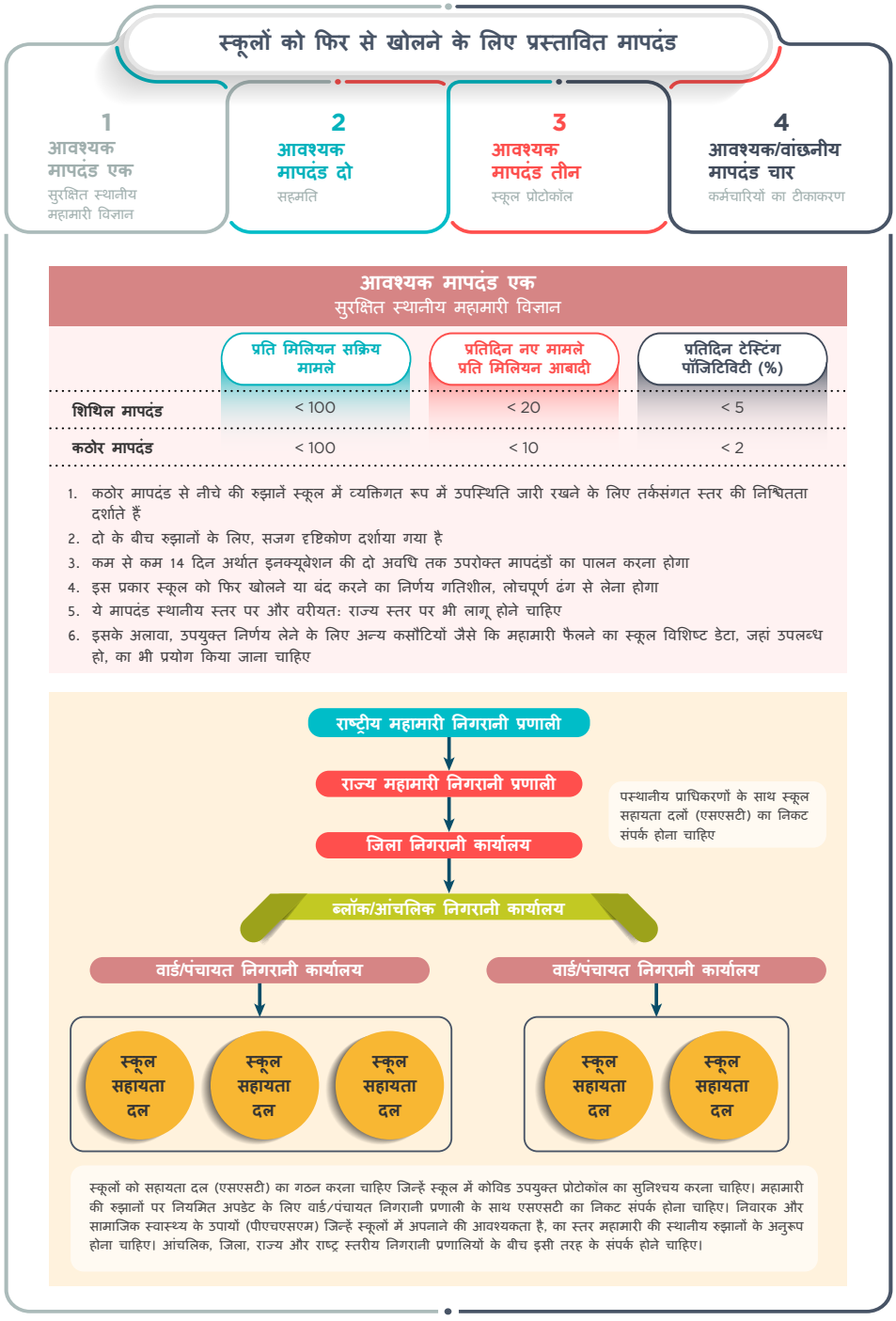

स्कूलों को फिर से खोलने के लिए साक्ष्य आधारित प्रोटोकॉल

प्रचार-प्रसार के लिए सार संग्रह

नीति आयोग ने दो सार संग्रह जारी किए जिनमें क्रमशः महामारी के पहले चरण के दौरान कोविड के प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वोत्तम पद्धतियों और दूसरे चरण के दौरान मामलों के घर पर देखभाल के प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वोत्तम पद्धतियों का वर्णन किया गया है। इन्हें बड़े हितधारकों/राज्य सरकारों/अन्य विकासशील राष्ट्रों द्वारा उपयोग के लिए व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

सशक्त समूह 7

सशक्त समूह 7 निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कोविड से संबंधित क्रियाकलापों के लिए समन्वय करता है। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ द्वारा की जा रही है। अब तक हितधारकों के साथ 41 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं।

2021-22 के दौरान, सशक्त समूह 7 ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं/क्रियाकलाप किए हैं:

1. अप्रैल और मई 2021 के बीच कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान, ईजी 7 ने इस बीमारी के प्रसार से निपटने में राज्य और जिला प्रशासन की मदद करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य विकास भागीदारों को आमंत्रित किया। इसने 1.2 लाख से अधिक गैर सरकारी संगठनों से संपर्क किया और उनसे स्थिति से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों में सहायता करने की अपील की।
2. जागरूकता पैदा करने, मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई किट वितरित करने, भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता और मुफ्त एम्बुलेंस सेवा आदि प्रदान करने के लिए नागरिक समाज के संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए राज्य और जिला प्रशासन को समय-समय पर संवेदनशील बनाया गया और निर्देश दिए गए।
3. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझेदारी करके, ईजी 7 ने एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जिसका हाइपरलिंक "http://www.indiafightscovid.com" है, के माध्यम से मास्क पहनने के संबंध में ग्यारह भाषाओं में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया।

4. नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों जैसे कि भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूएनडीपी, डब्ल्यूएफपी के साथ गहन साझेदारी की। भारत में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने प्रमुख घटक के रूप में रोकथाम, उपचार और आवश्यक आपूर्ति के साथ एक संयुक्त कार्रवाई योजना तैयार की। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने कार्रवाई और राहत से जुड़ी विभिन्न पहलों में सरकार के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी की जिसमें तकनीकी और उपकरण समर्थन; जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव; कोविड के संबंध में सुरक्षा से जुड़े व्यवहारों पर जानकारी पहुंचाना; 17 राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऑनलाइन क्लासरूम और ई-लर्निंग सामग्री; और कमजोर समुदायों तक बेहतर ढंग से पहुंचने के लिए डिजिटल ऐप्स शामिल हैं।

5. ईजी 7 ने निजी संगठनों/व्यक्तियों के माध्यम से आने वाली सभी सहायता के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय किया।

6. पूरी दुनिया से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (भारत सरकार की ओर से) द्वारा प्राप्त सभी निजी और सरकारी दान के लिए अंत-दर-अंत सुगमता, समन्वय और निगरानी के लिए अप्रैल 2021 में एक कोविड लॉजिस्टिक्स कार्यबल का गठन किया गया। नीति आयोग की एक टीम ने अंतरराष्ट्रीय दाताओं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों और राजनयिक मिशनों के बीच सूक्ष्म और जटिल समन्वय किया।

7. संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों (डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूएनडीपी), फार्मा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों (रोश, फाइज़र), यूएसआईएसपीएफ, यूएसआईबीसी, एचएसबीसी, बॉश, अमेज़ॅन, फिलिप फाउंडेशन, बोइंग, आदि ने सुगमता और अंत-दर-अंत सहयोग के लिए नीति आयोग से संपर्क किया। नीति आयोग अत्यधिक प्रेरित और संकेंद्रित अधिकारियों की एक टीम की चौबीसों घंटे उपस्थिति के साथ एक समर्पित वार रूम के माध्यम से उम्मीदों पर खरा उतरा, जिन्होंने दिन-रात कड़ी मेहनत की।

8. तत्काल कार्रवाई के रूप में, नीति आयोग ने भारत में अपनी सहायता और उपकरण भेजने के लिए विदेशों से व्यक्तियों और संगठनों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कोविड पोर्टल भी लॉन्च किया।

9. इसके अलावा, नीति आयोग ने उद्योग भागीदारों के सक्रिय समर्थन से यूलिप संरक्षण ऐप का विकास किया। यूलिप सभी श्रेणियों के दान-निजी से सरकारी, सरकारी से सरकारी और सरकारी खरीद-की शुरु से अंत तक पारदर्शिता और ट्रैकिंग की अनुमति देता है। टीम ने जिन प्रमुख वस्तुओं के लिए सुगमता प्रदान की उनमें पीएसए प्लांट, 20 एमटी के ऑक्सीजन कंटेनर, बीआईपीएपी और सीपीएपी मशीन, वेंटिलेटर, क्रायोजेनिक सिलेंडर, परीक्षण किट, दवाएं, उपभोग्य वस्तुएं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर शामिल हैं।

10. ईजी 7 ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) सहित विभिन्न युवा संगठनों को प्रेरित करके युवाओं की शक्ति का उपयोग किया। एनवाईकेएस और एनएसएस विभिन्न पहलों के माध्यम से क्रमशः 3.42 करोड़ और 2.64 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंचे।

11. ईजी 7 ने ऑक्सीजन जनरेटर, भंडारण टैंक और सिलेंडर सहित चुनिंदा वस्तुओं पर आयात शुल्क से छूट और शून्य जीएसटी के माध्यम से प्रमुख चिकित्सा उपकरणों के आयात को आसान बनाने के सरकार के फैसले में प्रमुख भूमिका निभाई।

12. ईजी 7 के समय पर हस्तक्षेप से भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता, परामर्श और अन्य निवारक उपकरण आदि प्राप्त करने के मामले में नागरिकों, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों, बेघर और निराश्रितों, दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और अन्य सीमांत समुदायों को बड़ी राहत मिली।

खंड-VIII

कार्यक्षेत्र की उपलब्धियां

कार्यक्षेत्र की उपलब्धियां

प्रस्तावना

विभिन्न वर्टिकल, प्रभाग और एकक नीति आयोग को चलाने वाले पहियों की तीलियाँ हैं।

प्रत्येक वर्टिकल के पास एक विशेष डोमेन में विशेषज्ञता है और उसे उस क्षेत्र पर तकनीकी इनपुट और विशेषज्ञता प्रदान करने, संबद्ध मंत्रालय/विभाग के साथ संव्यवहार करने और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया है।

वर्टिकल आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में नीति आयोग के विकास के लिए आवश्यक अपेक्षित सहायता प्रदान करते हैं जो इसे तेजी से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीति विज़न प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में समर्थ बनाएगा।

कृषि

गुजरात विश्वविद्यालय के साथ आशय विवरण

नीति आयोग और गुजरात विश्वविद्यालय ने सितंबर 2021 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार की उपस्थिति में एक आशय विवरण (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए। यह एसओआई भारत में ज्ञान साझाकरण और नीति विकास को मजबूत करने के लिए दो संस्थानों के बीच तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। उम्मीद है कि यह एसओआई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के प्रयासों पर बल देगा। इससे जुड़े पक्ष कृषि क्षेत्र के विकास, कृषि उद्यमिता, प्राकृतिक खेती, जलवायु परिवर्तन आदि पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दोनों संस्थान नीति निर्माण में साक्ष्य के सृजन और प्राप्ति में सुधार के लिए कृषि मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, विपणन की विधियों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और अन्य अभिचिन्हित क्षेत्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी गतिविधियां संचालित करेंगे।

प्राकृतिक खेती पर ज्ञान साझाकरण कार्यशाला

'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंग के रूप में, कृषि वर्टिकल ने 30 नवंबर, 2021 को प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान किसानों की आय, मानव और मृदा स्वास्थ्य में सुधार और पर्यावरण के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। यूट्यूब पर कार्यशाला का सीधा प्रसारण भी किया गया और इसमें देश भर से 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्राकृतिक खेती पर वेबसाइट

कृषि वर्टिकल ने 30 नवंबर, 2021 को प्राकृतिक खेती पर एक विशेष वेबसाइट लॉन्च की। द्विभाषी वेबसाइट में प्राकृतिक खेती के सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी है–भारत में इस प्रथा के तहत क्षेत्र के कवरेज से लेकर इसके विभिन्न घटक, विधियां और तकनीकें तथा और भी बहुत कुछ। यह वेबसाइट प्राकृतिक खेती के असंख्य लाभों, सफलता की कहानियों, शोध पत्रों और इसी तरह की अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का भी विवरण प्रदान करती है। वेबसाइट को https://naturalfarming.niti.gov.in/ पर अक्सेस किया जा सकता है, और यह ज्ञान के भंडार के रूप में काम करना चाहती है।

जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने और गोशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता पर कार्यबल

नीति आयोग के सदस्य (कृषि) प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में सितंबर 2021 में गोशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ जैव उर्वरकों के उत्पादन और प्रचार पर एक कार्यबल का गठन किया गया था। यह कार्यबल अन्य बातों के साथ जैविक उर्वरकों के उत्पादन में मवेशियों के उपोत्पादों के प्रभावी उपयोग के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश करेगा। इस कार्यबल को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग; पशुपालन विभाग; राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय; और डोमेन विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। कार्यबल की अब तक एक बैठक हो चुकी है। राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से मवेशियों के उपोत्पादों के प्रभावी उपयोग के बारे में सुझाव और सफलता की कहानियां आमंत्रित की गईं।

बांस विकास मिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला

नीति आयोग ने 30 दिसंबर, 2021 को बांस विकास पर राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला का आयोजन किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र में एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रणनीति और रोड मैप का विकास करने के लिए बांस मूल्य श्रृंखला के सभी घटकों (वृक्षारोपण, उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण

और उपयोग) को समझने की कोशिश की। इस कार्यशाला में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों, उद्योग, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पशुधन स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए टेलीमेडिसिन

मौजूदा पशु चिकित्सा अवसंरचना में इज़ाफ़ा करने के लिए नीति आयोग ने पशुधन स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए टेलीमेडिसिन के विकास की पहल की है। कृषि वर्टिकल ने भारत में पशुधन के लिए टेलीमेडिसिन के प्रयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार की है और दिशानिर्देश विकसित किए हैं। एक कार्यशील मॉडल विकसित करने के प्रयास के रूप में 'नीतिवेट' नामक एक साध्य वेब आधारित प्रणाली का भी विकास किया गया है (https:// nitimed.herokuapp.com/)। टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, दवा, स्वास्थ्य शिक्षा और पशुधन बीमा पर रियल टाइम परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

भूमि प्रयोग को बदलने तथा स्थायित्व एवं आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कृषि वानिकी

इसरो तथा राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र (एनएसआरसी) के सहयोग से 6 चरों : भूमि प्रयोग, बंजर भूमि, मरुस्थलीकरण, ढलान, मृदा जैविका कार्बन और सर्फेस के 6 जीआईएस एकीकरण का प्रयोग करके देश में बंजर भूमि के क्षेत्रों के लिए एक कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक विकसित किया गया। तैयार किए गए मानचित्र चार वर्गों में देश की बंजर भूमि को जिलावार दर्शाते हैं : कृषि वानिकी के लिए उच्च, साधारण, कम तथा बहुत कम और अनुपयुक्त। जिलों से डेटा एकत्र करने के लिए इसरो के सहयोग से एक अनुकूलित एंड्रायड एप्लीकेशन (vedas.sac.gov.in/data-collection) का विकास किया गया। कृषि वर्टिकल द्वारा जमीनी स्तर पर डेटा संग्रहण तथा एंड्रायड एप्लीकेशन के अपडेशन की पद्धति पर दो प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। मूल्यांकन करने तथा स्थानीय नर्सरी, संक्रमण से छूट प्राप्त एवं गिराने की परमिट वाली वृक्ष प्रजातियों, कृषि वानिकी के स्थायी मॉडलों और सफलता की कहानियों, जिनको मानचित्रों से लिंक किया जा सकता है, पर डेटा प्रदान करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वानिकी उप मिशन (एसएमएएफ) के तहत राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषण और सीमांत प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण प्लेटफॉर्म

राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण प्लेटफॉर्म (एनडीएपी) एक पोर्टल है जिसका उद्देश्य सरकारी डेटा तक पहुंच एवं उपयोग में वृद्धि करना है। एनडीएपी का विकास एक प्रयोक्ता हितैषी वेब प्लेटफार्म के रूप में किया जा रहा है जो स्वच्छ, मशीन द्वारा पठनीय फार्मेट में सार्वजनिक डेटा सेट तक आसानी से पहुंच प्रदान करेगा। यह प्लेटफार्म साक्ष्य पर आधारित नीति निर्माण, अंतर्क्षेत्रक अनुसंधान, डेटा पर आधारित वार्तालाप और नवाचार को संभव बनाएगा। इस प्लेटफार्म का बीटा वर्जन 15 अगस्त 2021 को लांच किया गया; फरवरी 2022 में पब्लिक लांच की योजना बनाई गई है।

महिला उद्यमिता मंच

महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) अपनी तरह का पहला एकीकृत अक्सेस पोर्टल है जो महिला उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र की असममिति को दूर करने का प्रयास करता है। यह एक एग्रीगेटर प्लेटफार्म है जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहलों को प्रदर्शित करता है तथा प्रासंगिक डोमेन ज्ञान के साथ महिलाओं का समर्थन करता है और अचूक ढंग से सूचना प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इसके सबसे हाल के चरण में नए फीचर्स के साथ डब्ल्यूईपी नेक्स्ट लांच किया गया जो महिला उद्यमियों एवं साझीदारों के उन्नत विश्लेषण आधारित अनुबंध के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैसर्गिक भाषा प्रोसेसिंग द्वारा संचालित है।

क्लाउड नवाचार केन्द्र

अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और इनटेल के सहयोग से नीति आयोग ने योजना भवन में एक नए स्टूडियो की स्थापना की है। यह स्टूडियो एआई, मशीन लर्निंग (एमएल), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), परिवर्धित रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी (एआर/वीआर), ब्लाकचेन तथा रोबोटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियों की क्षमता को प्रदर्शित करने में मदद करेगा ताकि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रयोग के मामलों में उनका अनुप्रयोग बढ़ाया जा सके। यह स्टूडियो खुले नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा तथा अपने समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए सरकार, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों के लिए हब के रूप में काम करेगा। यह अपने समाधानों का परिवर्धन एवं विस्तार करने के लिए आवश्यक समर्थन तक पहुंच के लिए स्टार्टअप को विकल्प भी प्रदान करेगा।

डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम चैलेंज

नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने चेहरा पहचान टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हवाई यात्रियों के लिए यात्रा को पेपरलेस एवं सीमलेस बनाने के लिए 'डिजी यात्रा बायोमीट्रिक बोर्डिंग सिस्टम' (डीवाई-बीबीएस) नामक पहल तैयार की है। डिजी यात्रा फाउंडेशन जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 20 फरवरी 2019 को निगमित लाभ न कमाने वाली कंपनी है, द्वारा इस पहल का विकास, संचालन और अनुरक्षण किया जाएगा तथा इसे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई), कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल), बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) और जीएमआर ग्रुप द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

डिजी यात्रा टीम ने डिजी यात्रा सेंट्रल इको सिस्टम के लिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट (पीओसी) के कार्यान्वयन में सहायता के लिए नीति आयोग से संपर्क किया। इस संबंध में नीति आयोग ने एक चैलेंज शुरू करने, ऐसे स्टार्टअप की पहचान करने जो पीओसी का विकास कर सकता है और भारत के तीन एयरपोर्ट पर इस सोल्यूशन को तैनात करने के लिए अटल नवाचार मिशन तथा एडब्ल्यूएस के साथ साझेदारी की है। नीति आयोग ने प्रस्तावों की समीक्षा करने, तकनीकी आवश्यकताओं पर नजर रखने तथा पीओसी के विकास का मार्गदशन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है। न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) के विकास के लिए तीन स्टार्टअप का चयन किया गया है। 17 नवंबर 2021 को बंगलौर एयरपोर्ट पर डाटाइवाल्व के साथ एमवीपी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

सीमांत प्रौद्योगिकियां

सीमांत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इस वर्टिकल ने प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान करने और विभिन्न रणनीति दस्तावेज जारी करने तथा प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से समाधानों की दक्षता प्रदर्शित करने का दोहरा दृष्टिकोण अपनाया है। ये प्रायोगिक पहलें जटिल चुनौतियों, शासन के विशिष्ट मुद्दों, विनियामक बाधाओं तथा बड़े पैमाने पर किसी संभावित कार्यान्वयन में 'मानव घटक' को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। एक रूपरेखा तैयार की जा रही है जो प्रायोगिक पहलों के और विस्तार को संभव बनाएगी। इन अनुप्रयोगों में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित अनेक क्षेत्र शामिल हैं।

अर्थ और वित्त प्रकोष्ठ

समष्टि आर्थिक विश्लेषण

माननीय प्रधानमंत्री के लिए बुलेटिन

भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के निष्पादन के रियल टाइम विश्लेषण के साथ एक मासिक बुलेटिन माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा, 11 क्षेत्रों में अधिक आवृत्ति वाले 55 संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन पर एक मासिक प्रस्तुति भी दी जाती है।

सीपीएसई का रणनीतिक विनिवेश और निष्पादन सुधार

रणनीतिक क्षेत्र के सीपीएसई के विनिवेश के लिए सिफारिशें

अर्थ एवं वित्त प्रकोष्ठ को रणनीतिक क्षेत्र के सीपीएसई के विनिवेश के लिए विश्लेषण करने तथा सिफारिशें प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट घोषणा के बाद, विनिवेश के लिए 11 सीपीएसई की सिफारिश की गई है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की एक सामान्य बीमा कंपनी शामिल हैं। इन सिफारिशों पर संबद्ध मंत्रालयों के सचिवों के साथ चर्चा की गई और इसके बाद विनिवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को सौंपी गईं।

सीपीएसई के एमओयू के लक्ष्यों के निर्धारण और मूल्यांकन की प्रक्रिया

प्रकोष्ठ ने 2021-22 के लिए सीपीएसई के एमओयू के लक्ष्यों के निर्धारण और मूल्यांकन की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग और संबद्ध मंत्रालयों के साथ अंतर्मंत्रालयी बैठकों में भाग लिया। उनके निष्पादन में सुधार के लिए सिफारिशें की गईं।

सीपीएसई के वर्गीकरण, स्वायत्तता और प्रोत्साहन संरचना पर अध्ययन

प्रकोष्ठ ने उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता और अर्थव्यवस्था में योगदान देने की क्षमता बढ़ाने के लिए सीपीएसई के वर्गीकरण, स्वायत्तता और प्रोत्साहन संरचना पर एक अध्ययन किया है। सिफारिशें शीघ्र ही सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी।

जी20 तथा बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ अनुबंध

भारत द्वारा जी20 की प्रेसीडेंसी

इस प्रकोष्ठ को भारत द्वारा जी20 की प्रेसीडेंसी की अवधि में और इसके दौरान सिविल सोसाइटी (सी20) और थिंक टैंक (टी20) पर जी20 अनुबंध समूह के लिए सचिवालय होने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सी20 और टी20 पर अनुबंध समूहों के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं, रणनीतियों और लक्ष्यों पर विचार विमर्श करने के लिए जी20 की पिछली प्रेसीडेंसी का गहन विश्लेषण किया गया और हितधारक परामर्शों का आयोजन किया गया।

जी20 स्पीकर्स (पी20) शिखर बैठक के लिए इनपुट

7वीं जी20 स्पीकर्स शिखर बैठक के लिए 'सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थिरता की दृष्टि से आर्थिक विकास को फिर से शुरू करना' पर एक नोट तैयार किया गया। इस पर 28 सितंबर 2021 को लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुच्छेद IV परामर्श

भारत अनुच्छेद IV परामर्श 2021 के लिए 15 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। आईएमएफ मिशन के मसौदा निष्कर्ष वक्तव्य पर आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को इनपुट प्रदान किए गए।

वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर वेबिनार

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 30 अप्रैल 2021 को वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। विश्व बैंक द्वारा एक प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ चर्चा की गई।

एसएंडपी की वार्षिक ऋण समीक्षा पर चर्चा

नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में 7 दिसंबर 2021 को भारत के वर्तमान समष्टि आर्थिक निष्पादन तथा सर्वाधिक उल्लेखनीय ढांचागत सुधारों पर एक चर्चा का आयोजन किया गया।

अन्य प्रमुख परियोजनाएं

एमएसएमई का वित्त पोषण

प्रकोष्ठ ने बैंकिंग क्षेत्र और सिडबी द्वारा एमएसएमई के वित्त पोषण पर एक गहन अध्ययन किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 27 जुलाई 2021 को एक हितधारक परामर्श का आयोजन किया गया। इनफोसिस के सह संस्थापक और आईएसपीआईआरटी के सलाहकार नंदन निलेकनी द्वारा 'आर्थिक रिकवरी की गति तेज करना : नकदी प्रवाह आधारित एमएसएमई ऋण के लिए अकाउंट एग्रीगेटर और विश्व बैंक', 'विकास बैंक का लैंडस्केप तथा दक्ष एसएमई विकास बैंकों से सबक' पर प्रस्तुति दी गई।

ऊर्जा क्षेत्र में कराधान पर अध्ययन

प्रकोष्ठ ने ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान संरचना और कर राजस्व पर एक विस्तृत अध्ययन किया और जीएसटी में विद्युत को शामिल करने का सुझाव दिया। विचार विमर्श करने तथा अग्रणी अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों से नीतिगत इनपुट प्राप्त करने के लिए 15 जुलाई 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में अर्थ और वित्त पर परामर्श समूह की बैठक के दौरान प्रस्तुति दी गई।

10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप

भारत के विकास को अगले स्तर पर ले जाने के लिए नीतिगत सुधारों के बारे में सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए 18 नवंबर 2021 को एक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। प्रकोष्ठ ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था आशावादी, बेसलाइन और निराशावादी परिदृश्यों में क्रमश: वित्त वर्ष 2030, वित्त वर्ष 2032 और वित्त वर्ष 2036 में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगी।

भारत के लिए इष्टतम ऋण संरचना

प्रकोष्ठ ने इष्टतम ऋण संरचना का निर्माण करने के लिए एक रोड मैप पर काम किया जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति देने में निजी ऋण का शेयर बढ़ाना और कारपोरेट बांड बाजार की भूमिका बढ़ाना है। जहां तक अन्य गतिविधियों का संबंध है, अर्थव्यवस्था की स्थिति और संभावना पर वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ अनेक बैठकों और चर्चाओं का आयोजन किया गया।

अर्थ नीति

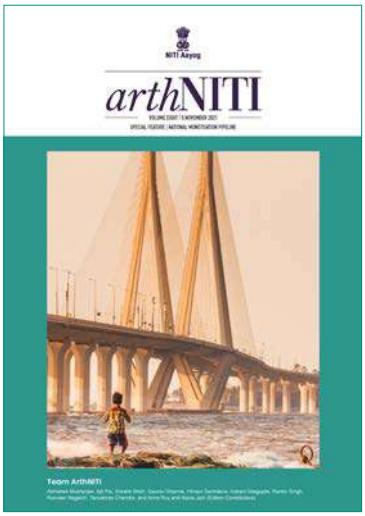

अर्थ नीति भारत के लिए प्रासंगिक वैश्विक रुझानों का एक स्नैपशॉट और भारत के हाल के स्थूल आर्थिक निष्पादन का त्वरित विश्लेषण प्रदान करने तथा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रकाश डालने के लिए प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित सूचना पत्र है।

वित्त वर्ष 2021-22 में, डीएमईओ और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर विशेष लेख के साथ दो अंक जारी किए गए हैं।

शिक्षा

नीति एवं शासन

2021-22 में शिक्षा वर्टिकल ने समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षकों एवं शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, नवाचार तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) आदि पर शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न बैठकों में भाग लिया।

इस वर्टिकल ने उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न बैठकों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व भी किया तथा इनपुट प्रदान किया। वर्टिकल ने एनसीईआरटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई),

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान आदि द्वारा आयोजित बैठकों में भी भाग लिया। वर्टिकल द्वारा समग्र शिक्षा योजना और मध्याह्न भोजन योजना जैसे प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति का विश्लेषण किया गया।

पब्लिक स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने पर रणनीतिक पेपर

विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी रिपोर्टों में उल्लेख के अनुसार, अधिगम परिणाम का संकट भारत में वर्तमान स्कूल शिक्षा प्रणाली की कड़वी सच्चाई है। इन रिपोर्टों ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को व्यवस्थागत सुधार करने के लिए प्रेरित किया है। भारत के विभिन्न भागों से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। तथापि, यह पीछे मुड़कर देखने तथा इस बात पर मनन करने का भी अवसर है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब क्या है और हम अपनी पब्लिक स्कूल शिक्षा में इसे किस तरह प्राप्त करते हैं।

इस उद्देश्य के लिए, नीति आयोग ने अनेक विचारोत्तेजक कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसके माध्यम से शिक्षाविदों, बुनियादी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों ने साथ मिलकर व्यवस्थागत और उप घटक के स्तर पर शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों का पता लगाया।

नीति आयोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्पनात्मक विचारों को खोलने के लिए एक रणनीति पेपर पर काम कर रहा है। यह पेपर रूपरेखा/कार्यान्वयन रोड मैप प्रदान करेगा तथा राज्य सरकारों को सूचित करेगा कि वे अपने संदर्भ के अनुसार हस्तक्षेप तैयार करते समय किन उपकरणों पर विचार कर सकते हैं।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विनियामक रूपरेखा की चुनौतियों की पहचान करने तथा इसके सुधारों में योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुधारों के पहले चरण के बाद, जिसे यूजीसी के विनियमों एवं दिशानिर्देशों के माध्यम से लागू किया गया था, नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के विकास में काफी योगदान दिया है।

सहयोग

इस वर्टिकल ने डीएमईओ के सहयोग से सदस्य (शिक्षा) और सदस्य (खेल) की अध्यक्षता में ओओएमएफ पर संकेतकों के विरुद्ध स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा खेल विभाग के निष्पादन की समीक्षा की है। उच्च शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा युवा कार्यक्रम विभाग की समीक्षा शीघ्र ही की जाएगी।

इस वर्टिकल ने शिक्षा क्षेत्र के लिए यूसीएसएस के मूल्यांकन अध्ययन में भी सक्रियता से भाग लिया और विभिन्न स्तरों पर विचारार्थ विषय एवं महत्वपूर्ण प्रेक्षण प्रदान किया। वर्टिकल ने नीति आयोग की अनुसंधान योजना के तहत शिक्षा क्षेत्र पर अनुसंधान अध्ययनों पर सभी स्तरों पर विचारार्थ विषय एवं आलोचनात्मक टिप्पणियां भी प्रदान कीं।

मूल्यांकन

वर्ष 2021-22 के दौरान, इस वर्टिकल ने 14 एसएफसी/ईएफसी, 4 मंत्रिमंडल नोट, एक सीसीईए नोट और 4 पीपीआर का मूल्यांकन किया।

युवा कार्यक्रम एवं खेल

2021-22 के दौरान, इस वर्टिकल ने परियोजना मूल्यांकन समिति, खेलो इंडिया की विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति और राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम के तहत स्वैच्छिक संगठनों एवं नेहरू युवा केन्द्र संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठकों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

ऊर्जा

ग्रीन हाइड्रोजन की ओर परिवर्तन

अक्षय ऊर्जा की दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन एक गेम चेंजर साबित हुआ है। भारत को सभी ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन में बदलने का लक्ष्य रखना चाहिए। राष्ट्र को ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइज़र्स जैसे संबद्ध प्रौद्योगिकी में विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है। ग्रीन हाइड्रोजन कार्यनीति दस्तावेज, जिसे विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के कई दौर के बाद अंतिम रूप दिया गया है, उद्योगों को इसे चुनने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 (संस्करण 3.0)

नीति आयोग ने भारत के राष्ट्रीय कैलकुलेटर भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (आईईएसएस) 2047 को अपडेट करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। इस मॉडल को अंतिम रूप दे दिया गया है जो अपना विज़न 2047 तैयार करने में संबंधित मंत्रालयों के लिए मददगार होगा।

वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के सीईओ के साथ माननीय प्रधानमंत्री की चर्चा

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श से नीति आयोग वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के सीईओ और विशेषज्ञों के साथ माननीय प्रधानमंत्री की वार्षिक चर्चा का आयोजन करता है। यह कार्यक्रम 2016 से आयोजित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने, सुधारों पर चर्चा करने और भारतीय तेल एवं गैस मूल्य श्रृंखला में निवेश बढ़ाने की रणनीतियां तैयार करने के लिए एक वैश्विक मंच का निर्माण करना है।

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के रोडमैप पर रिपोर्ट 2020-25

माननीय प्रधानमंत्री ने 05 जून, 2021 को अपर सचिव (ऊर्जा), नीति आयोग के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, 20% इथेनॉल सम्मिश्रण सीमा के भीतर है। रिपोर्ट में आगे देश में ई-20 इथेनॉल के क्रमिक रोलआउट के लिए एक वार्षिक योजना निर्धारित की।

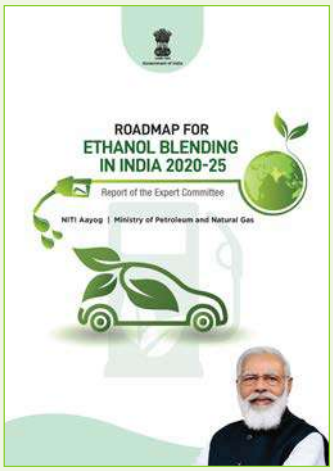

शासन और अनुसंधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जनसंख्या कवरेज के मापदंड की समीक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत 75:50 (ग्रामीण:शहरी) का मौजूदा मापदंड 68वें परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षण (जनगणना 2011) के जनसंख्या कवरेज के अनुपात पर आधारित है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएफएसए के तहत ग्रामीण और शहरी आबादी के शेयर के राज्यवार प्रतिशत की गणना करने की पद्धति की फिर से जांच करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) से अनुरोध कर रहे हैं। तद्नुसार, डीएफपीडी ने नीति आयोग से अधिनियम के तहत एनएफएसए आबादी के कवरेज के मापदंड की समीक्षा करने का अनुरोध किया, जो तत्कालीन योजना आयोग द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद, नीति आयोग ने नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में संबंधित हितधारकों के साथ गहन विचार विमर्श किया जिसमें सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), डीएफपीडी, मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा अन्य विशेषज्ञ शामिल थे।

एनएफएसए 2013 के तहत लाभार्थियों की पहचान

नीति आयोग ने एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को शामिल करने/बाहर करने के मापदंड पर डीएफपीडी को विस्तृत इनपुट प्रदान किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थियों की पहचान करने के मापदंडों को सामंजस्यपूर्ण बनाने से अधिनियम के तहत उचित लाभार्थियों को शामिल करने में मौजूद अंतराल को कम करने में मदद मिलेगी।

सीएसएस और सीएसएसएस के लिए ओओएमएफ की समीक्षा

नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में 22 सितंबर, 16 अक्तूबर और 28 अक्तूबर 2021 को क्रमश: उर्वरक, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ चार समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया। 14 दिसंबर, 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की जांच समिति की बैठक

शासन एवं अनुसंधान वर्टिकल प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की राज्य सहयोग पहल के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच के लिए जांच समिति की बैठकों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नोडल वर्टिकल है।

बंद यूरिया यूनिटों की बहाली

नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में गठित अंतर्मंत्रालयी समिति रामागुंडम, तालचेर, गोरखपुर, सिंद्री और बरौनी में 5 नए यूरिया संयंत्रों की स्थापना की सक्रियता से निगरानी कर रही है तथा इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न विभिन्न मुद्दों का समाधान कर रही है। इनमें फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तीन बंद यूरिया यूनिटें तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की दो यूनिटें शामिल हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कंसोर्टियम द्वारा स्थापित की जा रही हैं। वर्ष के दौरान अंतर्मंत्रालयी समिति की अनेक बैठकों का आयोजन किया गया। ये पांच संयंत्र, जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 12.5 लाख मीट्रिक टन है, 6.35 मिलियन मीट्रिक टन यूरिया का हर साल उत्पादन करेंगे। उम्मीद है कि जब ये परियोजनाएं चालू हो जाएंगी, तो आयातित यूरिया

पर भारत की निर्भरता काफी कम हो जाएगी। रामागुंडम प्लांट और गोरखपुर प्लांट ने क्रमश: मार्च 2021 और दिसंबर 2021 में संचालन आरंभ कर दिया, जबकि बरौनी और सिंद्री के संयंत्रों के मार्च 2022 तक कार्यशील हो जाने की उम्मीद है। तालचेर यूनिट, जो भारत का कोयला गैसीकरण पर आधारित पहला संयंत्र है, के सितंबर 2024 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

एनबीएस की दरें निर्धारित करने पर चर्चा करने के लिए अंतर्मंत्रालयी समिति

नीति आयोग उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों का निर्धारण करने के लिए सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में गठित अंतर्मंत्रालयी समिति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस समिति ने विनिर्माताओं/आयातकों के आवेदन और आईसीएआर के मूल्यांकन के अनुसार इसकी आवश्यकता के आधार पर उर्वरक सब्सिडी की एक नई व्यवस्था शामिल करने की सिफारिश की है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के तहत पोषक तत्व एन, पी, के और एस के लिए सब्सिडी की सिफारिश करने में समिति उपयुक्त समय पर सस्ती दर पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग को प्रोत्साहित करने के साथ ही देश में उर्वरकों के निर्बाध उत्पादन को संभव बनाएगी और किसी कमी की स्थिति में उर्वरकों के समय पर आयात को भी संभव बनाएगी।

नीति आयोग की अनुसंधान योजना के नए दिशानिर्देश 2021

नीति आयोग की अनुसंधान योजना के लिए नए दिशानिर्देश 2021 में आरंभ किए गए। अद्यतित दिशानिर्देशों का उद्देश्य सेमिनारों, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों के आयोजन के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं की मदद करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नीति आयोग के लोगो के प्रयोग के माध्यम से गैर वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा संस्थानिक एवं व्यक्तिगत अनुसंधान कार्य का आधार विस्तृत करना है।

[अनुमोदित अनुसंधान अध्ययनों, पूरे किए गए अध्ययनों और प्रदान किए गए लोगो समर्थन की सूची अनुलग्नक I में दी गई है।]

केंद्रीय मंत्रालयों में पुस्तकालयों का एकीकरण

वर्तमान में, अनेक मंत्रालयों/विभागों के अपने पुस्तकालय हैं। यद्यपि इनमें प्रचुर मात्रा में उच्च गुणवत्ता के संसाधन हैं, परंतु इनका प्रयोग इष्टतम से कम है जिसके कारणों में डिजीटल मोड के लिए प्रयोक्ताओं की प्राथमिकता शामिल है। प्रयोक्ताओं के लिए अधिक सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के पुस्तकालयों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। भविष्य में, आम लोगों को भी इन पुस्तकालयों का प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए, नीति आयोग ने पुस्तकालयों के एकीकरण के लिए नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल की 2021 में एक बैठक हुई थी तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डीन एवं विभागाध्यक्ष प्रो. रमेश सी गौड़ की अध्यक्षता में एक परियोजना निगरानी समिति का गठन किया गया था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

कोविड-19 के लिए आयुष आधारित पद्धतियों का सार-संग्रह

राज्यों/केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी/दिशा-निर्देशों को अपनाया है और कुछ राज्यों ने भी अपनी नीतियों का निर्माण किया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू की गई पहलों/सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित जानकारी भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से ''कोविड-19 के शमन और प्रबंधन के लिए आयुष आधारित प्रथाओं का संग्रह'' शीर्षक से एक रिपोर्ट में मांगी गई और प्रलेखित की गई। रिपोर्ट शीघ्र ही जारी की जाएगी।

कोविड-19 का होम-बेस्ड मैनेजमेंट

होम बेस्ड केयर एक कम लागत वाला मॉडल है और डिजिटल टूल्स जैसे टेलीमेडिसिन/कॉल सेंटर/एप्स आदि की मदद से एक ही समय में कई लोगों तक पहुंच सकता है। राज्यों में एक व्यवहार्य और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल वितरण तंत्र के रूप में गृह आधारित देखभाल की अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू किया गया। रिपोर्ट "गृह आधारित कोविड-19 प्रबंधन" विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए अभिनव उपायों का एक संग्रह है, जो विभिन्न होम बेस्ड केयर मॉडलों की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करती है। इन सफल कार्यनीतियों में से कई को दोहराया जा सकता है और इनका संवर्धन किया जा सकता है।

भारत के मिसिंग मिड्ल के लिए स्वास्थ्य बीमा

अक्तूबर 2021 में जारी भारत के मिसिंग मिड्ल के लिए स्वास्थ्य बीमा नामक एक रिपोर्ट में वर्तमान परिदृश्य, मौजूदा कमियां और स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए व्यापक सिफारिशों और तरीकों को रेखांकित किया गया है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य हासिल करने पर बातचीत को फिर से मज़बूत करने का प्रयास है। यह जनसंख्या के लक्षित खंड यानी मिसिंग मिड्ल के लिए बीमा कवरेज में सुधार करने के लिए समाधानों और विशिष्ट उत्पादों पर व्यापक चर्चाओं के लिए एक प्रारंभिक अवसर प्रदान करता है।

जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम प्रथाएं

समावेशी माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में जिला अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उन्हें आवंटित उदार निधियों के बावजूद उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कोई व्यापक प्रणाली नहीं है। इसलिए नीति आयोग को देश के जिला अस्पतालों के प्रदर्शन को ट्रैक करने की कवायद शुरू करने का अधिदेश दिया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) और (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से एक आकलन ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें संरचना और उत्पादन के क्षेत्र में 10 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) शामिल हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के एक घटक बोर्ड नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) ने जिला अस्पतालों के ऑन-ग्राउंड डेटा सत्यापन का आयोजन किया।

पहले दौर के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों कुल 707 जिला अस्पतालों ने प्रदर्शन मूल्यांकन में भाग लिया। वर्ष 2017-18 के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) आंकड़ों को इस कवायद के लिए बेसलाइन के रूप में इस्तेमाल किया गया। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिला अस्पतालों की पहचान की गई थी और उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को एकत्र किया गया और जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम प्रथाओं शीर्षक से एक रिपोर्ट में प्रलेखित किया गया।

मूल्यांकन

नीति आयोग के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण वर्टिकल ने 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, फार्मास्यूटिकल्स विभाग और आयुष मंत्रालय के बारे में मसौदा ईएफसी, एसएफसी और मंत्रिमंडल ज्ञापन की समीक्षा की और अपनी टिप्पणियां प्रदान की।

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग	कुल ईएफसी जिनकी समीक्षा की गई	कुल एसएफसी जिनकी समीक्षा की गई	कुल मंत्रिमंडल नोट जिनकी समीक्षा की गई	कुल
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	17	17	9	43
2.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	—	5	—	5
3.	औषध विभाग	—	—	1	1
4.	आयुष मंत्रालय	4	6	2	12

उद्योग-I

अनुसंधान अध्ययन

'ई-कामर्स प्लेटफार्म पर एमएसएमई का एकीकरण' पर अध्ययन

एमएसएमई विक्रेताओं और व्यापारियों को मौजूदा राष्ट्रव्यापी बाजारों से जोड़कर डिजिटल अवसंरचना प्लेटफार्म शुरू करके ई-कॉमर्स के माध्यम से स्थायी व्यवसाय प्राप्त किया जा सकता है। अक्तूबर 2020 में 'ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई का एकीकरण' पर एक अध्ययन शुरू किया गया था, जो वर्तमान में चल रहा है। इसका उद्देश्य भारत में ई-कॉमर्स और एमएसएमई के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन को कवर करना और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई के एकीकरण के लिए एक रोड मैप का विकास करना है। अंतिम रिपोर्ट शीघ्र जारी की जाएगी।

इस्पात पर श्वेत पत्र

इस्पात आधुनिक आर्थिक विकास का अभिन्न अंग है और कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल जनशक्ति और मांग की दृष्टि से इस क्षेत्र में वैश्विक उत्पादनकर्ता बनने के लिए भारत के पास अपेक्षित इनेबलर हैं।

इस सेगमेंट की समग्र रूप में समीक्षा करने के लिए इस्पात क्षेत्र पर एक श्वेत पत्र का मसौदा तैयार किया गया है। इस पेपर में वर्तमान में इस्पात उद्योग के विकास की रुझानों, बाजार में आपूर्ति एवं मांग परिदृश्य, कच्चे माल की उपलब्धता, इस उद्योग से संबंधित राजकोषीय नीति जैसे कि कराधान की संरचना, विकास से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों, इस्पात के उत्पादन एवं उपभोग दोनों में व्यवधान के रुझानों तथा 2030 तक वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए इस उद्योग के लिए आगे की राह का विश्लेषण किया है। यह इस्पात उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए सरकार के लिए नीतिगत उपायों की भी सिफारिश करता है।

पूंजीगत माल क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता

विनिर्माण किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला प्रमुख क्षेत्र है। पूंजीगत माल क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंजीनियरिंग, निर्माण, अवसंरचना, उपभोक्ता माल आदि के क्षेत्र में नितांत अपेक्षित मशीनरी एवं उपकरण प्रदान करता है। वर्तमान में पूंजीगत माल क्षेत्र राष्ट्रीय पूंजीगत माल नीति, 2016 में की गई परिकल्पना के अनुसार 2025 तक 20 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में भारत के विनिर्माण आउटपुट में लगभग 12 प्रतिशत का योगदान कर रहा है।

उद्योग वर्टिकल ने इस क्षेत्र का विश्लेषण किया है और उप क्षेत्रों की पहचान की है। ये भारी विद्युत उपकरण, भारी इलेक्ट्रिकल उपकरण, मशीन टूल्स, टेक्सटाइल मशीनरी तथा अर्थ मूविंग एवं खनन मशीनरी हैं। ऐसे उत्पादों का विश्लेषण करने के लिए इन उप क्षेत्रों का भी विश्लेषण किया गया जिन्हें घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने तथा व्यापार घाटा कम करने के लिए सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

मुक्त व्यापार करार

मुक्त व्यापार करार (एफटीए) ऐसे दो या अधिक देशों या व्यापार ब्लाकों के बीच व्यवस्था है जो प्राथमिक रूप से उनके बीच पर्याप्त व्यापार पर सीमा शुल्क तथा शुल्क से भिन्न बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए सहमत हैं। वैश्विक स्तर पर एफटीए करने के संबंध में रुझान बढ़ रहा है।

यद्यपि बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण एक विकल्प के रूप में बना रह सकता है परंतु ऐसा हो सकता है कि विश्व व्यापार संगठन की प्रक्रिया पर तरजीही व्यापार करार हावी हो सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में, भारत के पास एक रणनीतिक विकल्प यह है कि वह कैसे एफटीए पर आगे बढ़ेगा और उसमें शामिल होगा।

व्यापार करार से संबंधित रणनीति को बदलने तथा ऐसे उद्योगों के लिए एक रोड मैप का विकास करने की आवश्यकता है जो इन करारों से प्रभावित हो सकते हैं तथा इस संबंध में यह जानने की आवश्यकता है कि स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है और करारों का समुचित रूप से उपयोग कैसे किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान, उद्योग वर्टिकल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, जहां एफटीए उपयुक्त हैं, के विकास को समझने और आगे की राह के साथ एफटीए के मूल्यांकन में मदद के लिए एफटीए पर ब्रीफिंग नोट तैयार किया।

निर्यात संवर्धन परिषदों पर अध्ययन

निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अन्वेषण और उत्पाद विकास में निर्यातकों की मदद करती हैं। ये सरकार की मौजूदा एवं नई निर्यात संवर्धन योजनाओं के संबंध में भारतीय निर्यातकों को सूचना प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिससे सरकारी प्राधिकरणों और निर्यातकों के बीच अंतराल को पाटने में मदद मिलती है। समय के साथ ऐसी धारणा बढ़ रही है कि निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली संस्थानिक सहायता को पुनर्गठित करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों की पुनर्जांच की जानी चाहिए। तद्नुसार, नीति आयोग ने केन्द्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर निर्यात संवर्धन परिषदों के निष्पादन की समीक्षा के लिए एक अध्ययन शुरू किया है।

लाजिस्टिक्स

लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विकास के लिए कार्रवाई सहित इसके प्रति एक एकीकृत दृष्टिकोण का विकास करने की आवश्यकता है। उद्योग वर्टिकल ने इस सेक्टर की संस्थाओं को सुदृढ़ करने, क्षमता निर्माण की प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सुधारों को और गहन करने एवं एक नीति रूपरेखा का विकास करने के लिए अध्ययन संचालित करने के लिए सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए इस सेक्टर के संबंध में परियोजना प्रस्तावों का समर्थन किया है।

अन्य अध्ययन

वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग नीति आयोग से समय समय पर विशिष्ट अध्ययन करने या विशिष्ट मामलों पर इनपुट प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। उद्योग वर्टिकल अपनी जिम्मेदारियों के अंग के रूप में अनुरोध के अनुसार इनपुट प्रदान करता है और विशिष्ट अध्ययन संचालित करता है।

अंतर्मंत्रालयी परामर्श

वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग की योजनाओं पर समय समय पर इनपुट मांगे जाते हैं। यह वर्टिकल दोनों विभागों की योजनाओं/प्रस्तावों पर न केवल इनपुट प्रदान करता है अपितु कुछ योजनाओं की मदद और समर्थन भी करता है।

खनिज

2021-22 में खनिज प्रभाग ने रेयर अर्थ (आरई) पर उप समिति की निम्नलिखित दो रिपोर्टों की जांच की और हितधारकों के साथ चर्चा का आयोजन किया।

लाल मिट्टी से आरई के निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकी स्थापित करना

लाल मिट्टी से आरई के निष्कर्षण के लिए राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला (एनएमएल), खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी), जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान, विकास एवं डिजाइन केन्द्र (जेएनएआरडीडीसी), राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी (नालको), हिंडालको इंडस्ट्रीज और वेदांता के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की कुल लागत 511.51 लाख रुपये है जिसमें से 50 प्रतिशत हिंडालको, नालको और वेदांता द्वारा वहन किया जा रहा है और शेष लागत एनएमएल, आईएमएमटी और जेएनएआरडीडीसी द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। एमओयू के डिलिवरेबल इस प्रकार हैं :

1. 100 किलो/बैच आरएम फीड स्केल पर बेनीफिसिएशन के बाद लाल मिट्टी में रेयर अर्थ एलीमेंट (आरईई) के पूर्व सांद्रण के लिए प्रक्रिया
2. 100 किलो प्रति घंटा आरएम फीड स्केल पर बाक्साइट अवशिष्ट से आयरन वैल्यू की रिकवरी के लिए प्रक्रिया
3. 100 किलो प्रति घंटा आरएम फीड स्केल पर बाक्साइट अवशिष्ट से एल्युमिनियम वैल्यू की रिकवरी के लिए प्रक्रिया
4. 100 किलो प्रति घंटा आरएम फीड स्केल पर बाक्साइट अवशिष्ट से टिटेनियम वैल्यू की रिकवरी के लिए प्रक्रिया
5. 100 किलो प्रति घंटा आरएम फीड स्केल पर बाक्साइट अवशिष्ट से आरईई की रिकवरी के लिए प्रक्रिया
6. बाक्साइट अवशिष्ट के चयनित ग्रेड से वैल्यू की रिकवरी के लिए पूर्ण मास एवं एनर्जी बैलेंस के साथ मास्टर फ्लो शीट और इसकी तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता।

आरई को मैग्नेट में परिवर्तित करने की संभावना स्थापित करना

रिपोर्ट की सिफारिशों पर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क), रक्षा धातु अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल) और आईआरईएल इंडिया लिमिटेड के साथ संक्षेप में चर्चा की गई है। बार्क और डीएमआरएल को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा प्रौद्योगिकी अंतरण के तौर तरीके तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एल्युमिनियम के मुद्दों पर समिति

एल्युमिनियम क्षेत्र में मांग बढ़ाने, क्षमता बढ़ाने और विकास के कारकों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए निम्नलिखित मुद्दों की जांच करने के लिए एल्युमिनियम पर एक समिति का गठन किया गया है :

1. उड़न राख के समान लाल मिट्टी के लिए फ्रेट का पुनर्वर्गीकरण/फ्रेट प्रोत्साहन योजना
2. एल्युमिनियम स्क्रैप के लिए बीआईएस गुणवत्ता मानकों का निर्माण
3. मेटलर्जिकल और गैर मेटलर्जिकल ग्रेड के कैल्साइंड एल्युमिनियम के लिए अलग एचएस कोड का निर्माण करना
4. बाक्साइट का औसत बिक्री मूल्य

खनन नवाचार शिखर बैठक

रेयर अर्थ तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े विभिन्न पहलुओं में सहयोग का पता लगाने के लिए भारत और आस्ट्रेलिया के बीच एक खनन नवाचार शिखर बैठक का आयोजन किया गया। लीथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ, वनेडियम और टिटेनियम जैसे खनिजों में दोनों देशों के उद्योगों के बीच बी2बी अनुबंधों को सुगम बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

यह प्रभाग खान मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय खनिज सूचकांक के निर्माण की प्रक्रिया में भी शामिल है।

उद्योग-II

वृत्तीय अर्थव्यवस्था

आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए, नीति आयोग ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से, रैखिक अर्थव्यवस्था से वृत्तीय अर्थव्यवस्था में संक्रमण में सहायता प्रदान करने के लिए 11 क्षेत्रों की पहचान की है।

11 क्षेत्र इस प्रकार हैं : नगरपालिका ठोस और तरल अपशिष्ट; स्क्रैप धातु (लौह और अलौह); लिथियम आयन (ली-आयन) बैटरी; टायर और रबर की रीसाइक्लिंग; जिप्सम; जीवनांत वाहन; इलेक्ट्रॉनिक कचरा; विषाक्त और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट; प्रयुक्त तेल अपशिष्ट; कृषि अपशिष्ट; और सौर पैनल।

ये क्षेत्र या तो काफी चुनौती का सामना कर रहे हैं या ऐसे नए क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

मार्च 2021 में नीति आयोग ने इन 11 क्षेत्रों में वृत्तीय अर्थव्यवस्था पर समितियों का गठन किया। इस पहल की विशिष्टता यह है कि रणनीतियों के आकलन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के पास है। इन क्षेत्रों में वृत्तीय अर्थव्यवस्था के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य योजनाओं को पक्का करने के लिए समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा की गई।

क्रम सं.	केन्द्र बिंदु	संबंधित सम्बद्ध मंत्रालय
1.	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
2.	स्क्रैप धातु (लौह और अलौह)	इस्पात मंत्रालय
3.	इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
4.	लिथियम आयन (ली-आयन) बैटरी	नीति आयोग
5.	सौर पैनल	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
6.	जिप्सम	उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
7.	विषाक्त और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
8.	प्रयुक्त तेल अपशिष्ट	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
9.	कृषि अपशिष्ट	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
10.	टायर और रबर रीसाइक्लिंग	उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
11.	एंड-ऑफ-लाइफ वाहन (ईएलवी)	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

स्वतंत्रता दिवस 2021 पर अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री ने भी वृत्तीय अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया है।

कार्य योजनाओं को नवंबर 2021 में अंतिम रूप दिया गया और इसमें लघु या मध्यम अवधि के नियामक और विकासात्मक कार्य/पहलें शामिल हैं। इन पहलों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

इन कार्य योजनाओं से कई परस्पर संबद्ध क्षेत्र उभरे हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं : एक मजबूत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) ढांचा, अवसंरचना, गौण कच्चे माल के लिए मानक, प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन, इको लेबलिंग, हरित खरीद, पर्यावरण के लिए डिजाइन, आदि का विकास करना।

अगले चरण की परियोजनाओं की भी शुरुआत हो चुकी है।

नीली अर्थव्यवस्था

नीति आयोग ने अप्रैल 2021 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नीली अर्थव्यवस्था समन्वय समिति का गठन किया। निम्नलिखित क्षेत्रों में छह उप समूह गठित किए गए :

1. राष्ट्रीय लेखांकन ढांचा;
2. समुद्री मात्स्यिकी, मत्स्य पालन और मत्स्य प्रसंस्करण;
3. लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग (ट्रांसशिपमेंट सहित);
4. तटीय और गहरे समुद्र में खनन, नई और नवीकरणीय अपतटीय ऊर्जा और अनुसंधान एवं विकास;
5. राष्ट्रीय तटीय समुद्री स्थानिक योजना ढांचा; और
6. सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव।

छह क्लस्टरों में पहलों का समन्वय संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है।

कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र

कपड़ा मंत्रालय ने 2021 में दो प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की: कपड़ा क्षेत्र में पीएलआई और पीएम मित्रा पार्क। उद्योग-II वर्टिकल इन दो योजनाओं के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल था। वर्टिकल ने मंत्रालय की पुरानी योजनाओं का मूल्यांकन भी किया।

मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) क्षेत्र में विकास और रोजगार की संभावना को देखते हुए, कपड़ा क्षेत्र के लिए पांच साल की अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ पीएलआई योजना तैयार की गई है। इसका उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र को आकार और परिमाण हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाना है।

पीएम मित्रा पार्क योजना में भारत को सतत विकास लक्ष्य 9 यानी 'लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को पोषित करना' को प्राप्त करने में मदद करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री के 5एफ विजन से प्रेरित है: फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेश तक। विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना अत्याधुनिक तकनीक को आकर्षित करेगी और इस क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगी। सात मेगा एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्रा) पार्क स्थापित करने के लिए इस योजना को 4,445 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया है।

अंतर-मंत्रालयी समितियों में भागीदारी

उद्योग-II वर्टिकल ने कपड़ा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय तथा भारी उद्योग विभाग की अंतर-मंत्रालयी समिति की कई बैठकों में भाग लिया।

अन्य पहलें

वर्टिकल ने विनिर्दिष्ट फल सेगमेंट में 'खाद्य - प्रसंस्करण क्षेत्र में आपूर्ति पक्ष बाधाएं', 'बेकार तेल को आधार तेल में पुनर्जनन के लिए जीवन चक्र मूल्यांकन' और 'संसाधन सुरक्षा: निम्न ग्रेड लौह अयस्क का उपयोग' पर अध्ययन भी करता है।

अवसंरचना-कनेक्टिविटी

रेलवे

रेलवे संरक्षा कोष की निगरानी के लिए समिति

राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (आरआरएसके) की निगरानी के लिए 2017-18 में नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन किया गया।

आरआरएसके समय-समय पर निगरानी के माध्यम से रेलवे संरक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए 5 साल (2017-2022) की अवधि में 1 लाख करोड़ रुपये की एक संचयी निधि है।

इस समिति के सदस्यों में अपर सदस्य (योजना), रेलवे बोर्ड; संयुक्त सचिव (पीएफसी-2), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय; और सलाहकार (अवसंरचना-कनेक्टिविटी), नीति आयोग, जो संयोजक हैं, शामिल हैं।

समिति ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) प्रणाली, ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली (टीसीएएस) स्थापित करना, उप शहरी रेलवे के लिए स्वचालित दरवाजे लगाना और प्रणाली व्यापी सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता। देखा गया कि इस कोष के अस्तित्व में आने के बाद से ट्रेन दुर्घटना एवं मौतों की संख्या में कमी आई है। अक्तूबर 2021 में, समिति ने अगले 5 साल के लिए योजना के विस्तार की सिफारिश की।

समर्पित फ्रेट कोरिडोर

इन्फ्रास्ट्रक्चर-कनेक्टिविटी वर्टिकल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समर्पित फ्रेट कोरिडोर (डीएफसी) परियोजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए, त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। दोनों कोरिडोर में कुल 1100 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से एक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास का काम चल रहा है।

डीएफसी के गुड्स शेड के विकास के लिए अगली बोली प्रक्रियाधीन है। भारतीय समर्पित फ्रेट कोरिडोर निगम (डीएफसीसीआईएल) ने 12 बिलियन जीटीकेएम (सकल टन-किलोमीटर) माल का परिवहन किया है (पूर्वी कोरिडोर के माध्यम से 7832 मिलियन जीटीकेएम और पश्चिमी कोरिडोर के माध्यम से 4422 जीटीकेएम)।

उत्पाद–परिणाम निगरानी रूपरेखा

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत ने 15 दिसंबर, 2021 को रेल मंत्रालय (एमओआर) की उत्पाद–परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) की समीक्षा की। नीति आयोग ने विभिन्न सुधारों का सुझाव दिया जैसे कि रोलिंग स्टाक की उत्पादन यूनिटों का व्यवसाय पुनर्गठन और स्टेशनों का पुनर्विकास।

मूल्यांकन

वर्टिकल ने विभिन्न रेल परियोजनाओं का विस्तार से मूल्यांकन किया, जो ईबीआर ज्ञापन तथा पीपीआर के रूप में प्राप्त हुई थीं। इन परियोजनाओं में लाइन दोहरीकरण, क्षमता वर्धन, नई लाइनें डालना, विद्युतीकरण, उपनगरीय रेलवे नेटवर्क का विकास तथा मानव युक्त क्रॉसिंग का समापन शामिल है। इस वर्टिकल ने क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली से संबंधित परियोजनाओं का भी मूल्यांकन किया।

अनुसंधान अध्ययन

वर्टिकल ने (क) रेलवे में संचालन के अनुपात में सुधार (ख) डीएफसी पर फ्रेट टर्मिनल की कुशलता (ग) रेलवे की परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के कारण पर नीति निर्माण के लिए अनुसंधान अध्ययन भी किए हैं।

बंदरगाह एवं पोत परिवहन

मूल्यांकन

वर्तमान वित्त वर्ष में वर्टिकल ने नौ एसएफसी प्रस्तावों, तीन ईसी प्रस्तावों और एक ईएफसी प्रस्ताव का मूल्यांकन किया। वर्टिकल ने एक पीपीआर का भी मूल्यांकन किया है।

यह वर्टिकल बंदरगाह, पोत परिवहन एवं वाटरवे के बारे में मंत्रिमंडल नोट की जांच करके नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्टिकल ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा लिए गए ऋण के लिए मोहलत अवधि प्रदान करने के लिए मसौदा मंत्रिमंडल नोट की जांच की।

सड़क एवं राजमार्ग और लॉजिस्टिक्स

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बोर्ड बैठकें

नीति आयोग के सीईओ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बोर्ड के अंशकालिक सदस्य हैं। एनएचएआई तिमाही आधार पर बोर्ड बैठकें आयोजित करता है। वर्टिकल इन बैठकों के लिए एनएचएआई द्वारा तैयार किए गए विस्तृत एजेंडा की जांच करता है और नीति आयोग के सीईओ के माध्यम से आवश्यक इनपुट एवं सुझाव प्रदान करता है। राजस्व के वैकल्पिक स्रोत, सड़क निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन के तरीके और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया जाता है।

नीति अनुसंधान

यह वर्टिकल शहरी परिवहन क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के मार्गदर्शन, आकलन और मूल्यांकन के लिए आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की अनुसंधान एवं सलाहकार समिति का अंग है। इस तरह की परियोजनाओं में परिवहन के अन्य माध्यमों पर ई-मोबिलिटी का प्रभाव, साझी गतिशीलता, रोपवे, शहरी लॉजिस्टिक्स, पार्किंग प्रबंधन आदि के लिए प्रोत्साहन शामिल है।

मूल्यांकन

वर्तमान वित्त वर्ष में इस वर्टिकल ने 45 एसएफसी तथा चार ईएफसी पैकेज का मूल्यांकन किया। इसने 11 पीपीआर का भी मूल्यांकन किया। वर्टिकल ने पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना की नौ परियोजनाओं तथा स्थापना व्यय समिति की एक परियोजना का भी मूल्यांकन किया है।

यह वर्टिकल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना मूल्यांकन एवं तकनीकी जांच समिति (पीएटीएससी) का भी अंग है। पीएटीएससी मूल्यांकन तंत्र के अंग के रूप में वर्टिकल ने 60 से अधिक परियोजना पैकेजों का मूल्यांकन किया और उनकी लाभप्रदता में सुधार के तरीकों पर विस्तृत टिप्पणियां एवं सुझाव प्रदान किए।

वर्टिकल ने सड़क एवं राजमार्ग पर सात मंत्रिमंडल नोट का भी मूल्यांकन किया।

नागर विमानन

हाइपरलूप टेक्नोलॉजी

यह वर्टिकल देश में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो हाई स्पीड की परिवहन प्रणाली है, के लागू होने की देखभाल करता है। वर्टिकल ने हाइपरलूप सिस्टम की प्रौद्योगिकीय एवं वाणिज्यिक लाभप्रदता का अध्ययन करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं और उप समितियों का गठन कर लिया गया है।

उप समितियों ने सुझाव दिया कि :

1. निजी क्षेत्र को हाइपरलूप सिस्टम का निर्माण करने, स्वामित्व ग्रहण करने और संचालन करने की अनुमति दी जाए और सरकार प्रमाण पत्र, अनुमति, कर लाभ और भूमि (यदि संभव हो) आदि प्रदान करके सुविधा प्रदाता के रूप में काम करे। सरकार अपने कोष का निवेश नहीं करेगी और निजी कंपनियां पूर्ण व्यवसाय जोखिम ग्रहण करेंगी।
2. देशज स्तर पर निर्मित हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए।

मूल्यांकन

2021-22 के दौरान वर्टिकल ने छह ईबीआर/डीआईबी/पीपीआर/मंत्रिमंडल नोट/एसएफसी/ईएफसी की जांच की।

परिवहन को कार्बन मुक्त करने की पहल

नीति आयोग ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकार्बनीकरण पहल और राष्ट्रीय दृढ़प्रतिज्ञ अंशदान परिवहन पहल एशिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच और जीआईजेड इंडिया के साथ सहयोग किया है।

दोनों परियोजनाओं की प्रगति की मासिक आधार पर समीक्षा की जाती है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है।

अब तक तीन रिपोर्टें, एक ई-मोबिलिटी तथा लो कार्बन पैसेंजर रोड ट्रांसपोर्ट पर तथा दो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना एवं एकीकरण पर, क्रमश: फरवरी और अगस्त 2021 में जारी की गई हैं।

फरवरी में इलेक्ट्रिक वाहन के लाभों के बारे में दिल्लीवासियों को शिक्षित करने के लिए 'स्विच दिल्ली' नामक एक अभियान भी शुरू किया गया।

अगस्त 2021 में, नीति आयोग तथा विश्व संसाधन संस्थान भारत द्वारा परिवहन विकार्बनीकरण मंच लांच किया गया। यह मंच वार्ता शुरू करने तथा समाधानों का विकास करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए गतिशीलता तथा ऊर्जा क्षेत्र के सभी हितधारकों को एक समर्पित प्लेटफॉर्म प्रदान करने का प्रयास करता है।

2021-22 में भारत के परिवहन को कार्बन मुक्त करने पर अनेक कार्यशालाओं, वेबिनारों और चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।

शहरीकरण का प्रबंधन

अपशिष्टवार शहर : नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाएं

'अपशिष्टवार शहर' 15 राज्यों के 28 शहरों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रलेखित करता है। यह रिपोर्ट नीति आयोग और विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से संचालित देशव्यापी अध्ययन एवं सर्वेक्षण की देन है। सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह जमीनी स्तर पर जुलाई 2021 में शुरू किए गए 5 माह के व्यापक अनुसंधान की देन है। यह रिपोर्ट 10 विभिन्न पहलुओं के क्रॉस सेक्शन से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के समूचे दायरे की जांच करती है जो स्थायी मूल्य श्रृंखला को स्पष्ट करते हैं। इन विषयगत पहलुओं में स्रोत पर पृथक्करण, सामग्री रिकवरी, प्रौद्योगिकी नवाचार, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट एवं प्रणालियों जैसे कि स्वाभाविक रूप से सड़नशील, प्लास्टिक, ई-वेस्ट, सीएंडडी अपशिष्ट और लैंडफिल के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकीय नवाचार शामिल हैं। रिपोर्ट दिसंबर, 2021 में लांच की गई।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए योजना और वास्तुशिल्प रूपरेखा

भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में आकर्षक जैव विविधता तथा मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता पाई जाती है। यहां एकान्त स्थान में वास और पुनर्यौवन के लिए पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। दुर्भाग्य से इसके कारण और तेजी से शहरीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन हुआ है।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक योजना एवं वास्तुशिल्पीय ढांचा तैयार करने के लिए जून 2021 में एक समिति का गठन किया गया जिसमें वास्तुशिल्पीय, सिविल इंजीनियर, योजनाकार और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल किए गए।

यह रूपरेखा, जिसके इस वित्त वर्ष में पूर्ण हो जाने की उम्मीद है, निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करेगी :

1. पहाड़ी क्षेत्रों के स्थलाकृतिक संदर्भ, संरक्षा, स्वास्थ्य, परंपरागत वास्तुशिल्पीय पद्धतियों और संस्कृति के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक भवन उप नियमों एवं निर्माण मानदंडों का निर्माण करने के लिए पद्धति का निर्माण।
2. इन क्षेत्रों में वहन क्षमता पर आधारित शहरीकरण का सुनिश्चय करने के लिए नियोजन के विनियम तथा पर्यटन प्रबंधन की रणनीतियां तैयार करना।
3. बहुक्षेत्रक अनुक्रमिक स्थलाकृतिक नियोजन के लिए दिशानिर्देश/कार्यपद्धति का निर्माण।
4. नियोजित क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए विधायी एवं संस्थानिक तंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए नीतिगत सिफारिशें तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेतरतीब विकास की रोकथाम।
5. पहाड़ी कस्बों में भवन निर्माण के लिए अनुमोदन और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' की प्रणालियों को कारगर बनाने के लिए जिला प्राधिकारियों, शहारी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए निर्णय लेने के उपकरण तैयार करना।

भारत में 'शहरी' को फिर से परिभाषित करना

यद्यपि 2011 की जनगणना ने आबादी का अनुमान लगाने के लिए 8000 कस्बों को 'शहरी' के रूप में नामित किया है, फिर भी उनमें से आधे अभी भी प्रशासनिक दृष्टि से 'ग्रामीण' हैं, जिन्हें सेंसस टाउन के रूप में जाना जाता है।

सेंसस टाउन ने 2001 से 2011 के बीच शहरी आबादी में निवल वृद्धि में 30 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया है जो बदलाव की उस प्रकृति को दर्शाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। समाजीय और आर्थिक विकास में उनके योगदान का आकलन करना और 'सांविधिक टाउन' के रूप में उपयुक्त पहचान प्रदान करना देश में शहरीकरण के लाभों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि वैधानिक मास्टर प्लान के तहत व्यापक स्थलाकृतिक विकास रणनीति के बगैर उनका बढ़ना जारी रहा तो ऐसे कस्बों में नियोजित शहरी विकास के लाभ प्राप्त करने के अवसरों का उपयोग नहीं हो सकता है। काफी लंबे समय तक बेतरतीब विकास, अनियोजित निर्माण तथा अवसंरचना का तदर्थ प्रावधान उनको बड़े जोखिमों में डाल देंगे।

शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल इस मुद्दे पर अन्य थिंक टैंक के साथ विचार विमर्श कर रहा है और आंतरिक रूप से अनुसंधान कर रहा है।

शहरी शासन के मुद्दों का समाधान करना

मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के शहरों को छोड़कर भारत के अधिकांश शहरों में मेयर को सीमित कार्यपालक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही, नगर निगम का कार्यकाल पांच साल का होता है, जबकि मेयर का कार्यकाल राज्य दर राज्य 1 से 5 साल के बीच होता है। यह दुनिया भर के अन्य शहरों में मेयर के लिए अपनाए जा रहे मॉडलों के बिल्कुल विपरीत है।

वर्टिकल इस मुद्दे पर अन्य थिंक टैंक तथा अनुसंधान संगठनों के साथ विचार विमर्श कर रहा है और इस पर एक श्वेत पत्र तैयार कर रहा है। उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों के साथ मजबूत शहर स्तरीय नेतृत्व की आवश्यकता पर चर्चा की गई है।

शहरी स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण

कोविड-19 महामारी के आलोक में शहरी स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने के लिए चुनौतियों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को मानचित्रित करना तथा कुशल रणनीतियां तैयार करना आवश्यक है–आज से पहले इतनी प्रबल आवश्यकता कभी महसूस नहीं की गई थी। तद्नुसार, नीति आयोग के विशेष सचिव डॉ. के राजेश्वर राव ने 3 सितंबर 2021 को डॉ. अनुराधा जैन, सलाहकार (स्वास्थ्य), यूएसएआईडी और श्रिया सेठी, कंट्री डायरेक्टर, इंटरनेशनल इनोवेशन कोर से मुलाकात की। सहयोग के संभावित क्षेत्रों तथा कार्य के दायरे पर चर्चा हुई। परिणामत: आगे की राह पर एक संकल्पना नोट तैयार किया गया है और नवंबर 2021 में पहली हितधारक बैठक आयोजित की गई।

शहरी भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की रणनीतियां

शहरी भूमि शासन में सुधार तथा इसे संस्थानीकृत ऋण और सुरक्षित निवेश के लिए अधिक पारदर्शी एवं सुलभ बनाने के लिए वर्टिकल एक रणनीति पेपर का विकास कर रहा है जिसका प्रयोग राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तत्काल संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए नवंबर 2021 में विभिन्न प्रौद्योगिकियों, आधुनिकीकरण के प्रस्तावों, सर्वोत्तम प्रथाओं तथा आगे की राह पर चर्चा करने के लिए एक विचारोत्पादक सत्र का आयोजन किया गया।

शहरी स्थानीय निकायों की नगरपालिका वित्त प्रणालियों में सर्वोत्तम प्रथाएं

शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल ने शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय सुधारों के लिए भारत के कुछ राज्यों द्वारा अपनाए गए कार्यान्वयन मॉडलों की तुलना करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है। यह तुलना विभिन्न मॉडलों की समानताओं तथा प्रत्येक मॉडल की अनोखी विशेषताओं को निरपेक्ष ढंग से उजागर करेगी। इसके आधार पर, यह अध्ययन वर्तमान में सुधारों को लागू करने वाले राज्यों के लिए सबक तैयार करने का प्रयास करेगा।

मूल्यांकन

2021-22 में, इस वर्टिकल ने आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चार ईएफसी, डीआईबी, पीआईबी ज्ञापन, मंत्रिमंडल नोट और पीपीआर तथा दिल्ली और सूरत की मेट्रो रेल परियोजनाओं का मूल्यांकन किया/जांच की।

एमएसएमई

एमएसएमई वर्टिकल भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित मामले देखता है।

कच्चे माल के स्रोतों, आपूर्तिकर्ताओं एवं व्यवसाय साझेदारों से निकटता, बेहतर समन्वय और मितव्ययी संचालन के कारण पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई क्लस्टर तेजी से बढ़े हैं। सरकार ने एमएसएमई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रमुख रणनीतिक के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाया है। इस संदर्भ में, उनकी उत्पादकता, प्रतिस्पर्धी क्षमता, निर्यात अभिमुखीकरण और नवाचारी क्षमता के आधार पर क्लस्टरों के निष्पादन का मूल्यांकन करना अनिवार्य है। साथ ही, क्लस्टरों का निष्पादन बढ़ाने के लिए उनकी प्रमुख चुनौतियों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना भी आवश्यक है।

वर्टिकल ने 'सामान्य अवसंरचना के सृजन पर बल देते हुए उत्पादता एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए एमएसएमई क्लस्टर' पर एक अनुसंधान अध्ययन शुरू किया जो वर्तमान में चल रहा है।

प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण

प्लास्टिक के स्वाभाविक रूप से सड़नशील विकल्प के लिए विशेषज्ञ समिति

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा उद्योग के सहयोग से इस वर्टिकल ने प्लास्टिक के स्वाभाविक रूप से सड़नशील विकल्प के रूप में एक उत्पाद का विकास करने में सहायता प्रदान की है। अब तक दो दौर की बैठकें हो चुकी हैं तथा फरवरी 2022 तक उप समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की योजना बनाई गई है।

भारत के लिए विकार्बनीकरण के तरीकों का विकास करना

वर्टिकल ने 2021 में ग्लासगो शिखर बैठक में भारत की सीओपी26 प्रतिज्ञा, पंचामृत के कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार की। वर्टिकल ने सेक्टोरल परिवर्तन और जलवायु वित्त जुटाने पर अध्ययन किए।

पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती का मानचित्रण

नीति आयोग के नेतृत्व में इसरो ने 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम खेती के तहत क्षेत्रफल और इस पर निर्भर झूमिया परिवारों का अनुमान' पर एक अध्ययन शुरू किया है। यह अध्ययन, जो पूरा होने के अंतिम चरणों पर है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम खेती की प्रथा पर परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को सूचित करने का आधार होगा।

स्रोत पर अपशिष्ट को अलग करने के लिए स्वभाव में परिवर्तन पर नीतिगत दिशानिर्देश

स्रोत पर अपशिष्ट को अलग करने से जुड़ी आवश्यकता एवं चुनौतियों पर एक नीति नोट तैयार किया गया। इस नोट ने वर्तमान नीति एवं शासन परिदृश्य का उल्लेख किया और सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश की। पेपर में स्रोत पर अपशिष्ट को अलग करने के लिए स्वभाव में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नीतिगत सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई हैं। यह नोट आईआईएम बंगलौर और आईआरजी सिस्टम्स साउथ एशिया के सहयोग से तैयार किया गया।

प्लास्टिक मुक्त शहरों और महासागरों पर राष्ट्रीय वार्ता

वर्टिकल ने पार्ले फॉर दि ओसन के संस्थापक और सीईओ साइरिल गट्श द्वारा प्लास्टिक मुक्त शहरों और महासागरों पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने इस वार्ता की अध्यक्षता की और माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव मुख्य अतिथि थे।

परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग

सार्वजनिक कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं का मूल्यांकन

अपने मूल्यांकन ज्ञापनों के माध्यम से नीति आयोग व्यवस्थित सुधारों का सुझाव देने एवं सुधारों को लागू करने में सहायक रहा है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं का प्रभाव बढ़ाना तथा डिलीवरी एवं परिणाम को ध्यान में रखते हुए खर्च करना है।

2021-22 दौरान (31 दिसंबर 2021 तक), ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर प्रस्तावों में निहित 150 योजनाओं/ कार्यक्रमों (जिनमें 300 उप योजनाएं शामिल हैं) का मूल्यांकन किया गया जिनमें 30,40,918.85 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल था। 01 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2021 तक मूल्यांकित परियोजनाओं का सेक्टोरल वितरण नीचे तालिका में दिया गया है :

पीएएमडी द्वारा मूल्यांकित ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की क्षेत्रवार संख्या और लागत
(1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक)

क्र. सं.	क्षेत्र	2021–22	
		संख्या	लागत (करोड़ रुपये में)
	कृषि		
1	कृषि और संबद्ध क्षेत्र	5	7,86,795.92
	ऊर्जा		
2	विद्युत	5	9,981.57
3	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	8	54,775.32
	निष्कर्षण उद्योग		
4	कोयला		
5	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	1	41,520.00
	परिवहन		
6	रेलवे		
7	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	1	7,270.00
8	नागर विमानन	2	5,805.00
9	बंदरगाह, पोत परिवहन एवं वाटरवे	1	2,500.00
	उद्योग		
10	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम	2	28,469.44
11	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	5	25,229.56
12	इस्पात एवं खान	1	98.48
13	पेट्रो रसायन एवं उर्वरक		
14	कपड़ा	8	72,944.22
15	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
16	वाणिज्य एवं उद्योग	10	23,510.62
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
17	जैव प्रौद्योगिकी		
18	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	8	23,219.82
19	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान		
20	महासागर विकास		
21	पृथ्वी विज्ञान	4	5,561.00
	सामाजिक सेवाएं		
22	शिक्षा/मानव संसाधन विकास	5	60,001.66
23	संस्कृति	3	2,751.64
24	युवा कार्यक्रम एवं खेल	2	4,582.09
25	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5	4,75,400.76
26	महिला एवं बाल विकास	2	75,169.94

क्र. सं.	क्षेत्र	2021–22	
		संख्या	लागत (करोड़ रुपये में)
27	श्रम एवं रोजगार	1	832.30
28	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	4	3,640.37
29	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन	2	8,961.99
30	ग्रामीण विकास	5	7,41,055.41
31	अल्पसंख्यक कार्य	4	39,345.04
32	जनजातीय कार्य		
33	पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता		
34	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण		
	संचार		
35	सूचना और प्रसारण	3	4,433.12
36	डाक		
37	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	5	21,483.12
38	डाक और संचार	3	10,371.30
	अन्य		
39	गृह	6	5,777.29
40	पर्यटन	4	7,578.37
41	पर्यावरण एवं वन	1	592.05
42	विधि एवं न्याय		
43	जल शक्ति एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा उद्धार	8	2,56,899.33
44	पूर्वोत्तर क्षेत्र (डोनर)		
45	उपभोक्ता मामले	5	64,304.00
46	वित्त/कारपोरेट कार्य	7	31,570.19
47	योजना आयोग / नीति आयोग	1	933.00
48	विदेश मामले	1	5,110.61
49	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	1	5,120.30
50	संसदीय कार्य		
51	पंचायती राज	1	21,617.49
52	आवास एवं शहरी मामले	7	96,908.25
53	कौशल विकास और उद्यमिता	1	1,435.28
54	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन		
55	सहकारिता	1	2,783.00
56.	रक्षा	1	4,580.00
	कुल	**150**	**30,40,918.85**

सार्वजनिक-निजी भागीदारी

सार्वजनिक अवसंरचना के कार्यान्वयन और संचालन के लिए अधिमान्य माध्यम के रूप में पीपीपी की पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वर्टिकल सबसे आगे कार्य करता है। इसके लिए, वर्टिकल नीतिगत स्तर की सिफारिशें करता है और कार्यान्वयन एजेंसियों को लेन-देन संरचना मार्गदर्शन प्रदान करता है। वर्टिकल परिसंपत्ति मौद्रिकरण कार्यक्रम, लेनदेन की निगरानी, निवेश संरचनाएं, प्रगति और मुद्दों पर विचार-विमर्श, यदि कोई हैं तो, पर भी काम करता है।

केन्द्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक-निजी भागीदारियों का मूल्यांकन

2021-22 के दौरान (31 जनवरी 2022 तक), इस वर्टिकल द्वारा 74 पीपीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया जिनकी कुल लागत 1,03,523 करोड़ रुपये है। मूल्यांकित परियोजनाओं का क्षेत्रवार वितरण इस प्रकार है :

पीपीपी परियोजनाएं, जिनका वित्त वर्ष 2021-22 (31 जनवरी 2022 तक) में मूल्यांकन किया गया

क्र. सं.	मूल्यांकित परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रुपये में)
1	सड़क	50	53,890
2	पोर्ट	9	9,398
3	इको पर्यटन	2	90
4	हॉस्पिटल	3	2,422
5	साइलो	4	865
6	रोपवे	1	410
7	टेलीकॉम	1	20,643
8	रेलवे स्टेशन	2	1,454
9	रेलवे फ्राइट कॉरिडोर	1	9,369
10	पाइपलाइन	1	4,982
	कुल	**74**	**1,03,523**

अवसंरचना क्षेत्र में निजी एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस साल पीपीपी वर्टिकल द्वारा अनेक नवोन्मेषी पहलें शुरू की गईं।

विवाद समाधान तंत्र पर कार्यबल

सरकार या सीपीएसई से संबंधित काम देखने वालों के लिए कामकाज करने की सरलता बढ़ाने और निजी निवेशकों एवं ठेकेदारों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में एक समाधान तंत्र का गठन करने की घोषणा की थी। नतीजतन मार्च 2021 में प्रमुख केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधित्व के साथ नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया।

इस कार्यबल को सरकार (मंत्रालय, सीपीएसई) और निजी निवेशकों/ठेकेदारों/छूटग्राहियों के बीच अनुबंधों एवं कानूनी संबंधों से उत्पन्न विवादों के समय पर एवं लागत प्रभावी समाधान के लिए एक प्रभावी समाधान तंत्र का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सभी केंद्रीय मंत्रालयों, सीपीएसई, और सांविधिक प्राधिकरणों के लिए लागू, निर्धारित तंत्र में एक समयबद्ध सुविधा प्रक्रिया शामिल होती है, जो पक्षों को सुलहकर्ताओं की सहायता से पारस्परिक रूप से समझौते पर सहमति देती है। यह सरकार और किसी भी निजी पक्ष द्वारा विवाद के लम्बित होने के किसी भी स्तर पर - मध्यस्थता या विवाद की कार्यवाही शुरु करने से पहले, उसके दौरान या बाद में पूरा किया जा सकता है। हितधारक मंत्रालयों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद, इस कार्यबल ने अपनी सिफारिश के भाग के रूप में 'मेलमिलाप के माध्यम से सरकार और निजी संस्थाओं के बीच विवादों के समाधान के लिए दिशानिर्देश' तैयार करने में मदद की।

मॉडल रियायत करार-बंदरगाह

2021-22 में बंदरगाह, पोत परिवहन नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक अंतर्मंत्रालयी परामर्श के माध्यम से अपने मॉडल रियायत करार (एमसीए)-बंदरगाह को संशोधित एवं अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की। एमसीए -बंदरगाह एक मॉडल रियायत दस्तावेज है जो प्रमुख बंदरगाहों द्वारा शुरू की गई सभी पीपीपी परियोजनाओं की परियोजना संरचना और रियायत रूपरेखा का मार्गदर्शन करता है। इस संशोधन का ज्यादातर उद्देश्य परियोजनाओं की लाभप्रदता बढ़ाना और परिणामत: एमसीए तथा इसके अधीन परियोजनाओं की बोली सामर्थ्य और बैंकिंग सामर्थ्य बढ़ाना है।

पीपीपी वर्टिकल ने पिछले तीन वर्षों में मंत्रालय की विभिन्न पीपीपी परियोजनाओं के अपने मूल्यांकन में रियायत की शर्तों में सुधार के लिए विस्तृत टिप्पणियां एवं सुझाव प्रदान किए। और एमसीए-बंदरगाह 2021 तैयार करने के दौरान वर्टिकल ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ अनेक दौर के विचार विमर्श/बैठकों तथा लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रक्रिया में अभिन्न रूप से भाग लिया। 'मॉडल रियायत करार 2021' जिसे नीति आयोग के इनपुट एवं सुझावों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है, 12 नवंबर 2021 को जारी किया गया।

सुबह : स्वास्थ्य संस्थानों के सौरीकरण में राज्यों की मदद करना

नीति आयोग ने संस्थाओं द्वारा किसी पूंजी निवेश या सरकार से किसी सब्सिडी के बगैर पूरे देश में कम कीमत पर स्वास्थ्य संस्थाओं की छत पर सोलर पैनल की स्थापना के माध्यम से सौर विद्युत प्रदान करने के लिए 'सुबह' (सूर्य का आशीर्वाद और स्वास्थ्य) पहल शुरू की है। नीति आयोग द्वारा यह परियोजना विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलाई जा रही है। यह परियोजना निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करके वित्त पोषित की जाएगी, जो संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा बिजली की प्रतिबद्ध खरीद के माध्यम से अपना प्रतिफल प्राप्त करेगा। इस संबंध में, सितंबर 2021 में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक राष्ट्रव्यापी कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का भी विकास किया गया।

भारतीय सार्वजनिक प्रापण सुधार ('एल1' का विकल्प)

वर्तमान में, वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं की खरीद के लिए काफी सरकारी व्यय किया जाता है। न्यूनतम लागत चयन (या एल1) पद्धति के माध्यम से बोलीदाता का चयन करने की मौजूदा पद्धति की प्रभावकारिता की समीक्षा करने की लंबे समय से आवश्यकता है। अधिक प्रभाव वाली परियोजनाओं तथा अत्याधुनिक उपकरणों में, जिनमें काफी मात्रा में अनुकूलन, विशेषज्ञता एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल होती है, जहां बोलीदाता का नवाचार, गुणवत्ता, दक्षता एवं अनुभव महत्वपूर्ण होता है, न्यूनतम बोलीदाता के चयन की वर्तमान विधि के फलस्वरूप अक्सर अभीष्ट से कम डिलीवरी होती है, निष्पादन नहीं होता है, जीवन चक्र लागत, विलंब एवं मध्यस्थता अधिक होती है।

विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के आधार पर, नीति आयोग ने सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 में शामिल करने के लिए अनेक वैकल्पिक प्रापण रणनीतियां तैयार की हैं ताकि सार्वजनिक प्रापण प्राधिकरण एवं एजेंसियां परियोजना विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर पारदर्शी ढंग से उपयुक्त विधि का चयन करने में समर्थ हो सकें।

इन सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय के प्रापण नीति प्रभाग ने 29 अक्तूबर 2021 को 'प्रापण एवं परियोजना प्रबंधन' पर सामान्य अनुदेश जारी किए। इन अनुदेशों ने परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के लिए नियत बजट आधारित चयन (एफबीएस) विधि शुरू की है और कार्य एवं गैर परामर्श सेवाओं के प्रापण में गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) विधि को अनुमत किया है। गुणवत्ता अभिमुख प्रापण (क्यूओपी) की हाल ही में परिभाषित संकल्पना केवल कम लागत (या एल1) पर बल देने के स्थान पर प्रापण की प्रक्रिया में धन के लिए मूल्य (वीएफएम) लाने की दिशा में एक कदम है। यह प्रापण प्राधिकारियों को और विकल्प प्रदान करेगा तथा उन्हें जनहित में प्रभावी निर्णय लेने में समर्थ बनाएगा।

जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम का पुनर्विकास

वर्ष के दौरान, वर्टिकल ने पीपीपी के माध्यम से दिल्ली में जेएलएन स्टेडियम के पुनर्विकास की रणनीति को अंतिम रूप देने में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के साथ निकटता से काम किया। यह परियोजना स्टेडियम के आसपास उपलब्ध क्षमता के मिश्रित प्रयोग/रियल एस्टेट विकास का लाभ उठाएगी। इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य स्टेडियम के विकास को बढ़ावा देना और राजस्व गतिविधियों को अधिकतम करने के लिए पूरक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अप्रयुक्त/कम प्रयुक्त स्थानों को विकसित करना है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के साथ मिलकर नीति आयोग ने पीपीपी के माध्यम से लाभप्रदता एवं आरंभिक संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना का संभाव्यता पूर्व विश्लेषण किया।

यह वर्टिकल गतिविधियों को लांच करने में मंत्रालय की मदद कर रहा है। वर्ष के दौरान लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा बोली प्रक्रिया शुरू की गई तथा उम्मीद है कि वह कार्य शीघ्र शुरू कर देंगे।

ईएसआईसी की चार स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं का परिवर्धन, संचालन एवं अनुरक्षण

नीति आयोग ने पीपीपी के माध्यम से चार अभिचिह्नित लोकेशन में ईएसआईसी की स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं के परिवर्धन, संचालन एवं अनुरक्षण के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने में कार्यसम्पादन की प्रक्रिया से जुड़ी सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया।

भारतनेट की संरचना

दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ मिलकर नीति आयोग ने पीपीपी के माध्यम से भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन की रणनीति को अंतिम रूप दिया। परियोजना का पहला चरण कार्यान्वित किया जा चुका है, जबकि दूसरा चरण, जो इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है, को अब पीपीपी के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे सरकार द्वारा पहले से सृजित की गई अवसंरचना का उपयोग संभव होगा और साथ ही क्रमिक विकास एवं प्रभाव के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता, गुणवत्ता एवं निवेश आकर्षित करना भी संभव होगा।

दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर पीपीपी वर्टिकल ने इष्टतम एवं वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद पीपीपी संरचना तैयार करने के लिए परियोजना के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण किया–सार्वजनिक निधियों से पूर्ण वित्त पोषण के मॉडल से बाहर निकलकर ऐसे मॉडल की ओर अग्रसर होना जो सरकार से आंशिक इक्विटी सहायता के साथ परियोजनाओं में निजी निवेश लाएगा। संरचना पर विचार विमर्श किया गया और विभिन्न समितियों के इनपुट, निवेशकों के साथ चर्चा और हितधारक परामर्श के आधार पर अंतिम रूप दिया गया। वर्टिकल की सक्रिय सहायता से बोली दस्तावेज तैयार किए गए तथा उनको अंतिम रूप दिया गया। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद बोली प्रक्रिया चल रही है।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की सुविधाओं (चरण II) का विकास

नीति आयोग ने पीपीपी के माध्यम से रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के चरण II के कार्यान्वयन में इंडियन स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की सहायता की। आईएसपीआरएल चांदीखोल, ओडिशा में 4.0 मिलियन मीट्रिक टन और पाडुर, कर्नाटक में 2.5 मिलियन मीट्रिक टन के अतिरिक्त भंडार का विकास कर रहा है। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़

करेगी और आपूर्ति में किसी व्यवधान के दौरान कुशन के रूप में काम करेगी। पहला चरण कार्यान्वित किया जा चुका है, जबकि दूसरे चरण को अब पीपीपी के माध्यम से शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

नीति आयोग ने पीपीपी मॉडल पर परियोजना का निर्माण करने और बोली दस्तावेज तैयार करने के लिए आईएसपीआरएल और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ सक्रियता से काम किया है। परियोजनाओं के लिए पीपीपीएसी मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और हाल ही में प्राप्त मंत्रिमंडल अनुमोदन के बाद बोली प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

हाई स्पीड रेल परियोजनाएं

नीति आयोग ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए संयुक्त समिति की दो बैठकों का आयोजन किया। इसके अलावा, 2021-22 में भारत में अब तक की सबसे बड़ी अवसंरचना निविदा प्रदान की गई। वर्ष के दौरान तीन सिविल पैकेजों के तहत निर्माण भी शुरू हो गया। इस वर्ष साबरमती और वापी सेक्शन के लिए सिविल कार्य के टेंडर भी सौंपे जाएंगे क्योंकि भूमि अधिग्रहण का लगभग 96 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। सिविल पैकेजों के लिए पर्यवेक्षण परामर्श कार्य भी भारतीय संस्था के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को सौंपा गया है।

ग्रामीण विकास

नीति आयोग का ग्रामीण विकास वर्टिकल ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग को समग्र नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी भी करता है।

माननीय प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष के राज्यों के दौरे का समन्वय करना

प्रधानमंत्री/उपाध्यक्ष के राज्यों के दौरों के लिए ग्रामीण विकास क्षेत्र की योजनाओं जैसे कि मनरेगा, पीएमएवाई-जी, डीएवाई-एनआरएलएम, एनएसएपी, एसएजीवाई, एसपीएमआरएम और पीएमजीएसवाई का भौतिक एवं वित्तीय स्टेटस तैयार किया गया और प्रदान किया गया।

इस वर्टिकल ने 'सहकारी संघवाद को फिर से जीवंत बनाना' के अंग के रूप में नीति आयोग के उपाध्यक्ष/सदस्यों तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच बैठकों के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के संबंध में जवाब/स्पष्टीकरण प्रदान करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के साथ समन्वय किया।

ओओएमएफ 2021-22 की समीक्षा

वर्टिकल ने उत्पाद-परिणाम निगरानी रूपरेखा के अपडेशन की समीक्षा के लिए डीएमईओ के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक का समन्वय किया।

अगले वर्ष (2022–23) के लिए संकेतकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीण विकास विभाग के अधीन सीएस/सीएसएस के संबंध में 2021-22 के लिए ओओएमएफ के संकेतकों को तर्कसंगत बनाने एवं अपडेट करने के लिए डीएमओ को टिप्पणियां प्रदान की गईं।

मूल्यांकन

वर्टिकल ने इस वर्ष एक मंत्रिमंडल नोट, चार ईएफसी प्रस्तावों तथा दो पीपीआर का मूल्यांकन किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर परामर्श समूह

इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 24 जून 2021 को नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत की अध्यक्षता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) पर परामर्श समूह की पहली बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदु सामने आए :

1. भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनाने में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता।
2. विज्ञान को बाजार तक ले जाने, उत्पाद डिजाइन करने, औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के लिए समर्थन तथा आयातित प्रौद्योगिकियों के साथ अंतराल को पाटने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योग और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को एक मंच पर लाने के लिए सुधार
3. उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, जैसे कि मोलेक्युलर इलेक्ट्रानिक्स, न्यूरोमार्फिक कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और साइबर फिजिकल सिस्टम, सीबेड माइनिंग, ड्रग डिस्कवरी, कार्बन कैप्चर युटिलाइजेशन और भंडारण, वैकल्पिक ईंधन यानी हाइड्रोजन और मेथनॉल, नैदानिक अनुसंधान, सिंथेटिक बायोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, पानी का विलवणीकरण आदि।

भारतीय मानक ब्यूरो की तृतीय पक्ष समीक्षा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल के सहयोग से डीएमईओ भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की तृतीय पक्ष समीक्षा कर रहा है। डीएमईओ तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल की एक संयुक्त टीम बीआईएस के प्रस्तावित मूल्यांकन के लिए टीओआर तैयार करने के लिए आरंभिक साहित्य की समीक्षा कर रही है।

30 जुलाई 2021 को डीएमईओ के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बीआईएस के महानिदेशक ने बीआईएस की गतिविधियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इस बैठक में उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव, वरिष्ठ सलाहकार (एसएंडटी), और नीति आयोग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें समीक्षा के लिए टीओआर और आगे की राह पर चर्चा की गई।

भारतनेट

नीति आयोग के उपाध्यक्ष भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन में मासिक प्रगति की निगरानी करते हैं। 30 जुलाई 2021 तक भारतनेट के माध्यम से चरण 1 में 98 प्रतिशत ग्राम पंचायतों और चरण 2 में 28.37 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया गया।

समुद्री शैवाल की खेती

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल भारत में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र से जुड़े बकाया मुद्दों एवं सरोकारों के समाधान के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के साथ मिलकर काम कर रहा है।

राष्ट्रीय स्थायी तटीय प्रबंधन केन्द्र, चेन्नई के निदेशक द्वारा मन्नार की खाड़ी में समुद्री शैवाल की खेती पर 2021 के पूर्वार्ध में एमओईएफसीसी को एक फील्ड सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट ने मन्नार की खाड़ी के पांच निर्धारित तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री शैवाल की खेती की तकनीकी संभाव्यता का संकेत दिया।

खेती के पांच चक्रों के पूर्ण हो जाने के बाद केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय स्थायी तटीय प्रबंधन केन्द्र और केन्द्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा एक संयुक्त अध्ययन की रिपोर्ट आवश्यक अनुदानों एवं अनुमोदनों के बाद 12 माह में एमओईएफसीसी तथा नीति आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

भारत के परमाणु विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देना

भारत में विभिन्न क्षेत्रों से बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत सरकार कार्बन फुटप्रिंट पर देश की निर्भरता कम करने के लिए अगले दशक में परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाने की योजना बना रही है।

लघु एवं मध्यम स्तर के परमाणु विद्युत संयंत्रों की संभाव्यता का मूल्यांकन करने और उनके लाभों एवं चुनौतियों का आकलन करने की दृष्टि से इस कार्य के लिए समवेत प्रयास की आवश्यकता होगी।

अन्य हितधारकों के साथ मिलकर नीति आयोग इस क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों, विनियामक पहलुओं एवं दीर्घावधिक मुद्दों, सुरक्षा के उपायों आदि के समाधान के लिए आवश्यक नीतियां तैयार कर रहा है।

लघु परमाणु विद्युत संयंत्रों की तकनीकी–वाणिज्यिक संभाव्यता की जांच करने के लिए 13 मई 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की पहली बैठक 24 मई 2021 को हुई जिसमें छोटे रिएक्टर स्थापित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई।

दूसरी बैठक 21 जून 2021 और तीसरी बैठक 9 अगस्त 2021 को हुई थी।

कौशल विकास, श्रम और रोजगार

प्रशिक्षुता प्रणाली का सुदृढ़ीकरण तथा युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाना

हितधारकों के साथ आयोजित किए गए परामर्शों और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मॉडलों के अध्ययन के आधार पर वर्टिकल ने कार्यक्रम को प्रशिक्षुओं एवं नियोक्ताओं दोनों के लिए अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षुता मंत्रालय को सिफारिशें प्रस्तुत की।

आकांक्षी जिलों की कौशल विकास योजनाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण

15 आकांक्षी जिलों (शीर्ष निष्पादन करने वाले छह जिले और नौ पिछड़े जिले) के लिए संकल्प पहल के तहत जिलों द्वारा तैयार की गई कौशल विकास योजनाओं का विश्लेषण किया गया। वर्टिकल ने परिवर्तन के चैंपियन डैशबोर्ड पर उनकी रैंकिंग के आधार पर

इन जिलों की पहचान करने के लिए एडीपी की टीम के साथ सहयोग किया। कौशल विकास के लिए प्रेक्षणों, निष्कर्षों और सिफारिशों को एक रिपोर्ट में संकलित किया गया जिसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। वर्टिकल ने अभ्यास पर एक प्रस्तुति दी और रिपोर्ट की सिफारिशों पर चर्चा की। परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया कि नीति आयोग जिलों में कौशल योजना के सुदृढ़ीकरण और सुधार पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ तालमेल बनाए रखेगा।

निर्माण क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए कौशलों की मांग का आकलन करना

वर्टिकल ने गौण डेटा के आधार पर निर्माण क्षेत्र में कौशल अंतराल आकलन पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में मांग पक्ष के कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो इस क्षेत्र में कुशल कार्यबल की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं, जैसे कि जॉब की सभी प्रासंगिक भूमिकाओं का अपर्याप्त कवरेज, प्रशिक्षण संस्थानों में सीमित क्षमता और अवसंरचना निवेश से जुड़ी अड़चनें। प्रशिक्षण क्षमता से संबंधित मुद्दों के अलावा निर्माण क्षेत्र में कौशल की मांग एवं आपूर्ति को प्रभावित करने वाले और कम उत्पादकता के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों पर भी प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट में कौशल अंतराल को कम करने के लिए सुझाव शामिल किए गए तथा निर्माण मजदूरों के लिए योजनाओं में लक्षित समूहों की बेहतर ढंग से पहचान करने की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट को कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।

डिजिटल प्रशिक्षुता पर परामर्श

भारत में कौशल अंतराल की बढ़ती समस्या, जो कोविड-19 महामारी के कारण और बढ़ी है, को दूर करने के लिए वर्टिकल ने डिजिटल प्रशिक्षुता की संभाव्यता पर चर्चा करने के लिए कोरसेरा, लिंक्ड इन लर्निंग, खान एकाडमी, यूएनडीपी इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), जस्ट जॉब्स नेटवर्क, ऐसोचैम, फिक्की और एफआईएसएमई जैसे विशेषज्ञों के साथ एक परामर्श-सत्र का आयोजन किया। यह निर्णय लिया गया कि डिजिटल प्रशिक्षुता पर एक संभाव्यतापूर्व रिपोर्ट का विकास करने के लिए चुनिंदा हितधारकों सहित विभिन्न क्षेत्रों से एक छोटे दल का गठन किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐडटेक लीडर इस पर उद्योगों के लिए कार्यकारी मॉडल का प्रस्ताव करेंगे और प्रायोगिक परियोजनाओं का विकास करेंगे।

कौशल इकोसिस्टम तंत्र को सुदृढ़ करने की सिफारिशें

कौशल प्रशिक्षण साझेदार गठबंधन (एएसटीपी) ने जून, 2021 में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अधिक कौशल विकास तथा युवाओं की नियोजनीयता में सुधार पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष और वर्टिकल के समक्ष एक प्रस्तुति दी। प्रारंभिक चर्चा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद एएसटीपी से एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया। एएसटीपी ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता 11 अक्तूबर, 2021 को एक बैठक आयोजित की गई। नीति आयोग ने कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं और हितधारक मंत्रालयों के साथ कौशल विकास के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा का संचालन किया।

गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर अध्ययन

गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करने के लिए वर्टिकल के नेतृत्व में वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट, विकास अध्ययन केंद्र और बिट्स पिलानी के विशेषज्ञों से युक्त एक अनुसंधान टीम का गठन किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत के लिए अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता का जायजा लेना, इसके आकार का अनुमान लगाना, प्लेटफॉर्म श्रम की विशेषताओं का निर्धारण करना और नौकरियों के दरवाजे खोलने के लिए अर्थव्यवस्था का उपयोग करने हेतु नीतिगत उपायों की सिफारिश करना, आजीविकाओं की रक्षा करना और सामाजिक और वित्तीय समावेश में वृद्धि करना है।

महिला श्रम बल की भागीदारी से जुड़ी बाधाओं को समझने पर अध्ययन

वर्टिकल ने बीएमजीएफ के साथ ऐसी बाधाओं पर चर्चा का आयोजन किया जो महिलाओं को श्रम बल में भाग लेने से रोकती हैं तथा ऐसे उपायों पर चर्चा की गई जो उनकी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। बीएमजीएफ इस समस्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन पांच नमूना राज्यों अर्थात् दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने महिला श्रम बल की भागीदारी को समझने के लिए सर्वेक्षण की नई एवं परिवर्धित विधियों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य श्रम बाजार में अंतरालों की पहचान करना है जो महिलाओं को निरुत्साहित करते हैं तथा अर्जन में लैंगिक अंतराल के कारणों और उसकी सीमा का पता लगाना है। यह अध्ययन प्रभावी उपायों की सिफारिश करने के लिए श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पर नीतियों के प्रभाव का आकलन करेगा।

देखभाल के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर नीतिगत ब्रीफ

यह पाया गया है कि विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों के लिए देखरेख सेवाओं का विस्तार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। वर्टिकल ने देखरेख के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर नीतिगत ब्रीफ का विकास करने के लिए आईएलओ के साथ सहयोग किया है। यह ब्रीफ देखरेख के क्षेत्र में नौकरियों का निर्माण करने के मॉडलों का अन्वेषण करता है, जनांकिकी, कौशल की आवश्यकता तथा इस क्षेत्र में अपेक्षित अवसंरचना निवेश से संबंधित अनुमान प्रस्तुत करता है।

प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याणकारी पहलों पर अध्ययन

वर्टिकल ने एक अध्ययन पर निलर्ड के साथ सहयोग किया है जिसने प्रवासी मजदूरों के लिए विभिन्न कल्याणकारी पहलों के कार्यान्वयन से प्राप्त सबक को एकत्र किया है। बिहार, मध्य प्रदेश और ओड़िशा को पलायन के राज्यों के रूप में माना गया है और दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और केरल को गंतव्य के राज्यों के रूप में माना गया है। इस अध्ययन में कार्यान्वयन के तंत्रों तथा प्रवासी मजदूरों के जीवन पर इन पहलों के प्रभाव की समीक्षा की है। इसने अंतर्राज्यीय पलायन, मजदूरों के एक प्रभावी डेटाबेस के निर्माण और प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याणकारी पहलों के कार्यान्वयन हेतु सांस्थानिक तंत्रों पर नीतिगत उपायों की सिफारिश की है।

कौशल योजनाओं के अभिसरण का अध्ययन करने की कवायद

वर्टिकल ने विभिन्न कौशल विकास योजनाओं का अध्ययन किया जो विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं द्वारा कवर किए गए लाभार्थियों के विभिन्न लक्षित समूहों और उनकी अवधि का अध्ययन करने के लिए विश्लेषण किया गया। योजनाओं के अभिसरण के लिए कार्यनीतिक सुझाव तैयार किए गए हैं और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

एससीएसपी और टीएसपी के लिए नई व्यवस्था

इस प्रभाग ने निधियों के आवंटन के लिए एक नए तंत्र का निर्माण करने के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और आदिवासी उप योजना (टीएसपी) के दिशानिर्देशों 2017 की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने का एक प्रमुख कार्य किया। परिणामत: रियल टाइम आधार पर आवंटन एवं व्यय की निगरानी करने के लिए नोडल मंत्रालयों के साथ मिलकर नीति आयोग द्वारा एक संस्थानिक तंत्र अर्थात एससीएसपी के लिए e-uthan.gov.in और टीएसपी के लिए stcmic.gov.in का विकास किया गया। एससीएसपी और टीएसपी के तहत आवंटित निधियों के बेहतर उपयोग के लिए प्रभाग ने वित्त मंत्रालय के लिए एक और तंत्र का विकास किया है।

घुमंतू जनजातियों, विमुक्त जनजातियों और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की पहचान

पीएमओ ने विमुक्त जनजातियों (डीएनटी), घुमंतू जनजातियों (एनटी), अर्ध घुमंतू जनजातियों (एसएनटी) और अभी तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत न की गई जनजातियों की पहचान करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण (एएनएसआई) के माध्यम से एक मानवशास्त्रीय अध्ययन शुरू किया। एएनएसआई ने अब तक 268 में से 24 समुदायों का अध्ययन किया है और नीति आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बाद में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय एएनएसआई को चाहिए कि वह शेष समुदायों के अध्ययन को पूरा करे और एक समेकित रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 8 जुलाई 2021 को आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन के लिए विभिन्न प्रस्ताव आमंत्रित किए गए, जिन्हें बाद में मानव विकास संस्थान को प्रदान किया गया।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

यह प्रभाग निधियों के आवंटन के लिए और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए योजनाएं शुरू करने के लिए एससीएसपी और टीएसपी दिशानिर्देश 2017 के कार्यान्वयन के संबंध में 41 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के निष्पादन का मूल्यांकन करेगा।

विशेषज्ञों के साथ अनुबंध

नीति आयोग के सदस्य (सामाजिक क्षेत्र) प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में 30 जून 2021 को विशेषज्ञों तथा विकास साझेदारों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा स्वैच्छिक क्षेत्र पर परामर्श समूह की पहली बैठक हुई। बैठक के दौरान जो कार्य बिंदु सामने आए उन्हें अनुपालन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किया गया।

मूल्यांकन

2021-22 में, प्रभाग ने 5 मंत्रिमंडल नोट, 11 ईएफसी प्रस्तावों/ज्ञापनों, 5 एसएफसी, 2 सीसीईए नोट और एक पीआईबी ज्ञापन की जांच की।

राज्य वित्त एवं समन्वय

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर डेटाबेस

यह वर्टिकल प्रमुख स्थूल, सामाजिक और वित्तीय संकेतकों पर एक राज्यवार डेटाबेस का अनुरक्षण करता है। यह केंद्रीय अंतरण पर सूचना का भी अनुरक्षण करता है, जिसे मासिक आधार पर अपडेट किया जाता है और नीति आयोग की ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) पर अपलोड किया जाता है। इस डेटाबेस का प्रयोग नीति आयोग द्वारा विभिन्न नीतिगत मामलों पर राज्यों को महत्वपूर्ण नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है।

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ वर्ष में कम से कम दो बैठकों/बातचीत का आयोजन सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बेहतर जुड़ाव के लिए वर्टिकल द्वारा सहकारी संघवाद पर एक कार्य योजना की संकल्पना तैयार की गई। वर्टिकल ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष/सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्आवंटन का कार्य भी किया। इस साल वर्टिकल ने प्रमुख समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतकों पर इनपुट प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ नीति आयोग के उपाध्यक्ष/सदस्यों/सीईओ की बैठकों/बातचीत में सहायता प्रदान की।

अप्रैल और दिसम्बर, 2021 के बीच 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्ता का आयोजन किया गया।

राज्य वित्त पर संक्षिप्त विवरण

राज्य बजट 2021-22 में उपलब्ध सूचना का प्रयोग करके वर्टिकल ने विभिन्न प्रमुख संकेतकों ने उनके निष्पादन का आकलन करते हुए प्रत्येक राज्य के राजकोषीय एवं वित्तीय स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण किया।

प्रमुख समष्टि आर्थिक संकेतकों का अंतर्राज्यीय विश्लेषण भी किया गया, जिसका प्रयोग भावी विकास के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ नियमित बातचीत/बैठकों में किया जाता है।

राज्यों को आवंटन

यह वर्टिकल 'राज्यों को अंतरण' के तहत राज्यों को 'विशेष सहायता के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को नीति आयोग की ओर से की गई सभी सिफारिशों के लिए नोडल वर्टिकल के रूप में कार्य करता है। पूंजीगत परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2021 में एकबारगी सहायता के रूप में कुल 1996 करोड़ रुपए जारी किए गए।

राज्य तथ्य पत्रक

स्वास्थ्य, श्रम एवं रोजगार, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वित्त, विकास एवं अर्थव्यवस्था, शहरीकरण, जल एवं स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में 'एक नजर में' सूचना प्रदान करने तथा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में उनके निष्पादन की जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्टिकल द्वारा तैयार किए गए टेम्प्लेट को नीति आयोग के सभी राज्य वर्टिकल के साथ साझा किया गया है।

इस साल, वर्टिकल ने इन तथ्य पत्रकों के विकास में राज्य वर्टिकल को अपेक्षित सहायता प्रदान की।

शासी परिषद की बैठक से संबंधित मुद्दे

यह वर्टिकल शासी परिषद की बैठकों में राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और नीति आयोग के भीतर अन्य वर्टिकल के साथ समन्वय करता है। वर्टिकल ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों/एलजी/प्रशासकों के मौखिक एवं लिखित भाषणों से निकलने वाले कार्य बिंदुओं की जांच की तथा छठे जीसीएम के लिए उनको मंत्रालय और विभागवार अलग किया। कुल 330 सुझावों/सिफारिशों का मिलान किया गया और टिप्पणी/कृत कार्रवाई रिपोर्ट के लिए संबंधित मंत्रालय/ विभाग के साथ इसे उठाया गया।

यूएनएसडीएफ 2018-22

यूएनएसडीएफ की संचालन समिति की पांचवीं बैठक

नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर (यूएनआरसी) ने भारत सरकार–संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रूपरेखा (जीओआई–यूएनएसडीएफ) 2018–22 पर हस्ताक्षर किए, जो सतत विकास लक्ष्यों को एकीकृत करते हुए विकास संबंधी प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की कार्रवाई उन्मुख प्रतिक्रिया को रेखांकित करते हुए पांच साल का रोडमैप है। यूएनएसडीएफ के तहत प्राथमिकता के सात क्षेत्र इस प्रकार हैं : (i) गरीबी और शहरीकरण; (ii) स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता; (iii) शिक्षा और रोजगार; (iv) पोषण और खाद्य सुरक्षा; (v) जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और आपदा लोच; (vi) कौशल, उद्यमिता और रोजगार सृजन; और (vii) लैंगिक समानता और युवाओं का विकास।

यूएनएसडीएफ के तहत प्रगति की निगरानी के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भारत में यूएनआरसी की अध्यक्षता में एक संयुक्त संचालन समिति का गठन किया गया है। भारत सरकार–यूएनएसडीएफ 2018-22 की प्रगति पर चर्चा करने तथा जायजा लेने और यूएन सतत विकास सहयोग रूपरेखा (यूएनएसडीसीएफ) 2023-27 के लिए रोड मैप निर्धारित करने के लिए समिति की चौथी बैठक नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और संयुक्त राष्ट्र रेजीडेंट कोऑर्डिनेटर सुश्री रेनाटा लोक डेसालीन की अध्यक्षता में 20 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई। बैठक ने भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया।

समिति की 5वीं बैठक 17 अगस्त 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और संयुक्त राष्ट्र रेजीडेंट कोऑर्डिनेटर सुश्री डीड्रे बॉयड की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों ने कॉमन कंट्री विश्लेषण पर विचार विमर्श किया जो नई सहयोग रूपरेखा 2023-27 के विकास की दिशा में पहला कदम है। बैठक ने वर्तमान सतत विकास रूपरेखा के मूल्यांकन के संबंध में घटनाक्रमों की भी समीक्षा की।

आर्थिक कार्य विभाग के साथ समन्वय

वर्टिकल पिछले 7 वर्षों में नीति आयोग के बारे में संघ बजट की घोषणाओं के स्टेटस पर आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय करता है। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर बजट घोषणाओं की प्रगति की समय समय पर समीक्षा की जाती है।

क्षमता निर्माण

कुछ राज्य सरकारें अपने राज्य योजना विभागों को अधिक मजबूत बनाने के लिए उनका पुनर्गठन करने की प्रक्रिया में हैं। ये पुनर्गठित विभाग राज्य स्तरीय नीतियों का मार्गदर्शन करने, राज्य स्तर पर योजनाओं की निगरानी करने और राज्यों में एसडीजी के लक्ष्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होंगे। राज्य योजना विभागों के इस बदलाव में सहायता प्रदान करने के लिए वर्टिकल ने उत्तराखंड के योजना विभाग को ज्ञान सहायता प्रदान की है।

सतत विकास लक्ष्य

एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21

नीति आयोग के पास देश में सतत विकास लक्ष्यों के अंगीकरण एवं निगरानी पर नजर रखने का अधिदेश है। तथापि, एसडीजी की कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं हो सकती है। देश की संघीय संरचना तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों एवं जिम्मेदारियों के विभाजन को देखते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किए जाने वाले एसडीजी के लिए यह अपरिहार्य है कि राज्य जिम्मेदारी ग्रहण करें। इस दृष्टिकोण के अनुसरण में एसडीजी भारत सूचकांक का निर्माण हुआ जो एसडीजी की प्रगति के संबंध में विश्व का पहला सरकार के नेतृत्व वाला उप राष्ट्रीय मापदंड है।

इस सूचकांक का पहला संस्करण दिसंबर 2018 में, दूसरा संस्करण 30 दिसंबर 2019 को और तीसरा संस्करण 3 जून 2021 को लांच किया गया।

एसडीजी भारत सूचकांक के निरंतर वार्षिक प्रकाशन और एसडीजी वर्टिकल द्वारा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती जुड़ाव से यह सूचकांक राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी के संबंध में कार्रवाई के लिए सर्वाधिक स्वीकृत मापदंड बन गया है। लक्ष्यों की महंगी प्रकृति को देखते हुए सूचकांक की मॉडुलर संरचना इसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जेंडर, आर्थिक विकास, संस्था, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण सहित व्यापक श्रेणी के क्षेत्रों में प्रगति का जायजा लेने के लिए मजबूत एकल नीति उपकरण और रेडी रेकनर बनाती है।

एसडीजी भारत सूचकांक प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। 16 एसडीजी में उसके निष्पादन के आधार पर उप राष्ट्रीय यूनिट के सकल निष्पादन को मापने के लिए लक्ष्यवार स्कोर से समग्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्कोर तैयार किए जाते हैं। ये स्कोर 0 से 100 के बीच होते हैं और यदि कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 100 का स्कोर प्राप्त करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसने एसडीजी 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का स्कोर जितना अधिक होता है उतना अधिक उसने लक्ष्य हासिल करने की यात्रा तय कर ली है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22

15 लक्ष्यों तथा 50 एसडीजी टार्गेट को शामिल करते हुए 84 संकेतकों से निर्मित पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के 100 से अधिक जिलों के लिए एसडीजी पर प्रगति कैप्चर करता है।

सूचकांक का निर्माण और इसकी कार्यपद्धति एसडीजी पर जिलों के निष्पादन को मापने और उनको रैंक प्रदान करने अर्थात ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने में राज्यों की सहायता करने के केन्द्रीय उद्देश्यों को साकार करती है जिनके लिए अधिक ध्यान देने, सांख्यिकीय एवं निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करने और उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

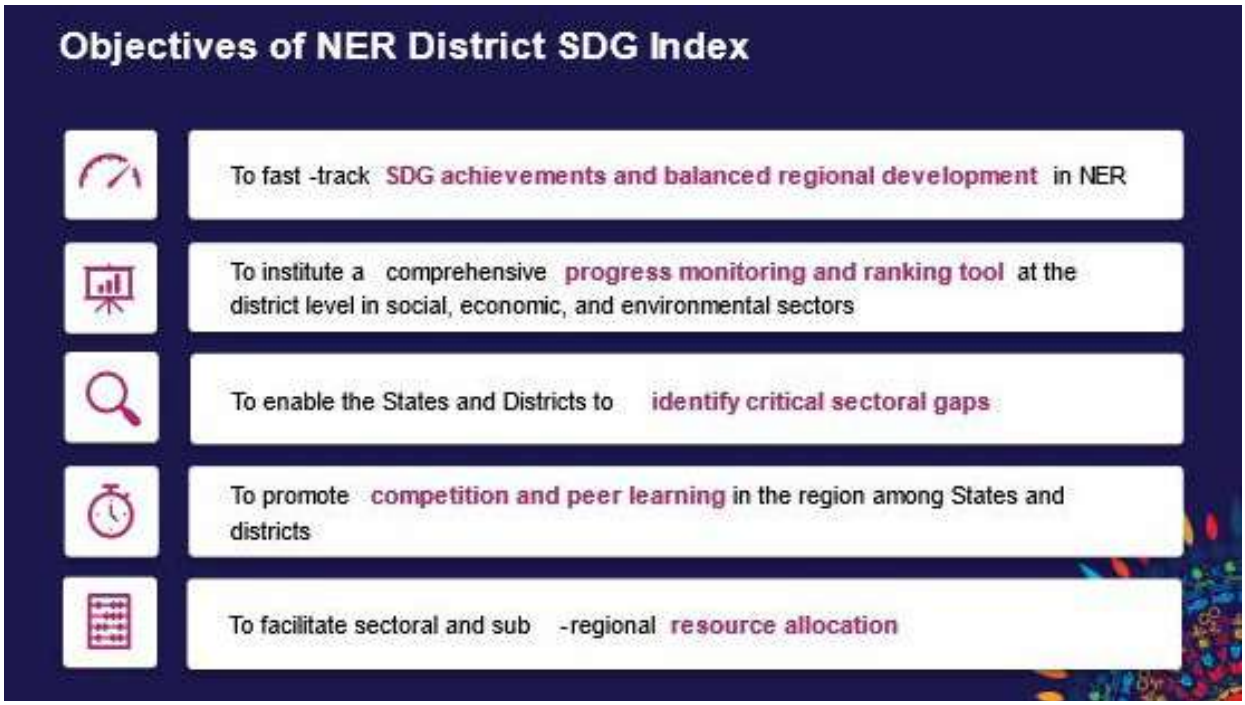

संकेतकों के चयन और गणना की पद्धति से संबंधित सभी पहलुओं के लिए सभी 8 राज्यों के साथ व्यापक परामर्श किया गया।

एक अन्योन्य क्रियात्मक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया ताकि प्रयोक्ता एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट में डेटा का अन्वेषण कर सकें। यह डैशबोर्ड सूचकांक के आंकड़ों से जिला और क्षेत्रीय अंतर्दृष्टियों के निष्कर्षण के लिए एक ताकतवर उपकरण है।

सूचकांक महत्वपूर्ण अंतरालों की पहचान करने और क्षेत्र में एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का शीघ्रता से जायजा लेने के लिए हस्तक्षेपों के बारे में इनको सूचित करने में मदद करेगा और अन्य बातों के साथ जिलों की प्रगति का आकलन करने के लिए रेडी रेकनर के रूप में काम करेगा।

एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक 'वैश्विक से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से स्थानीय' के रूप में एसडीजी के स्थानीयकरण की दिशा में नीति आयोग के प्रयासों में एक और मील पत्थर है।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक

नीति आयोग को भारत में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) की नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अधिदेश के अंग के रूप में, नीति आयोग प्रगति की निगरानी करने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग और प्रदर्शन की समीक्षा करने, सुधार कार्य योजना तैयार करने और अनुकूलित किंतु विश्व स्तर पर तुलनीय राष्ट्रीय एमपीआई का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है।

इसलिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: नीति आयोग द्वारा 12 संबद्ध मंत्रालयों के परामर्श से और राज्य सरकारों एवं सूचकांक प्रकाशित करने वाली एजेंसियों यानी ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ साझेदारी में एनएफएचएस-4 (2015-16) पर आधारित बेसलाइन रिपोर्ट का विकास किया गया है।

एमपीआई परिवार स्तर पर गैर मौद्रिक गरीबी का एक हाई रिज़ॉल्यूशन मापदंड है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन आयामों में 12 संकेतकों, जिनमें से 10 संकेतक वैश्विक एमपीआई से हैं और 2 अतिरिक्त संकेतक मातृत्व स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को कैप्चर करने वाले हैं, में एक परिवार द्वारा सामना किए जाने वाले अभाव को दर्शाता है।

अनुकूलित राष्ट्रीय एमपीआई का उद्देश्य केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को नाना प्रकार के कारकों को समझने का अवसर प्रदान करना है जो विकास में रुकावट पैदा कर रहे हैं तथा हस्तक्षेपों को अधिक कारगर, अधिक प्रभावोत्पादक एवं टिकाऊ बनाने में उनकी मदद करना है।

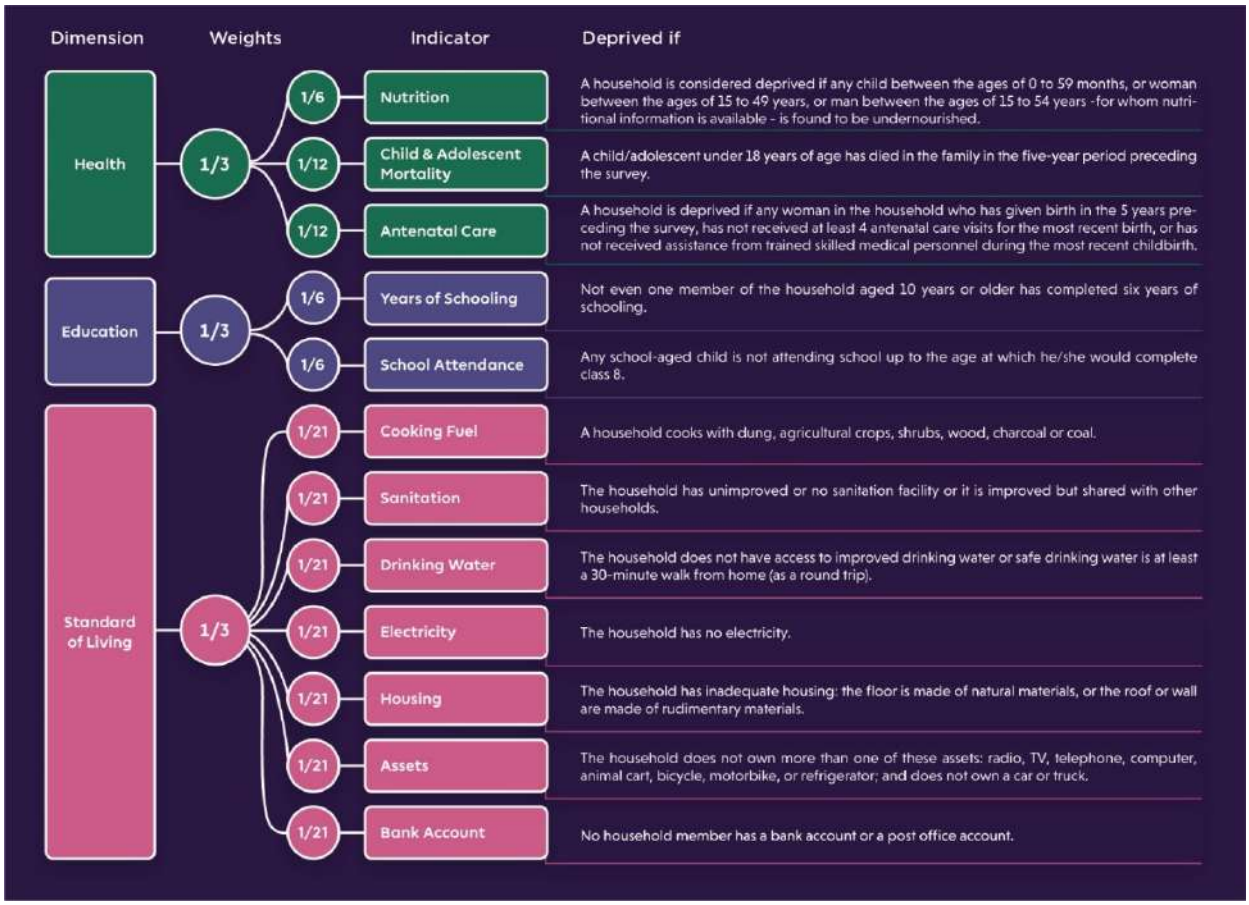

भारत के राष्ट्रीय एमपीआई में संकेतक

राष्ट्रीय एमपीआई के कुल गणना अनुपात और तीव्रता के अनुमान न केवल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बल्कि सभी जिलों के लिए भी तैयार किए गए हैं, जो रिपोर्ट की एक अनूठी विशेषता है। यह न केवल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच तुलनात्मक और सापेक्ष प्रदर्शन के विश्लेषण को सक्षम करेगा अपितु राज्यों को अपने जिलों का तुलनात्मक विश्लेषण करने में भी सक्षम बनाएगा और इस प्रकार क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करेगा। देश के संघीय ढांचे और हस्तक्षेपों एवं योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन की भागीदारी के महत्व को देखते हुए यह महत्वपूर्ण हो गया है।

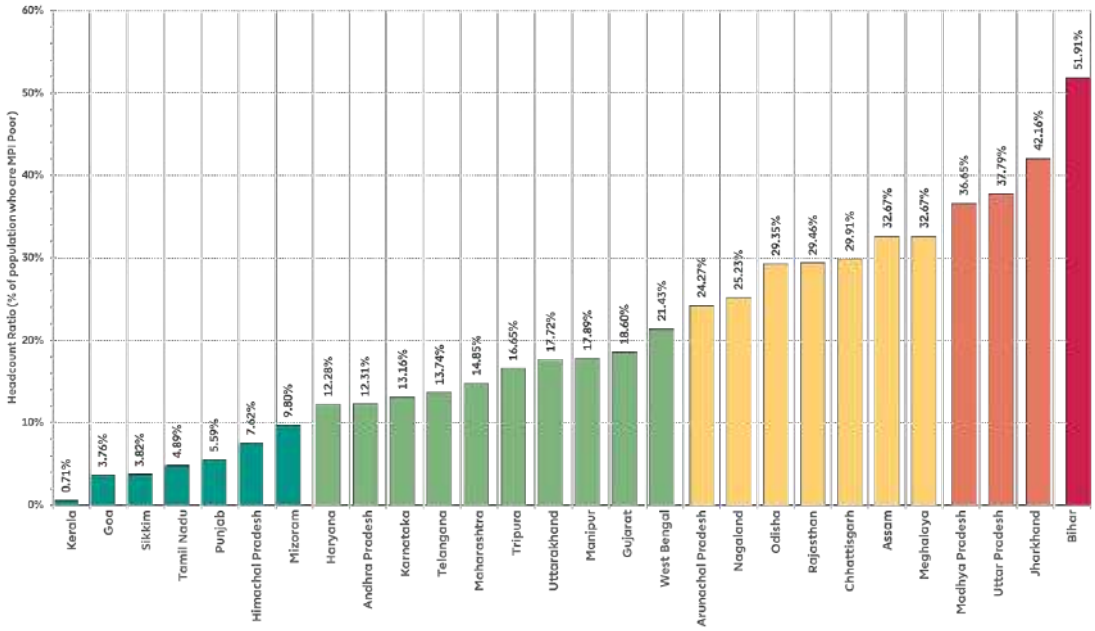

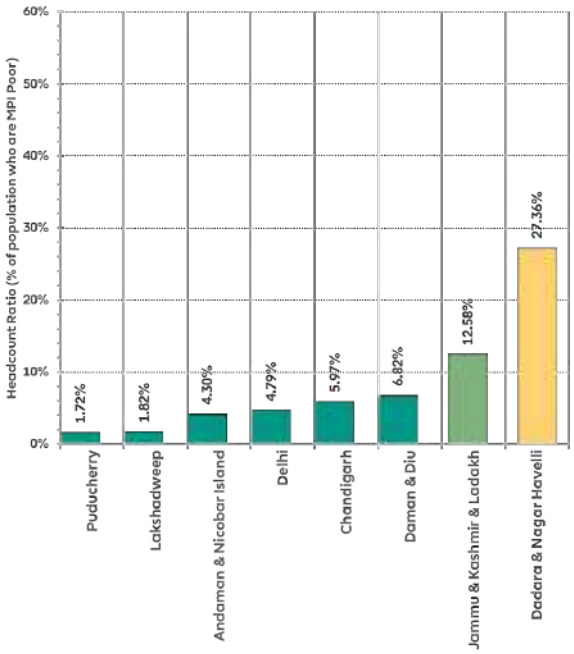

हेडकाउंट अनुपात (आबादी का% जो एमपीआई गरीब हैं)। राज्यों को उनके संबंधित एमपीआई हेडकाउंट अनुपात के आरोही क्रम में दर्शाया गया है

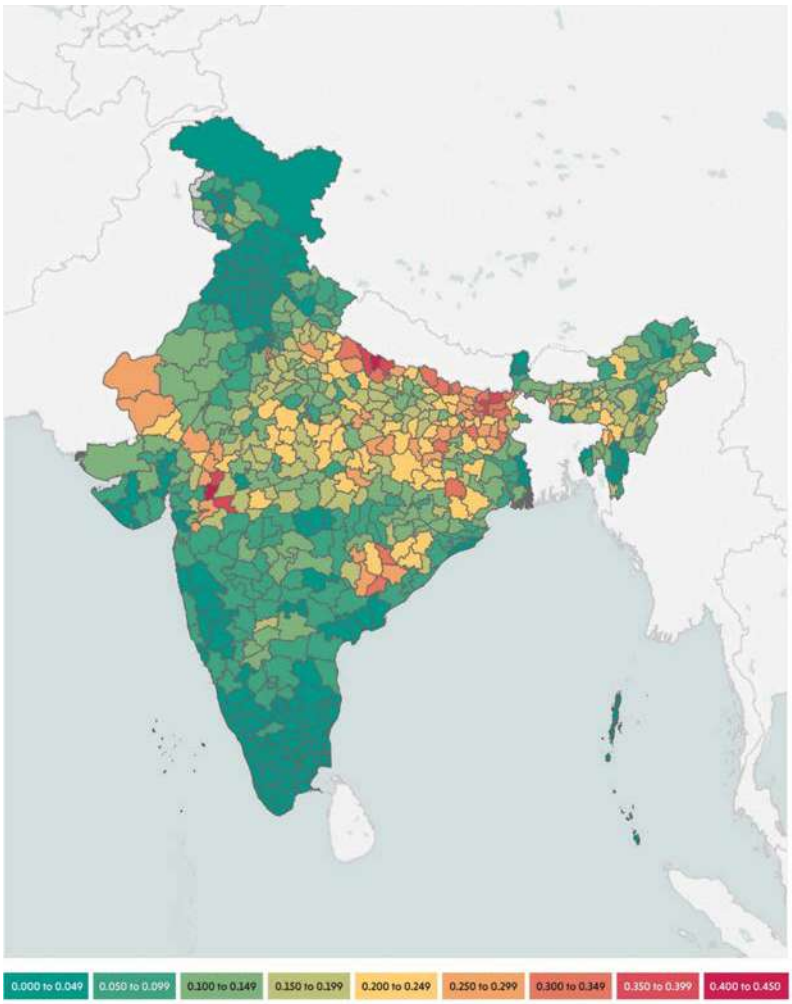

बहुआयामी गरीबी का जिला स्तरीय अनुमान

एनएफएचएस-5 (2019-20) के सारांश डेटा तथ्य पत्रकों और राज्य रिपोर्टों की प्रारंभिक टिप्पणियां उत्साहजनक हैं और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, स्वच्छता और बिजली तक पहुंच में सुधार का सुझाव देती हैं, जो बदले में अभाव में कमी में परिवर्तित होता है। अन्य सुधारों के साथ-साथ ये सुधार एनएफएचएस-5 (2019-20) पर आधारित सूचकांक के आगामी संस्करण में बहुआयामी गरीबी की दर में उल्लेखनीय कमी की समग्र दिशा का संकेत देते हैं।

अलग-अलग विश्लेषण के आधार पर, प्राथमिकता के संकेतकों की पहचान तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी की निरंतर चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधार कार्य योजनाओं का विकास अंतर्मंत्रालयी एमपीआई समन्वय समिति (एमपीआईसीसी), जिसके 12 मंत्रालय सदस्य हैं और नीति आयोग इसका संयोजक है, द्वारा किया जाता है।

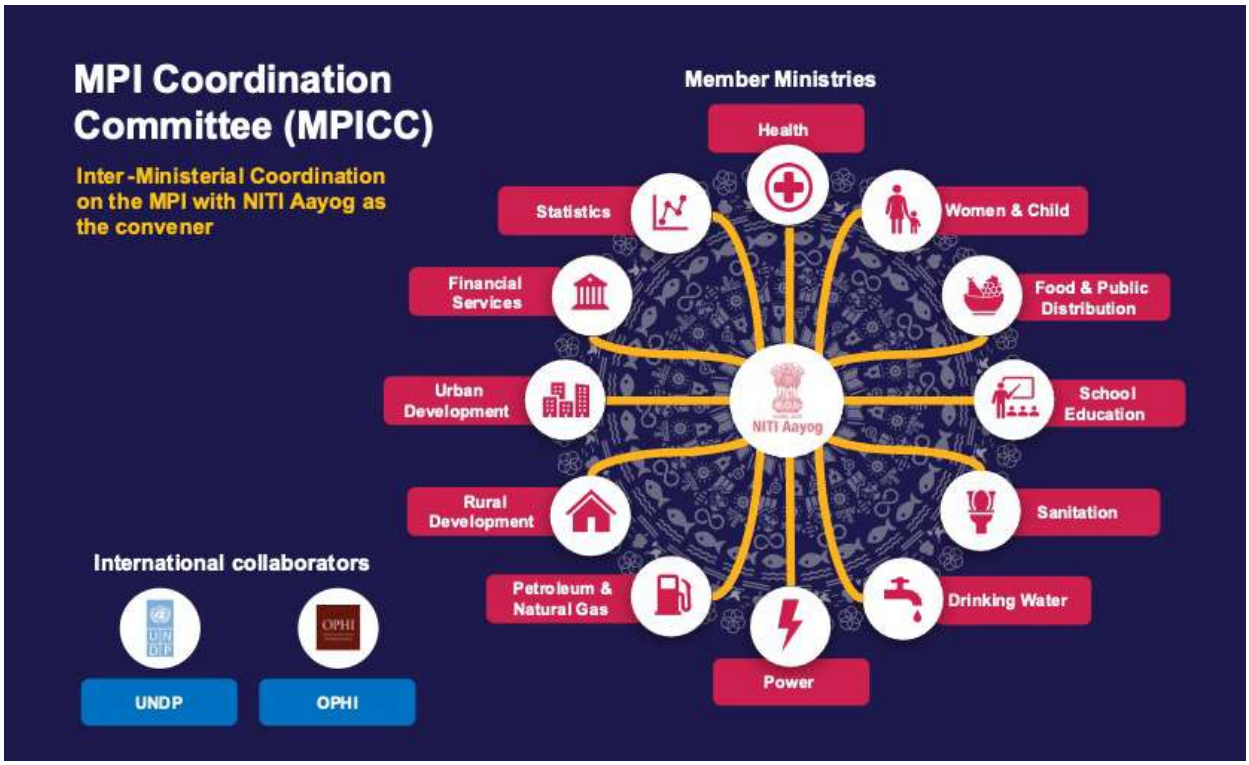

एसडीजी निवेश सुगमता प्लेटफॉर्म

भारत में एसडीजी वित्त पोषण में अंतराल को पूरा करने के लिए निवेशक वर्ग और वित्त पोषण संरचनाओं की विस्तृत रेंज से निजी क्षेत्र की पूंजी और निवेश आकर्षित करना अनिवार्य है। इस दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में एसडीजी वर्टिकल सबसे बड़े साझेदारों और यूएनडीपी के साथ मिलकर एक वेब आधारित प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म (एसडीजी मार्केट प्लेस) का विकास कर रहा है जो भारत में एसडीजी के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य एसडीजी संबद्ध थीमों एवं परियोजनाओं में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों तथा अपनी वित्त पोषण के इच्छुक निवेशिती को जोड़ना है।

यह प्लेटफार्म निम्नलिखित के माध्यम से एसडीजी में वित्त पोषण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा :

1. योजना बनाने की प्रक्रियाओं में एसडीजी को शामिल करने में सरकार की मदद करना
2. सूचना असममिति जिसका निवेशकों द्वारा सामना किया जाता है, को दूर करना
3. निवेशकों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करने में सहायता प्रदान करना
4. जोखिम पूंजी और निजी निवेश को जोड़ना
5. अनेक हितधारकों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करने में समर्थ बनाना

6. भारत में नियामक प्रक्रियाओं के बारे में निवेशकों को जानकारी प्रदान करने के लिए वेबिनारों का आयोजन करना
7. निवेशकों तथा सरकार द्वारा नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन में मदद करना

सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रौद्योगिकी नीत साझाकरण और निवेशक कनेक्ट सत्र से न केवल परियोजना की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है अपितु धन जुटाने में भी मदद मिल सकती है।

पर्यटन एवं संस्कृति

बौद्ध पर्यटन बढ़ाने पर रणनीति पेपर

वर्टिकल ने भारत में बौद्ध पर्यटन की संभावना पर विचार करने और इसके विकास के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक रणनीति पेपर तैयार किया।

एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देना

वर्टिकल ने देश में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने पर एक और पेपर तैयार किया क्योंकि भारत के विविध भौगोलिक क्षेत्र और जलवायु की स्थितियां एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती हैं।

कोविड-19 के बाद पर्यटन क्षेत्र का उद्धार

पर्यटन क्षेत्र महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। वर्टिकल ने ऐसी संभावित रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक पेपर तैयार किया है जो पर्यटन अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए लागू की जा सकती हैं।

भारत में विरासत प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां और नीतिगत अपरिहार्यताएं

वर्टिकल ने द्रोणाह के सहयोग से 'भारत में विरासत प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां' पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट (जो इस तरह की पहली रिपोर्ट है) ने विरासत स्थलों के दीर्घकालीन संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ प्राथमिक नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए देश के विरासत स्थलों की मात्रा, प्रकृति और लोकेशन को समझने का प्रयास किया है।

मूल्यांकन

2021-22 में, वर्टिकल ने एक मंत्रिमंडल नोट, तीन पीपीआर, 12 ईएफसी/एसएफसी/पीआईबी ज्ञापन का मूल्यांकन किया।

स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ

नीति-सीएसओ स्थायी समिति

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) तथा विकास साझेदारों से 30 सदस्य हैं। सीएसओ के साथ स्थायी अनुबंध के लिए स्थायी मंच के रूप में चार साल की अवधि के लिए जून 2020 में समिति का पुनर्गठन किया गया।

2020 में अड़चनों, प्रचालनात्मक कठिनाइयों, नीतिगत बाधाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने के लिए विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में 17 उप समूहों का गठन किया गया। उप समूहों में नीति-सीएसओ स्थायी समिति, विकास साझेदारों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा यूएन एजेंसियों के सदस्य शामिल किए गए हैं।

उप समूहों ने अनेक बैठकों का आयोजन किया जिनमें चुनौतियों और बाधाओं की पहचान की गई और प्राप्त अनुभवों पर विचार विमर्श किया गया। परिणामत: प्रत्येक उप समूह के विचारों और सुझावों को विचारार्थ नीति–सीएसओ स्थायी समिति के साथ साझा किया गया।

एनजीओ दर्पण पोर्टल

प्रकोष्ठ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, भारतीय न्यास अधिनियम और कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत एनजीओ का डेटाबेस अनुरक्षित करता है। जैसा कि सरकार द्वारा अधिदेशित किया गया है, वीएसी सभी पंजीकृत एनजीओ को एक विशिष्ट पहचान नंबर जारी करता है जिसे वे अनुदान के लिए कर सकते हैं। महालेखा नियंत्रक के अधीन सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली अनुदान जारी करने से पूर्व एनजीओ के विशिष्ट आईडी का सत्यापन करती है।

2020 में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधन किए गए जिसने यह अनिवार्य किया कि एनजीओ को अनुज्ञप्ति (नवीकरण सहित) प्रदान करने के लिए नीति आयोग द्वारा एक विशिष्ट आईडी जारी की जाए। इसी तरह, आयकर अधिनियम में भी संशोधन किए गए तथा 80जी की छूट के लिए आवेदन करने के लिए विशिष्ट आईडी अनिवार्य की गई।

2021-22 में 43 मंत्रालयों/विभागों ने विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत एनजीओ के लिए अपने बजट में अनुदान का प्रावधान किया।

5 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार 130282 एनजीओ ने पोर्टल पर साइनअप किया है।

भूमि और जल संसाधन

जल संसाधन पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह

यह देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन में प्रयुक्त विभिन्न अनोखी एवं प्रभावी रणनीतियों का संग्रह है। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में पानी की बहुत अधिक किल्लत थी तथा यहां आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग रहते थे। इस संग्रह में फील्ड से सफलता की कहानियां शामिल हैं, जैसे कि भूजल प्रबंधन, वाटरशेड प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन उपशमन, कृषि आदि।

जलपिंडों की बहाली एवं उद्धार के लिए दिशानिर्देश और प्रक्रिया

भारत सरकार के व्यापक अभियानों तथा सामुदायिक संचेतना की पहलों के बाद देश में जलपिंडों की बहाली और उद्धार ने खूब जोर पकड़ा है। इन प्रयासों में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियां सक्रियता से भाग ले रही हैं। इस संदर्भ में, जलपिंडों की बहाली एवं उद्धार के लिए मानक संचालन दिशानिर्देश और प्रक्रिया का प्रसार करने की आवश्यकता महसूस की गई। वर्टिकल ने इस प्रयोजन के लिए एक एनजीओ के सहयोग से एक दस्तावेज तैयार किया है।

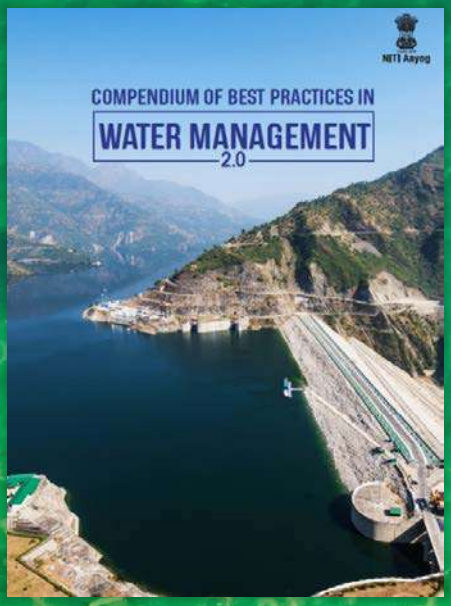

जल प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाएं और उनकी प्रतिकृति

जल के कुशल प्रबंधन के क्षेत्र में राज्यों के बीच व्यापक विषमताएं मौजूद हैं–छिटपुट बारिश के बावजूद कुछ राज्यों का निष्पादन बेहतर है, जबकि कुछ राज्य उपलब्ध क्षमता का पूरी तरह उपयोग करने में समर्थ नहीं हैं। वर्टिकल ने प्रतिकृति के लिए पूरे देश में जल प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन किया।

जल व्यापार के लिए तंत्र और दिशानिर्देश तथा जल नियामक प्राधिकरण की भूमिका

जल व्यापार जल प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही लूटने वाली सर्वोत्तम प्रथा है; तथापि, इसे भारत में ज्यादा समर्थन नहीं मिला है। जल नियामक प्राधिकरण की भूमिका तथा जल व्यापार के लिए संभावित तंत्र एवं दिशानिर्देशों की जांच की गई तथा एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई। उम्मीद है कि यह जल संरक्षण के प्रयासों में वृद्धि करने के लिए एक निर्देशात्मक इनपुट के रूप में काम करेगी।

बाढ़ प्रभावित मैदानी क्षेत्रों में अतिक्रमण की सीमा का आकलन करने के लिए जीआईएस आधारित अध्ययन

अविवेकपूर्ण और अवैज्ञानिक भूमि प्रयोग तथा अतिक्रमण ने प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ की गंभीरता कई गुना बढ़ा दी है। इस संदर्भ में, गुजरात के चुनिंदा साइटों में बाढ़ प्रभावित मैदानी क्षेत्रों पर अतिक्रमण का आकलन करने के लिए वर्टिकल द्वारा एक जीआईएस आधारित प्रायोगिक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन भाष्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं जियो इनफार्मेटिक्स संस्थान के साथ मिलकर किया गया। उम्मीद है कि यह अध्ययन बाढ़ का आकलन एवं प्रबंधन करने तथा बाढ़ प्रभावित इलाकों के क्षेत्रीयकरण को लागू करके आपदाओं की घटनाओं को कम करने में मददगार होगा।

मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 पर अनुसंधान अध्ययन

आईआईएम अहमदाबाद, भूमि अभिशासन के लिए एनआरएमसी केन्द्र, भुवनेश्वर और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सहयोग से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़े अनुभवों का विश्लेषण करने के लिए एक अनुसंधान अध्ययन किया गया। इस अध्ययन ने अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ अनौपचारिक पट्टा प्रणालियों एवं संस्थाओं तथा विशेष रूप से कार्यकाल की सुरक्षा और हकों तक पहुंच के संदर्भ में कृषि संबंधों और बदलावों को प्रभावित करने के ढंग को समझने का प्रयास किया।

मूल्यांकन

यह वर्टिकल सीएसएस के मूल्यांकन पर एक रिपोर्ट तैयार करने में डीएमईओ की मदद कर रहा है। 2021-22 में वर्टिकल ने दो मंत्रिमंडल नोट, 11 पीपीआर, 10 ईएफसी/एसएफसी/पीआईबी ज्ञापन का मूल्यांकन किया।

महिला एवं बाल विकास

पोषक अनाजों के माध्यम से आहार विविधता में सुधार लाना

महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) प्रभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और सुरक्षा जाल कार्यक्रमों जैसे कि समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) एवं मध्याह्न भोजन (एमडीएम) में मिलेट के समावेशन के माध्यम से मिलेट का उत्पादन और उपभोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।

आईसीडीएस और एमडीएम जैसी योजनाओं में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2021 में सदस्य (स्वास्थ्य), सदस्य (कृषि) और सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। नीति आयोग परामर्श के दौरान राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान की दिशा में काम करेगा।

नीति आयोग के पोषण ज्ञान पोर्टल (https:// poshangyan.niti.gov.in) पर मिलेट आधारित पाक विधियां तथा अन्य आईईसी सामग्री उपलब्ध हैं। मिलेट के उत्पादन और उपभोग पर राज्य स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक संग्रह तैयार किया जा रहा है।

पोषण ज्ञान

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने 13 अप्रैल 2021 को पोषण ज्ञान पोर्टल का उद्घाटन किया जो स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी है। इस प्रभाग द्वारा बीएमजीएफ और अशोक युनिवर्सिटी के सहयोग से इस पोर्टल का विकास किया गया है। पोषण ज्ञान रिपॉजिटरी की संकल्पना ऐसे संसाधन के रूप में की गई थी, जो विभिन्न भाषाओं, मीडिया प्रकारों, लक्षित दर्शकों और स्रोतों में स्वास्थ्य और पोषण के 14 विषयगत क्षेत्रों पर संचार सामग्री की खोज को सक्षम बनाती है। इस रिपॉजिटरी के लिए सामग्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास तथा विकास संगठनों से प्राप्त की गई है। यह वेबसाइट सहजज्ञ इंटरफ़ेस (बहु-प्राचलिक खोज, एक समय में कई डाउनलोड, सोशल मीडिया के माध्यम से सामग्री का आसान साझाकरण और किसी भी प्रकार के स्मार्टफोन पर आसानी से देखना) प्रदान करती है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख

नीति पेपर

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) ने विशेष रूप 0-3 वर्ष के आयु वर्ग में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं विकास पर अनेक बैठकों की अध्यक्षता की। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकास पर अपने मॉडलों को साझा करने के लिए 3 मार्च 2021 को परामर्श के लिए राज्यों को आमंत्रित किया गया था। अनेक आंतरिक चर्चा और परामर्श के बाद इस विषय पर एक मसौदा पेपर तैयार किया गया है।

बीवीएलएफ सर्वे

नीति आयोग ने बीवीएलएफ के सहयोग से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, अधिगम तथा देखरेख और उनके तिमारदारों के कार्यभार एवं कल्याण पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया है। यह सर्वे डलबर्ग और कंटार द्वारा किया गया। अध्ययन के तहत 11 राज्य शामिल हैं : आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

10,112 प्राथमिक/गौण तिमारदारों तथा 2916 फ्रंटलाइन वर्कर (1422 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, 1334 आशा और 160 वीएचएन) के टेलीफोन सर्वे से मात्रात्मक डेटा तथा 16 प्राथमिक तिमारदारों और 14 फ्रंटलाइन वर्कर (सात आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सात आशा वर्कर) के टेलीफोनिक साक्षात्कार से गुणात्मक डेटा का विश्लेषण किया गया।

अधिक प्रभावित जिलों में पोषण रणनीति

इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण के संकेतकों में रुझानों को समझने के लिए अधिक प्रभावित जिलों की स्थिति का व्यापक विश्लेषण किया गया।

अनेक प्रशासनिक डेटा सेट का प्रयोग करके तीन आकांक्षी जिलों (बेगूसराय, अररिया और औरंगाबाद) की स्वास्थ्य एवं पोषण प्रोफाइल तैयार की गई और इन संकेतकों में उनके निष्पादन में सुधार के लिए जिलों के साथ साझा की गई।

एनएफएचएस-5 के आधार पर प्रभाग ने 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य पोषण प्रोफाइल तैयार की जिसे 30 सितंबर 2021 को जारी किया गया। जिला पोषण प्रोफाइलें भी तैयार की जा रही हैं।

नीति आयोग द्वारा प्राथमिकता प्रदान करने के लिए चिह्नित किए गए विशिष्ट प्रश्नों के लिए एनएफएचएस-5 के डेटा का यूनिट स्तरीय विश्लेषण करने के लिए बीएमजीएफ, आईएफपीआरआई, आईआईपीएस और अन्य साझेदरों के सहयोग से नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में नीति-एनएफएचएस 5 सहयोग समिति का गठन किया गया है।

राज्यों में टेक होम राशन की प्रथाएं

नीति आयोग ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से टेक होम राशन मूल्य श्रृंखला में कार्यान्वित राज्य स्तरीय अच्छी प्रथाओं का मिलान किया। एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई और टिप्पणियों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई। 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रापण, उत्पादन मॉडल, टीएचआर के उत्पादों, गुणवत्ता प्रबंधन आदि पर इनपुट प्रदान किया। अच्छी प्रथाओं के मापदंडों के साथ प्राप्त विवरणों का मिलान किया गया।

उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में पोषण अभियान का सुदृढ़ीकरण

नीति आयोग के उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के एक एक ब्लाक में स्वास्थ्य एवं पोषण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आईसीएएन (यह विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों का परिसंघ है) के साथ साझेदारी की गई है। स्वास्थ्य और पोषण के परिणामों में सुधार के लिए मांग पक्ष के मुद्दों का निराकरण करना और घर घर व्यापक एसबीसीसी अभियान संचालित करना फोकस क्षेत्र हैं।

मोटापे की बढ़ती समस्या का समाधान करना

भारत में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में मोटापा और ओवरवेट की समस्याएं बढ़ रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए नीतिगत विकल्पों पर चर्चा करने के लिए नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 24 जून 2021 को मातृत्व, किशोरावस्था और बचपन के मोटापे के निवारण पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। आईईजी और पीएचएफआई के सहयोग से नीति आयोग ऐसी कार्रवाइयों को समझने के लिए उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा कर रहा है जिसे भारत लागू कर सकता है, जैसे कि एचएफएसएस फूड के पैक के फ्रंट पर लेबलिंग, विपणन एवं विज्ञापन और फैट, शुगर एवं साल्ट की अधिक मात्रा वाले फूड पर कर लगाना।

भारत नीति अंतर्दृष्टि

भारत नीति अंतर्दृष्टि अनेक भौगोलिक स्तरों पर नई सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करके तैयार किए गए नीति प्रासंगिक जनसंख्या स्वास्थ्य एवं विकास संकेतकों का एक व्यापक जियो विजुअल ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म है। इस प्रयास में सहयोग करने वाला पार्टनर हार्वर्ड युनिवर्सिटी (https://geographicinsights.iq.harvard. edu/india) है।

प्रवासियों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

प्रभाग ने एक समीक्षा पेपर तैयार किया है जिसमें भारत के प्रवासियों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। मसौदा पेपर ने प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य पोषण सेवा प्रदायगी की समावेशी योजना बनाने और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा जाल एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत उनको बेहतर ढंग से शामिल करने की आवश्यकता को उजागर किया है।

स्वास्थ्य संबद्ध एसडीजी की उपलब्धि

नीति आयोग ने विश्व स्वास्थ्य सभा के वैश्विक पोषण लक्ष्य और स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तीकरण के 19 अतिरिक्त संकेतकों की प्राप्ति में भारत की प्रगति को दर्शाते हुए संकेतकों एवं लक्ष्यों की एक सूची तैयार की है। यह सूची महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साझा की गई है।

व्यवहार अंतर्दृष्टि यूनिट

यूनिट ने गर्भवती महिलाओं में पूरक आहार की प्रथाओं तथा आईएफए टेबलेट लेने में सुधार के लिए दो अनुसंधान अध्ययन तथा एएनसी के उपयोग में सुधार के लिए अपेक्षित कदमों पर एक अध्ययन संचालित किया है।

यूनिट ने बीसीसी टूल किट का विकास करके और इस पर सेवापुरी में लगभग 300 लोगों को प्रशिक्षण देकर सेवापुरी विकास अभियान के तहत एसबीसीसी सहायता भी प्रदान की।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक

प्रभाग ने वैश्विक भुखमरी सूचकांक की कार्यपद्धति का गहन विश्लेषण किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 12 अक्तूबर 2021 को इस सूचकांक के संस्करण 2021 पर एक बैठक आयोजित की गई। सूचकांक में भारत की रैंक में सुधार के तरीकों पर प्रासंगिक हितधारकों के साथ चर्चा की गई।

खंड-IX

प्रशासन और सहायक इकाइयाँ

प्रशासन और सहायक इकाइयाँ

प्रस्तावना

नीति आयोग का प्रशासन प्रभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सेवा नियमावली और भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है। प्रशासन प्रभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों, भर्ती, पदोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा मामलों से संबंधित अदालती मामलों के सभी पहलुओं से संबंधित कार्यों को देखता है और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना भी प्रदान करता है। इसे सार्वजनिक डोमेन में नीति आयोग की नीतियों के कार्यनीतिक संचार का भी काम सौंपा गया है। हिंदी अनुभाग ने वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे।

टीम नीति के लिए वैभवशाली प्रतिभा को आकर्षित करना

नीति आयोग के स्टाफ में सरकारी पदाधिकारियों के साथ-साथ डोमेन एक्सपर्ट और विशेषज्ञ शामिल हैं। डोमेन एक्सपर्ट और विशेषज्ञों को पार्श्व नियुक्ति के आधार पर खुले विज्ञापनों के माध्यम से नियुक्त किया गया है। विशेषज्ञों की इस आवश्यक नियुक्ति की अनुमति देने और सुकर बनाने के लिए, यूपीएससी ने अपने अनिवार्य परामर्श को समाप्त कर दिया। परिणामस्वरूप, नीति आयोग ने देश भर में उपलब्ध प्रतिभा पूल से प्रतिभाशाली प्रोफेशनलों और विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए भर्ती के नए रूपों की शुरुआत की।

तत्कालीन योजना आयोग में कार्मिकों की कुल संख्या लगभग 1500 थी। नीति आयोग के गठन के बाद, तत्कालीन सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया था, जिसमें सचिव, डीओपीटी, स्थापना अधिकारी और सचिव, व्यय विभाग सदस्यों के रूप में शामिल थे, जिन्होंने संस्था की संरचना का अवलोकन किया। कार्य दल ने नियमित कार्य पदों को भरने के बजाय कुशल प्रोफेशनलों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया और सिफारिश की कि बड़ी संख्या में सहायक कर्मचारियों की संख्या घटा दी जाए। इसके परिणामस्वरूप, नीति आयोग में स्टाफ की संख्या घटाकर कुल 500 व्यक्तियों की कर दी गई, जिनमें प्रोफेशनल और सहायक कर्मचारी दोनों शामिल हैं। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय और अटल नवाचार मिशन में कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद से यह बढ़कर 714 हो गई है।

समय के साथ-साथ, नीति आयोग का सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में विकसित होने के साथ, यह सरकार के भीतर और बाहर दोनों से प्रोफेशनल प्रतिभा को आकर्षित करने में सफल रहा है। उपलब्ध सर्वोत्तम प्रोफेशनलों को आकर्षित करने के लिए, नीति आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों-सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय और बहुपक्षीय संस्थानों के डोमेन एक्सपर्ट /विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से फ्लेक्सी-पूल दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया। इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया और इसके परिणामस्वरूप नीति आयोग में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोफेशनलों की नियुक्ति की गई।

वर्ष 2021-22 के दौरान, यूपीएससी द्वारा नियमित जीसीएस पदों के लिए भर्ती विभिन्न स्तरों - आर्थिक अधिकारियों से लेकर संयुक्त सलाहकारों तक, पर आयोजित की गई। इसके अलावा, फ्लेक्सी-पूल दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, नीति आयोग ने विभिन्न प्रोफेशनल पदों के लिए भर्ती को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिन्हें उनकी प्रोफेशनल प्रकृति को इंगित करने के लिए फिर से नामित किया गया - सीनियर लीड, लीड, वरिष्ठ विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, सीनियर एसोसिएट और एसोसिएट। इन सभी की नियुक्ति अल्पकालिक संविदा या निश्चित अवधि-प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई है और निष्पक्ष, पारदर्शी और सख्त प्रक्रिया के माध्यम से इनका चयन किया गया है।

टीम नीति के लिए यह बेहद संतोषजनक बात है कि यह उच्चतम क्रम की प्रतिभा को आकर्षित करने में सक्षम रहा है - जिनमें से कई ने संस्था के लिए काम करने हेतु अपने उच्च वेतन में कटौती कर समझौता किया है। हम उन प्रोफेशनलों को आकर्षित करने में सक्षम रहे हैं जो एक राष्ट्रव्यापी प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं क्योंकि नीति आयोग उन्हें अपने चयनित क्षेत्रों में बदलाव लाने हेतु अपने कौशल का उपयोग करने के लिए एक अद्वितीय कैनवास (कार्यक्षेत्र) और अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्र रूप से प्रतिभा को सफलतापूर्वक आकर्षित करने और भर्ती करने में लंबे अनुभव के साथ, नीति आयोग एक जीवंत थिंक टैंक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रोफेशनल प्रतिभा को आकर्षित करने में सक्षम होने के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करता है।

इसके अलावा, परामर्शदात्री दिशानिर्देशों की दृष्टि से नीति आयोग सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के मौजूदा प्रावधानों के तहत सुपरिभाषित और विनियमित परामर्शदात्री दिशानिर्देशों के माध्यम से डोमेन विशेषज्ञों को नियुक्त करने में सफल रहा है।

वर्तमान में, नीति आयोग में ऐसे प्रशासनिक और डोमेन प्रोफेशनलों का यथोचित संतुलन है जो विभिन्न भर्ती चैनलों के माध्यम से नीति आयोग के साथ जुड़ते हैं। डीएमईओ और एआईएम में नियुक्त कर्मचारियों सहित, नीति आयोग के कार्मिकों की कुल संख्या और उनका श्रेणी-वार वितरण नीचे तालिका-I में दिया गया है। इसे इंगित किया जा सकता है कि वर्तमान में, सरकारी चैनलों के माध्यम से सीधे नियुक्त या प्रतिनियुक्त 115 कर्मचारियों की तुलना में पार्श्विक रूप से भर्ती किए गए प्रोफेशनलों की संख्या या परामर्शदाताओं की संख्या (अपर सचिव से अवर सचिव स्तर तक और युवा प्रोफेशनलों को छोड़कर) 87 है। आने वाले वर्षों में इस संतुलन में और सुधार किया जाएगा।

क्रम सं.	अधिकारियों का स्तर	सरकारी	पार्श्विक आधार पर नियुक्त प्रोफेशनल	आउटसोस पर अन्य प्रोफेशनल	कुल
1	अपर सचिव और समतुल्य	6	2	—	8
2	संयुक्त सचिव और समतुल्य	10	2	6	18
3	निदेशक और समतुल्य	21	23	—	44
4	उप सचिव और समतुल्य	27	3	10	40
5	अवर सचिव और समतुल्य	51	19	22	92
6	अनुभाग अधिकारी और समतुल्य	84	19	*74	177
7	सहायक अनुभाग अधिकारी और समतुल्य	55	—	—	55
8	अन्य सहायक कर्मचारी	163	—	—	163
8	आउटसोस कार्मिक	—	—	117	117
कुल		**417**	**68**	**229**	**714**
*यंग प्रोफेशनल					

नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और इसे वर्ष 2021-22 में भी जारी रखा गया। नवंबर 2018 में इंटर्नशिप के लिए सख्त और पारदर्शी दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसरण में, एक समेकित इंटर्नशिप पोर्टल स्थापित किया गया था, जिसने इस योजना के विकेंद्रीकरण को सक्षम बनाया और सुव्यवस्थित किया जिससे दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ी है। इस स्कीम का उद्देश्य भारत या विदेश में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री के लिए नामांकित छात्रों या शोधार्थियों को इंटर्न के रूप में शामिल करना है।

वर्ष 2016 में शुरू किया गया नीति फेलोशिप कार्यक्रम दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों का दोहन करने का प्रयास करता है। इसे 29 दिसम्बर, 2016 के फेलोशिप दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रखा गया है। नीति आयोग ने इस स्कीम के तहत चार विशेषज्ञ प्रोफेशनलों को अध्येता (फेलो) के रूप में शामिल किया है।

संचार और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ

संचार और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ में चार्ट, मैप एवं उपकरण तथा फोटोस्टेट यूनिटें और संपादकीय एवं सोशल मीडिया सेल शामिल हैं।

चार्ट, मैप एवं उपकरण यूनिट नीति आयोग की केन्द्रीकृत डिजाइन एवं तकनीकी सहायता यूनिट है। यह नीति आयोग के सभी वर्टिकल एवं प्रभागों को लॉजिस्टिक, तकनीकी एवं उपकरण सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, यूनिट द्वारा पीएम स्तरीय बैठकों के साथ-साथ विभिन्न अन्य वर्चुअल बैठकों और सेमिनारों के लिए सहायता प्रदान की गई।

संपादकीय एवं सोशल मीडिया सेल का प्रबंधन इस समय दो पूर्णकालिक पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है जो संपादकीय, समाचार, सोशल मीडिया तथा पीआर से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए नीति आयोग के सभी वर्टिकल, संबद्ध संस्थाओं तथा वरिष्ठ अधिकारियों, क्रिएटिव एवं डिजिटल मीडिया एंप्लीफिकेशन एजेंसियों तथा प्रेस सूचना कार्यालय के साथ नियमित रूप से बातचीत एवं संपर्क करते हैं।

शासी परिषद सचिवालय

शासी परिषद सचिवालय (जीसीएस) नीति आयोग के सभी वर्टिकलों/प्रभागों/यूनिटों की गतिविधियों का समन्वय करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विभिन्न पत्राचारों को संबंधित वर्टिकल को परिचालित भी करता है। 2021-22 में सचिवालय द्वारा अनेक कार्य किए गए :

1. इसने 20 फरवरी, 2021 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की छठवीं बैठक का समन्वय किया। सचिवालय ने 6 फरवरी 2021 को शासी परिषद की छठवीं बैठक से पहले एक विस्तृत बातचीत का भी आयोजन किया, जिसमें राज्य विभागों के मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और मुख्य मंत्रियों के प्रधान सचिवों/सचिवों सहित राज्यों के 250 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। शासी परिषद की बैठक के एजेंडे को तैयार करते समय इस बैठक से फीडबैक को विधिवत रूप से शामिल किया गया। सचिवालय ने शासी परिषद की पांचवीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट और छठी बैठक के लिए एजेंडा नोट्स तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय किया।
2. समन्वय के फोकल बिंदु के रूप में सचिवालय नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की साप्ताहिक बैठकों का समन्वय करता है।
3. सचिवालय ने वरिष्ठ प्रबंधन समिति की बैठकों का आयोजन किया, जिसे हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में वरिष्ठ प्रबंधन परिषद के रूप में पुनर्गठित किया गया है।
4. जीसीएस ने पीएमओ और मंत्रिमंडल सचिवालय से विशेष रूप से पिछले छह वर्षों में नीति आयोग की उपलब्धियों/नीतिगत निर्णयों, स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए इनपुट, आदि के बारे में प्राप्त संदर्भों के लिए वर्टिकल/प्रभागों की सूचना का समन्वय और मिलान किया।

हिंदी अनुभाग

हिंदी अनुभाग ने राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके तहत बनाए गए राजभाषा नियम 1976 के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम और संघ की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा।

राजभाषा विभाग को तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेजी गईं तथा संबद्ध कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की गई। हिंदी अनुभाग ने विभिन्न दस्तावेजों का अनुवाद किया, जैसे कि वार्षिक रिपोर्ट, अनुदान के लिए मांग, संसदीय स्थायी समिति से संबंधित सामग्री, मंत्रिमंडल नोट, संसद प्रश्न, अधिसूचनाएं, एमओयू, प्रपत्र एवं प्रारूप, पत्र आदि।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत शामिल सभी दस्तावेज अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम तथा अन्य आदेशों/अनुदेशों को सूचनार्थ तथा निर्देश के लिए नीति आयोग के सभी अनुभागों एवं इसके संबद्ध कार्यालयों को अग्रेषित किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) सलाहकार (राजभाषा) की अध्यक्षता में काम करती है। यह समिति हिंदी के प्रयोग के सिलसिले में हुई प्रगति की समय समय पर समीक्षा करती है और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सुझाव देती है तथा उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करती है। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा नीति आयोग के नियंत्रण के अधीन कार्यालयों को भी नियमित रूप से ओएलआईसी की बैठकों का आयोजन करने की हिदायत दी जाती है।

हिंदी में मौलिक टिप्पण एवं आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन योजना 2021-22 में भी जारी रही। इस योजना के तहत 5000 रुपए के दो प्रथम पुरस्कार, 3000 रुपए के तीन द्वितीय पुरस्कार और 2000 रुपए के पांच तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

हिंदी में डिक्टेशन के लिए नकद पुरस्कार योजना

हिंदी में डिक्टेशन के लिए अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन योजना चल रही है। इस योजना के तहत 5000 रुपये के दो नकद पुरस्कारों (एक हिंदी भाषी स्टाफ के लिए और दूसरा गैर हिंदी भाषी स्टाफ के लिए) का प्रावधान है।

हिंदी पखवाड़ा

01 से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित किए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जैसे कि हिंदी निबंध लेखन, अनुवाद, टिप्पण/आलेखन, आशुभाषण, कविता पाठ तथा राजभाषा का ज्ञान। नीति आयोग के एमटीएस स्टाफ के लिए एक हिंदी डिक्टेशन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

हिंदी कार्यशालाएं

वर्ष के दौरान हिंदी में अधिक से अधिक काम करने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए 15 जुलाई, 2021 को 2 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 19 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में निरीक्षण

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के सुचारु अनुपालन के लिए हिंदी अनुभाग द्वारा नीति आयोग के 7 प्रभागों, अनुभागों, वर्टिकलों, डीएमईओ और एनआईएलईआरडी का निरीक्षण किया गया।

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

नीति आयोग का पुस्तकालय और प्रलेखन केन्द्र संस्थान के सभी अधिकारियों को व्यापक श्रेणी की पुस्तकों, पत्रिकाओं और रिपोर्टों तक पहुंच प्रदान करता है। अन्य विभागों के अधिकारियों तथा विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोध छात्रों को भी इनहाउस परामर्श की सुविधा प्रदान की जाती है। पुस्तकालय नीति आयोग के इंट्रानेट के माध्यम से विभिन्न डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है।

सीईओ द्वारा नियुक्त पुस्तकालय समिति पुस्तकालय के मामलों पर सामान्य निर्देश, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अधिकार का प्रयोग करती है। वर्तमान में, समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी कर रहे हैं।

पुस्तकालय में 1.40 लाख से अधिक पुस्तकें, रिपोर्टें, जिल्दबद्ध खंड और श्रव्य-दृश्य सामग्रियां हैं। यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 123 जर्नल/पत्रिकाओं, समाचार पत्र तथा ई-पब्लिकेशन पत्र मंगाता है।

1 जनवरी 2020 से 29 दिसंबर 2021 तक पुस्तकालय के संग्रह में 791 पुस्तकें जोड़ी गईं। पुस्तकालय ने संदर्भ से जुड़े लगभग 3200 संदर्भ प्रश्नों का भी जवाब दिया और अपने प्रयोक्ताओं की विशिष्ट जरूरतों को पूरा किया। परामर्श और संदर्भ कार्य के लिए लगभग 2450 पाठक पुस्तकालय में आए।

पाठक ऑनलाइन और एंड्रायड एवं आईफोन पर उपलब्ध मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पुस्तकालय की सामग्री तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

ओएमएंडसी अनुभाग

ओएमएंडसी अनुभाग ने **'स्वास्थ्य के लिए योग:घर पर योग'** थीम पर 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया।

अनुभाग ने 29 अक्तूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता शपथ का आयोजन किया जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा सभी अन्य अधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली।

अनुभाग ने 1 जनवरी 2021 को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी और दिव्यांग जनों के प्रतिनिधित्व पर डीओपीटी के rrcps.nic.in पर वार्षिक समेकित डेटा अपलोड किया। अनुभाग ने niti.gov.in पर नागरिक चार्टर को भी परिचालित किया।

लोक शिकायतों, सांसदों तथा राज्य सरकारों आदि से संदर्भों के निस्तारण के लिए ओएमएंडसी अनुभाग द्वारा 2 से 31 अक्तूबर 2021 तक एक विशेष अभियान चलाया गया।

आरटीआई सेल

आरटीआई सेल https://rtionline.gov.in पर ऑनलाइन और डाक के माध्यम से भौतिक रूप से प्राप्त सभी आईटीआई प्रश्नों का जवाब देता है।

वर्ष 2020-21 और 2021–22 के दौरान आरटीआई सेल निम्नलिखित गतिविधियों में शामिल था :

वार्षिक वर्ष (2020-21): 19 नवंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक

1. 173 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से सभी का निस्तारण 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया।
2. चार अपीलें प्राप्त हुईं और उनका भी निस्तारण 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया।
3. इस अवधि के दौरान सीआईसी की एक भी सुनवाई में भाग नहीं लिया गया।

वार्षिक वर्ष (2021-22): 1 जनवरी, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 तक

1. समयावधि के अंदर 1012 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 1005 का निस्तारण किया गया और 7 आवेदन लंबित हैं (31 अक्तूबर 2021 की स्थिति के अनुसार)।
2. 127 अपीलें प्राप्त हुईं जिनमें से 124 का निस्तारण समयावधि के अंदर कर दिया गया और 3 लंबित हैं (31 अक्तूबर 2021 की स्थिति के अनुसार)।
3. इस अवधि के दौरान सीआईसी की पांच सुनवाई में भाग लिया गया।

सतर्कता अनुभाग

जनवरी से अक्तूबर 2021 के बीच डीएमईओ और नीति आयोग के अधिकारियों को तकरीबन 350 सतर्कता स्वीकृतियां जारी की गईं। अनेक आरटीआई/सचेतक शिकायतों पर काम किया गया और उनका निपटारा किया गया। कुछ अधिकारियों के खिलाफ उचित प्रक्रिया/कानून के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की गई।

निवारक सतर्कता

नीति आयोग ने 26 अक्तूबर से 1 नवंबर 2021 के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस वर्ष की थीम थी '75वें वर्ष में स्वतंत्र भारत : सत्यनिष्ठा के साथ आत्म निर्भरता'।

इस अवसर पर नीति आयोग के सभी कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली। इस वर्ष सतर्कता सप्ताह जनहित से जुड़े प्रकटन और मुखबिरों के संरक्षण पर जागरूकता का प्रसार करने पर केन्द्रित था।

खंड-X

रिपोर्टें और प्रकाशन

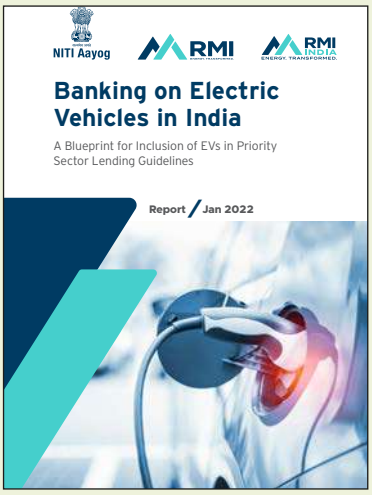
NITI Aayog
RMI
RMI INDIA
Banking on Electric Vehicles in India
A Blueprint for Inclusion of EVs in Priority Sector Lending Guidelines
Report / Jan 2022

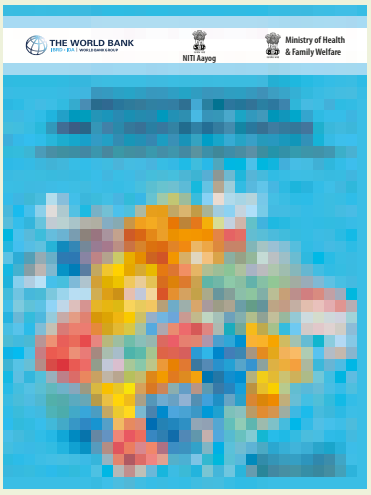
THE WORLD BANK
NITI Aayog
Ministry of Health & Family Welfare

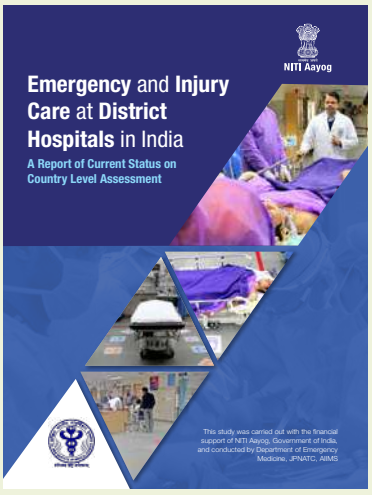
NITI Aayog
Emergency and Injury Care at District Hospitals in India
A Report of Current Status on Country Level Assessment

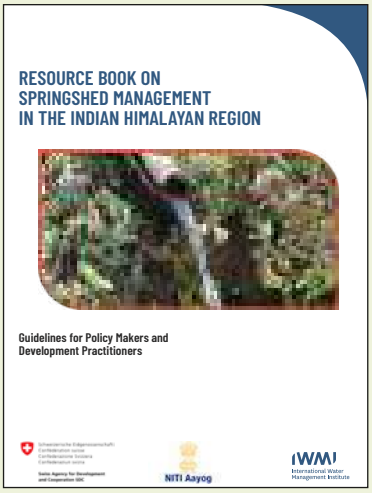
RESOURCE BOOK ON SPRINGSHED MANAGEMENT IN THE INDIAN HIMALAYAN REGION
Guidelines for Policy Makers and Development Practitioners
NITI Aayog
IWMI
International Water Management Institute

NITI Aayog
WASTE-WISE CITIES
Best practices in municipal solid waste management

NITI Aayog
DESIGNING THE FUTURE OF DISPUTE RESOLUTION
THE ODR POLICY PLAN FOR INDIA

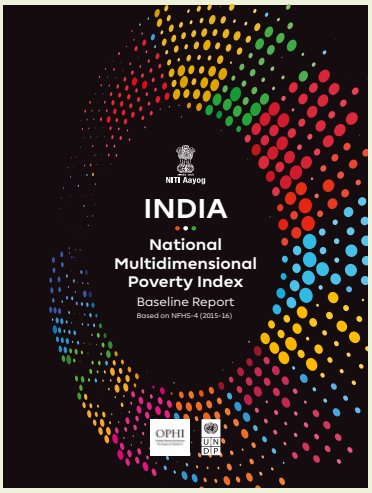
NITI Aayog
INDIA
National Multidimensional Poverty Index
Baseline Report
Based on NFHS-4 (2015-16)
OPHI
UNDP

NITI Aayog
DIGITAL BANKS
A Proposal for Licensing & Regulatory Regime for India
DISCUSSION PAPER
November 2021

NITI Aayog
HOME-BASED MANAGEMENT OF COVID-19
BEST PRACTICES ADOPTED BY STATES

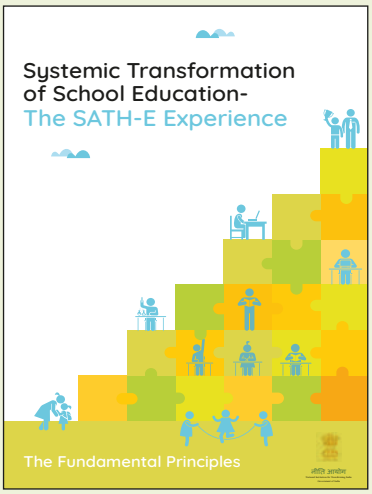
Systemic Transformation
of School Education-
The SATH-E Experience
The Fundamental Principles

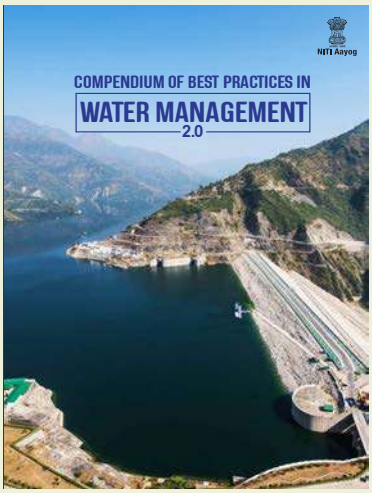
NITI Aayog
COMPENDIUM OF BEST PRACTICES IN
WATER MANAGEMENT
2.0

NITI Aayog
Health Insurance
for India's
Missing Middle
October 2021

NITI Aayog
BEST PRACTICES IN THE PERFORMANCE OF
DISTRICT HOSPITALS

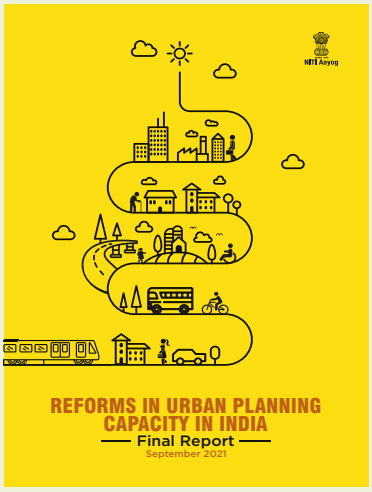
NITI Aayog
REFORMS IN URBAN PLANNING
CAPACITY IN INDIA
Final Report
September 2021

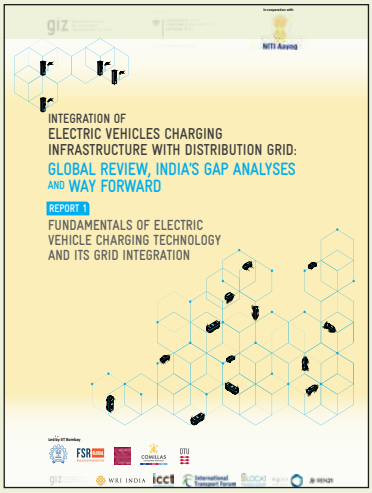
NITI Aayog
INTEGRATION OF
ELECTRIC VEHICLES CHARGING
INFRASTRUCTURE WITH DISTRIBUTION GRID:
GLOBAL REVIEW, INDIA'S GAP ANALYSES
AND WAY FORWARD
REPORT 1
FUNDAMENTALS OF ELECTRIC
VEHICLE CHARGING TECHNOLOGY
AND ITS GRID INTEGRATION

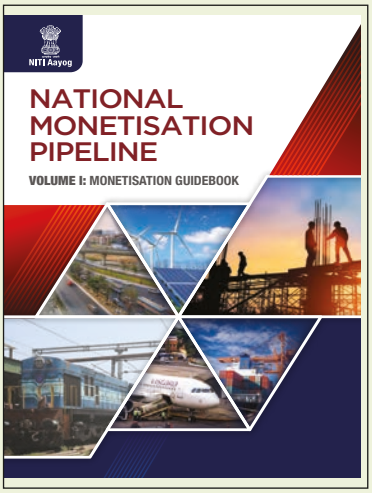
NITI Aayog
NATIONAL
MONETISATION
PIPELINE
VOLUME I: MONETISATION GUIDEBOOK

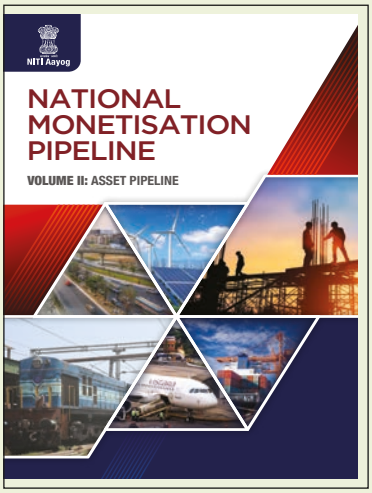
NITI Aayog
NATIONAL
MONETISATION
PIPELINE
VOLUME II: ASSET PIPELINE

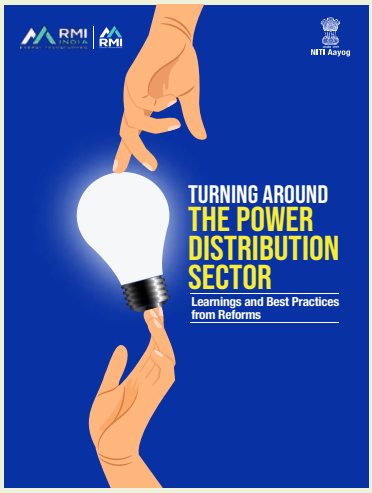
RMI
NITI Aayog
TURNING AROUND
THE POWER
DISTRIBUTION
SECTOR
Learnings and Best Practices
from Reforms

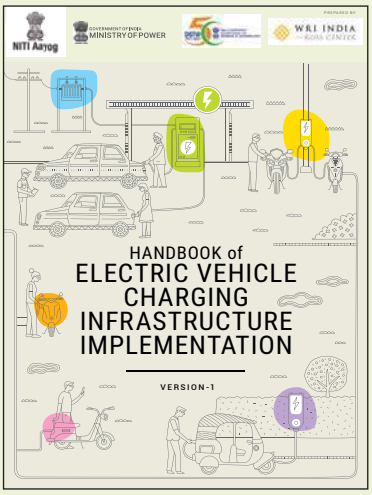
HANDBOOK of
ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE IMPLEMENTATION
VERSION-1

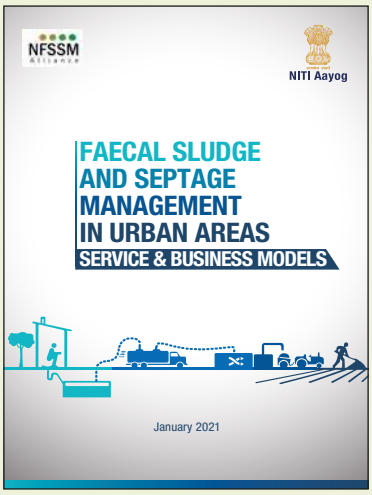
NFSSM
NITI Aayog
FAECAL SLUDGE AND SEPTAGE MANAGEMENT IN URBAN AREAS
SERVICE & BUSINESS MODELS
January 2021

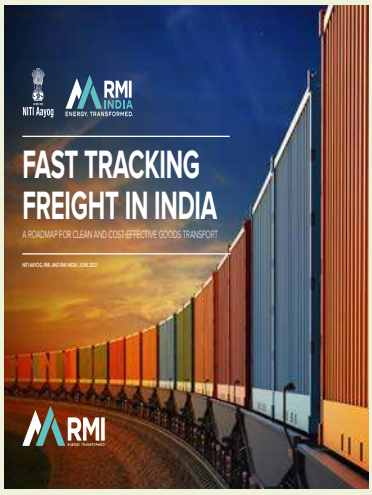
NITI Aayog
RMI INDIA
ENERGY. TRANSFORMED.
FAST TRACKING FREIGHT IN INDIA
A ROADMAP FOR CLEAN AND COST-EFFECTIVE GOODS TRANSPORT
RMI

NITI Aayog
Study on the
Not-for-Profit Hospital
Model in India
HOSPITAL
June 2021

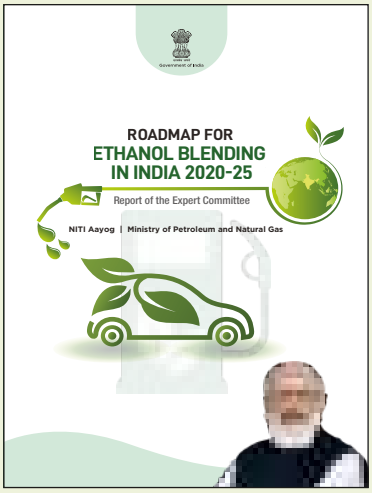
ROADMAP FOR
ETHANOL BLENDING IN INDIA 2020-25
Report of the Expert Committee
NITI Aayog | Ministry of Petroleum and Natural Gas

CONNECTED COMMERCE
CREATING A ROADMAP FOR A DIGITALLY INCLUSIVE BHARAT
Mastercard & NITI Aayog Knowledge Series
mastercard
NITI Aayog
FTI CONSULTING
May 2021

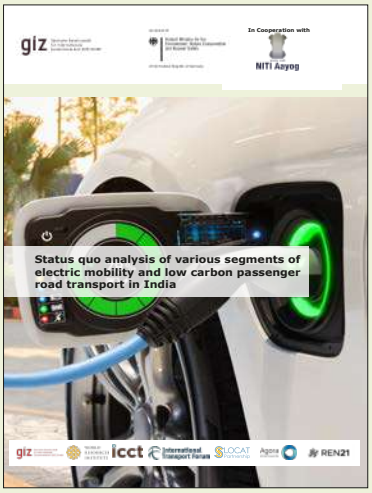
giz
In Cooperation with
NITI Aayog
Status quo analysis of various segments of electric mobility and low carbon passenger road transport in India
giz
icct
International Transport Forum
LOCAT
REN21

NITI Aayog
Investment Opportunities in
INDIA'S HEALTHCARE SECTOR

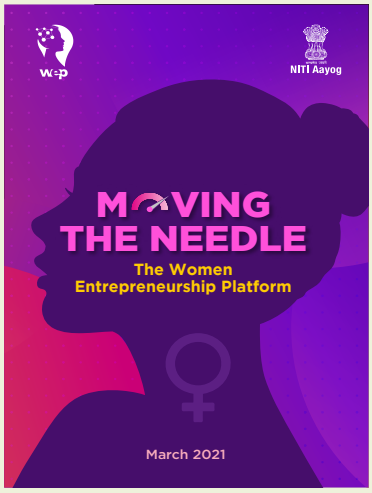
wep
NITI Aayog
MOVING THE NEEDLE
The Women Entrepreneurship Platform
March 2021

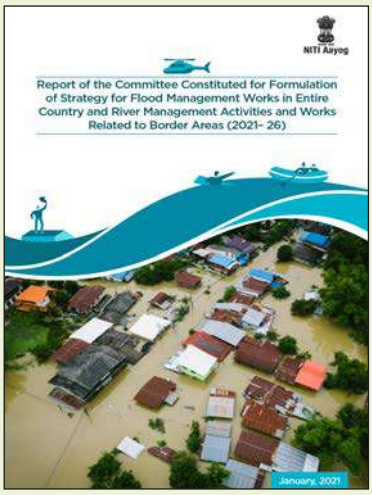
NITI Aayog
Report of the Committee Constituted for Formulation of Strategy for Flood Management Works in Entire Country and River Management Activities and Works Related to Border Areas (2021- 26)
January, 2021

NITI Aayog
RESPONSIBLE AI
#AIFORALL
Approach Document for India
Part 1 – Principles for Responsible AI
FEBRUARY 2021

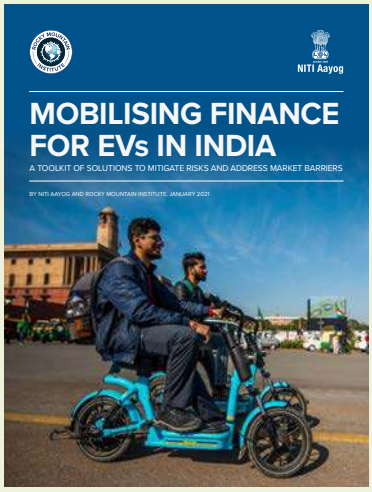
NITI Aayog
MOBILISING FINANCE FOR EVs IN INDIA
A TOOLKIT OF SOLUTIONS TO MITIGATE RISKS AND ADDRESS MARKET BARRIERS
BY NITI AAYOG AND ROCKY MOUNTAIN INSTITUTE, JANUARY 2021

NITI Aayog
INDIA
INNOVATION
INDEX
2020

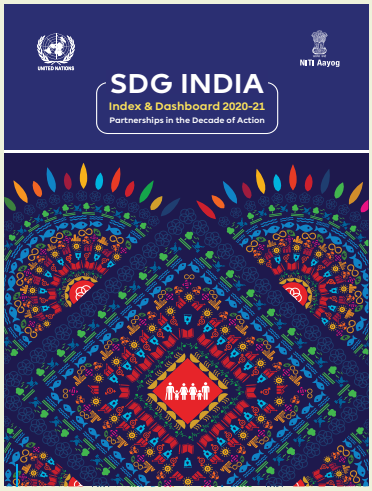
UNITED NATIONS
NITI Aayog
SDG INDIA
Index & Dashboard 2020-21
Partnerships in the Decade of Action

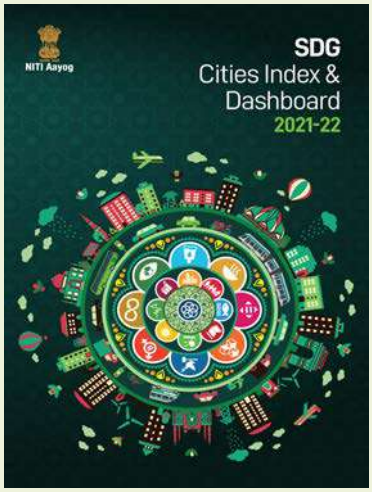
NITI Aayog
SDG
Cities Index &
Dashboard
2021-22

अनुलग्नक

अनुलग्नक

तालिका 1.1 : अनुमोदित शोध अध्ययनों, पूर्ण हो चुके अध्ययनों, अनुमोदित संगोष्ठियों और प्रदान किए गए लोगो समर्थन, शासन और अनुसंधान वर्टिकल की सूची

क्र. सं.	शीर्षक	संस्थान / शोधकर्ता
1	मेडिकल कॉलेजों में समय पर भर्ती और फैकल्टी के कार्यभार ग्रहण करने की दिशा में आने वाली बाधाओं पर अनुसंधान अध्ययन	साह मंत्रण प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम
2	गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, निगरानी, देखभाल की निरंतरता और मशीन लर्निंग आधारित पूर्वानुमान मॉडलिंग के लिए एकीकृत चिकित्सा उपकरणों पर आधारित एक मॉडल स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क के विकास पर अनुसंधान अध्ययन	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली
3	भारत में सीसीयूएस नीति रूपरेखा और इसका तैनाती तंत्र	एम.एन. दस्तूर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
4	इंडिया विज़न 2036-37: एक समष्टि अर्थमितीय दृष्टिकोण	ईजीआरओडब्ल्यू फाउंडेशन फॉर इकनोमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर, नोएडा
5	इंडिया विज़न 2046-47: एक समष्टि अर्थमितीय दृष्टिकोण	ईजीआरओडब्ल्यू फाउंडेशन फॉर इकनोमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर, नोएडा
6	बाल विवाह प्रतिषेध (कनार्टक संशोधन) अधिनियम, 2016	नेशनल लॉ स्कूल, बैंगलोर
7	चक्रीय अर्थव्यवस्था पर एक रणनीतिक कार्य योजना तैयार करना	पर्यावरण केंद्र, मुम्बई
8	डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म के लिए सिफारिशों के साथ भारत में जिम्मेदार चेहरा पहचान प्रौद्योगिकियों के लिए हैंडबुक	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली
9	सोशल ऑडिट पायलट	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता
10	भारतीय राज्यों के लिए समग्र जल सूचकांक पर रिपोर्ट 2021	डलबर्ग, नई दिल्ली
11	भारत में विमानन क्षेत्र के लिए एमआरओ उद्योगों का विकास	बीआरआईईएफ, नई दिल्ली
12	निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए संपूर्ण भारत में ऐतिहासिक परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा का विश्लेषण	एनईईआरआई
13	कमजोर समुदायों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 के प्रभाव पर अनुसंधान अध्ययन : बिहार और झारखंड में अध्ययन	आईएचडी, नई दिल्ली
14	महिला उद्यमिता को बढावा देना : चुनिंदा योजनाओं की समीक्षा	माइक्रोसेव कन्सल्टिंग

तालिका 1.2 : वर्ष 2020-21 के दौरान (31 दिसम्बर 2021 तक) पूर्ण हो चुके अध्ययन

क्र. सं.	शीर्षक	संस्थान / शोधकर्ता
1	लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जल संसाधनों का विकास	डब्ल्यूएपीसीओएस, गुरुग्राम
2	लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में भूमि का उद्धार	डब्ल्यूएपीसीओएस, गुरुग्राम
3	भारतीय माल ढुलाई में रेलवे के मॉडल शेयर में सुधार के लिए भारतीय रेल की दक्षता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता तथा नीति स्तरीय रणनीतियां	बीआरआईईएफ, नई दिल्ली
4	भारत के लिए उन्नत ऊर्जा डेटा पोर्टल का विकास	प्रयास, पुणे
5	आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(ग) के तहत नमूना सर्वेक्षण और अध्ययन	डेवलपमेंट एंड रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
6	वन संरक्षण पर जोर देते हुए विकास योजना के लिए अति उच्च विभेदन उपग्रह डेटा का उपयोग करके बडे पैमाने पर ग्रेट निकोबार द्वीप के भूमि प्रयोग/भूमि कवर का मानचित्रण	भारतीय वन सर्वेक्षण
7	वन संरक्षण पर जोर देते हुए विकास योजना के लिए अति उच्च विभेदन उपग्रह डेटा का उपयोग करके बडे पैमाने पर ग्रेट लिटिल अंडमान द्वीप के भूमि प्रयोग/भूमि कवर का मानचित्रण	भारतीय वन सर्वेक्षण
8	नीतिगत ब्याज दरें, बाजार दरें, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास	ईजीआरओडब्ल्यू फाउंडेशन, नई दिल्ली
9	लद्दाख के लिए कार्बन तटस्थ संसाधन दक्ष रणनीति का विकास करना	टेरी, नई दिल्ली
10	भारत में विरासत प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां और नीतिगत अपरिहार्यताएं	द्रोणाह, गुरुग्राम
11	एजेंडा 2030 को कार्यान्वित करने के लिए सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की डिजाइन और कार्यान्वयन	एएसआईसी, हैदराबाद
12	परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन	क्रिसिल रिस्क एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन लिमिटेड
13	भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान को मुख्य धारा में लाना	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली

तालिका 1.3 : 2020-21 के दौरान (31दिसम्बर 2021 तक) अनुमोदित लोगो समर्थन की सूची

क्र. सं.	कार्यक्रम	आयोजक
1	वर्चुअल रिटेल सप्लाई चेन एक्सकॉन का तीसरा संस्करण	पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली
2	बीएफएसआई टेक शो का 9वां संस्करण	ट्रेसकॉन ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु
3	रीडिंग और डिजिटल रीडिंग पर राष्ट्रीय अभियान	पी एन पनिक्कर फाउंडेशन, तिरुवनन्तपुरम
4	हाइड्रोजन इंडिया कॉन्क्लेव	इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्स, पुणे
5	12वीं विश्व अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2021	एनर्जी एंड एनवायरॉनमेंट फाउंडेशन, नई दिल्ली
6	दिल्ली डायलॉग्स	पॉलिसी सर्कल
7	अधिक मांग और विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाना	टेरी, नई दिल्ली
8	विश्व ऊर्जा भंडारण	इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्स, पुणे
9	वर्ल्ड क्लाउड शो का 10वां संस्करण	ट्रेसकॉन ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु
10	दूसरा वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन पुरस्कार 21	ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, नई दिल्ली
11	पोर्ट मैरीटाइम एवं मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स	पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली
12	समावेशी वित्त शिखर सम्मेलन 2021	एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, नई दिल्ली
13	पोषक अनाज : बहु हितधारक सम्मेलन 2021	आईसीएआर, तेलंगाना
14	फिक्की हील 2021 : कोविड के बाद स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव	फिक्की, नई दिल्ली
15	ई-मोबिलिटी इंडिया फोरम	मेस्से फ्रैंकफर्ट ट्रेड फेयर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
16	आजीविका भारत सम्मेलन 2021	एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, नई दिल्ली
17	वर्ल्ड एसडी–डब्ल्यूएएन एंड एसएएसई शिखर सम्मेलन	ट्रेसकॉन ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु
18	महिलाओं में कैंसर की रोकथाम और शमन पर 5वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2021	सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली
19	विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा शिखर सम्मेलन	एनर्जी एंड एनवायरॉनमेंट फाउंडेशन, नई दिल्ली
20	सीआईआई का 7वां अंतर्राष्ट्रीय जल नवाचार शिखर सम्मेलन	सीआईआई, नई दिल्ली
21	ईवी इंडिया 2021 एक्सपो–इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल शो	ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया, नोएडा, उत्तर प्रदेश
22	उच्च शिक्षा गोष्ठी	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, तेलंगाना
23	इंडिया सैटकॉम 2021	ब्रोडबैंड इंडिया फोरम, नई दिल्ली
24	भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह	इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्स, पुणे

क्र. सं.	कार्यक्रम	आयोजक
25	तीसरी आयुष्मान भारत गोष्ठी और भारत स्वास्थ्य एवं देखभाल शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण	एकीकृत स्वास्थ्य एवं देखभाल परिषद, नई दिल्ली
26	विश्व परियोजना प्रबंधन मंच (डब्ल्यूपीएमएफ) की तीसरी बैठक को समर्पित 29वीं वैश्विक संगोष्ठी	सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नोएडा
27	राजस्थान नगर मेयर सम्मेलन	कंज्यूमर यूनिटी एंड और ट्रस्ट सोसाइटी (सीयूटीएस इंटरनेशनल), जयपुर
28	आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के समर्थन में जलवायु संबंधी जोखिमों का प्रबंधन	स्विट्ज़रलैंड दूतावास, नई दिल्ली
29	जेनेसिस 3डी मैप लॉन्च 2021	जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई
30	सैटेलाइट ग्राउंड सेगमेंट इन इंडिया: वे फॉर्वर्ड	सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, नई दिल्ली
31	इंडिया डिजिटल समिट 2022	इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुम्बई

सत्यमेव जयते

नीति आयोग

www.niti.gov.in